बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के आदेशों, परिपत्रों आदि का संकलन

Compendium of orders, Circulars etc. of the Department of Cabinet.

प्रकाशन वर्ष-2002

प्रस्तावना

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार सरकार के सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली विभाग है। साथ ही इसके प्रशासनिक नियंत्रण में राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री सचिवालय एव प्रत्यक्ष नियंत्रण [illegible] ज्य अभिलेखागार निदेशालय, ग्रंथागार, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, राज्य नागरिक परिषद् एवं साम [illegible] (प्रोटोकौल) है।

[illegible]डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर आदेश/अनुदेश निर्गत किये [illegible] हैं। प्रस्तुत संकलन में इसका अद्यतन संग्रह किया गया है।

मंत्रिमंडल (निगरानी) एवं मंत्रिमंडल (निर्वाचन) द्वारा अलग से संकलन तैयार किया जा रहा है। अतः इस संकलन में उनका समावेश नहीं किया गया है।

इसमें संकलित आदेश/अनुदेश मूल आदेशों/अनुदेशों के प्रतिरूप है। परन्तु संयोगवश असंगति या अन्तर होने की दशा में मूल आदेश/अनुदेश ही प्रामाणिक माने जायेंगे।

इस संकलन में इस विभाग से संबंधित सभी क्षेत्रों के आदेशों/अनुदेशों के संकलन का प्रयास किया गया है। सामान्य शाखा से एक हैण्ड बुक 1997 में प्रकाशित किया जा चुका है। उसके बाद के आदेश/अनुदेश इस संकलन में संग्रहित है।

(गिरीश शंकर)

सरकार के सचिव।

विषय-सूची

क्रम सं०	विषय	संदर्भ एवं तिथि	पृष्ठ संख्या
खंड-1	राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की स्थापना		
1	सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया संबंधी अनुदेश।	1/सी०एस० /आर 1-105/83-485, दिनांक 21 फरवरी, 1983।	1
2	स्थानान्तरण एवं पदस्थापन संबंधी प्रक्रियाओं के अनुपालन से संबंधित सरकारी निदेश।	पत्रांक-1182, दिनांक 30 जून, 1990	2
3	तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सामान्य स्थानान्तरण पर रोक संबंधी निर्देश।	3/सी० एस० एम-3011/94-2081, दिनांक 4 जून, 1994।	3
4	महासंघ/संघ के पदधारकों के स्थानान्तरण पर रोक संबंधी निर्देश।	पत्रांक 93, दिनांक 18 जनवरी, 1995	4
5	कालबद्ध प्रोन्नति के मामलों को मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखे, तथा कालबद्ध प्रोन्नति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निर्देश।	पत्रांक-सी०एस० 1/एम-1014/94-952, दिनांक 19 मई, 1995।	5
6	अस्थायी तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों का स्थायीकरण के संबंध में निर्देश।	अर्द्ध सरकारी पत्र सं० सी० एस०-133, दिनांक 12 जनवरी, 1971।	6
7	अराजपत्रित अस्थायी पदों के स्थायीकरण में परिवर्त्तन करने के संबंध में।	पत्रांक सी० एस०-4948, दिनांक 2 सितम्बर, 1969।	7
8	सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों के अस्थायी अराजपत्रित पदों के स्थायी करने के संबंध में।	ज्ञाप सं० सी०एस० 3/एन 1-1025/71-2679, दिनांक 4 जून, 1971।	8
9	छंटनीग्रस्त व्यक्तियों की बहाली के संबंध में निर्देश।	ज्ञाप सं० सी० एस०-3363, दिनांक 5 जुलाई, 1967।	9
10	अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश।	ज्ञाप सं० सी० एस० 1-एम3-10105/67-4872, दिनांक 25 सितम्बर, 1967।	10
11	अराजपत्रित पदों पर वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर लगाया गया प्रतिबंध को हटा लेने का सरकार का निर्णय।	ज्ञाप सं० सी०एस०-1125, दिनांक 7 मार्च, 1968।	11
12	नियुक्तियों में छंटनीग्रस्त व्यक्तियों को प्राथमिकता देने तथा वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध संबंधी आदेश पूर्ववत् रहने के संबंध में।	ज्ञाप संख्या सी०एस० 1/एम 1-10105/67-3207, दिनांक 3 जुलाई, 1968।	12

क्रम सं०	विषय	संदर्भ एवं तिथि	पृष्ठ सं०
13	छंटनीग्रस्त सरकारी कर्मियों का सामंजन करने के संबंध में निर्देश।	ज्ञाप सं० सी०एस०-4949, दिनांक 2 सितम्बर, 1969।	13
14	कार्यावधि में महासंघ के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक।	पत्र सं० सी०एम०-5070, दिनांक 17 सितम्बर, 1968।	14
खंड-2	राज्य के बाहर एवं अन्दर परिभ्रमण		
1	प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों को राज्य मुख्यालय में बुलाने के संबंध में निर्देश।	ज्ञाप सं० सी०एस०-290, दिनांक 19 जनवरी, 1962।	15
2	प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को मुख्यालय में बुलाने के संबंध में निर्देश।	पत्रांक सं०सी०एस० 3/एम3-1013/79(खंड)-2201, दिनांक 13 जून, 1979।	16
3	प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को राज्य मुख्यालय में बुलाने के संबंध में निर्देश।	पत्रांक सं० 3सी०एस० 3/एम3-1013/79(खंड)-3533, दिनांक 29 सितम्बर, 1980।	17
4	प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को राज्य मुख्यालय में परामर्श के लिये बुलाने के संबंध में निर्देश।	पत्रांक सी०एस०-3/एम-3-1013/79-1556, दिनांक 28 अप्रील, 1981।	18
5	पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण।	पत्र सं० सी०एस० 3/एम3-1015/87-4331, दिनांक 1 सितम्बर, 1987।	19
6	प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला दंडाधिकारियों को राज्य के मुख्यालय में बुलाने के संबंध में।	पत्रांक-सी०एस०-3।एम-3-103।87-607, दिनांक 21 मार्च, 1988।	20
7	पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण।	पत्र सं० 1050, दिनांक 7 जून, 1990।	21
8	प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला दंडाधिकारियों को राज्य के मुख्यालय में बुलाने के संबंध में।	पत्रांक सी०एस०-3/एम-3-103/87-1335, दिनांक 23 जुलाई, 1990।	22
9	जिला दंडाधिकारियों को राज्य मुख्यालय में बुलाने के संबंध में।	पत्रांक 3/सी०एस० /एम-902/90-2326, दिनांक 26 सितम्बर, 1990।	23
10	जिला दंडाधिकारियों को राज्य मुख्यालय में बुलाने के संबंध में।	पत्रांक 3/सी०एस०एम०-101/92(खंड)-2003, दिनांक 19 जून, 1992।	24-25
11	राज्य के बाहर परन्तु भारत के अन्दर सेमिनार परिशिक्षण, विचार-विमर्श बैठक आदि में भाग लेने हेतु यात्रा के संबंध में।	पत्रांक 3।सी०एस०एम-304।91-3994, दिनांक 29 अक्टूबर, 1993।	26
12	पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण।	पत्रांक 3/सी०एस०-902/94-978, दिनांक 18 मार्च, 1994।	27
13	पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण।	पत्रांक 3/सी०एस०-902/94-2255, दिनांक 30 जून, 1994।	28-29

क्रम सं०	विषय	संदर्भ एवं तिथि	पृष्ठ संख्या
खंड-3	**सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के संबंध में अन्य निर्णय**		
1	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सेवा अभिलेख अद्यतन रखने के संबंध में।	ज्ञाप सं० 5744, दिनांक 13 नवम्बर, 1967।	30
2	सचिवालय के प्रशाखा प्रधानों एवं उसी वेतनमान के समकक्ष अनुसचिवीय पदों को राजपत्रित बनाना और फलस्वरूप विभिन्न पदों का नया नामकरण।	सं० 3 सी०एस०/3 आर 1-202/68-2540, दिनांक 31 मई, 1968।	31
3	अराजपत्रित कर्मचारियों की मांग पर सरकार का निर्णय।	ज्ञाप सं० सी०एस०-6140, दिनांक 4 नवम्बर, 1969।	32—34
4	आपात्कालीन स्थिति में पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में मंत्रिपरिषद् का निर्णय।	ज्ञाप सं० सी०एस० 3/एम 2-2024/71-5457, दिनांक 9 दिसम्बर, 1971।	35
5	सरकार के अधीन तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी राजपत्रित पदों को स्थायी करने के संबंध में।	ज्ञापांक सी०एस० 3/एल 1-1019/72-3891, दिनांक 30 सितम्बर, 1972।	36—38
6	अनिवार्य प्रतीक्षा में राजपत्रित पदाधिकारियों का पदस्थापन।	पत्रांक सी०एस० 2/एम 2-1022/83-1661, दिनांक 23 मई, 1983।	39
7	सरकारी सेवकों द्वारा पैरवी पर रोक	पत्रांक 2694, दिनांक 12 अगस्त, 1996।	40
8	विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाये जाने के संबंध में।	पत्र सं० सी०एस० 1/एम० 1-1016/95-2695, दिनांक 12 अगस्त, 1996।	41
9	सरकार के विभिन्न विभागों में विगत तीन वर्षों में सेवा निवृत्त पदाधिकारी कर्मचारी के सेवा निवृत्त लाभों के भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।	पत्रांक-3/सी०एस०-4002/96-3229 दिनांक 30 सितम्बर, 1996।	42-43
10	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिदिन उपस्थिति प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।	पत्रांक मं०मं० 2/वि० 3-901/97-87, दिनांक 10 जनवरी, 1997।	44
11	विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाये जाने के संबंध में।	पत्र सं० सी०एस० 1/एम० 1-1016/95-627, दिनांक 14 मार्च, 1997।	45
12	सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने पदस्थापन के स्थान पर रहकर कार्य करने के संबंध में।	पत्रांक सी०एस० 1/एम० 1-109/2000-मं०स०-1531, दिनांक 24 मई, 2000।	46
खंड-4	**उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन के संबंध में निर्देश**		
1	पटना हाई कोर्ट में पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन के संबंध में।	पत्रांक 2/सी० एस०-10?/92-3857, दिनांक 6 नवम्बर, 1992।	47

क्रम सं०	विषय	संदर्भ एवं तिथि	पृष्ठ संख्या
2	न्यायालय के विचाराधीन मुकदमों के निष्पादन के संबंध में।	पत्रांक 284, दिनांक 1 फरवरी, 1993।	48
3	पटना उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के विचाराधीन मुकदमों के त्वरित निष्पादन के संबंध में।	पत्रांक 285, दिनांक 1 फरवरी, 1993।	49
4	अवमानना के वादों को न्यायालयों में संचालन करने हेतु विभागीय सचिवों को केवल वैसे वादों के लिए अधिवक्ता चयन करने की शक्ति।	पत्रांक सी० एस०1/ए1-1010/93-1070, दिनांक 15 अप्रील, 1993।	
5	अवमानना के वादों में विभाग द्वारा किये गये वकीलों की नियुक्ति।	पत्रांक 3/सी०एस०-101/93-2230, दिनांक 28 जून 1993।	51
6	पटना हाई कोर्ट एवं सुप्रिम कोर्ट में वादों के त्वरित निष्पादन।	पत्रांक?/सी० एस०/एम-701/93-3451, दिनांक 23 सितम्बर, 1993।	52
7	स्थापना संबंधी विषयों की नियमित समीक्षा	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-304/91-3666, दिनांक 5 अक्तूबर, 1993।	53-54
8	हाई कोर्ट में काउन्टर एफिडेविट समय पर देने के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम 3043/93-3707, दिनांक 8 अक्तूबर, 1993।	55
9	पटना उच्च न्यायालय में वादों के त्वरित निष्पादन के संबंध में।	पत्र सं० 3/सी० एस०/एम-701/93-2280, दिनांक 4 जुलाई, 1994।	56-57
10	न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के निष्पादन के संबंध में।	पत्र संख्या 3/सी० एस०/एम 701/93-2329, दिनांक 7 जुलाई, 1994।	58-59
11	माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावादों के त्वरित निष्पादन हेतु विभागीय सचिवों को विशेष अनुदेश।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-701/93-3246, दिनांक 11 जुलाई, 1994।	60
12	माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावादों के त्वरित निष्पादन हेतु विभागीय सचिवों को विशेष अनुदेश।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम 701/93-4090, दिनांक 25 अगस्त, 1994।	61-62
13	माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल० पी० अथवा अपील दायर करने के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-701/94-4235, दिनांक 31 अगस्त, 1994।	63
14	माननीय उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना-वादों के संबंध में प्रति शपथ-पत्र दायर करने हेतु श्री जगन्नाथ झा, सरकारी अधिवक्ता को सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-701/93-4340, दिनांक 9 सितम्बर, 1994।	64
15	न्यायालय में विचाराधीन वादों के निष्पादन के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-701/93-5687, दिनांक 2 दिसम्बर, 1994।	65

क्रम सं०	विषय	संदर्भ एवं तिथि	पृष्ठ संख्या
16	माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद/अवमाननावाद के त्वरित निष्पादन के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-701/93-2379, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995।	66-67
17	माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित वाद/अवमाननावाद पर आवश्यक कार्रवाई के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-701/93-746, दिनांक 6 अप्रील, 1996।	68—70
18	सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-701/93-943, दिनांक 6 अप्रील, 1996।	71—76
19	माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित वाद। अवमाननावाद में नोडेल पदाधिकारियों द्वारा तत्परतापूर्वक कारवाई नहीं करने के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-2001/96-1796, दिनांक 4 जून, 1996।	77-78
20	सी० डब्लू० जे० सी० नं० 10761/95 श्री त्रिपुरारी प्रसाद गुप्ता बनाम जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पाकुड़ के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निदेश के अनुरूप कार्रवाई के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-2001/96-611, दिनांक 6 मार्च, 1997।	79—81
21	सी० डब्लू० जे० सी० नं०-467/97 श्री दीनानाथ झा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिये गये न्यायादेश के संबंध में कारवाई।	पत्रांक 3/सी० एस०/एम-7001/97-616, दिनांक 10 मार्च, 1997।	82-83
22	माननीय उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना याचिकाओं के निष्पादन के संबंध में।	पत्रांक 3/सी० एम०/एस-2001/98-3162, दिनांक 27 अगस्त 1998।	84—86
23	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अवमाननावाद से संबंधित मामलों का दिनांक 28 फरवरी, 1999 तक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सचिवालय/जिला स्तर पर कोषांग का गठन।	पत्रांक 4/सी० एस०/एम-3001/99(छाया)-373, दिनांक 25 जनवरी, 1999।	87
24	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष अवमानना से संबंधित मामलों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।	पत्रांक 738, दिनांक 13 मार्च, 1999।	88-89
खंड-5	प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारियों के कार्यों एवं कृत्यों का निर्धारण		
1	जिला पदाधिकारियों के कार्यों एवं कृत्यों का निर्धारण।	संख्या आई० सी० 1-102/55-ए (पैंट)-6828, दिनांक 1 सितम्बर 1955।	90—93
2	प्रमंडलीय आयुक्तों के कार्यों और कृत्यों का नये सिरे से निर्धारण।	संख्या 1-सं०-20/4-72-21307-का०, दिनांक 28 नवम्बर, 1972।	94—98
3	विकास कार्यों के संबंध में समुचित समन्वय, निगरानी तथा नियंत्रण एवं उनके द्रुतगामी कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारियों के कार्यों एवं कृत्यों का निर्धारण।	पत्रांक मं० मं० 2/वि2-1084/85-2647, दिनांक 28 दिसम्बर 1985।	99-100

क्रमसं०	विषय	संदर्भ एवं तिथि	पृष्ठ संख्या
4	जिला स्तर पर जिला पदाधिकारियों को टीम लीडर बनाया जाना।	पत्र सं० 3/सी० एस०-2006/98-3691, दिनांक 5 अक्टूबर 1998।	101
खंड-6	कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन		
1	मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित संलेखों में त्रुटियों में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित नहीं होने के संबंध में।	पत्रांक सी० एस० 1-ए०-102/90-1137, दिनांक 22 जून, 1990।	102-103
2	वित्त विभाग के संकल्प सं० 6021, दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप कार्यपालिका नियमावली 1979 में संशोधन।	आदेश सं० सी० एस० /आर० 1-103/90-1676, दिनांक 6 सितम्बर, 1990।	104
3	कार्यपालिका नियमावली के नियम 32-क एवं 53-1-ग में संशोधन।	ज्ञापांक सी० एस० 1/ए 1-1012/93 खंड-2285, दिनांक 3 जुलाई, 1993।	105
4	कार्यपालिका नियमावली के नियम 32(क) के अनुपालन के संबंध में।	पत्रांक सी० एस० 1/आर० 1-103/94-3901, दिनांक 17 अगस्त, 1994।	106
5	कार्यपालिका नियमावली के नियम-15 के अंतर्गत कार्रवाई के संबंध में।	पत्रांक-सी० एस० 1/111।ए-197-2186, दिनांक 14 अगस्त, 1997।	107
6	बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1999	पत्रांक-सी० एस० 1/आर० 1-103/99-491, दिनांक 13 फरवरी, 1999।	108
7	कार्यपालिका नियमावली, 1979 लागू होने के संबंध में।	पत्रांक सी० एस० 1-आर/103/99-703, दिनांक 10 मार्च, 1999।	109
खंड-7	मंत्री/राज्य मंत्रीगण को देय सुविधाओं से संबंधित प्रपत्र		
1	मंत्री, राज्य मंत्री/उप-मंत्री के निजी स्टाफ	1766, दिनांक 26 अप्रील, 1968	110-111
2	मंत्रियों के आप्त सचिवों के कर्त्तव्य एवं कृत	4804, दिनांक 30 अक्टूबर, 1971	112
3	मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप-मंत्रियों के आप्त सचिवों की आदेशपाल की सुविधा।	2696, दिनांक 30 जुलाई 1980	113
4	मंत्रियों/राज्य मंत्रियो/उप-मंत्रियों के आप्त सचिवों को 250 (रुपये दो सौ पचास) मात्र प्रतिमाह नियत वेतन की स्वीकृति।	3531, दिनांक 29 सितम्बर, 1980	114
5	सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति एवं पत्रोत्तर देने के संबंध में।	1273, दिनांक 12 जुलाई 1990	115
6	मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप-मंत्रियों के आप्त सचिवों को आदेशपाल की सुविधा।	1871, दिनांक 5 जून 1993	116
7	मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री के आप्त सचिव (वाह्यव्यक्ति) से नियुक्त।को प्रतिपूरक भत्ते की अनुमान्यता।	4546, दिनांक 21 सितम्बर, 1994	117

क्रम सं०	विषय	पत्रांक एवं दिनांक	पृष्ठ सं०
8	मंत्रियों के आप्त सचिवों की नियुक्ति	763, दिनांक 28 अप्रील, 1995	118-119
9	राज्यमंत्रियों।उप-मंत्रियों द्वारा प्रभारी मंत्री के पास संचिका उपस्थापित करने की प्रक्रिया।	3806, दिनांक 10 अक्टूबर, 1998	120
10	माननीय मंत्रीगण।राज्यमंत्रीगण के राज्य में भ्रमण के संदर्भ में आप्त सचिवों द्वारा पर्याप्त समय रहते भ्रमण कार्यक्रम की ससमय लिखित सूचना जिला प्रशासन को दिये जाने के संबंध में।	3528, दिनांक 24 सितम्बर, 1999	121
12	माननीय मंत्रियों।राज्य मंत्रियों।उप मंत्रियों के आप्त सचिव एवं निजी कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में।	1513, दिनांक 23 मई, 2000	122
13	मंत्री, राज्य मंत्रिगण के कार्यालय।आवासीय कार्यालय हेतु पदाधिकारियों।कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।	2602, दिनांक 30 अगस्त, 2000	123
खंड-8	मुख्य मंत्री।मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गये निर्णय का संसूचन		
1	मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 1 मार्च 1988 में लिये गये निर्णय मद सं०-13 "अन्यान्य"।	460, दिनांक 1 मई, 1988	124
2	मुख्य मंत्री के वक्तादेश तथा मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा पृष्ठांकित आवेदन-पत्रों का समय पर निष्पादन।	993, दिनांक 14 जून, 1989	125
3	मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14 फरवरी, 1990 के मद सं० 29 "अन्यान्य" में लिए गये निर्णय।	221, दिनांक 15 फरवरी, 1990	126
4	मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14 फरवरी, 1990 के मद सं०-29 "अन्यान्य" में लिए गये निर्णय।	222, दिनांक 15 फरवरी, 1990	127
5	मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए संलेख	256, दिनांक 5 फरवरी, 1991	128
6	मंत्रिपरिषद् की आर्थिक नीति और आर्थिक समन्वय विषय समिति का पुनर्गठन।	301, दिनांक 4 फरवरी, 1993	129-130
7	मंत्रिपरिषद् की आर्थिक नीति और आर्थिक समन्वय विषय समिति का पुनर्गठन।	2733, दिनांक 21 जुलाई, 1993	131
8	मुख्य मंत्री को भेजे जानेवाली संचिका में सचिवों की टिप्पणी।	3453, दिनांक 24 सितम्बर, 1993	132
9	मुख्य मंत्री का आदेश प्रख्यापित करना	4153, दिनांक 10 नवम्बर, 1993	133
10	मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु कार्योपरांत स्वीकृति संबंधी संलेख प्रेषित करने के संबंध में।	1264, दिनांक 18 अप्रील, 1996	134

क्रम सं०	विषय	पत्रांक एवं दिनांक	पृष्ठ सं०
11	मुख्य मंत्री के प्रभाराधीन विभागों की संचिकाओं का पदस्थापन।	2268, दिनांक 19 अगस्त 1997।	135
12	मंत्रिपरिषद के निर्णयार्थ विभागों द्वारा उपस्थापित संलेख।	2804, दिनांक 21 जुलाई, 1998।	136
13	मंत्रिमंडल के लिए संलेख	3356, दिनांक 30 जुलाई, 1971।	137
खण्ड-9	बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय		
1.	The re-organisation of oivil Seott. R.cord Room.	No. 53 dt.18 February 1954.	138-139
2.	Appointment for Dr. R.B. Mishra to the post of director of Archives (BPSC).	1383, dt. 14 May 1956	140
3.	Memorandum ..	119 RR dt. 27 August 1956	141
4.	Conversion of the post of Director of Archives in class.I	408 dt. 2 November 1966	142
5.	Notification regarding Director of Archives as a head of Department.	323, dt. 23 September 1968	143
6.	Powers and functions of the Director of Archives, Bihar.	482, dt. 30 December 1968	144-145
7	बिहार राज्य अभिलेखागार के कर्मचारियों के वेतन एवं आकस्मिक पविपत्रों की निकासी हेतु घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।	402, दिनांक 7 अगस्त, 1975	146-147
8	प्राक्कलन एवं नियंत्रण पदाधिकारियों तथा प्रशासी विभाग की घोषणा।	174, दिनांक 26 सितम्बर, 1975	148-149
9	बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 157 के अंतर्गत नियंत्रण पदाधिकारी की घोषणा।	13, दिनांक 10 जनवरी, 1977	150-151
10	राज दरभंगा अभिलेखागार का सरकारीकरण और महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह, अभिलेखागार के नाम से दरभंगा में एक क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना।	संकल्प सं०-181, दिनांक 9 मई 1977	152-153
11	अभिलेखों के अवलोकन से संबंधित अधिसूचना	अधिसूचना सं०-232, दिनांक 31 अगस्त, 1978	154—163
12	निर्वाचक सूचियों को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने का निदेश।	पत्रांक-107, दिनांक 3 अगस्त, 1986	164
13	सहायक अभिलेख निदेशक एवं प्रशिक्षण सह-प्रदर्शनी पदाधिकारी के वर्ग-2 के राजपत्रित संवर्गीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया।	संकल्प 114, दिनांक 5 मार्च, 1986	165-166

क्रमांक	विषय	पत्र सं० एवं तिथि	पृष्ठ सं०
14	निर्वाचक सूचियों को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने का निदेश।	पत्रांक 1547, दिनांक 4-7-1986	167
15	अभिलेखागार को रविवार को खुला रखने तथा सोमवार को बंद रखने का आदेश।	आदेश ज्ञापांक 14, दिनांक 5-1-2000	168
खंड-10 बिहार राज्य नागरिक परिषद्			
1	बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन	संकल्प सं० 673, दिनांक 12-3-1981	169-170
2	बिहार राज्य नागरिक परिषद् से संबंधित बाय लॉज।	संकल्प सं०-1805, दिनांक 29-7-1983	171-172
3	राज्य नागरिक परिषद् के सदस्यों का मनोनयन।	संकल्प सं०-2225, दिनांक 7-9-1981	173—175
4	बिहार राज्य नागरिक परिषद् के उपाध्यक्ष एवं महासचिव को देय सुविधाएँ।	पत्रांक 2248, दिनांक 12-9-1981	176-177
5	अन्य व्यक्तियों का सदस्य के रूप में मनोनयन।	संकल्प सं० 2374, दिनांक 14-10-1981	178
6	अन्य व्यक्तियों को भी सदस्य के रूप में मनोनयन।	संकल्प सं०-2581, दिनांक 18-11-1981।	179
7	श्री के०के० मंडल को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन।	संकल्प सं० 901, दिनांक 29-4-1982	180
8	बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिए चन्दा एकत्रित करने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र।	पत्रांक 968, दिनांक 28-8-1982	181
9	चन्दा एकत्रित करने के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग का पत्र।	पत्रांक 324, दिनांक 23-2-1983	182
10	उपाध्यक्ष एवं महासचिव को देय सुविधाओं के संबंध में।	पत्रांक 440, दिनांक 11-3-1983	183
11	बिहार राज्य नागरिक तथा राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन।	संकल्प सं० 2107, दिनांक 13-9-1983	184-185
12	बिहार राज्य नागरिक परिषद् तथा राष्ट्रीय एकता परिषद् का संशोधन।	संकल्प सं० 2406 दिनांक 12 नवम्बर 1983	186
13	श्री अब्दुल गफूर, स०वि०स० को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन।	संकल्प सं० 2407, दिनांक 12 नवम्बर 1983	187
14	महासचिव एवं सदस्यों का मनोनयन	संकल्प सं० 2408 दिनांक 12-11-1983	188—190
15	श्री जुबैर अहमद को सदस्य के रूप में मनोनयन।	संकल्प सं० 2501, दिनांक 10-12-1983	191
16	चन्दा एकत्रित करने के संबंध में	पत्रांक 1944, दिनांक 9-7-1984	192

क्रमांक	विषय	पत्र संख्या एवं तिथि	पृष्ठ संख्या
17	चन्दा एकत्रित करने के संबंध में	पत्रांक-700, दिनांक 28-3-1985	193
18	राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन एवं उपाध्यक्ष, महासचिव तथा सदस्यों का मनोनयन।	संकल्प सं०-430, दिनांक 5-2-1986	194-195
19	उपाध्यक्ष एवं महासचिव को देय सुविधाएँ	पत्रांक-463, दिनांक 12-2-1986	196-197
20	चन्दा एकत्रित करने के संबंध में	पत्रांक-1798, दिनांक 10-9-1986	198
21	राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन एवं उपाध्यक्ष, महासचिव तथा सदस्यों का मनोनयन।	संकल्प सं०-1836, दिनांक 19-9-1986	199--201
22	बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन उद्देश्यों का विस्तार।	संकल्प सं०-705, दिनांक 24-4-1987	202-203
23	बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन उद्देश्यों का विस्तार में संशोधन।	संकल्प स 862, दिनांक 19-5-1987	204
24	श्री जुबैर अहमद का मनोनयन	संकल्प सं०-151, दिनांक 30 जनवरी 1988	205
25	चन्दा एकत्रित करने के संबंध में	पत्रांक-213, दिनांक 4-2-1988	706
26	चन्दा एकत्रित करने के संबंध में	पत्रांक-160, दिनांक 17-1-1989	207
27	बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन एवं उपाध्यक्ष, महासचिव तथा सदस्यों का मनोनयन।	संकल्प सं०-1001, दिनांक 6-3-1990	208-209
28	श्री शिवानन्द तिवारी को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन।	संकल्प सं०-2387, दिनांक 4-9-1991	210
29	बिहार राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन	संकल्प सं०-1254, दिनांक 23-6-1994	211-212
30	संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं०-288,289 290, 291, एवं 309।	दिनांक 29-6-1994 एवं दिनांक 12-7-1994	213-214
31	उपाध्यक्ष एवं महासचिव को देय सुविधाएँ	पत्रांक-3437, दिनांक 22-7-1994	215-216
31	बिहार राज्य नागरिक परिषद् के सदस्य सचिव एवं निकासी तथा व्यय पदाधिकारी का कार्य सम्पादन करने के संबंध में।	संकल्प सं० 1219 दिनांक 28-6-1995	217
32	बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन	संकल्प सं०-1306, दिनांक 2-5-1997	218-219
33	संसदीय कार्य विभाग	अधिसूचना सं०-195, दिनांक 21-5-1997 एवं 246,247 एवं 248 दिनांक 23-6-1997	220-221
34	उपाध्यक्ष एवं महासचिव को देय सुविधाओं के संबंध में।	पत्रांक-118, दिनांक 12-1-1998	222-223

क्रमांक	विषय	पत्र सं० एवं तिथि	पृष्ठ सं०
35	बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन	संकल्प सं०-1871, दिनांक 20 जून 2000	224-225
36	संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना	अधिसूचना सं०-475 एवं 476, दिनांक 26 जून 2000	226-227
37	उपाध्यक्ष एवं महासचिव को देय सुविधाओं के संबंध में।	पत्रांक-2029, दिनांक 6 जुलाई 2000।	228-229
खंड-11	प्रोग्राम इंम्पिलमेंटेशन विंग		
1	प्रोग्राम इंम्पिलिमेंटेशन विंग का गठन	संकल्प सं०-1422, दिनांक 5 मई 1992।	230—233
2	प्रोग्राम इंम्पिलिमेंटेशन विंग का गठन (मुख्य सचिव का पत्र)।	संकल्प सं०-2594, दिनांक 27 जुलाई 1992	234-235
3	परियोजना संगठन को सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन विभाग में समाहित करने के संबंध में।	संकल्प सं०-1891, दिनांक 20 अक्टूबर 1995	236-237
4	वित्तीय वर्ष 1995-96 में व्यय हेतु राशि की स्वीकृति।	पत्रांक-571, दिनांक 9 मार्च 1996	238—339
खंड-12	समाचार प्रभाग (सामान्य शाखा) प्रोटोकोल		
1	स्वतंत्रता दिवस समारोह 2000	पत्रांक 906, दिनांक 12 अगस्त 2001	240—243
2	बिहार भवन/बिहार निवास में कमरों का आरक्षण एवं स्टाफ कार के आवंटन के संबंध में मार्ग दर्शन सिद्धान्त निर्धारित करने के संबंध में।	संकल्प ज्ञापांक-343, दिनांक 31 मार्च 1997	244—246
3	बिहार राज्य अतिथि नियमावली 1992	..	247—251
4	मंत्रियों विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने संबंधी अनुदेश।	पत्रांक-1549, दिनांक 7 नवम्बर 1991	252—256
5	राज्य अतिथि नियमावली में संशोधन	संकल्प संख्या-171 दिनांक 1 मार्च 1990	257-258
खंड-13	अन्यान्य		
1	गैर-राजकीय सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की मांगों की जांच हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति का पुनर्गठन।	1690।8-6-2000	259
2	योजना प्राधिकृत समिति का गठन-आंशिक संशोधन	1603।25-5-1996	260
3	योजना प्राधिकृत समितियों में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के मनोनीत पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेने के संबंध में।	1399।27-4-1996	261

क्रम सं०	विषय	पत्रांक।दिनांक	पृष्ठ संख्या
4	योजना प्राधिकृत समिति का गठन-आर्थिक संशोधन	1980।28-7-1997	262
5	राजकीय वायुयान एवं हेलीकोप्टर के आरक्षण का कार्य सिविल विमानन विभाग के अधीन करने के संबंध में।	728।23-3-1996	263
6	राजकीय वायुयान एवं हेलीकोप्टर के आरक्षण कार्य सिविल विमानन विभाग के अधीन करने के संबंधमें	1507।22-5-1996	264
7	बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 में संशोधन (प्रभारी मंत्री के समक्ष संचिकाओं का उपस्थापन)।	48।6-1-1983	265
8	वर्क लोड के आधार पर सभी अभियंत्रण विभागों में नियुक्ति का प्रयास।	7455।27-12-1986	266
9	बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की सभी धाराओं एवं प्रावधानों को लागू करने के संबंध में।	2899।4-9-1998	267
10	"बिहार डेभलपमेंट पैकेज" हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन।	1103।5-7-1989	268-269
11	बीस सूत्री कार्यक्रम विभाग के नाम में परिवर्त्तन	1675।6-9-1990	270
12	बीस सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पदाधिकारियों का उत्तरदायितत्व।	87।15-1983	771
13	सरकारी आवास आवंटन समिति का पुनर्गठन	1356।30-4-1992	272-273
14	सभी विभागों के क्रय समिति एवं नियुक्ति समिति (जहां भी हो) का पुनर्गठन।	2002।19-6-1992	274
15	सभी विभागों के क्रय समिति एवं नियुक्ति समिति के पुनर्गठन के संबंध में।	3385।29-9-1992	275-276
16	सभी विभागों के क्रय समिति एवं नियुक्ति समिति (जहां भी हो) में वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के प्रतिनिधित्व के संबंध में।	1398।26-4-1994	277
17	मानव संसाधन विकास विभाग का पुनर्गठन एवं कार्यपालिका नियमावली में आनुसंगिक संशोधन।	2870।4-12-1991	278—280
18	योजना और परराष्ट्रीय सहायता (विश्व बैंक सम्पोषित) परियोजना की समीक्षा और स्वी ति के लिये समितियों का पुठनर्गन।	302।4-2-1993	281—283
19	सचिवालय विभागों के साथ एकीकृत विभागाध्यक्षों के कार्यालय का पृथक्कीकरण ।	260।9-8-1979	284-285
20	सचिवालय विभागों के साथ एकीकृत विभागाध्यक्षों के कार्यालय का पृथक्कीकरण।	1899।21-6-1996	286

खंड 1

पत्र संख्या 1सी०एस०।आर 1-105।83—485

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री एस० पी० श्रीवास्तव,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष।

2 फाल्गुन 1904 (श०)
पटना 15, दिनांक
21 फरवरी, 1983 ई०

विषय—सरकारी सेवकों के पदस्थापन।स्थानान्तरण के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकारी सेवकों के पदस्थापन।स्थानान्तरण के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 391, दिनांक 25 अक्तूबर 1980 में प्रक्रिया एवं नीति विहित है। पाया जा रहा है कि उक्त प्रक्रिया एवं नीति की अवहेलना कर सरकार के कई विभागों द्वारा वर्ष में कभी भी सरकारी सेवकों का स्थानान्तरण।पदस्थापन किया जा रहा है।

2. अतः उक्त संकल्प की कंडिका (क) (1) की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि इसमें जो प्रक्रिया विहित है उसी के अनुसार मई-जून तथा नवम्बर-दिसम्बर में ही सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण।पदस्थापन किये जायं। अन्य माहों में स्थानान्तरण।पदस्थापन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी सरकारी सेवक का स्थानान्तरण।पदस्थापन करना अनिवार्य हो तो जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण।पदस्थापन मंत्री स्तर से या मंत्रिपरिषद से होता है उन मामलों में मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर ही स्थानान्तरण।पदस्थापन किया जाय।

विश्वासभाजन,
एस० पी० श्रीवास्तव,
सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या 1182

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी प्रधान सचिव

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 30 जून 1990

विषय—स्थानान्तरण एवं पदस्थापन सम्बन्धी प्रक्रियाओं का अनुपालन।

महाशय,

सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति कार्यपालिका नियमावली के नियम 21 एवं 22 में निर्धारित है, जो सरकार के संकल्प संख्या 3918, दिनांक 25, अक्टूबर 1980 तथा 3445, दिनांक 17 सितम्बर 1981 (कार्यपालिका नियमावली के पृष्ठ 200—207 पर मुद्रित) के साथ पठनीय है।

2. आये दिन जो प्रस्ताव कार्यपालिका नियमावली के नियम 22(5) नोट (*ii*) एवं 32(*a*) (*ix*) के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे हैं, उसमें यह पाया जा रहा है कि (*i*) संचिका में विभाग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन, (*ii*) रिक्तियों की सूची (*iii*) स्थानान्तरण के लिये परिपक्व पदाधिकारी (*iv*) प्राप्त अभिवेदनों का सार एवं (*v*) किस आधार पर पदाधिकारी को किस पद विशेष पर पदस्थापन का प्रस्ताव दिया जा रहा है, अंकित नहीं रहता है। उक्त विवरण संचिका में रखना अनिवार्य है। कितनी बार संचिका में स्थापना समिति की कार्यवाही नहीं रखा रहता है जिसके लिये संचिका विभाग को लौटानी पड़ती है। मुख्य मंत्री इससे असंतुष्ट हैं।

3. भविष्य में स्थानान्तरण संबंधी जो प्रस्ताव भेजे जायें, उन संचिकाओं में स्थापना समिति की कार्यवाही अवश्य रखी जाय तथा स्थापना समिति की कार्यवाही में उपर्युक्त बिन्दुओं की स्पष्ट चर्चा की जाय उनके अभाव में सरकार द्वारा स्थानान्तरण एवं पदस्थापन संबंधी प्रस्ताव में निर्णय लेना संभव नहीं होगा।

4. कृपया अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी इससे अवगत करा दें और इस निदेश का अक्षरशः पालन करें।

विश्वासभाजन,
कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० 1182,

पटना-15, दिनांक 30 जून 1990 ई०

प्रतिलिपि—मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को उनके ज्ञाप संख्या 11203, दिनांक 22 जून 1990 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र सं० आई०एस०एम० 3011।94—2081

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री एस० एस० वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 4 जून 1994 ई०

विषय :—तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के सामान्य स्थानान्तरण पर रोक।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के समक्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण का मामला विचाराधीन था। सरकार द्वारा पूर्ण समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जबतक स्थानान्तरण करने के लिये विशेष परिस्थिति नहीं हो अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं हो तबतक तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का सामान्य स्थानान्तरण अगले आदेश तक नहीं किया जाय।

2. अतः अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विशेष परिस्थिति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का सामान्य स्थानान्तरण नहीं किया जाय।

कृपया इससे अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन,
एस० एस० वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

पत्र सं० 93

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री जी० कृष्णन,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग।

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 18 जनवरी 1995

विषय :—महासंघ।संघ के पदधारकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि महासंघ।संघ के पदधारकों का स्थानान्तरण किया गया है जो इस विषय पर निर्गत सरकारी परिपत्रों एवं अनुदेशों के विपरीत है। यह भी सूचना दी गयी है कि मात्र इस कारण से कि स्थानान्तरण आदेश का पालन नहीं किया गया है, कतिपय ऐसे पदधारकों को निलंबित कर दिया गया है अथवा अन्य प्रकार से अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है।

2. राज्य सरकार ने महासंघों।संघों के पदधारकों का स्थानान्तरण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश समय-समय पर जारी किये हैं एवं सरकार की यह मंशा रही है कि उन अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन हो। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ऐसी शिकायतें प्राप्त हो तो उन कर्मचारियों के मामलों को सरकारी परिपत्रों के आलोक में पुनः समीक्षा करें। समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाय कि उन पदधारकों का स्थानान्तरण सरकारी परिपत्रों में निहित प्रावधानों के विपरीत हुआ है तो ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को अविलम्ब रद्द कर दें। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में, जिनको मात्र इसी कारण से कि संबंधित पदधारक ने स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन नहीं किया है, यदि निलंबित कर दिया गया हो तो निलम्बन से मुक्त कर दिया जाय। स्थानान्तरण आदेश रद्द करने और निलम्बन से मुक्त करने के आदेश के साथ-साथ स्थानान्तरण अवधि के वेतन को इस विभाग के परिपत्रांक 988, दिनांक 11 मई 1992 की कंडिका 3 के अनुसार विनियमित किया जाय और उक्त परिपत्र के निर्गमन की तिथि के बाद ऐसे मामलों के विनियमन में अगर परिपत्र की कंडिका 3 में निहित अनुदेश से भिन्न कार्रवाई हुई हो तो इसे संशोधित करते हुए कंडिका 3 के अनुसार विनियमन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
जी० कृष्णन,
आयुक्त एवं सचिव।

पत्र संख्या सी०एस०1।एम० 1-1014।94—952

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री जी० कृष्णन,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव;

सेवा मे

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सचिव।

पटना-15, दिनांक 19 मई 1995 ई०

विषय :—कालबद्ध प्रोन्नति के मामलों को मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखे जाने तथा कालबद्ध प्रोन्नति में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कुछ विभागों द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि कालबद्ध प्रोन्नति के लिए मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है अथवा नहीं तथा जिन मामलों में वेतनमान की अधिकतम सीमा 4150—रु० से अधिक है, उन मामलों को मंत्रिपरिषद् के सम्मुख रखा जाना है अथवा नहीं?

2. इस विभाग पर समीक्षा की गयी है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10770, दिनांक 30 दिसम्बर 1981 की कंडिका 11 (ii) के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी को दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति दी जानी है, बशर्ते संबंधित कर्मचारी प्रोन्नति के सर्वथा योग्य हों। इसी प्रकार 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति दी जानी है, यदि संबंधित कर्मचारी प्रोन्नति के सर्वथा योग्य हों। स्पष्ट है कि नियमित प्रोन्नति के लिये जो मापदंड हैं, वे कालबद्ध प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होते हैं। अतः कालबद्ध प्रोन्नति के मामलों मे मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से स्वच्छता प्रमाण-पत्र, लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1) (क) के अन्तर्गत निर्गत सूचना आदि को भी अन्य तथ्यों के साथ ध्यान में रखा जाना है।

3. यदि कालबद्ध प्रोन्नति उस वेतनमान में दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 4150 रु० से अधिक है तो उन मामलों में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4. अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
जी० कृष्णन,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या-सी०एस०-133

मंत्रिमंडल सचिवालय

---

22 पौष, 1892 (श०)

पटना-15, दिनांक——————

12 जनवरी, 1971

विषय—अस्थायी तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों का स्थायीकरण

प्रिय ....

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से यह फिर मांग की गई है कि ऐसे जितने अस्थायी तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पद 3 वर्ष से अधिक अवधि से चले आ रहे हैं उन सभी पदों को और उनपर नियोजित कर्मचारियों को अविलम्ब स्थायी कर दिया जाय। मुख्य मंत्री चाहते है कि इस संबंध में आदेश तुरंत निर्गत कर दिया जाय।

(2) सरकार की इच्छा के अनुसार मुझे अनुरोध करना है कि 3 दिनों के भीतर मुझे अपने विभाग तथा विभागाध्यक्ष के संलग्न एवं संबद्ध कार्यालयों के ऐसे सभी तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों की पूरी सूची भेज दें। यदि क्षेत्रीय कार्यालयों के ऐसे पदों संबंधी सूचना मुख्यालय में उपलब्ध हो तो उनकी सूची भी साथ-साथ भेज दें। किन्तु क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने के लिए मुख्यालय संबंधी सूची भेजने में कृपया विलम्ब नहीं करें।

आपका
राम सेवक मंडल।

सेवा में

श्री.............

....

.............।

Memo. No.C.S.4948

Government of Bihar

Depaitent of Co-ordination
Cabinet Secretariat.

To

All Departments of Government

All Heads of Departments

the 11th Bhadra, 1891
Patna-15, dated
the 2ndSeptember, 1969

Subject-: Conversion of Non- Gazetted temporary posts into permanent ones.

The undersigned is directed to say that in Appointment Department's Momo. No. III/MI-5036/67A-13515, dated 9th September 1967 instructions were issued to make permanent those temporary posts which were in existenece for more than three years and were likely to continue in future. This was followed by another communication on the subject on 20th November 1967.

The Service Associations and Non- Gazetted Employees Federation were given assurance from time to time thereafter that such temporary posts would be made permanent soon. The position has since been reviewed and it has been found that much remains to be done in this regard. Government feel that the grievance of the Non-Gazetted Emplpyees Federation in this respect is not without merit. After careful consideration Government have now taken the following decisions.

2. All temporary posts of Lower Division Assistants, Typists, Routine Clerks and Class II Stenographers which were in existence in the Secretariat and in the amalgamated and attached offices of the heads of department from or before 1st April 1965, should be made permanent straightway and intimation to that effect should be sent to the Finance Department immediately and the sanction- orders communicated to the Accountant General, Bihar through Finance Department, as usual.

3. Similarly all Class IV temporary posts excepting the post of Orderly peons attached to Gazetted officers who are holding temporary posts in the Secretariat and in the amalgamated and attached offices of heads of departments which are in existence since 1st April 1965 or before should be made permanent in the manner prescribed in the preceding paragraph.

4. Regarding other Non-Gazetted posts either at headquarters or in the field offices which are in existence for more than three years the Secretary to Government concerned should examine immediately as to which of them are likely to continue in future and then make reference to the Finance Department. Stating the dates from which the posts are in existence. within three weeks with a view to making them permanent. Government hope that atleast 60 per cent of temporary posts would be made permanent within a month. These instructions may be communicated to all subordinate offices.

S.N.Singh,
Chief Secretary to Government.

पत्र संख्या-सी एस3।एन०—11025।71-2679

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री राम सेवक मंडल,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष।

14 जेयष्ठ, 1893 (श०)
पटना-15, दिनांक————————
4 जून, 1971

विषय—सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों के अस्थाई अराजपत्रित पदों को स्थायी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस सचिवालय के परिपत्र संख्या-4948, दिनांक 2 सितम्बर, 1969 के क्रम में निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों के विभिन्न कोटियों के अस्थायी अराजपत्रित पदों को स्थायी करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाय :—

ऐसे सभी पद, जिनकी लगातार स्वीकृति की अवधि 31 मार्च, 1970 तक तीन वर्षों की हो चुकी है, के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष यदि संतुष्ट हों एवं लिखित रूप से अपने आदेश में अंकित करें कि ये अस्थायी पद तीन वर्षों से पहले से चल आ रहे हैं और भविष्य में भी उनके बने रहने की पूर्ण आशा है तो वे उन पदों को स्थाई कर दें। ऐसे मामलों में वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु स्थायीकरण संबंधी ऐसे सभी आदेश को वित्त विभाग के माध्यम से महालेखापाल बिहार को भेजा जाय और स्वीकृति आदेश में इसका उल्लेख कर दिया जाय कि इस परिपत्र के अनुदेशों के अधीन स्थायीकरण का निर्णय लिया गया है।

विश्वासभाजन,
राम सेवक मंडल,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी०एस०3।एन1-1025।71—2679

14 जेयष्ठ, 1893 (श०)
पटना-15, दिनांक————————
4 जून, 1971

प्रतिलिपि—महालेखापाल, बिहार को वित्त विभाग के माध्यम से प्रेषित।

राम सेवक मंडल,
मुख्य सचिव।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

ज्ञाप संख्या-सी०एस०-3363

मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में

सरकार के सभी सचिव एवं अपर सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सरकार के सभी विभाग।

14 आषाढ़ 1889 (श०)
पटना-15, दिनांक ————————
5 जुलाई, 1967

सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों के अतिरिक्त कर्मचारियों की छटनी एवं नौकरी में उनके पुनर्वास की समस्या के मद्देनजर रखकर दिनांक 4 जुलाई, 1967 को मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि सचिवालय में किसी भी अराजपत्रित पद पर दिनांक 7 जुलाई, 1967 से तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 10 जुलाई, 1967 से नये व्यक्तियों की बहाली बिल्कुल नहीं की जाय। अगर साक्षात्कार आदि हो गया रहे तो भी नियुक्ति नहीं की जाय। ऐसे पदों पर केवल उन्हीं लोगों को बहाली की जायगी जिनकी सेवा उपर्युक्त छटनी के फलस्वरूप समाप्त हो गई है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाय।

(2) साथ ही यह भी अनुरोध है कि अपने विभाग के अधीन ऐसे जितने भी अतिरिक्त स्टाफ हो गये हों या जिनकी छटनी हो गई हो, उनकी योग्यता, उम्र आदि का पूर्ण उल्लेख करते हुए एक सूची वित्त विभाग को भेजने की कृपा करें। सूची की एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय को भी भेजें।

(3) क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सरकार के इस निर्णय से तुरत अवगत कराया जाय।

प्रेम प्रकाश अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस०1/एम 3-10105/67—4872

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में

सभी विभागीय सचिव

विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 25 सितम्बर 1967

विषय—अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति।

उपर्युक्त विषय पर श्री पी० पी० अग्रवाल के परिपत्र संख्या 3363 दिनांक 5 जुलाई 1967 में यह आदेश निर्गत हुआ है कि अराजपत्रित पदों पर भविष्य में किसी वाह्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो, वरण उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जिनकी छंटनी सरकारी सेवा से हो गई है। ऐसे व्यक्तियों की सूची वित्त विभाग में रखी गई है।

2. इस अनुदेश का अनुपालन करने में कई विभागों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है कारण वित्त विभाग की सूची से उन्हें सभी रिक्तियों के लिये समुचित योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिये उन्होंने सुझाव दिया है कि बाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर जो पूरी पाबंदी लगा दी गई है, उसको शिथिल किया जाय। सरकार ने इस विषय पर पुनर्विचार कर निम्नलिखित निर्णय लिया है।

3. किसी विभाग में या किसी विभागाध्यक्ष के अधीन अराजपत्रित पद पर यदि रिक्ति हो तो सर्वप्रथम वित्त विभाग से परामर्श कर छंटनी वाली सूची से योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने का पूर्ण प्रयास किया जाय इसके लिये आवश्यकतानुसार नियुक्ति की शर्तों संबंधी अनुदेशों को शिथिल किया जाना चाहिये उदाहरण स्वरुप उम्र सीमा की छूट देकर तथा नियोजनालय से सूची मंगाये बिना ही सक्षम पदाधिकारी छंटनी वाली सूची से किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं।

4. अगर वित्त विभाग की छंटनीवाली सूची से उपर्युक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं ही हो, उसी अवस्था में विभागीय मंत्री की पूर्व अनुमति प्राप्त कर वाह्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाय।

5. लेकिन जो पद अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों के लिये सुरक्षित हों उनपर नियुक्ति के लिये छंटनीवाली सूची के उन्हीं व्यक्तियों के मामले पर विचार किया जाय जो उक्त जातियों के सदस्य हों। अगर सूची में उक्त जातियों के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तो फिर बाहर से जनजाति या अनुसूचित जाति के सदस्य नियुक्त किये जायें।

6. चूंकि पुलिस बल में योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त करना वांछनीय है और उसके लिये शारीरिक योग्यता का भी प्रश्न उठता है, इसलिये पुलिस बल में नियुक्ति के लिये छंटनीवाली सूची से ही नियुक्ति करने की पाबंदी नहीं रहेगी।

श्रीधर वासुदेव सोहोनी
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस० 1125

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक 7 मार्च 1968.

श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल के परिपत्र ज्ञाप संख्या 3363 दिनांक 5 जुलाई 1967 तथा मेरे परिपत्र संख्या 4872, दिनांक 25 सितम्बर 1967 के द्वारा वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था, उसे हटा लेने का निर्णय सरकार ने किया है। अतः सरकार के आदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये वही प्रक्रिया एवं पद्धति रहेगी जो इन दोनों परिपत्रों के निर्गत होने के पहले लागू थी।

अनुरोध है कि इसकी जानकारी आप अपने अधीनस्त नियुक्ति पदाधिकारियों को करा दें।

श्रीधर वासुदेव सोहोनी,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस० 1।एम 1-1010५।67—3207

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में

सरकार के सभी विभाग।विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 3 जुलाई 1968

वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध को उठाने का आदेश मेरे परिपत्र संख्या सी एस 1 एम 1-1010567—1125 दिनांक 7 मार्च 1968 के द्वारा जारी किया गया था। राज्यपाल के आदेश से अब मुझे सूचित करना है कि उक्त परिपत्र के संबंध में जबतक दूसरा आदेश निर्गत नहीं हो जाय, तबतक नियुक्तियों में छटनीग्रस्त व्यक्तियों को प्राथमिकता देने तथा वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेश पूर्ववत लागू रहेगें।

श्रीधर सोहोनी,
मुख्य सचिव।

No. C.S.—4949

Government of Bihar
Department of Co-ordination
(Cabinet Secretariat)

To,

All Departments of Government

All Heads of Department

Patna-15, Dated the 11 Bhadra, 1891(s)
2 September, 1969.

Subject—Absorption of retrenched Government Servants.

The undersigned is directed to refer to Cabinet Secretariat Memo No 3363, dated 5 July, 1967, 4872, dated 25 September, 1967 C.S.1125, dated 7 March, 1968 and 3201, dated 3 July, 1968 (copies enclosed) and to say that inspite of the instructions of Government issued from time to time it has been noticed that instead of employing the retrenched Government Servants to new vacancies the departments of Government make direct recruitment from the open market for some reason or the other. It has since been decided that henceforth it will be the personal responsibility of the heads of department to ensure that these instructions are followed strictly.

2. It has further been decided that for offices situated in the field' the respective Divisional Commissiorers should maintain a comprehensive list of retrenched employees of that division and all appointments should be made from the aforesaid list. All Offices in that division should obtain prior approval of the Divisional Commissioner before appointing any person other than a retrenched employee in case this becomes absolutely and unavoidably necessary.

S.N. Singh,
Chief Secretary to Government.

Memo No. 4949

Patna-15, dated the 11 Bhadra, 1891(s)
2 September, 1969.

Copy forwarded to the Divisional Commissioner for necessary action.

S.N. Singh,
Chief Secretary to Government.

पत्र संख्या सी०एस० 5070

बिहार सरकार
समन्वय विभाग
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री श्रीधर वासुदेव सोहोनी,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी विभागों के सचिव,

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलों के आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 17 सितम्बर, 1968

विषय :—कार्यावधि में महासंघ के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां ऐसा करना कार्यहित के प्रतिकूल नहीं हो या उसके विपरीत अन्य कोई ठोस कारण नहीं हो तो बिहार अराजपत्रित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को उनकी कार्यावधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण नहीं किया जाय। इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को करा दी जाय ताकि सरकार के इस निर्णय का अनुपालन सभी स्तरों पर हो।

विश्वासभाजन,
श्रीधर वासुदेव सोहोनी,
मुख्य सचिव।

खंड 2

No.CS.290

Government of Bihar
Cabinet secretariat

From

Shri S.J. Majumdar,
Chief Secretary to Government.

To

Secretaries to Government

Additional Secretaries to Government.

Patna, Dated, the 29 Pausha,
1833(S), 19 January, 1962.

Sir

I am directed to say that in order to eliminate the present lack of co-ordination Government have decided that in future, whenever a Department of Government decides to call a District Officor or a Commissioner of Division to the headquarters or Government for discussion or a conference, the letter should issue from the Cabinet secretariat.

The Department may kindly give the Cabinet Secretariat advance notice a week or so, so that the Cabinet secretariat may inform other Departments or Government also, and if any Departement has any urgent matter for discussion with a District officer or a Commissioner it may take. advantage of his visit, and consult officer conventently.

1. In really urgent cases, where a District Officer or Commissioner has to be called at short notice, the Cebinet secretariat will communicate will have the ouch the quickest means possible including telphone.

2. Similarly, if a District Officer or a Commissioner has semework in the secretariat, he should inform the departments of Government concerned as well as the Cabinet secretariat in advance. where Covernrments permission is nacossary for leaving headquarters, the Cabinet Secretariat will issue the order.

3. Whenever any Department of Government intends to authorise a Disirict officer or a Commissioner to undertake jounrey on duty to any place outside the state' the procedure set forth in paragraph one should be followed. The Cabinet Secretariat will issue necessary orders.

Yours faithfully,
S.J. Majumdar,
Chief Secretary to Government.

Memo No-CS.290

Patna, Dated, the 29Pausha-
1833(S)19January'1962.

Copy forwarded to all Commissioners of Divisien for information.

District Officers

C.J. Majumdar
Chief Secretary to Government.

ACKNOLEDEGEMENT

Received letter no..........dated................from Chief Secretary to Government.

Receiving Officer,

पत्र संख्या सी०एस०, 3।एम 3–1013।79(खंड)—2201
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक
श्री के० ए० रामसुब्रह्मण्यम,
मुख्य सचिव।

सेवा में
सभी प्रधान सचिव

सभी सचिव

सभी विशेष सचिव।

23 ज्येष्ठ, 1901 (श०),
पटना-15, दिनांक——————
13 जून 1979।

विषय—प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को मुख्यालय में बुलाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्राय: देखा जा रहा है कि सरकार के कतिपय विभाग समय-समय पर प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को विचार-विमर्श के लिये सचिवालय में बुलाया करते हैं। इस सन्दर्भ में तत्कालीन मुख्य सचिव श्री एस० जे० मजुमदार के पत्र संख्या सी०एस० 290, दिनांक 19 जनवरी 1962 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा इन पदाधिकारियों को मुख्यालय में बुलाने के लिये कुछ मार्गदर्शक निदेश जारी किये गये थे। उक्त परिपत्र के अनुसार जब कभी कोई विभाग प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को पटना में किसी विषय पर वार्तालाप या सम्मेलन में बुलाना चाहें तो तत्सम्बन्धी पत्र मंत्रिमंडल सचिवालय से निर्गत किया जायगा। विभाग इस तरह की बैठक बुलाने के लिये कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचित करेंगे तथा मंत्रिमंडल सचिवालय प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को तुरन्त आवश्यक निदेश देंगे और अन्य विभागों को भी आवश्यक विन्दुओं पर विचार-विमर्श के लिये सूचना दे सकें।

2. ठीक उसी तरह यदि किसी प्रमंडलीय आयुक्त या जिला पदाधिकारी को सरकार के किसी विभाग से कोई अत्यावश्यक कार्यवश पटना आना आवश्यक हो तो उस परिस्थिति में उनके उक्त विभाग को पूर्व में सूचना देनी होगी एवं उसकी एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय को भी देनी होगी ताकि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा सरकारी आदेश निर्गत किया जा सके। अन्यथा उक्त पदाधिकारी बिना सरकारी आदेश के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

3. अत: निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि भविष्य में ऊपर वर्णित रीति के अनुसार ही इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जाय।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

विश्वासभाजन,
के० ए० रामसुब्रह्मण्यम,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 3।एम 3–1013।79 खंड 2201
पटना-15, दिनांक 13 जून 1979

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

केशव मोहन ठाकुर,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 3।एम० 3-1013।79 खंड—2201
पटना-15, दिनांक 13 जून 1979

प्रतिलिपि—सभी मंत्रियों के आप्त सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि सरकारी अनुदेश से मंत्री महोदय को कृपया अवगत करा दें।

केशव मोहन ठाकुर,
सरकार के विशेष सचिव।

पत्र सं० सी०एस० 3/एम० 3-1013/79(खंड)—3533
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री प्रेम प्रसाद नैय्यर,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी विशेष सचिव।

7 आश्विन, 1902 (श०)
पटना-15, दिनांक—————
29 सितम्बर 1980

विषय :—प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को राज्य मुख्यालय में बुलाने के संबंध में निदेश।

महोदय,

कतिपय प्रमंडलीय आयुक्तों ने तत्कालीन मुख्य सचिव श्री के० ए० रामासुब्रहमण्यम के परिपत्र संख्या 2201, दिनांक 13 जून 1979 में निहित अनुदेशों का विभागों द्वारा उल्लंघन करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है तथा वास्तव में यह देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी बिना सरकारी आदेश प्राप्त किये पटना आते-जाते हैं, जो खेद की बात है। साथ ही, यह भी देखा जाता है कि मंत्रियों के आप्त सचिव भी कभी-कभी जिलाधिकारी को पटना बुला लेते हैं।

2. प्रमंडलीय आयुक्त या जिलाधिकारी से यदि किसी विभाग को विचार-विमर्श करना हो तो उसकी सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय को दी जाय और मंत्रिमंडल सचिवालय इस संबंध में आवश्यक आदेश निर्गत करेगा। सुलभ संकेत के लिये पर्वोक्त पत्र संख्या 2201 दिनांक 13 जून 1979 की प्रति संलग्न है।

3. जहां तक मंत्रियों के आप्त सचिवों द्वारा समाहर्त्ताओं/आयुक्तों को बुलाने का प्रश्न है, इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्र सं० 2393 दिनांक 27 जून 1979 (प्रति संलग्न) में स्पष्ट निदेश किया गया है, फिर भी इसका संशोधन किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है।

4. जहां तक अपर समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी को राज्य मुख्यालय में बुलाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में भी मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र संख्या 2222 दिनांक 2 जुलाई 1980 में स्पष्ट निदेश दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

5. अतएव सभी विन्दुओं पर पुनर्विचार करते हुए सरकार ने यह आदेश दिया है कि उपर्युक्त परिपत्रों में निहित अनुदेशों के मुताबिक ही कार्रवाई की जाय और खासकर यदि जिलाधिकारी को राज्य सरकार पटना किसी कार्य में बुलाती है तो जिलाधिकारी पटना आने के पूर्व अपने प्रमंडलीय आयुक्त को इसकी सूचना अवश्य दे दें।

6. अतः निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए अगर कोई विभाग या पदाधिकारी दोषी पाये जायेंगे तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन,
प्रेम प्रसाद नैय्यर,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 3/एम० 3-1013/80—3533,
पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर 1980

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/जिलाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

शुभंकर झा,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 3/एम० 3-1013/80—3533,
पटना 15, दिनांक 29 सितम्बर 1980

प्रतिलिपि—सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों के आप्त सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि सरकार के इस आदेश से मंत्री महोदय को कृपया अवगत करा दें। मंत्रियों के आप्त सचिवों के कर्त्तव्य संबंधित मंत्रिमंडल सचिवालय का परिपत्र संख्या सी०एस० 2/पी०एस० 1081/71-4804 दिनांक 30 अक्टूबर 1971 भी सुलभ संकेत हेतु संलग्न है।

शुभंकर झा,
सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या सी०एस० 3।एम 3-1013।79—1556

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी विशेष सचिव

8 वैशाख 1903 (श०)
पटना-15, ———————
दिनांक 28 अप्रील 1981

विषय :—प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को राज्य मुख्यालय में परामर्श के लिये बुलाने के संबंध में निदेश।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कई परिपत्र निर्गत किये गये हैं। परिपत्र संख्या 290, दिनांक 19 जनवरी 1962, 2201, दिनांक 13 जून 1979, 2383 दिनांक 27 जून 1979 2222, दिनांक 2 जुलाई 1980, 3533 दिनांक 29 सितम्बर 1980 का कृपया निदेश करें, चूंकि इन परिपत्रों से कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है, इसलिये मुझे यह कहने का निदेश है कि इन परिपत्रों में निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल यह है कि जब भी आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को राज्य मुख्यालय में बुलाया जाय तो इसकी जानकारी मुख्य सचिव को रहे और उन्हीं के माध्यम से उन्हें बुलाया जाय ताकि अन्य आवश्यक विचार-विमर्श के लिये अन्यान्य विभागीय कार्य के समन्वय के लिये स्थानीय पदाधिकारियों की उपस्थिति का उपयोग किया जा सके। इसका यह भी उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधि व्यवस्था या किसी अन्य आपातकालीन कार्य में जिला पदाधिकारी की जिला में अनुपस्थिति से कोई प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न न हो। मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि इन परिपत्रों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि कोई मंत्री आयुक्त या जिला पदाधिकारी को मुख्यालय बुला नहीं सकेंगे। प्रक्रिया केवल यही निर्धारित की गयी कि इस कार्य का समन्वयन मंत्रिमंडल सचिवालय।मुख्य सचिव के द्वारा ही हो अतः यदि मंत्री किसी आयुक्त।जिला पदाधिकारी को मुख्यालय बुलवाना चाहें तो उसकी सूचना मुझे तुरंत दी जाय ताकि यथायोग्य कार्रवाई तुरंत कराई जा सके।

आपका विश्वासी,
प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव

———

ज्ञाप सं० सी०एस०3 एम 3।1013।79—1556
पटना 15, दिनांक 28 अप्रील 1981

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव।

———

ज्ञाप सं० सी०एस० 3।एम 3-1013।79—1556
पटना-15, दिनांक 28 अप्रील 1981 ई०

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के सचिव।सभी मंत्री।राज्य मंत्री।उप मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव

पत्र संख्या सी०एस०3।एम० 3।11015।87—4331

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री आर० एन० दास,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

पटना-15, दिनांक 1 सितम्बर 1987

विषय :—पदाधिकारियों द्वारा राज्य से बाहर परिभ्रमण।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि वर्त्तमान में अभूतपूर्व प्राकृतिक प्रकोप यथा बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सितम्बर 1987 तक कोई भी पदाधिकारी बिना मुख्य सचिव की पूर्वानुमति के राज्य से बाहर दौरे पर नहीं जायेंगे।

2 इस प्रसंग में पत्र के उपान्त में लिखित राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि उपर्युक्त प्रतिबंध न्यायालय में उपस्थिति पर लागू नहीं होगा।

3. सरकार इस निदेश का दृढ़ अनुपालन चाहती है। कृपया इसकी सूचना अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी दे दें।

विश्वासभाजन,
आर० एन० दास,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 3।एम 3-1015।87—4331

पटना, दिनांक 1 सितम्बर 1987

प्रतिलिपि—सभी जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता।सभी उप विकास आयुक्त को उपान्त लिखित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

आर०एन० दास,
सरकार के सचिव

पत्रांक 2202, दिनांक 13 जून 1979, 3533, दिनांक 29 सितम्बर 1980, 1556, दिनांक 28 अप्रील 1981, 1568, दिनांक 17 मई 1983।

पत्रांक सी०एस० 3।एम 3-103।87—607

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय।

प्रेषक
श्री आर० श्रीनिवासन
मुख्य सचिव।

सेवा में,
सभी प्रधान सचिव

सभी सचिव एवं आयुक्त-सह-सचिव (नाम से)

सभी सचिव (नाम से)

सभी विभागाध्यक्ष (नाम से)

पटना-15, दिनांक 21 मार्च 1988

विषय :—प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला दंडाधिकारियों को राज्य के मुख्यालय में बुलाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में आपका निजी ध्यान मंत्रिमंडल सचिवालय के उपांत लिखित परिपत्रों की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पटना किसी कार्य या बैठक में भाग लेने के लिये प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला दंडाधिकारियों को बुलवाने की आवश्यकता होने पर मुख्य सचिव का पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

2. उसी प्रकार यदि किसी प्रमंडलीय आयुक्त या जिला दंडाधिकारी को किसी विभाग से या आवश्यक कार्यवश पटना आने की आवश्यकता हो तो उन्हें मुख्य सचिव का पूर्वादेश प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ना चाहिये।

3. उपर्युक्त निर्देशों का सक्रिय अनुपालन नहीं हो रहा है। सरकार को ऐसे दृष्टांत मिले हैं जहां मात्र औपचारिकता निभाने के लिये अनुमति मांगी गई है अथवा घटनोत्तर स्वीकृति की मांग की गई है।

4. सरकार यह चाहती है कि भविष्य में प्रमंडलीय आयुक्त अथवा जिला दंडाधिकारी को कोई विभाग पटना बुलाने के पूर्व मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लें और अन्य अवस्था में प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला दंडाधिकारी मुख्य सचिव का पूर्वानुमति प्राप्त कर ही पटना आवेंगे।

5. उपर्युक्त निर्देश में अपवाद केवल यह रहेगा कि यदि किसी न्यायालय या विधान मंडल के किसी समिति के समक्ष उपस्थिति की आवश्यकता हो और उसके लिये पर्याप्त अग्रिम नोटिस नहीं रहे तो मुख्य सचिव के अनुमोदन की प्रत्याशा में वे पटना आ सकते हैं परन्तु उसकी कार्योपरांत स्वीकृति हेतु यथाशीघ्र मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन,
आर० श्री निवासन,
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 3।एम 3-103।85—607
पटना, दिनांक 21 मार्च 1988

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

आर० श्री निवासन,
मुख्य सचिव।

पत्र संख्या 1050
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी प्रधान सचिव

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

पटना-15, दिनांक 7 जून 1990 ई०

विषय :—पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण।

महाशय,

उपरोक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार की यह धारणा बनी है कि विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के राज्य से बाहर विशेषतः दिल्ली की यात्रा में अपेक्षित नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है।

2. सरकार के वर्त्तमान निदेशों के अनुसार विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री के अनुमोदन से तथा अन्य विभागीय पदाधिकारी विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर राज्य से बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं।

3. सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में विभाग के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त तथा मुख्य सचिव के पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जायेंगे। इसी प्रकार अन्य विभागीय पदाधिकारी विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जा सकेंगे। सभी पदाधिकारी यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व यात्रा कार्यक्रम सभी सम्बद्ध के सूचनार्थ परिचारित करेंगे जिसमें प्रस्थान/आगमन के स्थान/तिथि एवं भ्रमण पर सम्पर्क का सूचना उपलब्ध रहेगा।

4. दिल्ली अथवा राज्य के बाहर अन्य स्थान से लौटने पर प्रत्येक पदाधिकारी अपनी यात्रा दैनंदिनी यात्रा विपत्र के लिये तो तैयार करेंगे ही, साथ ही साथ यात्रा टिप्पणी भी तैयार कर अपने नियंत्रण पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। विभागीय सचिव अपनी यात्रा टिप्पणी विभागीय मंत्री को एवं विकास आयुक्त-सह-योजना परामर्शी को परियोजनाओं से संबंधित यात्रा टिप्पणियां उन्हें भेजे जिसे यथा आवश्यक वे मुख्य मंत्री के अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. सरकार की यह अपेक्षा है कि दिल्ली में आयोजित बैठकों में भाग लेने हेतु विभागीय सचिव यथ संभव अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भेजें एवं अनिवार्य परिस्थितियों में ही स्वयं बैठक में भाग लेने के लिये जायें।

6. सरकार की मान्यता है कि जिला स्तर के प्रशासन को और अधिक सक्रिय बनाने के लिये राज्य स्तर से अधिकाधिक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। अतएव सरकार चाहती है कि विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह में 7—10 दिनों का राज्य के अन्दर गहनरूप से दौरा कर स्थानीय तौर पर विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा करें ताकि जिला स्तरीय पदाधिकारियों को यथोचित मार्गदर्शन देने के साथ-साथ कार्यों का व्यक्तिगत रूप में मूल्यांकन भी कर सकें।

7. उपर्युक्त राज्य से बाहर यात्रा संबंधी प्रतिबंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आहूत सम्मेलन में भाग लेने अथवा न्यायालय में उपस्थित होने की यात्राओं पर लागू नहीं होगा, लेकिन वैसे दृष्टांतों में भी विभागीय सचिव अथवा आयुक्त एवं सचिव या प्रधान सचिव विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर यात्रा कार्यक्रम परिचारित करते हुए ही दौरे पर जायेंगे एवं यात्रा के बाद एक टिप्पणी खंड 4 के अनुरूप प्रसारित करेंगे।

विश्वासभाजन,
कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्रांक सी०एस० 3।एम 3-103।87—1335

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सभी प्रधान सचिव

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 23 जुलाई 1990

विषय—प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला दंडाधिकारियों को राज्य के मुख्यालय में बुलाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपान्त लिखित मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार का यह स्पष्ट निदेश है कि प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला दंडाधिकारी को पटना आने के पूर्व मुख्य सचिव का पूर्वानुमोदन (मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से) प्राप्त करना आवश्यक है। किसी विभाग को वैसे पदाधिकारी को पटना बुलाने की आवश्यकता होने पर संबंधित विभागीय सचिव पहले मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लेंगे। आये दिन यह पाया जा रहा है कि इस आदेश का पालन दृढ़ता से नहीं हो रहा है।

2. भविष्य में मुख्य मंत्री अथवा मुख्य सचिव द्वारा बुलाने पर प्रमंडलीय आयुक्त अथवा जिला दंडाधिकारी को पटना आने के लिये अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उपर्युक्त पदाधिकारियों को न्यायालय या विधान-मंडल की किसी समिति के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो और उसके लिये उन्हें पर्याप्त अग्रिम नोटिस नहीं रहे तो वे मुख्य सचिव के अनुमोदन की प्रत्याशा में पटना आ सकते हैं परन्तु कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु वे यथाशीघ्र मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यदि किसी विभाग में उनकी उपस्थिति पटना में आवश्यक हुई तो संबंधित विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी आदेश प्राप्त होने पर ही पटना आवेंगे।

3. सरकार का यह भी निदेश हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में उपरोक्त पदाधिकारी पटना आने के पूर्व अपना अग्रिम यात्रा का कार्यक्रम परिचारित करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि औरों के अलावा, इस विभाग को भी अवश्य भेजेंगे।

विश्वासभाजन,
आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 3।एम 3-103।87—1335

पटना-15, दिनांक 23 जुलाई 1990

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

पत्र सं० 3।सी०एस०।एम०-902।90—2326

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री आर० यू० सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सभी जिला दण्डाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 26 दिसम्बर 1990 ई०।

विषय—जिला दण्डाधिकारियों को राज्य-मुख्यालय में बुलाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस सचिवालय के पत्र संख्या सी० एस०।एम-103।8-1335, दिनांक 23 जुलाई 1990 की ओर (प्रतिलिपि संलग्न) आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार के स्पष्ट निदेश के बावजूद जिला दण्डाधिकारी को पटना आने के पूर्व मुख्य सचिव का पूर्वानुमोदन (मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से) प्राप्त करना आवश्यक है, किन्तु ऐसे कई दृष्टान्त सामने आये हैं जिनमें जिला दण्डाधिकारियों के पटना आने से सम्बन्धित पत्र या सम्बद्ध समय से पूर्व प्राप्त नहीं होते हैं और समय के अभाव में मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर अनुमति की स्वीकृति की सूचना समय पर जिला दण्डाधिकारियों को भेजना संभव नहीं हो पाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में पटना आने की स्वीकृति का प्रस्ताव काफी समय पहले भेजने का कष्ट करें जिससे कि घटनोत्तर स्वीकृति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

विश्वासभाजन,

आर० यू० सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप सं० 3।सी० एस०।एम० 902।90—2326
पटना-15, दिनांक 26 दिसम्बर, 1990 ई०।

प्रतिलिपि—सभी प्रधान सचिव।सभी आयुक्त एवं सचिव।सभी सचिव।सभी विभागाध्यक्ष एवं प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

आर० यू० सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

पत्रांक सी० एस० 3।एम 3-103।87-1335

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सभी प्रधान सचिव।सभी आयुक्त एवं सचिव।सभी सचिव।सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 23 जुलाई, 1990 ई०।

विषय—प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला दण्डाधिकारियों को राज्य के मुख्यालय में बुलाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपान्त लिखित मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार का यह स्पष्ट निदेश है कि प्रमंडलीय आयुक्त एव जिला दंडाधिकारी को पटना आने के पूर्व मुख्य सचिव का पूर्वानुमोदन (मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से) प्राप्त करना आवश्यक है। किसी विभाग को वैसे पदाधिकारी को पटना बुलाने की आवश्यकता होने पर संबंधित विभागीय सचिव पहले मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लेंगे। आए दिन यह पाया जा रहा है कि इस आदेश का पालन दृढ़ता से नहीं हो रहा है।

2. भविष्य में मुख्य मंत्री अथवा मुख्य सचिव द्वारा बुलाने पर प्रमडलीय आयुक्त अथवा जिला दंडाधिकारी पटना आने के लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उपर्युक्त पदाधिकारियों को न्यायालय या विधान मंडल की किसी समिति के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो और उसके लिए उन्हें पर्याप्त अग्रिम नोटिस नहीं रहे तो वे मुख्य सचिव के अनुमोदन की प्रत्याशा में पटना आ सकते हैं परन्तु कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु वे यथाशीघ्र मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यदि किसी विभाग में उनकी उपस्थिति पटना में आवश्यक हुई तो संबंधित विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी आदेश प्राप्त होने पर ही पटना आवेंगे।

3. सरकार का यह भी निदेश हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में उपरोक्त पदाधिकारी पटना आने के पूर्व अपना अग्रिम यात्रा का कार्यक्रम परिचारित करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि औरों के अलावा उस विभाग को भी अवश्य भेजेंगे।

विश्वासभाजन,
आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप सं०-सीएस3।एम3-103।87—1335

पटना-15, दिनांक 23 जुलाई, 1990।

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

पत्रांक 3।सी०एस०-101।92(खंड)---2003

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता।

पटना-15, दिनांक 19 जून, 1992।

विषय—जिला दंडाधिकारियों को राज्य मुख्यालय में बुलाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरांत लिखित परिपत्रों के क्रम में सूचित करना है कि आये दिन जिला दंडाधिकारियों से यह अनुरोध प्राप्त हो रहा है कि उन्हें विभिन्न विभागों में डी० डी० सी० की हैसियत से बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाय।

2. प्रश्न पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां जिला दंडाधिकारी को डी० डी० सी० होने के नाते आमंत्रित किया जा रहा हो वहां जिला दंडाधिकारी के स्थान पर Officer next in rank to the D.M.।D.D.C. आवेंगे।

विश्वासभाजन,

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 3।सी०एस०-101।92 (खंड)—2003

पटना-15, दिनांक 19 जून 1992।

प्रतिलिपि—योजना परामर्शी-सह विकास आयुक्त।वित्त आयुक्त।अपर मुख्य सचिव।सरकार के सभी सचिव एवं सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक 3/सी०एस०/एम-304/91-3994

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।

पटना 15, दिनांक 28/29 अक्तूबर 1993

विषय—राज्य के बाहर परन्तु भारत के अंदर सेमिनार, प्रशिक्षण, विचार-विमर्श, बैठक आदि में भाग लेने हेतु यात्रा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि सरकार इससे चिंतित है कि यद्यपि उपर्युक्त प्रकार के परिभ्रमण पर राज्य सरकार द्वारा एकाधिक बार प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी, आदेश का अनुपालन दृढ़ता से नहीं हो रहा है। इस प्रसंग में राज्य सरकार का निम्नांकित निदेश पुनः दिया जाता है :—

(1) भारत के अंदर परन्तु राज्य के बाहर किसी बैठक, विचार-विमर्श, सेमिनार अथवा प्रशिक्षण आदि में भाग लेने के लिए विशेष सचिव एवं उनसे उच्च स्तर के पदाधिकारी को सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य माना जायगा।

(2) वैसी यात्रा के लिये मुख्य सचिव से संबंधित पदाधिकारी पूर्वानुमति कृपया प्राप्त करेंगे।

यह पूर्वानुमति इस शर्त्त पर देय होगी कि वैसी यात्रा में विभागीय मंत्री की कोई आपत्ति न हो।

2. दिल्ली परिभ्रमण के संबंध में एक विशेष द्रष्टव्य यह है कि दिल्ली में राज्य सरकार के एक वरीय पदाधिकारी स्थानिक आयुक्त के रूप में पदस्थापित हैं। अतएव वैसी बैठक एवं विचार-विमर्श जो रुटीन टाईप के हो या जिनमें स्थानीय पदाधिकारी की निजी उपस्थिति अनिवार्य न हो, वहां विभागीय सचिव स्वयं नहीं जाकर स्थानिक आयुक्त को बैठक में भाग लेने के लिए अनुरोध करेंगे। आवश्यकतानुसार लंबित विषय के संबंध में एक आत्मभारित टिप्पणी भेज सकते हैं आत्मभारित टिप्पणी को समयाभाव होने पर फैक्स अथवा दूरभाष द्वारा भी भेजा जा सकता है। इस प्रकार यदि स्थानिक आयुक्त के पद का उपयोग किया जाय तो लंबित मामलों के निष्पादन के साथ-साथ मितव्ययता भी होगी।

3. कृपया इसे दृढ़ता के साथ पालन किया जाय।

विश्वासभाजन,

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 3/सी० एस०/एम०-304/91-3994

पटना-15, दिनांक 28/29 अक्टूबर, 1993।

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र संख्या 3/सी० एस०-902/94—978

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय.

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
मुख्य सचिव,
बिहार।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव।

पटना 15, दिनांक 18 मार्च 1994

विषय—पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मेरी जानकारी में यह आया है कि मुख्य सचिव, द्वारा इस विषय के संबंध में निर्गत पत्रांक 1050, दिनांक जून 1990 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा उक्त पत्र में दिए गए निदेशों के विपरित पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर यात्राएं की जा रही हैं।

2. सरकार द्वारा यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि विभाग के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त तथा मुख्य सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जायेंगे। इसी प्रकार अन्य विभागीय पदाधिकारी विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जा सकेंगे। सभी पदाधिकारी यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व यात्रा कार्यक्रम परिचारित करेंगे जिसमें प्रस्थान/आगमन के स्थानातिथि एवं भ्रमण पर सम्पर्क की सूचना उपलब्ध रहेगी। दिल्ली या राज्य के बाहर अन्य स्थान से लौटने पर प्रत्येक पदाधिकारी अपनी यात्रा दैनन्दिनी/यात्रा विपत्र के लिय तो तैयार करेंगे ही, साथ ही साथ यात्रा टिप्पणी भी तैयार कर अपने नियंत्रण पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। विभागीय सचिव अपनी यात्रा टिप्पणी विभागीय मंत्री को एवं विकास आयुक्त-सह-योजना परामर्शी को परियोजनाओं से संबंधित यात्रा टिप्पणियां भेजेंगे जिसे यथा आवश्यक वे मुख्य मंत्री को अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. सरकार का यह भी निदेश था कि दिल्ली में आयोजित बैठकों में भाग लेने हेतु विभागीय सचिव यथा संभव अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भेजें एवं अनिवार्य परिस्थितियों में ही स्वयं बैठक में भाग लेने के लिय जायें।

4. उक्त परिपत्र के द्वारा बाहर यात्रा संबंधी प्रतिबंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आहूत सम्मेलन में भाग लेने या उच्च न्यायालय में उपस्थित होने की यात्राओं में लागू नहीं होने का निदेश है, लेकिन वैसे मामलों में भी विभागीय सचिव या आयुक्त एवं सचिव या प्रधान सचिव विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर यात्रा कार्यक्रम परिचारित करते हुए दौरा पर जायगें एवं यात्रा के बाद एक टिप्पणी कंडिका-2 के अनुरूप प्रसारित करेंगे।

5. आप सभी से अनुरोध है कि राज्य के बाहर परिभ्रमण करने के मामलों में इन निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ए० के० बसाक,
मुख्य सचिव, बिहार।

पत्र संख्या-3/सी० एस०-902/94—2255

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव।

पटना 15, दिनांक 30 जून, 1994 ई०।

विषय—पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर परिभ्रमण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक-3/सी०एस०-902/94-98, दिनांक 18 मार्च 1994 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि विभागों के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त तथा मुख्य सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जायेंगे। इसी प्रकार अन्य विभागीय पदाधिकारी, विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर ही राज्य के बाहर दौरे पर जा सकेंगे। सभी पदाधिकारी यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व यात्रा कार्यक्रम परिचारित करेंगे जिसमें प्रस्थान/आगमन के स्थानातिथि एवं भ्रमण पर सम्पर्क की सूचना उपलब्ध रहेगी। दिल्ली या राज्य के बाहर अन्य स्थान से लौटने पर प्रत्येक पदाधिकारी यात्रा टिप्पणी तैयार कर अपने नियंत्रण पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। विभागीय सचिव अपनी यात्रा टिप्पणी विभागीय मंत्री को एवं विकास आयुक्त-सह योजना परामर्शी को परियोजनाओं से सम्बंधित यात्रा टिप्पणियां भेजेंगे। उक्त परिपत्र द्वारा राज्य के बाहर यात्रा सम्बंधी प्रतिबंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आहूत सम्मेलन में भाग लेने या उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने की यात्राओं में लागू नहीं होने का निदेश दिया गया है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि पुनः संलग्न है।

2. ऐसा पाया जा रहा है कि उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा राज्य के बाहर विशेष रूप से दिल्ली में राज्य सरकार के कनीय एवं वरीय सभी स्तर के पदाधिकारी बगैर मुख्य सचिव से अनुमति प्राप्त किये भ्रमण पर जा रहे हैं तथा भ्रमण से लौटने के बाद कोई भी टिप्पणी उनके द्वारा प्रेषित नहीं की जाती है। यह गम्भीर विषय है।

3. उपर्युक्त स्थिति में आप सभी को पुनः निम्न निदेश दिये जाते हैं:—

(क) विभागों के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव दिल्ली में भारत सरकार के सचिव स्तर की बैठकों में ही भाग लेने के लिए जायेंगे। उससे नीचे की बैठकों में विभागीय सचिव स्वयं नहीं जाकर स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को बैठक में भाग लेने का अनुरोध करेंगे। यदि भारत सरकार के सचिव स्तर के नीचे के पदाधिकारी द्वारा आयोजित बैठक महत्वपूर्ण हो तथा उसमें विभागीय सचिव का भाग लेना नितान्त आवश्यक हो तो वैसी स्थिति में विभागीय सचिव उन तथ्यों का उल्लेख कर मुख्य सचिव का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेंगे, जिनके कारण बैठक में भाग लेना आवश्यक है।

(ख) विभागों के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव विभागीयमंत्री के अनुमोनोपरान्त तथा मुख्य सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य के बाहर के दौरे पर जायेंगे।

(ग) अन्य विभागीय पदाधिकारी विभागीय सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर ही राज्य के बाहर दौरे पर जा सकेंगे।

(घ) सभी पदाधिकारी यात्रा में प्रस्थान करने के पूर्व यात्रा कार्यक्रम तथा विचार-विमर्श का विषय परिचारित करेंगे जिसमें प्रस्थान/आगमन के स्थानातिथि एवं भ्रमण पर सम्पर्क की सूचना उपलब्ध रहेगी। यात्रा कार्यक्रम की एक प्रति मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ भेजी जायगी, जहां पर विकास सम्बधी मामले निहित हों वहां पर भ्रमण की प्रति विकास आयुक्त को भी दी जायगी।

(ङ) भ्रमण से वापस होने के बाद सभी पदाधिकारी भ्रमण के दौरान किये गये कार्य की टिप्पणी अपने नियंत्रण पदाधिकारी एवं मुख्य सचिव को प्रेषित करेंगे। विकास सम्बन्धी मामलों के बारे में टिप्पणी की प्रति विकास आयुक्त को भी दी जायगी।

(च) यह आदेश भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आहूत सम्मेलन में भाग लेने या माननीय उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने की यात्राओं के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा। परन्तु ऐसे मामलों में भी प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर यात्रा कार्यक्रम परिचारित करते हुए दौरे पर जायेंगे और यात्रा के बाद एक टिप्पणी कंडिका-(ङ) के अनुसार प्रसारित करेंगे।

4. आप सभी से अनुरोध है कि राज्य से बाहर परिभ्रमण करने के मामलों में इन नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-3सी०एस०-902।94—2255

पटना-15, दिनांक 30 जून, 1994 ई०।

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

खंड-3

ज्ञाप संख्या-5744

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में,

सरकार के सभी विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 13 नवम्बर, 1967

चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ ने सरकार के समक्ष इस बात की शिकायत बार-बार की है कि उनके सदस्यों का सेवा अभिलेख कार्यालय में अद्यतन नहीं रखा जाता है जिसके चलते उन्हें छुट्टी पेन्शन आदि मामलों में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को ज्ञात हुआ है कि संघ की इस शिकायत में तथ्य है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों में कर्मचारियों के सेवा अभिलेख को अद्यतन कराने का एक विशेष अभियान चलाया जाय और इस काम को आगामी तीन महीने में अवश्य ही पूरा कर लिया जाय। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि उक्त अवधि में यदि यह काम पूरा नहीं हुआ तो सम्बन्धित कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जायेगा और उनपर उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

सरकार का यह भी आदेश है कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष अप्रील महीने के अन्त में प्रत्येक कार्यालय द्वारा अपने अराजपत्रित कर्मचारी सम्बन्धी वार्षिक स्थापना विवरणी तैयार कराई जाय जिसमें कर्मचारियों का नाम उनके पद का वर्णन, नियुक्ति, सम्पुष्टि आदि की तिथि, उनका वेतन, वरीयता अधिमान क्रम आदि का उल्लेख हो। इस विवरणी की प्रतियों को टंकित कराई जाए और सम्बन्धित कार्यालयों के सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को दिखलाई जाए। इस काम को भी प्रतिवर्ष समय पर कराने के लिए सरकार कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी को जिम्मेवार ठहरायेगा।

इस अनुदेशों को कृपया समुचित रूप से कार्यान्वित करावें तथा अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों को इससे अवगत करावें

श्रीधर वासुदेव सोहोनी,

मुख्य सचिव।

सं० 3 सी०/एस०/3 आर-1-202/68—2540
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प
31 मई 1968

विषय—सचिवालय के प्रशाखा प्रधानों एवं उसी वेतनमान के समकक्ष अनुसचिवीय पदों को राजपत्रित बनाना और फलस्वरूप विभिन्न पदों का नया नामकरण।

सचिवालय तथा संलग्न एवं सम्बन्धित कार्यालयों में प्रशाखा प्रधानों का पद 355—580 रु० के वेतनमान में है। सरकार के समक्ष जितने विषय आते हैं उसकी छानबीन करने में प्रशाखा प्रधान महत्वपूर्ण काम करते हैं। उन्हें अपने प्रशाखा के सभी सम्बन्धित नियमों, अधिनियमों आदि की जानकारी रखनी पड़ती है। इसलिये उनका काम महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ गुरुतर भी है। उनके वेतनमान के कई अन्य पद पहले से ही राजपत्रित हैं। इसलिये प्रशाखा प्रधानों की ओर से कई बार मांग की गई है कि उनके पदों को भी राजपत्रित कर दिया जाय।

2. इस विषय की विस्तृत जांच कराकर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सचिवालय तथा संलग्न एवं सम्बन्धित कार्यालयों में प्रशाखा प्रधानों एवं उसी वेतनमान के समकक्ष अनुसचिवीय पदों को यथा प्रवर कोटि(1) के आशुलिपिकों, विधान मंडल के रिपोर्टर, उच्च न्यायालय के जजमेंट रायटर, विधि विभाग के वरीय विधि सहायक (वर्ग 1) उसी वेतनमान के अनुवादक आदि पदों को दिनांक 1 जून 1968 से राजपत्रित घोषित कर दिया जाय। प्रशाखा प्रधान का पदनाम प्रशाखा पदाधिकारी तथा प्रवर कोटि (1) के आशुलिपिकों का पदनाम वरीय निजी सहायक कर दिया जाय। रिपोर्टर, जजमेंट, रायटर, वरीय विधि सहायक आदि का पदनाम पूर्ववत् रहे। लेकिन सचिवालय के सभी वर्ग 1 के आशुलिपिकों का पदनाम निजी सहायक होगा।

3. प्रवर कोटि के आशुलिपिकों का पदनाम वरीय निजी सहायक तथा वर्ग 1 के आशुलिपिकों का पदनाम निजी सहायक होने के फलस्वरुप उन कार्यालयों में कठिनाई होगी जहां पहले से ही निजी सहायक की संज्ञा के वरीय पद सृजित हैं (जैसे आयुक्त के निजी सहायक आदि) वैसे पदों का पदनाम, विभागीय मंत्री तथा मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर तुरन्त बदल दिया जाय।

4. राजपत्रित किये जानेवाले पदों का वेतनमान 355—580 रु० है। इन अराजपत्रित पदों के लिये अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं जैसे—प्रेरणा भत्ता, बच्चों के लिये शिक्षावृत्ति तथा सरकारी गल्ले का अधिकतर राशन। राजपत्रित हो जाने से ये सुविधायें उपलब्ध नहीं रहेंगी। फिर चूंकि राजपत्रित होने से इन पदों का कार्यभार गुरुतर हो जायगा अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन राजपत्रित पदों का वेतनमान 290—15—380 द० रो०—15—500—20—540—द० रो०—20—600—25—650 रु० (न्यूनतम वेतन 365 रु०) रहेगा तथा इन पदों के वर्त्तमान पदधारकों का वेतन अराजपत्रित पदों से राजपत्रित पदों में उन्नमित होने के फलस्वरुप नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के साधारण नियमों के अनुसार निर्धारित होगा। भविष्य में इन पदों पर जिनकी प्रोन्नति होगी उनका वेतन निर्धारण भी साधारण नियमों के अनुसार होगा।

5. राजपत्रित हो जाने के बाद भी यदि बिहार सेवा संहिता के नियम 82 के अनुसार कोई वर्त्तमान पदधारक अराजपत्रित पद पर ही वर्त्तमान वेतनमान में रहना चाहे तो उनका पद उनकी सेवा अवधि कालतक वर्त्तमान वेतनमान में अराजपत्रित ही रहेगा।

6. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राजपत्रित घोषित किये जाने के बाद भी इन पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति देने के मामले में जो नियुक्ति पदाधिकारी अभी हैं वे ही रहेंगे, सरकार नहीं। इसलिये नियुक्ति प्रोन्नति देने के पहले लोक-सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहो होगा और छोटी छोटी अवधि के लिए पूर्ववत प्रोन्नति दी जाती रहेगी।

7. इस संकल्प के आधार पर प्रशाखा प्रधानों आदि की सहमति प्राप्त कर तथा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से भिन्न-भिन्न पदों को राजपत्रित किये जाने का तथा उसपर व्यक्ति विशेष की नियुक्ति का आदेश संबंधित विभाग महालेखापाल को वित्त विभाग के माध्यम से भेज देंगे। उन राज्यादेशों के आधार पर महालेखापाल वेतन का प्राधिकार-पत्र निर्गत करेंगे और उन सभी पदाधिकारियों के सेवा पुस्तिकाएें बनवाकर रखेंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां राजपत्र में जन साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी सचिव।सचिवालय से संलग्न सभी विभागाध्यक्ष।निबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना।महालेखापाल, बिहार, रांची को सूचना एवं आवश्यक कारवाई के लिये अग्रसारित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्रीधर वासुदेव सोनोही,
सरकार के मुख्य सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR

CO-ORDINATION DEPARTMENT

CABINET SECRETARIAT.

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT—Decision of the State Government on the demands of the non-gazetted employees.

The State Government had consituted a Committee of three officers consisting of Shri P.S. Appu, Finance Secretary, Shri L. Dayal, Secretary, Political (S.S.) Department and Shri M. Alam, Secretary, labour and Employment Departments, to examine the demands of the Federation of the Non-Gazetted Employees Associations for higher emoluments and better conditions of service and to submit its recommendations to Government.

2. The Committee accordingly, examined the demands from all relevant angles and submitted its report. Government have considered the report carefully and have taken the following decisions on the various demands:—

(i) *Payment of full dearness allowance at Central Government rates in cash*—

(a) The State Government have accepted the merit of the demand that dearness allowance should be paid in cash and that no part of it should be kept in deposit. Accordingly, it has been decided that with effect from 1st April 1970 the entire Dearness Allowance will be paid in cash.

(b) Another part of this demand was that the employees drawing pay not exceeding Rs. 150 and 300 should get respectively Rs. 10 and Rs. 20 more as dearness allowance than what they are getting now.

It is true that the Central Government employees within these pay scales are getting Rs. 10 and Rs. 20 more as dearness allowance than the State Government employees. But these amounts were sanctioned to the Central Government employees ad-hoc, on dates prior to the date of refixation of the pay scales of the State Government employees. As a result of pay fixation in up-graded scales, the employees became entitled to higher emoluments and their pay was fixed in the up-graded scales by adding 15% to their basic pay and Cost of Living Allowance. Naturally as a result of pay-fixation' the employees of this Government got considerable Pecuniary' advantage and therefore' there was no justification at all for sanctioning in addition, the amount of dearness allowance granted to the Central Government employees prior to that. The successive elected Governments of this State rejected this demand time and again. This Government too are of exactly similar view and agreeing with the recommendation of the Committee, they have decided to finally reject this demand.

(c) Yet, another part of this demand was that additional dearness allowance sanctioned by the Central Government with effect from 1st September, 1968 should be sanctioned to the State Governmment employees.

The State Government have decided to take final decision on this question after reviewing it from every angle in March, 1970 by which time, the financial Position will become clearer.—

(ii) *Stoppage of retrenchment and provision of alternative employment to the retrenched employees*—Agreeing with the recommendation of the Committee the State Government have decided that:

(a) As far as possible, retrenchment of employees should be avoided;

(b) All retrenched employees should be provided with other jobs as soon as possible; and.

(c) The posts held by those employees who have put in at least five years, service. should not be abolished without providing alternative employment to such employees.

(iii) *Salary for the strike period.*—The employees were on strike for five days in February, 1968 and for 15 days in July, 1968. For the July period, the previous Government had permitted the employees to apply for and obtain earned leave for the strike period provided they had not been on strike for the entire period. Thus the majority of the employees have obtained leave salary for the said period. Moreover the leaders of the agitation who had been placed under suspension were subsequently let off without starting departmental action and so they too became entitled to full salary for the period of suspension. Thus an anamolous situation was created in that, the leaders and the majority of the employees got full salary for the period of strike. In view of this, agreeing with the recommendation of the Committee the State Government have now decided that the remaining employees too may apply for and obtain earned leave for the whole period of strike, if such leave were due to them.

In this background and also in difference to the decision of the previous elected Government, the State Government have come to the conclusion that it would not be proper to take a different stand in respect of February strike. Accordingly, it has been decided that for that period too, the eployees will be entitled to apply for and obtain leave as may be due to them. The State Government, however, intend it to be clearly understood that they do not recognise the right of the employees to resort to strike and they hope that the employees will not take recourse to it, in any form in future.

(iv) *Absorption against temporary posts of those employees who have put in more than three years, temporary service*—The State Government fully accept the merit of this demand. Only recently, they announced their policy decision to make permanent a large number of posts and their incumbents. The State Government reiterate that their decision should be fully implemented with utmost expedition.

(v) *Residential quarters and house rent in lieu of the same.*—The State Govrnment have decided in principle that not less than 50% of the non-gazetted employee should be provided with Government quarters. The public works Department should begin a phased programme of construction of residential quarters on a high priority basis. The State Government however, agree with the recommendation of the Committee that in the meantime house rent allwoance cannot be sanctioned.

(vi) *Fixed monthly medical allowance*—The Committee has not recommended it but has suggested instead that the Contributory Health Scheme introduced by the Central Government for their employees should be examined for adoption. The State Government have decided to get the same examined quickly before taking final decision.

(vii) and (x) *payment of Incentive allowance to all categories of non-gazetted employees and to treat is as Secretariat allowance (10% of pay) for all Secretariat employees*—The previous Government had introduced Incentive Allowance Scheme for the ministerial employess of the Secretariat as a purely experimental measnre with a view to getting a review made of its actual working before taking final decision regarding this scheme. No such review was made thereafter. Agreeing with the recommendation of the Committee, the State Government have decided to get a review made quickly.

(viii) *Joint cadre of non- gazetted employees*—The State Government have already accepted it and only recently they have prescribed date lines for its implementation .This decision should be fully implemented within the time limit prescribed.

(ix) *Upper Division and Selection grade posts in all Mufassil Offices*—This decision has not been fully implemented yet. The State Government have decided to lay down date lines for this and to ensure that it is fully implemented within the stipulated period.

(x) *Dearness Allowance to count towards pension, gratuity etc.*—The decision of the Government of India will be adopted and implemented.

(xi) *Extra clerks of Registration offices to be absorbed against regular posts.*—The State Government have accepted it in principle. Yardstick will be prescribed on the basis of average work-load for creation of regular posts against which extra clerks will be absorbed.

(xii) *Patna to be declared 'B' grade city.*—This does not concern the State Government and there is no scheme of the State Government for gradation of cities.

(xiii) *Provision of Selection grade pay scale for different categories of employees*—The State Government have accepted the recommendation of the Committee to get studies made of the incidence and likeely period of stagnation at any point in the pay scale for different cadres and then to take final decision on this question.

(xiv) *Absorption of work-charged employees in regular posts*—Agreeing with the recommendation of the Committee the State Government have decided to get an appraisal of the nature and volume of work-load of all the Works Departments. For work of regular and continuing nature, regular posts will be created to that in future. employment on master-roll or workcharged basis should be few. As regards the existing employees of this category, as a result of the abovementioned study, criteria will be laisd down for their absorption on consideration of their suitability. In so far as the unskilled employees are concerned, it will be possible to absorb a considerable number without any elaborate scrutiny.

(xv) *Pay scale of Secretariat typists.*—Accepting the recommendation of the Committee, the State Government have decided to get this question examined very expeditiously in full detail from every relevant consideration and there after, final decision will be taken.

(xvi) *Adequate avenues for promotion for all categories employees.*—The State Government accept it in principle. Agreeing with the recommendation of the Committee they have decided to get the exisiting position in respect of every cadre examined by the administrative department and to take suitable steps in the light of the study with a view to creating adequate promotion prospects.

S.N.SINGH,
Chief Secretary to Government.

Memo.NO.C.S. 6140'

Dated the 4th November **1969.**

Copy forwarded to all principal Secretaries to Government/all Secretaries to Government/all Additional Secretaries to Government/heads of Departments' for information and immediate necessaary action.

B. K. DUBEY,
Deputy Secretary to Covernment.

सं० सी०एस० 3/एम 2-2024/71—5457

बिहार सरकार
मन्त्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक
श्री राम सेवक मंडल,
मुख्य सचिव।

सेवा में
सरकार के सभी प्रमुख सचिव

सरकार के सभी सचिव

सरकार के सभी अपर सचिव।

18 अग्रहण, 1893 (स),

पटना-15, दिनांक 9 दिसम्बर 1971

विषय—आपात-कालीन स्थिति में पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद् का निर्णय।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि दिनांक 7 दिसम्बर 1971 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि प्रशासी कारणों से पदाधिकारियों को स्थानान्तरण करना अत्यावश्यक नहीं हो तो, अन्य परिस्थिति में, उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाय। यह निर्णय उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जिनका स्थानान्तरण का निर्णय हो चुका है।

अतः अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद् के इस निर्णय का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन,
राम सेवक मंडल,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 3/एम 2-2024/71—5457

18 अग्रहण, 1893 (स)

पटना-15, दिनांक 9 दिसम्बर 1971

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

बसन्त कुमार दूबे,
उप-सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 3/एल 1-1019/72—3891

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 30 सितम्बर, 1972

विषय :—सरकार के अधीन तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे अस्थायी राजपत्रित पदों को स्थायी करने के संबंध में।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि नियुक्ति विभाग के ज्ञाप संख्या 3/आर 1-1032/71नि०—19840, दिनांक 19 नवम्बर 1971 द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि जिन राजपत्रित पदों की अवधि तीन वर्षों से अधिक हो गयी है एवं भविष्य में उनके बने रहने की पूर्ण संभावना है, उनके स्थायीकरण की दिशा में शीघ्र कदम उठाया जाय। लेकिन महालेखाकार के अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या जी०एम० 21-8-234, दिनांक 14 सितम्बर 1972 (प्रति अनुलग्नक की प्रति के साथ संलग्न) से यह ज्ञात होता है कि अस्थायी पदों को स्थायी करने की दिशा में कारगर कदम नहीं उठाया गया है। महालेखाकार बिहार द्वारा दिखाये गये आंकड़े के अनुसार 1 मार्च 1971 तक 4540 अस्थायी राजपत्रित पदों में से 2860 पदों को स्थायी किया जा सकता है। लेकिन 1 मार्च 1972 तक कुल 193 पदों का एवं 1 जून 1972 तक 125 पदों का ही स्थायीकरण किया गया है, जो संतोषजनक नहीं है।

अतः अनुरोध है कि सरकारी निर्णयानुसार अस्थायी पदों को स्थायी करने के संबंध में आवश्यक कारवाई यथाशीघ्र की जाय एवं की गई कारवाई की सूचना इस विभाग को भेजी जाय।

2. महालेखाकार ने सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि अस्थायी पदों की अवधि विस्तार के संबंध में स्वीकृत्यादेश समय पर विभागों द्वारा निर्गत नहीं किये जाने के फलस्वरूप महालेखाकार द्वारा पदाधिकारियों का वेतन पूर्ण पुर्जा निर्गत करने में विलम्ब होता है जिसके चलते पदाधिकारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संलग्न पत्र की कंडिका 2 में महालेखाकार द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि 43—50 प्रतिशत मामलों में स्वीकृत्यादेश अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

3. अतः यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त लम्बित स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की दिशा में अविलम्ब कारवाई की जाय एवं भविष्य में समय पर स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की ओर भी ध्यान रखा जाय।

सच्चिदानन्द सिन्हा,
उप-सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 3/एल० 1-1019/72—3891

पटना-15, दिनांक 30 सितम्बर, 1972

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, रांची को मुख्य सचिव को निर्देशित उनके अर्द्ध-सरकारी पत्रांक जी०एस० 21-8-234, दिनांक 14 सितम्बर 1972 के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित।

सच्चिदानन्द सिन्हा,
उप-सचिव।

D.H.VEERAIAH.

D.O.No.GM-21-8-234.
ACCOUNTANT-GENERAL:
BIHAR

Ranchi, the September 14th 1972.

Dear Shri Menon,

I enclose a report showing the progress in receipt of continuance sanctions to temporary post and conversion of temporary posts into permanent ones for the year ending 29th February 1972.

2. Sanction to the continuance from 1st March 1972 of 2942 temporary posts only were received against 5207 temporary posts terms of which expired on 29th February 1972. In 43.50 per cent. cases, sanctions are still awaited.

3. So far as conversion of temporary posts into permanent ones is concerned, the position is not happy. 4540 teporary posts are in existence for over three years as on 1st March, 1972 out of which only 318 posts have been converted into permanent ones till todate.

4. On previous occasions it was brought to the notice of the Government that delay in issuing sanctions in this regard results into consequential delay in issuing pay slip for pay & allowances to gazetted officers from my office. You will appreciate that unless the Government in the various departments takes suitable action for prompt issue of sanctions to the continuance of temporary posts, Gazetted Officers will be put to financial hardship due to non-receipt of their pay and allowances in time.

5. I shall be grateful if the position is reviewed and steps are taken for prompt issue of sanctions or orders of conversions, as the case may be.

Yours sincerely,
D.H.Veeraiah.

Shri P.K.J.Menon.
Chief Secretary to the Government of Bihar,
Patna-15.

PROFORMA I

Progress in receipt of continuance sanction to tamporary posts.

	Out of the	Pay+10	Post in column (I)		
Total No. of teporary posts for which sanction expired on the last day of February of the year under report. (i.e.on 29.2.1972).	No. of posts for which continuance sanctions were awaited as on the 1st March of the year (i.e.on 1.3.1972)	Percentage of Col. 2(a) to Col. 1.	No. of pests for whicih continuance sanctions were awaited as on the 1st June of the Year (i.e. on 1.3.72).	Percentage of colomn 2(c) to Column 1.	Remarks.
1	2(a)	2(b)	2(c)	2(d)	3.
5207	4806	92.30	2265	43.00	

PROFORMA II

Progress in the conversion of temporary posts into permanent ones.

Total No. of temporary posts which were in existence for over 3 years as on the 1st March of the year Prev. to the year under report. (i.e. on 1.3.71)	No. of posts included in Col. 1 which are attached to temporory Deptt. or which have been created for execution of temporary scheme or projects.	No. of posts which could be converted into permanent ones (Col.1-Col.2)	Out of the posts in Column3 — No. of posts which were converted into permanent posts by 1st March of the year. (i.e.on 1-3-1972)	No. of posts which were converted into permanent posts by the 1st June of the years. (i.e. on 1-6-1972)	Remarks
1	2	3	4	5	6
4540	1630	2360	193	125	

A. K. Ray,
Accounts Officer, Bihar.

पत्रांक सी०एस० 2।एम० 2-1022।83—1661

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक
श्री वि० वि० नाथन
प्रधान सचिव।

सेवा में,
सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 23 मई 1983

विषय :—अनिवार्य प्रतिक्षा में राजपत्रित पदाधिकारियों का पदस्थापन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि विभिन्न विभागों में अनेक राजपत्रित पदाधिकारी महीनों से सचिवालय में निरर्थक पदस्थापन के प्रतिक्षा में हैं। कुछ ऐसे भी दृष्टांत आये हैं जहां पदस्थापित पदाधिकारियों को उनके पूर्वाधिकारियों ने प्रभार नहीं दिया है क्योंकि उनके द्वारा दिये गये स्थानान्तरण के विरुद्ध अभ्यावेदन का निष्पादन नहीं हुआ अथवा उनके नियंत्रण पदाधिकारियों ने उन्हें प्रभार देने से रोक दिया है।

2. सरकार चाहती है कि ऐसे सभी पदाधिकारियों की सूची प्रस्तुत की जाय जिसमें अनिवार्य प्रतिक्षा का कारण स्पष्ट किया जाय। साथ ही ऐसे सभी पदाधिकारियों को पदस्थापन पत्र प्राप्ति के एक महीने के अन्दर अवश्य कर दी जाय एवं की गई कार्रवाई की सूचना 24 जून 1983 तक अधोहस्ताक्षरी को मुख्यमंत्री के समीक्षा हेतु अवश्य भेजा जाय।

विश्वासभाजन,
वि० वि० नाथन,
प्रधान सचिव।

पत्र सं० 2694

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 12 अगस्त 1996

विषय :—सरकारी सेवकों द्वारा पैरवी पर रोक।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र सं० 2801, दिनांक 2 अगस्त 1980 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि सरकारी सेवकगण अपनी सेवा संबंधी मामलों में पैरवी का सहारा न लें और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे दण्ड के भागी होंगे। परन्तु उपर्युक्त निदेश के बाद भी यह पाया गया है कि सरकारी सेवक अपनी सेवा के मामलों में विभिन्न स्रोतों से पैरवी का सहारा लेते हैं जो सरकारी निदेश के विपरीत है।

अतः उपर्युक्त निदेश के आलोक में सरकार ने भलीभांति विचार कर निम्नांकित निर्णय लिये हैं :—

(क) कोई भी पदाधिकारी।कर्मचारी अपने हित के लिये सीधे या परोक्ष रूप से राजनीतिक पैरवी नहीं करायेगा। यदि ऐसा पाया गया तो सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(ख) संबंधित पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई करें जिससे राजनीतिक पैरवी की गुंजाइश नहीं रहे।

(ग) माननीय सांसदों एवं विधायकों के लिये एक निश्चित समय निर्धारित किया जा सकता है जिसके बीच में वे पदाधिकारियों से मिलें और यदि हो सके तो अपने मिलने का प्रयोजन पहले से ही सूचित कर दें।

2. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन,
अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० 2694

पटना-15, दिनांक 12 अगस्त 1996

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलायुक्त।सभी जिला पदाधिकारी।सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० 2694

पटना-15, दिनांक 12 अगस्त 1996

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र सं० सी०एस०1/एम० 1—1016।95—2695

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 12 अगस्त 1996

विषय—विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से विभिन्न विभागों द्वारा इस प्रकार के आदेश निर्गत कराये गये हैं कि उनके विभाग के पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाय।

2. जिला पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कार्यों को सम्पादित कराने के लिये पदाधिकारियों की आवश्यकता महसूस की जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत परिपत्रों के आलोक में जिला पदाधिकारियों को अन्य विभागों के पदाधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाइयां आती हैं।

3. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में यह विषय सरकार के विचाराधीन था। सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि मुख्य सचिव अथवा विभाग के किसी पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत वैसे सभी परिपत्र, संकल्प, आदेश आदि तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जायें जिनमें विभागीय पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाने की मनाही की गयी है।

यदि किसी विभाग द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को उनके विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लगाये जाने के संबंध में निदेश देने की आवश्यकता महसूस की जाय तो विधि व्यवस्था से संबंधित छूट के मामलों में गृह विभाग तथा अन्य मामलों में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश निर्गत किये जायेंगे। अन्य विभागों द्वारा निर्गत आदेशों की मान्यता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,
अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1/एम० 1-1016।95—2695

पटना-15, दिनांक 12 अगस्त 1996

प्रतिलिपि—सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।एम० 1-1016।95—2695

पटना-15, दिनांक 12 अगस्त 1996

प्रतिलिपि—सदस्य, राजस्व पर्षद /अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो /योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र सं० 3।सी०एस० 4002।96—3229

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 30 सितम्बर 1996

विषय :—सरकार के विभिन्न विभागों में विगत तीन वर्षों में सेवा निवृत्त पदाधिकारी।कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेवा निवृत्त पदाधिकारी।कर्मचारी को सेवा निवृत्ति लाभ यथा पेंशन। उपादान/ग्रूप बीमा तथा लीभ इनकैशमेन्ट आदि की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु मुख्य सचिव द्वारा विभागीय सचिवों की बैठक में तथा समय-समय पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों में निदेश दिये हैं। विगत तीन वर्षों में सेवानिवृत्त पदाधिकारी।कर्मचारी के सेवा निवृत्त लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग में विगत तीन वर्षों में सेवा निवृत्त पदाधिकारी।कर्मचारी के सेवा निवृत्त लाभ के बारे में शीघ्र समीक्षा करें एवं प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में वर्षवार तैयार कर दिनांक 15 अक्टूबर 1996 तक निश्चित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्य विभाग को उपलब्ध करावें।

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

प्रपत्र

विगत तीन वर्षों में सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी को सेवा निवृत्ति लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान की विवरणी

क्रम सं०	विभाग का नाम	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	3	4

पेंशन तथा उपादान				ग्रुप बीमा योजना	
औपबंधिक		अंतिम रूप से निर्धारित			
स्वीकृति	भुगतान	स्वीकृति	भुगतान	स्वीकृति	भुगतान
5	6	7	8	9	10

लीभ इन्कैशमेंट		सामान्य भविष्य निधि		कालम 5 से 14 तक में लम्बित रहने के कारण का उल्लेख करें।	अभ्युक्ति
स्वीकृति	भुगतान	स्वीकृति	भुगतान		
11	12	13	14	15	16

पत्र सं० मं०मं० 2।वि० 3-901।97—87

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री डी० पी० महेश्वरी,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 10 जनवरी 1997 ई०।

विषय:—सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदाधिकारियों।कर्मचारियों की प्रतिदिन उपस्थिति प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 37, दिनांक 7 जनवरी 1997 द्वारा प्रतिदिन पदाधिकारियों।कर्मचारियों की उपस्थिति प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया था। किन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका कड़ाई से पालन नहीं करायी जा रही है। कुछएक विभागों द्वारा ही समय पर प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। अधिकांश विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, फलस्वरूप वस्तुस्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराने में काफी दिक्कत हो रही है।

2. पुनः अनुरोध है कि निम्नलिखित अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय:—

(क) विभागीय सचिव अपने विभाग के अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों।कर्मचारियों का 11.00 बजे (पूर्वाह्न) तक की उपस्थिति प्रतिवेदन समेकित रूप से बनवाकर 11.30 बजे पूर्वाह्न में निश्चित रूप से विशेष दूत द्वारा उप-सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

(ख) पदाधिकारियों।कर्मचारियों को कुल संख्या के आधार पर ही प्रतिवेदन के अन्य कालम को भरा जाय। प्रायः देखा जा रहा है कि कुल संख्या एवं अन्य कॉलम की कुल संख्या में ताल-मेल नहीं रहता है।

3. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाय।

विश्वासभाजन,
डी० पी० महेश्वरी,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

पत्र संख्या सी०एस० 1।एम० 1-1016'95—627

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री वी० पी० वर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 14 मार्च 1997

विषयः—विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्र संख्या 2695, दिनांक 12 अगस्त 1996 द्वारा जिला पदाधिकारियों को विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने का निदेश दिया गया है।

2. विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को अपने विभाग के कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों पर लगा देने से उनके विभाग का कार्य नहीं हो पाता है। इस पर सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि:—

(क) मुख्य सचिव अथवा विभाग के किसी पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत वैसे सभी परिपत्र, संकल्प, आदेश आदि तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जायें जिनमें विभागीय पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाने की मनाही की गयी है।

(ख) जिला पदाधिकारी अपने विवेक से अपरिहार्य स्थिति में ही यथा बाढ़, सुखाड़, विधि व्यवस्था आदि अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों का रोस्टर बनाकर सेवा लेंगे ताकि संबंधित विभाग के कार्य भी सुचारु रूप से होते रहें।

(ग) यदि किसी विभाग का कोई खास अभियान चलता हो तो उस विभाग के पदाधिकारियों की सेवा भरसक नहीं ली जाय।

3. यदि किसी विभाग द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को उनके विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों से छूट दिलवानी हो तो विधि व्यवस्था के कार्यों से छूट दिलवाने के मामलो में गृह विभाग तथा अन्य मामलों में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश निर्गत किये जायेंगे। अन्य विभागों द्वारा निर्गत आदेशों की मान्यता नहीं होगी।

4. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू समझी जाय।

विश्वासभाजन,
बी० पी० वर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।एम० 1-1016'95—627, पटना-15, दिनांक 14 मार्च 1997

प्रतिलिपि—सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

डी० पी० महेश्वरी,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।एम० 1–1016।95—627, पटना-15, दिनांक 14 मार्च 1997

प्रतिलिपि—सदस्य, राजस्व पर्षद।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो।आयुक्त एवं सचिव, विकास, बिहार, पटना।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

डी० पी० महेश्वरी,
आयुक्त एवं सचिव।

पत्र सख्या सी०एस० 1।एम० 1-109।2000-मं०स०—1531

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 24 मई 2000 ई०

विषय :—सरकारी पदाधिकारियों।कर्मचारियों द्वारा अपने पदस्थापन के स्थान पर रहकर कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत आवश्यक सूचना संख्या 684।वो०मु०स०, दिनांक 15 मई 2000 का सदर्भ किया जाय। जिसका प्रकाशन विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में किया गया है (प्रति संलग्न)। उक्त सूचना के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि सरकार के समक्ष यह दृष्टांत आये हैं कि पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने पदस्थापन के स्थान पर नहीं रहकर अन्यत्र रहते हैं, जो दुखद है।

2. अतः सरकार द्वारा विचारोपरान्त यह निदेश दिया जाता है कि ऐसे सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने पदस्थापन के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से आवासित एवं कार्यरत हो जायें तथा अपने आवास का पूरा पता अपने नियंत्री पदाधिकारी को अविलम्ब दें। साथ ही सभी नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियो के आवासों का पूरा पता दिनांक 3 जून 2000 तक संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कर देंगे। तत्पश्चात संबंधित जिलाधिकारी नियंत्री पदाधिकारियों के साथ और आवश्यकतानुसार टीम बनाकर 15 दिनों के अन्दर सभी मामलों की जांच कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग एवं संबंधित प्रशासी विभागों को दिनांक 24 जून 2000 तक यह प्रतिवेदन देंगे कि उनके जिला में कौन-कौन पदाधिकारी अपने पदस्थापन के स्थान पर आवासित एवं कार्यरत नहीं हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने हेतु तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाय।

3. कृपया पत्र के अनुदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों।कर्मचारियों को शीघ्र विनिर्दिष्ट करा दिया जाय तथा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,
गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं० 1531

पटना, दिनांक 24 मई 2000 ई०

प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, सदस्य, राजस्व पर्षद, विकास आयुक्त तथा मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

खंड-4

पत्र संख्या 3/सी०एस०-103/92—3857

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री सी० आर० वेंकटरमण,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

पटना-15, दिनांक 6 नवम्बर 1992 ई०

विषय—पटना हाईकोर्ट में पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार सादर अनुरोध है कि निम्नांकित सूचना दूत द्वारा मुझे दिनांक 12 नवम्बर 1992 तक भेजने की कृपा करें :—

(1) पटना हाईकोर्ट में आपके विभाग से संबंधित कोई पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन दायर किया गया है ?

(2) यदि हां, तो पिटिशन का संक्षिप्त सारांश क्या है ?

(3) क्या इस संबंध में महाधिवक्ता से आपने सीधे सम्पर्क स्थापित किया है ? क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिउत्तर या काउन्टर एफिडेविट दिया गया है ?

(4) यदि हां, तो केस की अगली तिथि कब है ?

(5) ऐसे कितने पिटिशन फाईल हुए हैं जिसपर अभी भी महाधिवक्ता से सम्पर्क करना अथवा काउन्टर एफिडेविट फाईल करना लम्बित है ?

2. चूंकि पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन सरकार के मर्यादा से सीधे सम्पर्क रखता है और इस पर त्वरित कार्रवाई अनिवार्य है, अतएव विषय की समीक्षा के लिये दिनांक 16 नवम्बर 1992 को 5.00 बजे संध्या में मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होगी जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थित है।

विश्वासभाजन,
सी० आर० वेंकटरमण,
आयुक्त एव सचिव।

पत्र संख्या 284
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी सचिव।

पटना-15, दिनांक 1 फरवरी 1993 ई०।

विषय :—न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टान्त आ रहे हैं जिनमें न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में वांछित तत्परता विभागों द्वारा नहीं बरती जा रही है। फलस्वरूप न्यायालय में कन्टेम्प्ट केस की संख्या बढ़ रही है। कन्टेम्प्ट केस दायर हो जाने के बाद विभाग में कुछ जागरुकता अवश्य आती है और आनन फानन में काउन्टर एफीडेविट फाईल करने में वित्त विभाग।मंत्री।मुख्यमंत्री के आदेश की अपेक्षा की जाती है। कभी-कभी काउन्टर एफीडेविट में विभाग द्वारा यह कहा जाता है कि संचिका वित्त विभाग।मंत्री।मुख्यमंत्री के यहां लम्बित है। निश्चय ही यह स्थिति सरकार के लिये अशोभनीय बन गयी है।

2. सरकार इस संबंध में स्पष्ट करना चाहती है कि कार्यपालिका नियमावली के नियम 56 के अनुसार विभागीय सचिवों का स्पष्ट दायित्व है कि लम्बित मामलों को त्वरित गति से निष्पादन करा दें। कहना नहीं होगा कि सरकार के काम-काज का निष्पादन एक सामूहिक जिम्मेवारी है। न्यायालय के सामने यह दलील देना उचित नहीं है कि मामला लम्बित रहने का कारण कोई अन्य विभाग या व्यक्ति है। अतएव जब कभी किसी मामले में न्यायालय का आदेश का कार्यान्वयन सन्निहित हो तो विभागीय सचिव का स्पष्ट दायित्व होगा कि वे मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव से स्वयं सम्पर्क कर प्रासंगिक मामला का निष्पादन बिना विलम्ब के करा दें ताकि न्यायालय के सामने यह नहीं कहा जा सके कि यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष लम्बित है। इसी प्रकार अगर किसी मंत्री या वित्त विभाग में मामला लम्बित हो तो विभागीय सचिवों का दायित्व होगा कि वे स्वयं मंत्री अथवा वित्त आयुक्त से सम्पर्क कर मामला का निष्पादन करा दें।

3. न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित संचिका में एक अलग पताका भी लगा दिया जाय जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित रहे कि मामला कोर्ट केस से संबंधित है ताकि इसे हर स्तर पर प्राथमिकता दी जाय। साथ ही जब भी विभागीय सचिव या अन्य कोई विभागीय पदाधिकारी प्रासंगिक मामले के त्वरित निष्पादन के लिये किसी पदाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क करें अथवा फोन पर बातें करें तो सम्पर्क एवं विमर्श का विवरण संचिका में अवश्य अंकित कर दे ताकि बाद में चलकर आवश्यकतानुसार जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सके।

विश्वासभाजन,
सी० आर० वेंकटरामन,
आयुक्त एवं सचिव।

पत्र संख्या 285

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी सचिव।

पटना-15, दिनांक 1 फरवरी 1993 ई०

विषयः—पटना उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों के त्वरित निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) से ज्ञात होगा कि अभी भी कुछ विभागों द्वारा समय पर महाधिवक्ता को "इन्स्ट्रक्शन" नहीं भेजा जाता है जिससे संबंधित न्यायालय में महाधिवक्ता अथवा अन्य सरकारी अधिवक्ता द्वारा स्थिति स्पष्ट करना संभव नहीं हो पाता है फलस्वरूप न्यायालय द्वारा विभागीय सचिवों एवं अन्य पदाधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया जाता है। यह स्थिति सरकार की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं दिखती।

उपर्युक्त स्थिति में सरकार यह चाहती है कि जब विभाग के प्रतिनिधि रिट याचिका की प्रति महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त करते हैं उसके पांच दिनों के अन्दर विभाग की ओर से तथ्यों की विवरणी अवश्य ही महाधिवक्ता कार्यालय को प्राप्त करा दिया जाय। अगर विशेष परिस्थिति में तथ्यों की विवरणी भेजने में विलम्ब की संभावना हो तो विभाग के एक पदाधिकारी न्यायालय से समय लेने के लिये एक अनुरोध पत्र के साथ महाधिवक्ता से समय के लिये अवश्य सम्पर्क करें और न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत काउन्टर एफीडेविट अवश्य दायर कर दिया जाय ताकि विभागीय सचिवों अथवा अन्य पदाधिकारियों के व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय के आदेश से बचा जा सके।

विश्वासभाजन,
सी० आर० वेंकटरामन,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप सं० 285

पटना-15, दिनांक 1 फरवरी 1993 ई०

प्रतिलिपि—महाधिवक्ता, बिहार को मुख्य सचिव को संबोधित उसके पत्र संख्या 905, दिनांक 21 जनवरी 1992 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सी० आर० वेंकटरामन,
आयुक्त एवं सचिव।

सं० सी०एस० 1।ए० 1-1010।93—1070
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना-15 दिनांक 15, अप्रील 1993 ई०

विषय :—अवमानना के वादों को न्यायालयों में संचालन करने हेतु विभागीय सचिवों को केवल वैसे वादों के लिये अधिवक्ता चयन करने की शक्ति।

आए दिन न्यायादेशों का कार्यान्वयन विभिन्न प्रशासनिक कारणों से समय पर नहीं होने से न्यायालय का अवमानना Contempt of Court का प्रश्न हो जाता है। इन वादों में विभागीय सचिवों को भी रेसपोंडेंट (Respondent) बनाया जाता है एवं उन्हें स्वयं प्रतिशपथ-पत्र दायर तथा न्यायालय में उपस्थित भी होना पड़ता है।

2. अवमानना के वादों में विभागीय सचिवों को न्यायालयों में आवश्यकतानुसार निजी उपस्थिति एवं समय सीमा के अन्दर प्रतिशपथ-पत्र देना अनिवार्य है। ऐसा अनुभव रहा है कि विधि विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिवक्ता कन्टेम्प्ट केसों का संचालन उनके कार्यभार के कारण ठीक-ठीक नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप कभी कभी प्रशासन के लिये embarrassing and unpleasant परिस्थिति हो जाता है। अतः ऐसे सभी केसों में प्रत्येक विभाग से अपने विश्वस्त अधिवक्ता चयन engage करने की छूट की मांग प्रायः होती है। सावधानीपूर्वक सम्यक विचार के बाद सरकार केवल अवमानना केसों के लिये विभागीय सचिव को किसी अधिवक्ता को engage करने का अधिकार देती है।

2.1 चयन किये गये अधिवक्ता की वरीयता निर्धारण करने के लिये हाईकोर्ट द्वारा जो प्रतिवर्ष Senior advocates list प्रकाशित होता है, वही आधार एवं मापदंड होगा।

2.2 वैसे अधिवक्ताओं की फीस की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक केस में वित्त आयुक्त, विधि सचिव एवं संबंधित विभाग standing committee द्वारा स्वीकृत की जायगी। इस समिति का convenor प्रशासी विभाग होगा।

यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से परन्तु सिमित उद्देश्य अर्थात अवमानना से संबंधित केसों के लिये ही अगले आदेश तक प्रभावी होगा।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष तथा विभाग के सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचारित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं०सी०एस०1।ए०1-1010।93—1070
पटना-15, दिनांक 15 अप्रील, 1993

प्रतिलिपि—महाधिवक्ता, बिहार, पटना

विधि सचिव को मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक 796, दिनांक 22 मार्च, 1993 एवं 982, दिनांक, 2-4-1993 के क्रम में

योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार, पटना
आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना।
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना
कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना

सरकार के सभी सचिव, बिहार, पटना

डाईरेक्टर, स्टेट आरकाईव्स, पटना।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या 3।सी०एस०-101।93—2230

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी सचिव

श्री अजित कुमार, अपर सचिव,
लोक उद्यम ब्यूरो, पटना।

पटना-15 दिनांक 28 जून 1993ई०

विषय :—अवमानना के वादों में विभाग द्वारा किये गये वकीलों की नियुक्ति।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि दिनांक 2 जुलाई 1993 को 4 बजे अपराह्न में मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सभी सचिवों एवं लोक उद्यम निगमों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (चीफ एक्जक्यूटिव्स) की एक बैठक होगी जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थित है।

2. बैठक के लिये निम्नांकित सामग्री 30 जून 1993 तक प्रार्थित है :—

(1) निगम अथवा विभाग द्वारा रखे गये अधिवक्ता का नाम।
(2) निगम के अधिवक्ता की नियुक्ति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति है या नहीं ?
(3) अधिवक्ता किस तिथि से नियुक्त हैं ?
(4) क्या उन्हें कोई मासिक भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?
(5) उनका प्रतिदिन का फीस क्या है ?

3. मुख्य सचिव का निदेश इस पत्र के उल्टे पृष्ठ पर आपके मार्गदर्शन के लिये मुद्रित है।

4. समयाभाव के कारण अपर सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो से अनुरोध है कि वे ही कृपया अपने स्तर से सभी निगम के चीफ एक्जीक्यूटिव्स को बैठक में उपर्युक्त सूचना के साथ आने के लिये अनुरोध करेंगे।

विश्वासभाजन,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

Addl. Secretary Cabinet (Co-ordination)

I propose holding a meeting (on 2nd July, at 4 P.M.) of all the Secretaries and Chief Executives of the 48-49 Corporations (list of which may be obtained from B.P.E.) to consider, as desired by the Chief Minister, the question of the Lawyer retained by the Corporations/Authorities/Organisations under the departments and by the departments.

2. The Secretaries and the Chief Executives may be requested to send a statement (to be furnished to the Cabinet Secretariat by 30th June afternoon) indicating (i) the name's of the retained lawyers; (ii) whether or not, approval of the Board of Directors stands obtained in appointing the retained lawyers and (iii) the date since when they stand so appointed and (iv) the monthly allowance sanctioned for them and (v) the fee that they charge for appearance per day/per hearing, if different.

3. Please issue notice accordingly.

Arun Pathak,
26 June-1993.
Chief Secretary to Government.

पत्रांक 3।सी०एस०एम०-701।93—3451
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव।

पटना-15, दिनांक 22।23 सितम्बर 1993

विषय :—पटना हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में वादों के त्वरित निष्पादन।

महाशय,

बहुधा ऐसे दृष्टांत मुझे दीख पड़ रहे हैं जहां सरकारी वकील या एडवोकेट जेनरल को विभागीय केसों में समय पर "इन्स्ट्रक्शन" नहीं भेजा जाता है अथवा न्यायादेशों के आदेश के कार्यान्वयन में वांछित तत्परता के अभाव में सरकार को कन्टेम्प्ट केस का सामना करना पड़ता है। एकाधिक दृष्टांत में कन्टेम्प्ट केसेज के निष्पादन में ही कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जहां समय पर न तो सरकारी वकील या एडभोकेट जेनरल को कोई इन्स्ट्रक्शन दिया गया है अथवा न काउन्टर एफिडेविट फाईल किया गया है।

2. ज्ञातव्य है कि कार्यपालिका नियमावली के नियम 56 के अन्तर्गत प्रत्येक लम्बित विषयों के त्वरित निष्पादन के लिये विभागीय सचिव स्वयं उत्तरदायी हैं। लिखना अनावश्यक है कि राजकीय कार्य का निष्पादन एक सामूहिक जिम्मेवारी है।

3. वर्णित स्थिति में हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के केसों के संबंध में एक सम्यक सिंहावलोकन की आवश्यकता है। अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया निम्नांकित आंकड़ों का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय :—

(1) हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में कितने वाद किस वर्ष से लम्बित हैं?
(2) वाद का संक्षिप्त सारांश।
(3) वाद की अद्यतन स्थिति क्या है?
(4) केस की अगली तिथि क्या है?

हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट का प्रतिवेदन अलग-अलग दें।

4. उपर्युक्त आंकड़ों को एक टेबुलर स्टेटमेंट के रूप में विधि सचिव को दिनांक 2 अक्टूबर 1993 तक कृपया अवश्य भेज दिया जाय।

5. विधि सचिव आंकड़ों को संकलित कर अपने मंतव्य के साथ मुझे संचिका में दिनांक 6 अक्टूबर 1993 तक कृपया देंगे।

उसके बाद विषय की समीक्षा सचिवों की विशेष बैठक में की जायगी।

विश्वासभाजन,
ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 3।सी०एस०एम०-701।93—3451
पटना-15, दिनांक 22।23 सितम्बर 1993

प्रतिलिपि—सचिव, विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उनसे अनुरोध है कि वे याचित सूचनाएं सभी सचिवों से दिनांक 2 अक्टूबर 1993 तक प्राप्त कर लें और उसे संकलित कर अधोहस्ताक्षरी को अपने मंतव्य के साथ उपस्थापित करने की कृपा करेंगे।

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्रांक 3।सी०एस०-एम०-304।91—3666

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए0 के0 बसाक
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 5 अक्तूबर 1993

विषय—स्थापना संबंधी विषयों की नियमित समीक्षा।

महाशय,

कतिपय विभागों के स्थापना संबंधी केसों के अध्ययन एवं हाई कोर्ट में तथा सुप्रीम कोर्ट में लम्बित मामलों की संचिका की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार तथा सरकारी सेवकों से न्यायालयों के वादों में एकाधिक ऐसे केस हैं जिसमें नियमों के समय पर संज्ञान अथवा अनुपालन से निदिकेशन नहीं होता। वादों का मुख्य कारण इस प्रकार पाये गये:—

1. अधिकतर वाद वरीयता से संबंधित होता है।

इसके उपचार के लिये कृपया यह निश्चित करें कि प्रत्येक संवर्ग के लिये नियुक्ति के साथ-साथ प्रोन्नति की नीति निर्धारित है या नहीं? प्रत्येक संवर्ग की अंतिम वरीयता सूची है या नहीं? यदि नहीं, तो वरीयता सूची का पहले प्रारूप प्रकाशित किया जाय। फिर प्रकाशन से आपत्ति यदि प्राप्त हो तो उसकी सुनवाई कर अंतिम रूप से विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार वरीयता सूची प्रकाशित कर दी जाय।

2. यथार्थ पदस्थापन की जानकारी नहीं रहना।

उक्त संचिकाओं से यह भी पाया गया है कि सभी विभागों में यथार्थ पदस्थापन सूची (Actual distribution list) नहीं रहता है। कई एफिडेभिट में इसको स्वीकार करना पड़ा है कि यथार्थ पदस्थापन की सूची निर्मित नहीं है

अतएव अब से प्रत्येक विभाग में यथार्थ पदस्थापन में सूची प्रत्येक वर्ष में दो चार प्रत्येक विभाग द्वारा अवश्य प्रकाशित किया जायगा।

3. पदस्थापन में एकरूपता नहीं अपनाना।

यथार्थ पदस्थापन सूची से एक और विशेष लाभ यह होगा कि नियंत्रण पदाधिकारी को सुलभ जानकारी प्राप्त होगी कि कौन पदाधिकारी किस स्थान पर कब से पदस्थापित हैं। उसके आधार पर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन में एकरूपता एवं औचित्य निरूपित सहज में किया जा सकेगा। ज्ञातव्य है कि स्थानान्तरण एवं पदस्थापन संबंधी सरकारी नीति की रूपरेखा राज्य सरकार के संकल्प सं० 3918, दिनांक 25 अक्तूबर 1980 एवं संकल्प सं० 3445, दिनांक 17 सितम्बर 1981 (यथा कार्यपालिका नियमावली के नियम 21 से 32 द्वारा संशोधित) में निर्दिष्ट है जिसे कार्यपालिका नियमावली के पृष्ठ 190—196 में देखा जा सकता है।

4. सेवा संबंधी मांगों को लम्बित रखना।

अक्तूबर माह से आरम्भ कर सभी विभागीय सचिव।विभागाध्यक्ष हर दो महीने में एक बार यथा महीने के अंतिम शनिवार को गहन रूप से स्थापना संबंधी विषयों की समीक्षा करेंगे उक्त दिन (यदि अवकाश नहीं हो) समीक्षा के निम्न विषय होंगे :—

(1) दक्षता रोक (2) संपुष्टि (3) विभागीय कार्यवाही यदि कोई चल रहा हो तथा (4) लंबित प्रोन्नतियां एवं (5) पदस्थापन की प्रतीक्षा में पदाधिकारी की संख्या एवं कारण।

पदस्थापन की प्रतीक्षा में किसी पदाधिकारी को अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाय। विवशता होने पर वैसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्त विभाग के संकल्प सं० 1099, दिनांक 13 फरवरी 1985 एवं उसके अनुवर्त्ती संकल्पों के अनुसार अनिवार्य प्रतीक्षा की अवधि में वेतन आदि का भुगतान नियमित रूप से किया जाय।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का दृढ़ता से पालन किया जाय एवं यदि अनुपालन में कोई कठिनाई हो तो उसकी जानकारी भी दी जाय।

विश्वासभाजन,
ए० के० बसाक;
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 3।सी०एस०एम० 304।91—3666

पटना-15, दिनांक 5 अक्टूबर 1993

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्रांक 3।सी० एस०।एम-3043।93-3707

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सरकार के सभी सचिव—विशेष दूत द्वारा।
सभी प्रमंडलीय-आयुक्त।सभी जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता—निबंधित डाक से।

पटना-15, दिनांक 8 अक्तूबर, 1993।

विषय—हाई कोर्ट में काउन्टर एफिडेविट समय पर देन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में पटना हाई कोर्ट के C. W. J. C. No. 3945 of 1992 में पारित दिनांक 5 अक्तूबर, 1993 के न्यायादेश की फोटो प्राप्त इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं। न्यायादेश स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित है, जिसका अक्षरशः अनुपालन आपसे अपेक्षित है।

2. अवसर देने के उपरांत 16 महीने के पश्चात् भी counter affidavit न्यायालय में नहीं दिया जाना scandalous and culpable है।

3. कृपया न्यायादेश का गहन अध्ययन किया जाय। विशेषकर pages 3-4 paras (*i*) and (*ii*) पर ध्यान देना अत्यावश्यक है।

4. न्यायादेश की प्रति को अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष एवं अन्य सभी पदाधिकारियों को अवश्य दिया जाय।

5. न्यायादेश का संधारण, रिसिट एवं डिसपैच, हाई कोर्ट के न्यायादेश का pages 4-5 para (*iii*) के अनुसार आप अपने स्तर से कृपया करेंगे। ज्ञातव्य है कि इस आदेश का अवहेलना करने से आप भी contempt के भागी हो सकते हैं।

6. काउन्टर एफिडेविट दायर करने के संबंध में न्यायादेश का अक्षरशः पालन किया जाय अन्यथा न्यायालय एवं सरकार अवहेलना को गंभीरता से लेगी।

विश्वासभाजन,

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

(ज्ञापांक-3।सी० एस०।एम०-3043।93-3707)

पटना-15, दिनांक 8 अक्तूबर, 1993।

प्रतिलिपि—महाधिवक्ता, बिहार, पटना।सचिव, विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। इस प्रसंग में विधि सचिव का ध्यान पुनः अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 3451, दिनांक 23 सितम्बर, 1993 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र संख्या 3।सी० एस०एम०-701।93—2280

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सरकार के सभी सचिव ।

पटना-15, दिनांक 4 जुलाई 1994 ई० ।

विषय—पटना उच्च न्यायालय में वादों के त्वरित निष्पादन के संबंध में ।

महोदय

निदेशानुसार महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना के पत्र संख्या 8620, दिनांक 29 जून 1994 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे कहना है कि समय-समय पर इस संबंध में उपान्त में अंकित अनेक पत्रों में आवश्यक निदेश दिये गये हैं । खेद है कि इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

बहुधा ऐसे दृष्टान्त सामने आये हैं जिनमें महाधिवक्ता कार्यालय को विभागीय केसों के संबंध में समय पर विभाग की ओर से निदेश नहीं भेजे जाते हैं तथा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं किये जाते हैं । कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें समय लेने की आवश्यकता होती है । उन मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत समय के लिये याचना पत्र नहीं भेजे जाते हैं जिससे सरकारी पक्ष के वकीलों को मामले की सुनवाई के समय रोष का सामना करना पड़ता है । यहां पर यह कहना अनुचित या अप्रासंगिक नहीं होगा कि न्यायादेशों के आदेश के कार्यान्वयन में वांछित तत्परता के अभाव में सरकार को अनेक मामलों में कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ता है ।

अतः यह आवश्यक है कि न्यायालय में लम्बित मामलों के संबंध में विभागीय आयुक्त एवं सचिव।सचिव अपने स्तर पर लम्बित मामलों की माहवार समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिये अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेरित करें ।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

No-8620

Office of the Advocate General, Bihar
High Court, Patna.

From

Shri Rameshwar prasad,
Advocate General.

To

Patna, dated the 29th June, 1994.

1. The Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna

2. The principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna.

In one case I was called by a Bench, presided over by Hon'ble Mr. Justice B.N.Agrawal and they expressed anguish over non-disposal of the mattar by the outhority/outhorities concerned within the time allowed by High Court.

The Hon'ble Court also expressed their anguish that the departmental Heads are not taking seriously the direction issued by the Hon'ble Court iner eith disposing the representation or complying the order within the time fixed by the Hon'ble High Court. In that situation several contempt petitions are filed from time to time by the petitioner of the original case for non-compliance of the order of the High Court.

The Hon'ble Court has also asked me to communicate to the Chief Secretary as well as all the Secretaries & Commissioner to acquaint the feeling of the Court as has been observed above.

It has also been observed orally that in case of asking for time a cost of Rs. 5,000 will be imposed and Hon'ble Court will take serious view in case of non-compliance of the order of the High Court within the time fixed by the Court.

It is desirable that order passed by the Hon'ble High Court should be personally looked into by the Secretery & Commissioner as the case may be and they should always will be particular in disposal of the matter within the time and to file an affidavit accordingly bofore the Court. For this purpose it is suggested that officer concerned should make a note of it personally and should repedite the matter and get the order complied. In case of non-compliance of the order or direction it becomes very difficult to defend the officer concerned. In case where further time is required, they should file a petition before the hon'ble Court for expension of the time prier to expiry of the time granted by the Hon'ble High Court.

In this circumstances it is requested to get this letter circulated alongwith your own direction to all the Secretaries'Commissoners and Head of the deptts. for timely compliance of the order. of the Hon'ble High Court. Suitable arrangements and directons may also be made to arrange and receive the copy of the brief of the writ petition from the A.G. Office and to take steps for filing counter affidavit witnin a week and in case it is not possible to send statements of facts and swear countor ffidavit, proper instructions should be given to the Low Officer to take steps in the Courts.

RAMESHWAR PRASAD,
ADVOCATE GENERAL.

पत्र संख्या 3।सी०एस०एम० 701।93—2329

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक,

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एव सचिव

सरकार के सभी सचिव।

पटना-15, दिनांक 7 जुलाई 1994 ई०

विषय :—न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के निष्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्र संख्या 284, दिनांक 1 फरवरी 1993 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार के सामने ऐसे दृष्टान्त आ रहे हैं जिनमें न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में वांछित तत्परता विभागों द्वारा नहीं बरती जा रही है, फलस्वरूप कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसों की संख्या क्रमशः बढ़ रही है। कन्टेम्प्ट केस हो जाने के बाद विभाग में जागरुकता अवश्य आती है और आनन-फानन में काउन्टर आफीडेविट फाईल करने में वित्त विभाग।मंत्री।मुख्य मंत्री के आदेश की अपेक्षा की जाती है। कभी-कभी काउन्टर आफीडेविट में विभागों द्वारा यह कहा जाता है कि संचिका वित्त विभाग।मंत्री।मुख्य मंत्री के समक्ष लम्बित है। फलस्वरूप ऐसी स्थिति सरकार के लिये अशोभनीय बन जाती है।

विभागीय सचिव को कार्यपालिका नियमावली के नियम 56 के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना है। यह विभागीय सचिवों का दायित्व है कि लम्बित सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करा दें। कहना नहीं होगा कि सरकारी कामकाज का निष्पादन एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अतः न्यायालय में यह दलील देना कि मामला लम्बित रहने का कारण कोई अन्य विभाग या व्यक्ति है, उचित नहीं है।

अतः जब कभी ऐसी स्थिति हो तो जिस स्तर पर मामला लम्बित है, उस स्तर पर, अगर मामला मुख्य मंत्री। मंत्री।किसी विभाग में लम्बित हो तो विभागीय सचिव, मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।मंत्री के आप्त सचिव या विलम्बी विभाग के शीर्ष पदाधिकारियों से मिलकर मामले का निष्पादन शीघ्र करा दें।

न्यायालय से संबंधित मामलों में संबंधित संचिका में "न्यायालय का मामला" पताका लगा देना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर विषय की गंभीरता स्पष्ट हो सके और जब कभी कोई वरिष्ठ पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को निदेश दे व सम्पर्क करे तो अपनी टिप्पणी में सारी बातों का उल्लेख करे ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सके।

कृपया इसका पालन तत्परता से किया जाय और इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन,
अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र संख्या 284

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी सचिव।

पटना-15, दिनांक 1 फरवरी 1993 ई०

विषय :—न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टान्त आ रहे हैं जिनमें न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में वांछित तत्परता विभागों द्वारा नहीं बरती जा रही है। फलस्वरूप न्यायालय में कन्टेम्प्ट केस की संख्या बढ़ रही है। कन्टेम्प्ट केस दायर हो जाने के बाद विभाग में कुछ जागरुकता अवश्य आती है और आनन-फानन में काउन्टर ऐफीडेविट फाईल करने में वित्त विभाग।मंत्री।मुख्य मंत्री के आदेश की अपेक्षा की जाती है। कभी-कभी काउन्टर ऐफीडेविट में विभाग द्वारा यह कहा जाता है कि संचिका वित्त विभाग।मंत्री।मुख्य मंत्री के यहां लम्बित है। निश्चय ही यह स्थिति सरकार के लिये अशोभनीय बन गयी है।

2. सरकार इस संबंध में स्पष्ट करना चाहती है कि कार्यपालिका नियमावली के नियम 56 के अनुसार विभागीय सचिवों का स्पष्ट दायित्व है कि लम्बित मामलों को त्वरित गति से निष्पादन करा दें। कहना नहीं होगा कि सरकार के काम-काज का निष्पादन एक सामूहिक जिम्मेवारी है। न्यायालय के सामने यह दलील देना उचित नहीं है कि मामला लम्बित रहने का कारण कोई अन्य विभाग या व्यक्ति है। अतएव जब कभी किसी मामले में न्यायालय का आदेश का कार्यान्वयन सन्निहित हो तो विभागीय सचिव का स्पष्ट दायित्व होगा कि वे मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव से स्वयं सम्पर्क कर प्रासंगिक मामला का निष्पादन बिना विलम्ब के करा दें, ताकि न्यायालय के सामने यह नहीं कहा जा सके कि यह मामला मुख्य मंत्री के समक्ष लम्बित है। इसी प्रकार अगर किसी मंत्री या वित्त विभाग में मामला लम्बित हो तो विभागीय सचिवों का दायित्व होगा कि वे स्वयं मंत्री अथवा वित्त आयुक्त से सम्पर्क कर मामला का निष्पादन करा दें।

3. न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित संचिका में एक अलग पताका भी लगा दिया जाय जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित रहे कि मामला कोर्ट केस से संबंधित है ताकि इसे हर स्तर पर प्राथमिकता दी जाय। साथ ही जब भी विभागीय सचिव या अन्य कोई विभागीय पदाधिकारी प्रासंगिक मामले के त्वरित निष्पादन के लिये किसी पदाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क करे अथवा फोन पर बातें करे तो सम्पर्क एवं विमर्श का विवरण संचिका में अवश्य अंकित कर दें ताकि बाद में चलकर आवश्यकतानुसार जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सके।

विश्वासभाजन,
सी० आर० वेंकटरामन,
आयुक्त एवं सचिव।

पत्र संख्या 3।सी०एस०।एम०-701।93—3246
बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय।

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 11 जुलाई 1994 ई०

विषय :—माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वादों के त्वरित निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टान्त आ रहे हैं जिनमें न्यायालय के आदेशों एवं निदेशों के कार्यान्वयन में वांछित तत्परता आपके द्वारा नहीं बरती जा रही है। फलस्वरूप न्यायालयों में अवमानना वादों की संख्या बढ़ रही है। माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वादों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि सभी जिला पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा उन मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु विशेष जागरुकता लाने की आवश्यकता है।

2. माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वादों के त्वरित निष्पादन हेतु एक सुदृढ़ व्यवस्था कायम करने की दृष्टि से निम्न निदेश दिये जाते हैं :—

(क) सभी जिला पदाधिकारी उच्च न्यायालय में अवमानना वादों के लिये एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रुप में नियुक्त करें, जिसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त को दें दें।

(ख) जिला पदाधिकारी के साथ-साथ नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे अवमानना वादों पर समुचित पर्यवेक्षण रखें तथा महाधिवक्ता के कार्यालय से समय-समय पर सम्पर्क स्थापित कर मामले की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

(ग) सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर सभी अवमानना वादों की पूर्ण समीक्षा कर अद्यतन स्थिति से प्रमंडलीय आयुक्त तथा संबंधित विभागों को अवगत करावें तथा यह सुनिश्चित करें कि माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों।आदेशों का नियमानुसार निष्पादन ससमय हो जाय।

(घ) सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अवमानना वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश।निदेश का अनुपालन सामान्यतः दो माह के अन्दर किया जाय। यदि ऐसा करना संभव न हो तो केवल अपवाद स्वरूप मामलों में माननीय उच्च न्यायालय को अद्यतन स्थिति एवं पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी समय सीमा में अवधि विस्तार की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

(ङ) सभी प्रमंडलीय आयुक्त जिला पदाधिकारियों की मासिक बैठक में प्रत्येक जिले में अवमानना वादों की स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा उन वादों के निष्पादन के लिये आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

4. कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 3।सी०एस०।एम०-701।93—3246
पटना-15, दिनांक 11 जुलाई 1994

प्रतिलिपि सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र संख्या 3।सी०एस०।एम०-701।93—4090

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय।

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सचिव

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 25 अगस्त 1994 ई०।

विषय—माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वादों के त्वरित निष्पादन हेतु विभागीय सचिवों को विशेष अनुदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 2328, दिनांक 7 जुलाई 1994 एवं स्मार पत्रांक 3440, दिनांक 23 जुलाई 1994 का कृपया अवलोकन करें जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वादों के लिये एक नोडेल पदाधिकारी नियुक्त करने, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन दो माह में करने तथा अपवादस्वरूप मामलों में दो माह की अवधि में निष्पादन नहीं हो सकने पर माननीय उच्च न्यायालय से समय की याचना करने आदि का निदेश दिया गया था। महाधिवक्ता द्वारा अपने पत्रांक 10963, दिनांक 18 अगस्त 1994 द्वारा उल्लेख किया गया है कि उन्हें संबंधित विभागों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है तथा 8 सितम्बर 1994 तक अवमानना वादों में समुचित अनुपालन नहीं हो सकने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय कड़ा दंड दे सकती है तथा वैसी स्थिति में महाधिवक्ता के लिये संबंधित पदाधिकारियों का बचाव करना संभव नहीं होगा।

2. महाधिवक्ता द्वारा अपने पत्र में जो बिन्दु उठाये गये हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभागों के स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में अपेक्षित तत्परता नहीं बरती जा रही है। आप सभी को पुनः निदेश दिया जाता है कि दिनांक 8 सितम्बर 1994 तक अवमानना संबंधी सभी मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाय और यदि अपवादस्वरूप किसी मामले में ऐसा करने में कठिनाई हो तो पूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय से समय की याचना की जाय।

3. आपके विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,
अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

10963

Patna, dated, the 18th August, 1994

Office of the Advocate General, Bihar, High Court, Patna.

From

Shri Rameshwar Prasad,
Advocate General.

To

1. The Chief Secretary

2. The Principal Secretary to the C.M.

3. All the Secretaries & Commissioners

4. All the Departmental Heads.

You are aware that on 8th July, the Bench presided over by Hon'ble Mr.Justice B.N.Agarwal has allowed 2(two) months time to complete the compliance of several orders passed from time to time and in respect of which contept petitions have already been filed between the year 1991 to 1994. I have also written a letter to several Departmental Heads and the Chief Secretary was also kind enough to circulate my letter to all the Departmental Heads. But it is unfortunate that the Departmental Heads do not appear to take notice of the aforesaid concessions granted by the Hon'ble High Court. It may be stated that the Hon'ble Court has also granted latitude that in case within be said time the compliance could not be made they should apply for extension of time by giving reasons for the same.

It may be noted that in case compliance is not made by the 8th September the Court will be very hard and the Court may award serious punishment to the concerned Head of the Department and other contemners.

I have awared previously also but no care is being taken up-till-now. This office is not getting cooperation from the concerned Departmental Heads in this regard. I further request you in advanae to be vigilant and try to comply with the orders or if there is any ex cuse or any objection you must come and consult with the concerned Law Officer wthout further delay. It is not necessary to repeat that this office will not be in a position to defend properly in case compliance is not made within the aforesaid time and the concerned officer may have to suffer punishment for the same.

Rameshwar Prasad
Advocate General.

पत्र संख्या 3/सी०एस०/एम०-705/94—4235

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री एस० एस० वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव

पटना-15, दिनांक 31 अगस्त 1994 ई०।

विषय—माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० अथवा अपील दायर करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टान्त सामने आ रहे हैं जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एस० एल० पी० या अपील निर्धारित समय सीमा के अन्दर दायर नहीं की जाती है। श्री बी० बी० सिंह, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा यह सूचना दी गयी है कि राज्य सरकार में 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय में समय पर एस०एल०पी० या अपील दायर नहीं किये जाने से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उन मामलों में एस०एल०पी०/अपील ऐडमीट नहीं की जाती है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित जिन आदेशों के विरुद्ध एस०एल०पी० अथवा अपील दायर करना हो उनमें समय सीमा के अन्दर एस० एल० पी०/अपील दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को भी अवगत कराया जाय।

3. कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,
एस० एस० वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या 3।सी०एस०।एम०-701।93—4340

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री राहुल सरीन,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सचिव

अवमानना वादों से संबंधित सभी नोडेल पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 9 सितम्बर 1994 ई०।

विषय :—माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अवमानना वादों के संबंध में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु श्री जगन्नाथ झा, सरकारी अधिवक्ता को सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 2328, दिनांक 7 जुलाई 1994, पत्रांक 3440, दिनांक 23 जुलाई 1994 एवं पत्रांक 4090, दिनांक 25 अगस्त 1994 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वादों के त्वरित निष्पादन हेतु विशेष अनुदेश दिये गये हैं। सभी विभागों को उक्त अनुदेशों के अनुसार अवमानना वादों में कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लंबित अवमानना वादों के संबंध में आज सुनवाई के क्रम में विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना मांगी गयी है तथा इस मामले की सुनवाई मंगलवार दिनांक 13 सितम्बर 1994 को निर्धारित की गयी है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि अवमानना वादों के संबंध में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु अद्यतन स्थिति की सूचनाएं श्री जगन्नाथ झा, सरकारी अधिवक्ता को दिनांक 12 सितम्बर 1994 के 1.30 बजे अपराह्न तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

4. कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
राहुल सरीन,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं० 3।सी०एस०।एम०-701।93—4340
पटना-15, दिनांक 9 सितम्बर 1994 ई०।

प्रतिलिपि—श्री जगन्नाथ झा, सरकारी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राहुल सरीन,
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या 3 सी॰एस॰ एम॰-701/93-5687

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।

प्रेषक

श्री ए॰ के॰ बसाक
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव

पटना-15, दिनांक 2 दिसम्बर, 1994 ई॰।

विषय—न्यायालय में विचाराधीन वादों के निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्र संख्या 284, दिनांक 1 फरवरी, 1993 एवं पत्रांक 2329, दिनांक 7 जुलाई, 1994 के क्रम में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार के उक्त निदेशों के बावजूद ऐसा पाया जा रहा है कुछ विभागों द्वारा न्यायालयों में यह कहा जाता है कि संचिका वित्त विभाग/मंत्री/मुख्य मंत्री के समक्ष लंबित है, जिससे सरकार के लिये अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

1. (1) विभागीय सचिवों को कार्यपालिका नियमावली के नियम-56 के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना है। यह विभागीय सचिवों का दायित्व है कि लंबित सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करा लें। सरकारी काम-काज का निष्पादन एक सामूहिक जिम्मेवारी है, अतः न्यायालय में यह दलील देना कि मामला लंबित रहने का कारण कोई अन्य विभाग या व्यक्ति है, उचित नहीं है।

2. उपर्युक्त संदर्भ में पुनः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि जब कभी ऐसी स्थिति हो तो जिस स्तर पर मामला लंबित हो, उस स्तर पर, अगर मामला मुख्य मंत्री/मंत्री/किसी विभाग में लंबित हो तो मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव या विलंबी विभाग के शीर्ष पदाधिकारियों से मिल कर अथवा विचार-विमर्श कर मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाय।

2. (1) न्यायालय से संबंधित मामलों में संबंधित संचिका में "न्यायालय का मामला" पताका लगा दी जाय, जिससे प्रत्येक स्तर पर विषय की गंभीरता स्पष्ट हो सके और जब कोई वरिष्ठ पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को निदेश दें या सम्पर्क करें तो अपनी टिप्पणी में सारी बातों का उल्लेख कर दें ताकि वाद में आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सके।

3. कृपया उपर्युक्त निदेशों का तत्परतापूर्वक पालन किया जाय।

विश्वासभाजन,
ए॰ के॰ बसाक
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 3/सी॰एस॰/एम॰-701/93-5687

पटना-15 दिनांक 2 दिसम्बर 1994।

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/सभी मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप-मंत्री के आप्त सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस॰ एस॰ वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

पत्र संख्या आसी० एस०एम०-701193-2379

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।

प्रेषक
श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में
सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष।
अवमानना वादों/वादों से संबंधित सभी नोडल पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 ई०।

विषय—माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित वाद।अवमानना वाद के त्वरित निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से उच्च न्यायालय में लम्बित वादों।अवमानना वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनेक निदेश निर्गत किये गये हैं तथा समय-समय पर मुख्य सचिव द्वारा बैठकों में विभागीय सचिवों का ध्यान इस बारे में आकृष्ट किया गया है, परन्तु इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की सूचना महाधिवक्ता द्वारा दी गयी है।

2. महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को संबोधित पीत पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि विभागों द्वारा उनके कार्यालय से याचिका की प्रति प्राप्त नहीं की जाती है, जिसके कारण निदेश के अभाव में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित कर दिये जाते हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि विभागों को अनेकों पत्र लिखे जाने तथा दूरभाष पर सूचना दिये जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। महाधिवक्ता द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गये पीत पत्र की प्रति संलग्न है।

3. अतः निदेशानुसार सूचित करना है कि सभी विभाग प्रतिदिन महाधिवक्ता कार्यालय में किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त करें, जो महाधिवक्ता कार्यालय से याचिकाओं तथा पत्रों की प्रति प्राप्त कर लें। साथ ही महाधिवक्ता को वादों के संबंध में ससमय सभी आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या-आसी० एस० एम०-701193-2379

पटना-15, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995।

प्रतिलिपि—महाधिवक्ता, बिहार, पटना को उनके पीत पत्र संख्या 18704, दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप सं० आसी० एस० एम० 701193-2379

पटना-15, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995।

प्रतिलिपि—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना।विकास आयुक्त, बिहार पटना एवं मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

Chief Secretary

I am to draw your attention towards the slackness on the part of the departments in taking copy of the writ petitions from the office of the undersigned with the result adverse orders are passed by the Hon'ble Court against the departments for want of instruction. To add to the misery is that even after sending letters after letters and telephonic calls, in most of the cases they don't bother even to reply to our letters or taking cognizance of the same.

Under the circumstances I am to request you to issue a circular directing all the departments to depute some one to visit the office of the undersigned everyday to collect a copy of the writ petition and letters of the concerned department. By doing so the office of the undersigned will get instructions from the departments in time. In this way the unnecessary financial loss, as well as humiliation afflicted with by the adverse orders of the Hon'ble Court may be avoided.

As such it is requested to direct all the departments accordingly so that instructions may be made available to the office of the undersigned within a reasonable time.

Rameshwar Prasad,

Advocate General.

पत्र सं० 3/सी० एस०।एम-701।93-746

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष।अवमानना वादों/वादों से संबंधित सभी नोडल पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 25 मार्च, 1996 ई०।

विषय—माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित वाद/अवमानना वाद पर आवश्यक कारवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उपान्त में उल्लिखित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में आपके विभागों से संबंधित वादों/अवमानना वादो के त्वरित निष्पादन हेतु समय-समय पर अनेक निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा मुख्य सचिव द्वारा बैठको में विभागीय सचिव का ध्यान इस बिन्दु पर आकृष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय में अपने विभाग से संबंधित वाद/अवमानना वाद पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर इसका निष्पादन किया जाय।

महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि अवमाननावाद (एम० जे० सी०) से संबंधित विषयों पर विभाग द्वारा यथोचित कारवाई नहीं की जा रही है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश एवं दण्ड का आदेश भी पारित करने की सम्भावना आ जाती है।

महाधिवक्ता द्वारा मुख्य सचिव को लिखे पत्र के साथ एम० जे० सी० 149।96 में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की भी प्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि एम० जे० सी० के मामले में स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर नियमित समीक्षा करें तथा इसके लिए पदाधिकारियो की भी जिम्मेवारी निश्चित करें।

विश्वासभाजन,

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 3।सी० एस०।एम-701।93-746

पटना-15, दिनांक 25 मार्च, 1996।

प्रतिलिपि—महाधिवक्ता, बिहार को उनके पत्रांक 2590, दिनांक 12 मार्च 1996 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

M.J.C. No. 149 of 1996

Shubhra Dey *Vs.* The State of Bihar & Ors.

29.2.96 We are of the view that this matter should be considered seriously, and it is high time that this Court takes a serious view of lapses on the part of the Government in complying with the order of this Court. we have generally taken a very liberal and generous attitude in contempt matters, but now we are faced with a situation where large number of contempt applications are filed seeking compliance of this Courts order, and it is only when an order is passed by this Court that the orders are complied with. It also appears that in some cases more than one contempt application has to be filed to get the order enforced. The result is that the High Court is flooded with contempt applications, and the magnitude of the work is such that it will take a Bench of this Court the whole year to deal with the pending matters under the contempt Jurisdication. The rate of which such applications are being filed is also mind boggling and, therefore, there appears to be no option to the Court but to punish persons who are found guilty of contemp rather than pardening them, as is usually done. It matters little how high the officer is, Because if he disobeys the law, he must face the same consequence as any other persons. In the instant case, we are not at all satisfied with the attitude of the Government Officers, who have shown scant respect for the orders of this Court. Since we feel *p ime facie* that a punishment must be imposed, the contember is found guilty, we are adjourning this matter to 18th March, 1996, so that we can here the parties at length and pass an appropriate order.

Let a copy of this order be given to the Advocate General.

B. P. Singh.

I. P. Singh.

No. 2590

Office of the Advocate General, Bihar,
High Court, Patna.

From

Shri Rameshwar Prasad,
Advocate General, Bihar.

To

The Chief Secretary,
Govt. of Bihar, Patna.

Patna, dated the 12th March 1996.

Sir,

I am sending herewith photo copy of the order which has been passed on the M.J.C. Petition. The order is quite clear that the Department is not at all serious to the compliance of the and out of annoyance of delay in compliance the said order has been passed.

The matter is very serious and it required that the order should be circulated to all the department so that they may comply with the order without delay. I have drawn your attention earlier that the Department is not at all prompt even in respect to the letters of the Law Officers which results in number of cases, order being passed exparte.

In number of cases inspite of order is being passed the order is not complied and results in contempt petition. Kindly take up this matter with other Department and see that the Department may give proper instruction at a proper time and the letter of Law Officers should not be kept in Cold Storage. You should also see that the Assistant or other clerks who are entrusted the matter, may deal promptly and action be taken against Assistants and Officers who do not deal with the Court matter promtly.

Rameshwar Prasad,

Advocate General,
Bihar.

पत्र संख्या-3।सी॰ एस॰।एम॰-701।93-943

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अ॰ कु॰ बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सचिव।सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15 दिनांक 6 अप्रील, 1996 ई॰।

विषय—सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्र सं॰-3।सी॰ एस॰। एम॰-304।91-3665, दिनांक 5 अक्टूबर, 1993 एवं 2467, दिनांक 29 दिसम्बर 1995 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके द्वारा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, उपादान तथा अनुमान्य अन्य सेवा निवृत्त लाभ ससमय उपलब्ध कराने का निदेश निर्गत किये गये हैं तथा मुख्य सचिव द्वारा बैठकों में विभागीय सचिव का ध्यान इस बिन्दु पर आकृष्ट किया गया है कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन।उपादान तथा अन्य अनुमान्य सेवा निवृत्त लाभ समय पर उपलब्ध कराया जायें।

2. महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि पेंशन, उपादान एवं अन्य सेवा निवृत्त लाभ से संबंधित विषयों पर विभाग।कार्यालय द्वारा अपेक्षित कारवाई ससमय नहीं की जा रही है। सी डब्लू॰-जे॰ सी॰ नं॰-4265।94 रुक्मिनी देवी बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति संलग्न है।

3. अनुरोध है कि सेवा निवृत्त अनुमान्य लाभ के बिन्दु पर स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर नियमित समीक्षा करें तथा सेवा निवृत्त अनुमान्य लाभ को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निश्चित रूप से भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

अ॰ कु॰ बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं॰-3।सी॰ एस॰।एम॰-701।93-943

पटना-15, दिनांक 6 अप्रील, 1996 ई॰।

प्रतिलिपि—महाधिवक्ता, बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या 3167, दिनांक 27 मार्च 1996 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं॰-3।सी॰ एस॰।एम॰-701।93-943

पटना-15, दिनांक 6 अप्रील, 1996 ई॰।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित सेवा निवृत्त अनुमान्य लाभ का भुगतान नहीं होने का आधार क्या है? कृपया इस विभाग को शीघ्र संसूचित करें।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

No. 2167

Office of the Advocate General, Bihar, Patna
Patna High Court, Patna.

Form

Sri Rameshwar Prasad,
Advocate General, Bihar.

To

The Chief Secretary,
Bihar, Patna.

Patna, dated the 27th March, 1996

Ref:- C.W.J.C. No.4265/94
Mostt. Rukmani Devi *Vs.* State and others.

A copy of the order dated 29th February 1996 Passed by Hon'ble Mr. Justice Radha Mohan Prasad in aforesaid case is being enclosed herewith for circulation as directed in paragraph 18 of the order for its strict compliance.

Rameshwar Prasad,
Advocate General.

In the High Court of Judicature at Patna
C.W.J.C.No.4265 of 1994

Mostt. Rukmani Devi *Vs.* The State of Bihar & others.

29.2.96. This writ petition has been filed by the widow of Barrister Ram, who died in herness on 14.6.1974 while posted at Vijaipur Block in the district of Goralganj, seeking a direction to the respondents to pay the family pension month to month along with other dues, for which she is entitled after the sad demise of her husband besides other legal dues, for which her husband was entitled and not paid.

2. The petitioner being "Mehtar" by caste is member of the scheduled caste. It is stated that here husband was put under suspension sometime in the year 1970-71 when he was working as a Circle Inspector under the State Service. A departmental proceeding was initiated against him, after conclusions of which his suspension was revoked, but she was demoted to the post of a karamchari. Thereafter he joined as Karamchari at Vijaipur block when after serving about a year, he died in herness on 14.6.1974. It is claimed that the petitioner met the respondents on a number of occasions and that she was assured or the payment, which remained to be paid but that has not been paid so far. Further, it is stated that the petitioner is an illiterate Old widow facing acute hardships on account of non payment of the family pension and other ligal dues of her late husband. She being not aware of all the dues payable to her late husband seeks indulgence of this court to direct the respondents to file statements in this regard as to the payments admissible to her late husband.

3. Despite, service of two copies of the writ petition on the learned Advocate General appearing for the State of Bihar and its office a namely, the District Magistrate, Gopalganj and the Circle Officer. Vijaipur Block (Respondent nos. 3 and 4) as also on the learned Standing Counsel appearing for the Accountant General' Bihar on 3. 5. 1994 no counter affidavit has been filed on behalf of the respondents State and its officers. By order dated 19.12.1995 four weeks time was granted to the learned counsel for the State of file counter affidavit to be affirmed by the District Magistrate, Gopalganj. Despite all these no counter affidavit has been filed on behalf of the State and its officers. Learned J. C. to G. P. I. States that despite instructions being sought from the respondents no instruction has been received from them so far.

4. However, a coounter affidavit has been filed on behalf of the Accountant General, Bihar (respondent no. 2). In the said counter affidavit it is stated that in the absence of the details in the writ petition of reference of a pension papers a longwith service book and sanction order for family pension and gratuity made to the office of the said respondent, the same could not be traced out. Hence letters have been sent to the concerned authority of the State Government vide letter no. pen-16-194, dated 16.6.1994 and reminder thereto also on 15. 7. 1994. In reply to the same the establishment in Collector, Gopalganj vide letter no 127, dated 12.8.1994 sent a letter of Circle Officer, Vijaipur that pension papper could not be submitted in absence of service book and required papers. It is further stated that the office of the Accountant General has again requested the department vide letter no. pen-16-384, dated 20.10.1994 and subsequence reminder letter no. pen-16-434, dated 6.12.1994 to send the pension papers along with sanction order. True copies of the letters have been annexed as Annexure-A, B, C, D and E respectively to the counter affidavit. Similarly, it is stated that in absence of General Provident Fund Account number in the writ application, the position could not be checked in the office of the said respondent. Hence, the G. P. F. account no. was also called for vide letter no. Fd.-CIL- 117, dated 15. 6. 1994 and in apply, the Circle Officer, Viajipur' vide his letter no. 817 dated 5.8.1994 intimated that no G.P.F. Account number was allotted to the late husband of the petitioner.

5. I may re-iterate has that the husband of the petitioner died on 14. 6. 1974, but no action whatsoever appears to have been taken by any of the respondents during the last twenty years and when the petitioner was facing acute hardship on account of non-payment of the family pension and other legal dues, she was compelled to file this writ petition on 4.5.1994.

6. Every day I find that in most of the writ applications grievances are raised regarding none payment of past retirement dues as well as other legal dues to the concerned government servants and or to their legal heirs and representation and despite service of two copies of the writ application on learned Advocate General appearing for the State Government and its officers respondents, as per the rules of this Court[1] in which a provision was introduced for service of two copies of the writ application on the learned Advocate General in order to expedite disposal of instruction is given by the respondents to the learned State Counsel and the matter has to be adjourned only for that purpose. Ultimately, even if in any case counter affidavit is filed, no plausible explanation in given for with holding/non-payment Of the legal dues including post retiral dues of the government servants and usually this ourt has to pass orders only fixing time for action to be taken by the different authorities for final disposal of the claims. It appears that non-payment of the post retiral dues of the concerned government servants in the state in normal course has become an usual phenomenon which has unnecessarily increased the number of pendency of the cases in this court. In most of the cases no steps are taken until the government servants or their legal heirs and representatives file writ petition claiming payment of the legal dues including the post retiral dues and ultimately, it is found that only on account of inaction on the part of State authorities sanction orders for payment of such dues are not issued without their being any valid jurisdiction.

1 Cabinet—

7. The Supreme Court in the case of State of Kerala and others *Vs.* M.P.-Padnabhan Nair, as posted in A.I.R. 1985 S.C. 356 releasing the agony and harassment of the retired employees at the fig end of their life observed as follows:-

"Usually the delay occurs by reason of non-production of the L.P.C.(last pay-certificate) and N.D.C. (no dues certificate) from the concerned department but both these documents pertain to matters, records whereof would be with the concerned government departments since the date of retirement of every government servant is very such known in advance we fail to appreciate why the process of collecting the resuisite information and issuance of these two documents should not be completed at least a week before the date of retirement so that the payment of gratuity amount could be made to the government servant on the date be retired or on the following day and pension at the expiry of the following month. The necessity for prompt payment of the retirement dues to a government servant immediately after his retirement can not be ever emphasised and it would not be unreasonable to direct that the liability to pay penal interest on these dues at the current market rate should commence at the expiry of the two months from the date of retirement.

2. It is also held by the apex court in the said case that:

Pension and gratuitg are no longer any bounty to be distributed by the government to its employees on their retirement but have become under the the decision of this court valuable reghts and property in their hards.

9. It was also observed in the said decision that the State Government may consider whether the concerning offical should or should not be directed to compensate the Government the close sustained by it by his culpavle lapses and that such action if taken would help generate in the official of the State Government a sense of duty towards the government under whoim they serve as also a sense of accountability to members of the public.

10. Earlier, I had requested the learned Advocate General to get this problem solved in consultation with the high ups in the State Government. The learned Advocate General informs today that he had discussed the matter with the Chief Secretary and the Chief Secretary her already issued instructions to all Heads of the concerned Departments that the process of alculation of post retiral dues of the government servants must be started six months before the date of their retirement or immediately thereafter and necessary payment order/sanction order be also issued. But I do not find any improvement in disposal of such claims.

11. Would like to mention here that in many case. I have found that after the government servant superannuation from the service, action is taken from recovery of same alleged excess payment without following the law relating to it contained in Rule 43 (b) and/ or rule 139 of the Bihar pension Rules, 1950 which in my opnion in just a *malafide* attempt either to unnecessarily harass the government servant or to cover up the lacaes on the part of the state authorities. Such decision should be avoided any only the acton, which is permissible in law should be taken otherwise the State Government must fix, the responsible on such *malafide* action being taken after the retirement of the government servant. The law regarding application of Rules 43 (b) and 139 of the Bihar Pension Rules, 1950 came up for consideration before the apex court in the case of State of Bihar *Vs.* Md. Idris and by a judgement and order passed in the said case, reported in 1995 (2) P.L.J.R. 51 the apex court has settled the issue. Thus in my opinion, in all such cases the concerned authorities must re-examine the claims of the concerned retired government servant and dispose it of by a ressoned order.

12. Further, I have found that in the garb of non- compliance of the formalities by the concerned government servant on their legal heirs and representatives

the payment of legal dues also with held. In my opinion, that is also not correct approach of the authorities in the State, which they only realise after there own retirement which they are also faced whih similar situation. In the practice prevailing in the State all government servants are aware that the details of various deductions made from their salary, which under the rules are required to the communicated to the concerned government servants by the authorities concerned, are normally not supplied to them. Thus, in my opinion, it is much to expect that the government servant concerned and particularly after this death his legal heir and representative would be able to meet the said requirements. The entire records in regard to deductions made from the salary of the government servant towards G.P.Fund and other accounts and or advances given to them are maintained in the concerned departments or the State Government. The date of retirement of every government servant is also very much know in advance. Thus, I am unable to appreciate why the process of collecting the requisite information and issuance of necessary sanction order should take years and the formalities be not completed before their date of retirement, so that the payments are made to government servents on the date he retires on, on the following days and pension at the expiry of the following months.

13. The other plea taken which I have noticed in many cases, specially by the Universities, Board, Zila Parishad, Corporations and other undertakings of the State Government is that the payment of such dues, specially post retiral dues could not be made due to pauoiry of funds. I am unable to appreciate how paucity of funds can be ground to deny the payment of the legtimate dues of the employees specilly the post retiaral dues, in which case, after retirement one has to discharge various liabilities, such as marriage of wards, arranging for their livelihood, constructing at least a shed to live in etc.

14. Having regard to the aforementioned facts and circumstances as also considering the large number of pendency of cases in regard to retirement benefit matter in this court, I am constrained to pass a general order that the concerned government servants of their legal heirs and representatives should raise their claims a fresh by filling representation in which they should give full details of their claim and also full address for communication hence forth before the concerned Head of the Departments, who shall grant a receipt in taken thereof. The heads of the representative departments shall get the entire claim filed before his examined through various concerned authorities including Director, Provident Fund/District Provident Fund Officers and finally disposal them of the reasoned order dealing with each and every claim separately and shall also issue necessary sanction order/ authority slip for payment of admitted dues with statutory interest as well as the interest as pervarious government circulars/decisions taken in that regard within a period of two months of the receipt of the claim 15. It is made clear that the main responsibility for payment of all the admitted dues of the concerned government servant shall be of the head of the concerned departments. In case of any diaspute, in regard to any of the claims, they shall assign reasons for not accepting the same and shall communicoates to the concerned government servant/ person within the aforesaid time. If any of the formalities, such as filing of the indemnity bond or succession certificates etc. are to be completed by the claimant, then they must be communicated much before the expiry of the said periods, as that the claimant may meet the said requirement and the dlay in payment of the legitimate dues is avoided.

16. The Accountant General, Bihar, who is represented by Mrs. Renuka Sharma, learned Standing Counsel, is directed to issue necessary authority slip within on month of the receipt of the sanction order from the concerned authority in the State Government.

17. It is further made clear that non-compliance of any part of the aforesaid directions by any of the concerned authorities would constitute contmpt of this court and will be seriously viewed. This court may also consider to aware heavy panel

interest and costs besides imposition of punishment in the contempt proceeding against the concerned Heads of Departments, Accountant General, Bihar, which shall be realised from their pocket.

18. Let a copy of this order be given to the learned Advocate General for forwarding it to the Chief Secretary, who shall circulate it to all the Head of the Departments for its strict compliance. The office is directed to send a copy of this order directly also to the Chief Secretary. Government of Bihar and as to the Director, G.P. Fund, Bihar for circulation and its strict compliance.

19. Let a copy of this order be also given to Mrs. Renuka Sharma, learned Standing Counsel for Union of India appearing for the Accountant General, Bihar and a copy of the same be also directly forwarded to the Accountant Genearal, Bihar for its strict compliance.

20. The office is directed to prepared the required number of copies of this order for sending them to the aforementioned official authorities.

21. In the instant case, as it is submitted by Mr. jainandan Singh, learned Additional Standing Counsel for the Accountant General, Bihar that the Accountant General's Office has not received the details of the sanction order. I direct that the petitioner should raise her claim before the concerned head of Department and the concerned authorities will act in terms of the aforesaid general directions within the time fixed.

21. The writ application accordingly stands disposed of.

Sd/-R.M.Prasad

संख्या-3/सी० एस०/एम०-2001/96--1796

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 4 जून, 1996 ई०।

विषय--माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित वाद/अवमाननावाद में नोडेल पदाधिकारियों द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय के पत्र सं० 4823, दिनांक 22 मई 1996 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर लम्बित वाद/अवमानना वादों के निष्पादन हेतु सभी विभागों द्वारा नोडेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी परन्तु नोडेल पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में तत्परतापूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका की प्रति विभाग में प्राप्त होने के बाद भी प्रत्येक विभाग में मामलों की उपयुक्त और आवश्यक छानबीन नहीं करने के कारण समय पर प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु वांछित सामग्री महाधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जाती है, फलस्वरूप अनेक मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध आदेश पारित हो जाता है। महाधिवक्ता ने यह भी सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभागों द्वारा किये गये विलम्ब के कारण अवमानना वाद दायर हो जाता है जिसके फलस्वरूप उच्चाधिकारियों को न्यायालय के समक्ष परेशानी झेलनी पड़ती है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा न्यायालय में लम्बित वादों/अवमानना वादों के त्वरित निष्पादन हेतु समय-समय पर अनेक (यथा उपान्त में अंकित हैं) निदेश निर्गत किये गये हैं तथा मुख्य सचिव द्वारा बैठकों में भी विभागीय सचिवों का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है।

3. अतः पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग के नोडेल पदाधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका एवं लम्बित वाद/अवमानना वाद के संबंध में तत्परतापूर्वक कार्य करने, समय पर प्रतिशपथ-पत्र दायर करने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश देने की कृपा की जाय। माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी अनेक वाद/अवमानना वाद सुनवाई के लिये सूचीबद्ध हैं, जिन पर समय पर कार्रवाई/अनुपालन करना परम आवश्यक है।

4. यह भी अनुरोध है कि नोडेल पदाधिकारी को अधिक सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाया जाय। विभागीय सचिव स्वयं भी इस संबंध में प्रत्येक माह में समीक्षा करने की कृपा करें जिससे किसी प्रकार शिकायत प्राप्त होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

विश्वासभाजन,

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

No. 4823

Office of the Advocate General, Bihar,
High Court, Patna.

From

Sri Rameshwar Prasad,
Advocate General.

To

The Chief Secretary,
Government of Bihar,
Patna.

Patna, dated the 22nd May, 1996

It appears to me that Nodal Officers were appointed in almost all the departments for court matter but they are not at all functioning. The writ petitioners are filed in the Court, copies thereof are also taken by the concerned departments but it appears that the matters are not dealt with for expediting the filing of counter affidavit in absence of proper monitoring. In consequence a number of cases are disposed of without filing of counter affidavit wherein most of the cases adverse orders are passed. Even after orders are passed wither in contesting cases or non-contesting cases the orders are not complied with and as a result contempt petitions are filed and they are swelling when in the high officials have to face humiliation and harassment before the Court. The Hon'ble Judges make remarks for the lapses and inaction on the part of the officials for which contempt petitions are filed.

Under the circumstances, I request you to kindly communicate to all the departments that the Nodal Officers should act properly and deligently at least in all the writ cases and contempt cases so that proper affidavit may be filed and proper compliance of orders may be done. I request you to immediately issue a circular in this regard to all the departmens, and revitalise the Nodal Officers. This I am writing in view of the fact that large number of cases are being listed before Hon'ble Mr. Justice Radha Mohan Prasad and His Lordship has suggested that the government should take steps for complying the orders otherwise serious consequences will follow.

Rameshwar Prasad
Advocate General.

संख्या-3/सी० एस०/एम-2001/96/611

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री डी० पी० महेश्वरी,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी

निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना

सभी नोडेल पदाधिकारी।

पटना-15 दिनांक, 6 मार्च, 1997 ई०।

विषय—सी० डब्ल्यू० जे० सी० नं० 10761/95-श्री त्रिपुरारी प्रसाद गुप्ता बनाम जिला भविष्य निधि पदाधिकारी। पाकुड़ के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निदेश के अनुरूप कारवाई के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्र सं०-245, दिनांक 29 जनवरी 1997 के द्वारा सी० डब्ल्यू० जे० सी० नं०-10761/95 श्री त्रिपुरारी प्रसाद गुप्ता बनाम जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पाकुड़ के मामले में दिनांक 16 जनवरी 1997 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए इस संबंध में कारवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था एवं की गयी कारवाई से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को अवगत कराने का भी अनुरोध किया गया था।

2. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञाप सं० 2415, दिनांक 26 फरवरी 1997 (प्रतिलिपि संलग्न) के साथ सी० डब्ल्यू० जे० सी० नं०-10761/95 में पारित न्यायादेश की प्रति पुनः संलग्न करते हुए पुनः अनुरोध करना है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
डी० पी० महेश्वरी,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

No. 2415

Office of the Advocate General, Bihar, Patna.

Patna High Court, Patna.

From

Sri Rameshwar Prasad,
Advocate General, Bihar.

To

The Chief Secretary, Bihar,
Patna.

Patna, dated the 26th Feb. 1977.

I have already communicated regarding nonimplementation of the order of the Hon'ble Court with regard to the post retirement benefit as passed in the case of Smt. Rukmani Devi by Hon'ble Mr. Justice R.M. Prasad and also in the case of Sri Tripurari Prasad Gupta (C.W.J.C. No. 10761/1995) on 16.1.1997. A copy whereof has already been sent to you by my Sri Ganga Prasad Roy A.A.G. III, a copy of the said order is enclosed herewith for your ready reference.

The Hon'ble Mr. Justice R.M. Prasad called me and said that the general direction as passed in the aforesaid two cases are not being complied with by the official and so such now he will straight away impose punishment on concerned Officers.

You are, therefore, requested to do the needful in the matter failing which all the concerned official shall be suitable dealt with by this Hon'ble Court on their lapses in the matter of non making available the past retirement benefit as per general direction.

Rameshwar Prasad
Advocate General.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

C.W.J.C.NO.10761 of 1995.

Tripurari Prasad Gupata *Vs.* The District Provident Fund Officer, Pakur and others.

For the petitioner— Mr. Nilotpal Ganguli and
Mr. Umesh pathak.

For the Accountant General—Mr. Anil Kumar Jha, J.C.T.OA.A.G.
Mr. O. P. Agrawal S.C.II With
Mrs. Nirja Srivastava S.C.

16.1.97 It is really shocking that though the petitioner superanuated from service of the State Government while serving to Pakuria Anchal long back in the year 1991 to the entire G.P.F. amount has not been paid to him till date. The petitioner having left with no option moved this Court as far back as on 6.12.1995 by

serving two copies of the writ petition on the learned Counsel for the State and the learned standing council for the Central Government appearing for the Accountant General, Bihar.

A counter Affidavit has been filed on behalf of the District Provident fund Officer, as well as the District Magistrate, Sahebganj (Respondent Nos. 1 & 2) from which it appears that authority slip for only part payment of the G. P. F. amount has been issued on the basis of his G. P. F. amount from the Accountant General's Office, where it used to be maintained till 1982. Mr. Agrawal, learned Standing Counsel on instructions from the respondents submit that the details of the deposits in the G.P.F. Account of the petitioner are being calculated. This submission of Mr. Agrawal is really shocking earlier this court repeatedly ordered that the State Counsel should get up to date instructions in the pending matters from the respondents and the respondents shall give instructions to their learned counsel after complying all the formalities and necessary sanction orders/authority slip payment of such dues shall also be filed, whereafter learned Counsel for the respondents shall got such matters listed under the heading "to be mentioned" for disposal. Learned Advocate General has been taken and even after listing of the matters after more than a year such pleas are taken on behalf of Respondents.

The Chief Secretary, Bihar who has personally appeared before this Court had informed that directions of this Court have been circulated to all the authorities concerned for in strict compoiance still find that in most of the cases the authorities concerned have not been bothered to give up to date instruction by filing affidavit alongwith necessary sanction order/ authority slip for payment of post retiral dues. This attitude of the respondents authorities is reprehensible and deserves to be duplicated.

However, it is hereby directed that respondents authorities in the pending post retiral matters in this Court must send instructions to their learned Counsel regarding finalisation of the post retiral dues and also produce the necessary sanction order and/or authority letter/slip with respect to the remitted dues and further file reasons record for denying any claim within one month, failing which this Court shall consider to initiate contempt proceeding against the concerned respondents and punish then adequately.

The Chief Secretary is directed to circulate this order to all the concerned authorities dealing with the post retiral matters and he should see that the general direction of this Court are strictly complied by the concerned authorities and in case of non-compliance necessary action should be taken against such authorities by placing them under suspension and initiating departmental proceedings.

The respondent No. 1 and 2, who are represneted by Mr. Agrawal, learned standing Counsel are directed to show cause why a proceeding in contempt be not initiated and they be not punished for non-compliance of the general direction of this Court.

As prayed by Mr. Agrawal, learned Standing Counsel, put this matter on 18th January, 1997. In the meantime, the show cause must be filed by the said respondents by serving a copy of the same on the learned counsel for the petitioner.

The respondent no. 1 and 2 are directed to personally appear before this court on 28th Jan. 1997.

Let a copy of this order be communicated to the Chief Secretary, Government of Bihar for its strict compliance forthwith. A copy of this order may also be supplied to the learned Advocate General and the Addl. Advocate Generals for appropriate action.

1 Cabinet—

सं० 3-सी०एस०एम०-7001/97—616

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री बी० पी० वर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

आयुक्त एवं सचिव।सचिव

सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 10 मार्च 1997 ई०।

विषय :—सी०डब्लू०जे०सी० सं० 467।97 श्री दीनानाथ झा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिये गये न्यायादेश के संबंध में कार्रवाई।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सी०डब्लू०जे०सी० नं० 467।97 श्री दीनानाथ झा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसला दिनांक 16 जनवरी 1997 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि संवाहकों/ठीकेदारों को उनके द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित विपत्रों को नियमानुकूल भुगतान के विन्दु पर ससमय अपेक्षित कार्रवाई करें क्योंकि ऐसा नहीं करने पर न्यायालय में कार्यों का बोझ बढ़ता है तथा सरकार को भी बढ़े हुए दरों पर लम्बित विपत्रों का भुगतान करने पर विवश होना पड़ता है। फलत: सरकार को राजस्व की क्षति का अनावश्यक रूप से सामना करना पड़ता है।

2. उपर्युक्त वाद में दिये गये फैसले में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
बी० पी० वर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 3।सी०एस०।एम० 7001।97—616
पटना-15, दिनांक 10 मार्च 1997 ई०

प्रतिलिपि—महाधिवक्ता, बिहार, पटना।अपर निबंधक (प्रशासन), माननीय उच्च न्यायालय।स्थायी समुपदेशक-5 महाधिवक्ता कार्यालय, पटना को उनके ज्ञापांक 1914 दिनांक 13 फरवरी 1997 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

बी० पी० वर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

C.W.J.C. No. 467 of 1997

Dina Nath Jha *Vs.* State of Bihar and others

For Petitioner—M. Ratna Kumar Kumar

For State:- Mr. S.C.V.

Heard counsel for the parties.

It is most unfortunate that in all matters where contractors have executed works on behalf of the various Departments of the Government of Bihar they are compelled to move writ petitions in this court for payment of their bills. This Court has taken consistent view that so far as the admitted dues are concerned they ought to be paid without delay and if there is any dispute with regard to any bill or part thereof, the concerned persons should be informs of the reasons therefore so that he may seek remedy before an approrpate forum in accordance with law. I fail to understand what prevents the Government and its Departments from following the procedure which will avoid unnecessary litigation before this Court.

Let a copy of this order be sent to the Chief Secretary, Government of Bihar so that he may communicate to all the concerned departments and direct them to act accordingly. If I find that procedure is not being followed and contractors are compelled to move this Court even for consideration of the claim by the Government and payment of admitted liability, heavy cost will be imposed against the State to be recovered from the officers for whose laches payments are not made.

So far as this case is concerned, respondent no. 3 is directed to consider the claim of the petitioner and to take final decision in the matter within three months. If the claim of the petitioner is admitted either in whole or in part the admitted dues shall be paid to the petitioner within the period prescribed in this order. If however, the claim or any part thereof is disputed, the petitioner shall be informed of the reasons the writing so that he may thereafter seek remedy before an appropriate forum in accordance with law. This should also be done within the some period. If the payment is not made to the petitioner of the admitted dues within the period prescribed, he shall be entitled to payment of interest at the rate of 16% per annum to be calculated from the last date of payment envisaged by the order. This petition is accordingly disposed of.

Sd/-B.P.Singh

संख्या 3-सी०एस०/एम०-2001।98—3162
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय,
पंत भवन, पटना।

पटना-15, दिनांक 27 अगस्त 1998 ई०।

विषय—माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अवमानना याचिकाओं के निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्र संख्या 10604, दिनांक 20 अगस्त 1998 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं एम० जे० सी० सं० 198।97 में दिनांक 18 अगस्त 1998 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिकाओं की संख्या में वृद्धि पर गहरी चिन्ता जताई गई है। माननीय उच्च न्यायालय का मानना है कि न्यायादेश के अनुपालन में विभागों द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई नहीं की जाती है तथा लिस्ट पर आने के बाद भी वादों का निष्पादन नहीं हो पाता है। फलस्वरुप वादों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है कि न्यायादेश के अनुरुप कार्रवाई हेतु संबंधित विभागीय प्रधान मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। यदि उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा न्यायादेश के अनुरुप कार्यान्वयन में शिथिलता बरती जाती है तो इसके लिये उन्हें तुरन्त दण्डित/निलम्बित किया जाय।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है कि लम्बित अवमानना याचिकाओं का साप्ताहिक प्रतिवेदन अपने विभाग से संबंधित सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित किया जाय इसमें खासतौर पर अगले सप्ताह लिस्ट पर आनेवाले वादों का प्रतिवेदन संलग्न रहे।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरुप कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। साथ ही इसे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचारित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० 3-सी०एस०/एम०-2001-98—3162
पटना-15, दिनांक 27 अगस्त 1998

प्रतिलिपि—राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी लोक उपक्रमों/निगमों तथा बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० 3-सी०एस०/एम० 2001/98—3162
पटना-15, दिनांक 27 अगस्त 1998

प्रतिलिपि—श्री मनोहर लाल विसा, महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्र संख्या 10604 दिनांक 20 अगस्त 1998 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव।

No. 10604/*The 20th August*, 1996.

FROM

Manohar Lal Vise,
Registrar General,
High Court of Judicature at Patna.

To,

The Chief Secretary,
Government of Bihar, Patna.

Patna the 20th August, 1996.

SUBJECT.—Contempt matters pending befort the Hon'ble High Court.

SIR,

I am directed to forward herewith a true copy of this Court's order dated the 18th August, 1996 passed in M.J.C. No. 198/97, for immediate and necessary action.

Yours faithfully,
M. L. VISE.
Registrar-General,

In the High Court of Judicature at Patna.

M. J. C. No. 198 of 1997.

Smt. Nayan Tara Kumari Upadhya—Petitioners & others.

Versus

The State of Bihar and others.—Opposite Parties.

For the Petitioners—M/s Lal Bandhu Singh & Laliteshwar Prasad Singh.
For the State—Mr. K. P. Yadav, Standing Counsel No. V.

3. 18th August, 1996.—Find that the pendency of contempt matters in this Court has alarmingly increased merely on account of laches on the part of the officers of various department of the State Government as well as the authorities concerned for compliance on the orders passed by this Court.

This Court long back in the year 1997 taking lanient view and on consideration of overall situation took steps by listing cases departmentwise in order to see that the order of this Court is complied before the matter is listed. In this regard this Court on 19th August, 1997 passed order in M.J.C. No. 151 of 1995 and analogous matters directing the State of Bihar and its offices to comply with the order of this Court before the next date fixed in the case and to produce the order of compliance before this Court.

Through such matters have been listed after almost a year but till date in some of the cases even show cause has not been filed nor the order passed in complianse of tht judgement order passed by this Court has been produced. I

am informed that the matters which have been listed today have been coming on the list since 20th July, 1998, yet I find that hardly in one or two cases it is reported that the order has been complied.

These facts depict the most cullons attitude of the officials/contemnors. In fact, the responsibility in most of the cases is of the Heads of the respective departments to see that the orders of this Court are strictly complied. In case of any laches on the part of any if his subordinates, action should be taken by him against the erring officials by placing him under suspension and/or recommending his case for immediate supervision and imposing appropriate punishment for the same.

Earlier, I had asked the learned, Advocate-General also to apprise the State Government to its officers about the aforementioned facts and to caption them that they must comply with the orders of this Court before the matters are listed. The learned Advocate-General has informed this Court that he had apprised the concerned authorities about the anguish expressed by the Court on account of non-compliance of the orders of this Court and also had told them that they should comply with the orders in all pending M.J.C. matters before their listing. I hardly find any remarkable improvement accept in the cases relating to some departments.

Uptill now this Court has shown leniency on account of various intervening factors, but I wish to make in clear that in the contempt cases which are listed, this week, if the concerned officials do not comply with these carefully and reports about the compliance of the order of this Court by the next dates this Court will be compelled to take harsh action against the erring officials and would show no leniency in such matters. The learned counsel appearing for the opposite parties may bring it to the notice of the concerned officials about listing of the cases in this week. However, it will be the prime responsibility of the concerned officials to get the list of all such cases from their learned counsel every week and strictly follow the above order.

Today, the Director, Secondary Education, Bihar, Patna, who is personally present in Court, States that he shall see that from the next week this Court will not get any such occasion by which this Court will have to take any harash action.

As prayed, put up this matter again in the next week.

Let a copy of this order be supplied to the learned Advocate-General for its circulation among the law officers of State and a copy to the Standing Counsel for the Union of India for its circulation to all the concerned departments of the Government of India, including the Accountant-General, Bihar.

The Registrar-General of this Court is directed to forward a copy of this order to the Chief Secretary, Bihar for its circulation to all the Heads of the Departments, the Divisional Commissioners, the District Heads and the Director General, Provident Fund, who shall circulate it to all the concerned officials under them. The Chief Secretary, Bihar shall also see that the copy of this order is circulated to all the Boards, Corporations and Government undertakings for its strict compliance.

RADHA MOHAN PRASAD

पत्र संख्या 4।सी०एस०।एम०-3001।99 (छाया)—373

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री विजय शंकर दूबे,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 25 जनवरी 1999 ई०

विषय—माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अवमानना वाद से संबंधित मामलों का दिनांक 28 फरवरी 1999 तक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सचिवालय/जिला स्तर पर कोषांग का गठन।

प्रसंग—इस विभाग का पत्रांक 336, दिनांक 18 जनवरी 1999।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग का निर्देश करने की कृपा की जाय। विभाग।जिला स्तर पर कोषांग कार्यरत होने की सूचना 25 जनवरी 1999 तक जिन विभाग।जिला से प्राप्त हुई है उसकी सूची संलग्न है।

इसी प्रसंग में पुनः आग्रह है कि कोषांग कार्यरत होने की सूचना दिनांक 29 जनवरी 1999 के पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से भेजा जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना को यथासमय अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जा सके।

जिन विभागों/जिलों से सूचना उक्त तिथि तक प्राप्त नहीं होगी, उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करा दिया जायगा।

विश्वासभाजन,
विजय शंकर दूबे,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 373,

पटना, दिनांक 25 जनवरी 1999

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को पत्र की एक प्रति भेजने की कृपा करें।

विजय शंकर दूबे,
सरकार के विशेष सचिव।

अवमानना वाद के लम्बित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु कोषांग का गठन से संबंधी सूचना प्राप्त विभाग एवं जिलों की सूची।

विभाग का नाम	जिला का नाम
(1) लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	(1) पलामू
(2) राजभाषा विभाग	(2) गढ़वा
(3) सहकारिता विभाग	(3) शेखपुरा
(4) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	(4) पाकुड़
(5) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	(5) खगड़िया

पत्र संख्या 738

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री विजय शंकर दूबे,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 13 मार्च 1999।

विषय--माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष अवमानना से संबंधित मामलों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 309, दिनांक 14 जनवरी 1999 का कृपया संदर्भ करें, जिसमें यह कहा गया था कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष अवमानना से संबंधित मामलों का दिनांक 28 फरवरी 1999 तक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा एतदर्थ सचिवालय/जिला स्तर पर कोषांग का गठन किया जाय।

2. दिनांक 12 मार्च 1999 को पुनः अवमानना से संबंधित मामलों की सुनवाई के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना की दृष्टि में यह बात लाई गई कि अनुपालन में हो रही कठिनाई का मुख्य कारण अन्य बातों के अतिरिक्त राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का पिछले कुछ अवधि से लगातार हड़ताल में रहना है। माननीय उच्च न्यायालय राज्य सरकार के इस दलील से कतई संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का मानना है कि कर्मचारियों की हड़ताल का बहाना लेकर न्यायालीय आदेशों के कार्यान्वयन को बाधित नहीं किया जा सकता है और माननीय न्यायालय इस प्रकार की दलील को स्वीकार नहीं करेगा। न्यायालय ने पुनः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का आदेश दिया है। इस प्रसंग में महाधिवक्ता, बिहार के पत्र दिनांक 12 मार्च 1999 की प्रतिलिपि संलग्न की जाती है।

3. अनुरोध है कि महाधिवक्ता, बिहार के उक्त पत्र में इंगित विन्दुओं के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई अपने स्तर से तुरन्त सुनिश्चित करायी जाय तथा अवमानना से संबंधित ऐसे सभी मामले, जिनका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है, उनका तुरन्त अनुपालन कराया जाय और यदि किसी मामले में अनुपालन नहीं हो रहा है तो एतद संबंधी मामले में कारण पृच्छा दायर करते समय इस बात का साफ-साफ उल्लेख किया जाय कि किसी पदाधिकारी/कर्मचारी के चलते न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन नहीं हो पाया है, जिससे कि उक्त कर्मी के विरुद्ध समुचित दण्डात्मक कार्रवाई माननीय न्यायालय द्वारा की जा सके तथा प्रशासनिक स्तर पर भी दण्डित किया जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
विजय शंकर दूबे,
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 738

पटना, दिनांक 13 मार्च 1999

प्रतिलिपि--सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र की प्रति भेजने की कृपा करें।

विजय शंकर दूबे,
मुख्य सचिव।

S. A. NARAIN

Advocate General, Government of Bihar.

The 12th March, 1999

To

The Chief Secretary,
Bihar, Patna.

Kindly recall telephonic conversation held on 12th March, 1999 wherein I communicated the suggestions held out by Hon'ble Mr. Justice S. K. Mukhopadhya in course of hearing of the Contempt matter on 12th March, 1999 itself that he has noticed that orders of the Hon'ble Court are not complied with and in response to show cause notice issued in the contempt matters, functionaries of the State Government come out with the plea that compliance of the order of the Hon'ble Court is not made because of the ongoing strike of the Government employees and similar other pretext with which the Hon'ble Court is not concerned.

However to tide over this attitude of the functionaries, the Hon'ble Court suggested that the Chief Secretary of the State issue press communique in all the leading Newspapers of the State calling upon the officers of the State is in general to ensure compliance of the orders of the Hon'ble Court and not to delay the file relating to the said compliance at this level, failing which the State Government shall have no option but to intimate the Hon'ble through show cause the name of officers and staffs who are withholding the files relating to the compliance of the orders passed by the Hon'ble Court. While giving this suggestion, the Hon'ble Judge also expressed concerned that for non-compliance of the order of the Hon'ble Court at the junior level, the Head of the Department of the Secretary of the Department concerned is called to answer the charge of contempt. As such, notice be issued to them from the level of the Chief Secretary, Bihar calling upon the Secretary and Head of the Department to indicate the causes which is responsible for non-compliance of the orders of the Hon'ble Court at junior level.

This is for your information and necessary action.

S. A. NARAIN,
12th March, 1999
Advocate General, Bihar.

No. 1/C1-102I55-A (Part)—6828

GOVERNMENT OF BIHAR

Appointment Department.

FROM

M. S. RAO, ESQR, I. C. S.
Chief Secretary to Government.

To,

All Departments of Government,
The Development Commissioner,
All Divisional Commissioners,
All Heads of Departments,
All District Officers (including the Addl. Deputy, Dhanbad).

Patna, the 1*st September*, 1955.

SUBJECT.—Redifinition of the duties and functions of District Officers.

SIR,

I am directed to say that at the increasing expansion of the activities of Government in all spheres, and particularly of development and welfare activities, it has become necessary to redefine the duties of the District Officer. By virtue of his influence as Magistrate and Collector the District Officer is best ocupied to onlist the active support of the people in the successful implementation of any major programme of development, such as those under FIVE-YEAR PLANS and he can effectively co-ordinate the development an welfare activities of different departments. Government have, therefore, decided that all development and welfare duties should be squarely entrusted to the District Officer, and that his responsibilities in this regard should be clearly defined.

2. The District Officer's control over development and welfare activities in the district will generally conform to the pattern of District Magistrte's control over the police. The organisational and professional control of the police, up to the district level by the Deputy Inspector General of Police, and then by the Inspector General of Police. But, subject to certain restrictions, the general functional control over the Superintendent of Police is that of the District Magistrate and in the excercise of this control the District Magistrate is guided by the Divisional Commissioner and by Government, and not by the police hierarchy. Similarly, while the organisational and professional or technical control over Development Officers of District rank will be that of the departmental superiors, the functional control in non-technical matters will be exercise, within certain limits, by the District Officer The District Officer will not be burdened with routine matters, establishment duties and technical matters

of which he might have little knowledge, he will only be responsible for ensuring—

(a) that the development and welfare schemes are such as would meet the needs of the people;

(b) that the time-tables for various schemes are adhered to, and targets reached in time;

(c) that there is no corruption;

(d) that there is proper co-ordination and difficulties in the execution of schemes are removed; and

(e) that wherever necessary, people's co-operation is secured.

3. The District Heads of all development and welfare departments should remain in the close touch with the District Officer and seek his guidance and assistance; and on his part the District Officer should take keen interest in their work and help them in every way. The District Officer's guidance should, however, be confined to the administrative field, and in technical matter the views of the technical officers Heads of Departments should play an active role in establishing successfully these arrangements, and in calculating their subordinates the right attitude towards the District Officer. The anxiety for safeguarding departmental rights privileges, or prestige should give place to anxiety for furthering the objects of Government as a whole and for speedy progress of work, seeking from an offering to officers of other departments, all the co-operation needed for fulfilling the object.

4. The extent of the District Officers control over the Development Officer is defined in the succeding paragraphs. In these paragraphs the term "Development Officer" means an officer of district rank, serving in a district under the control of Government in any of the following departments, and having to deal with development and welfare schemes in the district:—

(a) Development (b) Education (c) Electricity (d) Gram Panchayat (e) Health and Family Welfare (f) Irrigation (g) Local Self Government (h) Public Health Engineering (i) Public Works (j) Welfare (k) Revenue (l) Agriculture (m) M. I. (n) R.E.O. (o) Industries (p) Co-operative.

5. The District Officer will have the following powers of administrative and disciplinary control over the development Officers:—

(i) A Development Officer, while sending his tour programme for approval to the Head of Department or Divisional Officer as the case may be for approval will be competent to suggest changes in the tour programme of the Development Officer, shall be incorporated in the tour programme and reported by him to the Head of Department of Divisional Officer concerned. If a Development Officer has to proceed on tour at short notice in connection with urgent work, he will report his intention to the District

Officer. The District Officer, for reasons to be recorded by him, may required the Development Officer to remain at headquarters.

(ii) Development Officer's application for casual leave will be forwarded through the District Officer to the Authority competent to grant such leave; and the District Officer's concurrence would be necessary before the leave is granted. After such leave is granted, tht Development Officer will have to obtain the permission of the District Officer before leaving the District.

A Development Officer's application for regular leave will be forwarded through the District Officer, who will record his views for the information of the authority competent to sanction the leave:—

(iii) The District Officer may move a Head of Department for the transfer of an officer of that department working in the district, either within the district or outside. If the Head of Department concerned does not wish to accept the recommendation of the recommendation if the District Officer, he will State his reasons, and obtained orders of Government. The District Officer will also have the power to require a Development Officer, to transfer within the district, a subordinate officer, who can be transferred by the Develotment Officer. But before the issue of such an instruction the District Officer will consult the Development Officer.

(iv) The District Officer will have the power to call for periodical progress reports from the Development Officers in his district to make observations on them and to issue such instructions as he may consider necessary He will however, confine his observations to administrative matters and will send copies of his instructions to the Divisional Officer or Head of Department concerned. If the Divisional Officer or Head of Department as the case may be, has anything to say in regard to the instructions, he will write to the District Officer and thereafter the matter should be settled by an mutual consultation or if necessary referred to Government for orders.

(v) The District Officer will be competent to call for a report if the nature of an explanation, from a Development Officer in respect of any administrative matter; but if he wishes any further action to be taken he will report the matter to the Head of Department concerned.

(vi) The District Officer will write annual confidential reports on the work and conduct of Development Officers in his district and forward the reports to the Head of Departments concerned.

(vii) Copies of all correspondence between the Heads of Departments and their subordinate officers, except whose which deal with purely technical or unimportant matters will be sent to the District Officer. Similarly the District Officer will send to the Heads of Departments concerned copies of all the important instructions issued by him to the Development Officers in the Dittrict.

6. Where the jurisdiction of a Development Officer of district rank extends over more than one district, the District Officers of all the districts covered by the jurisdiction of the Development Officer will exercise the powers mentioned in sub-paragraphs (*iii*), (*iv*), (*v*) and (*vi*) of paragraph 5. The other powers will be exercised with the following modifications:—

(*i*) A Development Officer of district rank whose jurisdiction extends over more than one district will send copies of his tour programmes to all the District Officer in his jurisdiction and also to the Commissioner of the Division. If a particular District Officer desires any change in the tour programme of the Development Officer, he will move the Commissioner of the Division, who will issue necessary directions and also inform the Head of Department or Divisional Officer concerned.

(*ii*) Casual leave will be granted to the Development Officer subject to the concurrence of the Divisional Commissioner. Applications for regular leave will be forwarded through the Divisional Commissioner.

7. The District Officer is already for the maintenance of law and order and the collection of revenue. Now that all Development and Welfare duties are also being squarely entrusted to the District Officer, it is necessary to ensure that the burden does not become too heavy for one man to carry. Government is taking steps to relieve the District Officer of part of his burden by diverting him of his responsibilities in the matter of administrative of criminal justice. This has already been brought about in six districts, where the judicial and executive functions have been separated. This separation will soon be introduced in the remaining ten in number, is also under the consideration of Government. There is an Additional Collector posted in every district to assist the District Officer Government are examining question of clearly defining the duties of the Additional Collector so that he may be fully utilised for relieving the burden of the District Officer. Orders on all these points will be issued eseparately in due course.

Yours faithfully,

M. S. RAO,
Chief Secretary to Government.

सं0 1-2014172—21307-का0

कार्मिक विभाग

संकल्प

28 नवम्बर 1972

विषय—प्रमंडल आयुक्त के कार्यों और कृत्यों का नये सिरे से निर्धारण।

बंगाल राजस्व आयुक्त विनियमावली, 1829 के अधीन प्रमंडल आयुक्त नियुक्त किये जाते हैं। यह विनियमावली प्रमंडल आयुक्तों को मजिस्ट्रेट वर्ग और पुलिस तथा समाहर्त्ताओं एवं अन्य कार्यपालक राजस्व पदाधिकारियों का अधीक्षण और नियन्त्रण करने की शक्ति सौंपती है। दूसरी योजना अवधि के प्रारम्भ तक प्रमंडल आयुक्त के जो कृत्य थे उनका संबंध मुख्यतः राजस्व प्रशासन और गंभीर स्थितियों में विधि और व्यवस्था बनाये रखने में सरकार की सहायता करने से था। लेकिन इसके बाद जैसे ही विकास संबंधी कार्यकलाप की रफ्तार में तेजी आयी, यह जरूरत महसूस की गयी कि प्रमंडल आयुक्तों का अपने-अपने प्रमंडल के अन्तर्गत सभी विकास और कल्याण संबंधी कामकाज के पर्यवेक्षण एवं समन्वय से सीधे संबंध किया जाय। इस उद्देश्य को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार ने श्री राव के परिपत्र सं0 1सी01-1030-59-4154-ए०, तारीख 23 मार्च 1959 के जरिये आयुक्त की पदस्थिति को स्पष्ट किया। इसके अनुसार आयुक्त अपने प्रमंडल के भीतर सभी विकास संबंधी कार्यों के प्रमुख हैं।

2. उपर्युक्त परिपत्र जारी होने के बाद, पिछले 10 वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर यह पाया गया है कि योजना कार्यक्रमों को शीघ्र और दक्षतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार और प्राथमिक कार्य निष्पादक एजेंसियों के बीच एक मध्य बिन्दु (नोडल प्वाइंट) होना चाहिये जिसे क्षेत्रीय स्तर पर पूरी सरकार का प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त प्राधिकार बना रहे। अभी स्थिति यह है कि प्रशासनिक कार्य को चालू रखने और व्यवस्था बनाये रखने के बजाय विकास ही प्रशासन तन्त्र का प्रमुख कार्य हो गया है। इसलिये सरकार ने निर्णय किया है कि आगे आयोजन (प्लानिंग) और पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए विकास की दृष्टि से प्रमंडल आयुक्त के कार्य को पूर्णतः सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित किया जाय और प्रमंडल आयुक्त अपना अधिकांश समय विकास संबंधी कार्यों में ही लगायें। उपर्युक्त निर्णय के अनुसार प्रमंडल आयुक्त के कार्य और कृत्य निम्नलिखित कंडिकाओं में निर्धारित किये जाते हैं:—

(अ) प्रशासनिक कृत्य

(क) कानूनी (स्टेच्यटरी) कृत्य—अपील और पुनरीक्षण—प्रमंडल आयुक्त को अनेक कानूनी कृत्य कराने पड़ते हैं। इसके साथ ऐसे कानूनों की पूरी सूची दी गयी है जिनके अधीन अपीलों या पुनरीक्षण संबंधी मामलों पर विचार करने के लिये प्रमंडल आयुक्त को शक्ति प्रदान की गयी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अपील या पुनरीक्षण संबंधी मामलों का निपटाव बिना विलम्ब के हो। यदि बहुत सारे मामले इकट्ठे हो जायें तो प्रमंडल आयुक्त अपील और पुनरीक्षण संबंधी मामलों के शीघ्र निपटाव के लिये अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति के प्रस्ताव सरकार के पास भेज सकते हैं।

(ख) विधि और व्यवस्था बनाये रखना—प्रमंडल आयुक्त विधि और व्यवस्था की कठिन स्थितियों का नियंत्रण करने में सरकार की सहायता करते रहें। साथ ही वे संकटकाल में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों का आवश्यक मार्गदर्शन, पुलिस उप-महानिरीक्षक की सलाह से भी करते रहेंगे। जहां अत्यन्त गंभीर संकट उपस्थित हो और आयुक्त की राय में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक दोनों स्थिति पर काबू पाने में असमर्थ हों वहां आयुक्त को पुलिस उप-महानिरीक्षक के साथ घटनास्थल पर स्वयं जाने और वहां की स्थिति को अपने हाथ में लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

(ग) श्रम सम्बन्धी अशान्ति—औद्योगिक और खनन क्षेत्रों तथा राज्य भर में बिखरे हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अक्सर श्रम सम्बन्धी समस्यायें पैदा हो जाया करती हैं। इसपर सावधानी से निगरानी करने की जरूरत होगी और पहले ही जानकारी प्राप्त करके इस अशान्ति को शुरू में ही समाप्त कर देना होगा। चूंकि प्रमंडल आयुक्त विधि और व्यवस्था संबंधी स्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिये जिम्मेवार हैं, इसलिये उन्हें ऐसी श्रम संबंधी स्थितियों पर सावधानी से नजर रखनी होगी जो गंभीर संकट का रूप ले लेती है।

(घ) पुलिस गोली कांड के सभी केसों की जांच पुलिस मैनुअल के नियम 521 के अधीन ऐसे सभी मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक अथवा किसी कमान्डेन्ट के आदेश पर पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, प्रमंडल आयुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वे उस रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करें और यह देखें कि किन परिस्थितियों में गोली चलायी गयी और किस हद तक पुलिस मैनुअल के संगत नियमों और कार्यपालक अनुदेशों का पालन किया गया। गंभीर किस्म के गोली कांडों के अन्य मामलों में आयुक्त और रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक को गोली चलने के तुरन्त बाद उस स्थान का निरीक्षण करना चाहिये और स्थानीय पदाधिकारियों की जांच साहाय्य और केस दायर करने आदि के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करना चाहिये।

(ङ) जिला पुनर्गठन—जिलों और अनुमंडलों के पुनर्गठन के लिये एक व्यापक योजना तैयार की गयी है और सरकारी आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। इन प्रस्तावों को ठीक से लागू करने में समय लगेगा। नये जिलों और अनुमंडलों की स्थापना हो जाने के बाद भी आगे की कार्रवाइयां करने के लिये काफी काम करना होगा ताकि प्रशासन का ढांचा दक्षतापूर्वक और प्रभावकारी ढंग से काम करने के संपूर्ण कार्य का नियंत्रण राज्य मुख्यालय स्थित प्रशासी सुधार आयुक्त के जिम्मे हैं। प्रमंडल आयुक्तों को इस काम के लिये जिले में अपने-अपने प्रमंडल के भीतर जिलों और अनुमंडलों के सम्बन्ध में उन्हें सभी आवश्यक सहायता देनी होगी। इस संबंध में अनेक निर्णय अविलम्ब करने पड़ते हैं। प्रमंडल आयुक्त यह देखेंगे कि ऐसे निर्णय निर्बाध रूप से किये और लागू किये जाते हैं।

(च) जिला पदाधिकारियों और प्रमंडलीय विभागाध्यक्षों को मार्गनिर्देश—(*i*) जिलों और अनुमंडलों की संख्याओं में वृद्धि होने के कारण प्रमंडल आयुक्तों को जिला पदाधिकारियों का सर्वांगीण मार्गदर्शन करना होगा। अब तो इसकी और भी आवश्यकता होगी क्योंकि जिलों का प्रभार लेने वाले अधिकांश आई०ए० एस० पदाधिकारी पहले-पहल प्रभार ग्रहण करेंगे। वे मात्र चार वर्षों की सेवा पूरी करने के लिये जिले का प्रभार ग्रहण करेंगे। इसलिये उन्हें दैनन्दिन प्रशासन में काफी मार्गदर्शन की जरुरत होगी। यह मार्गदर्शन प्रमंडल आयुक्त जैसे अनुभवी प्रशासक द्वारा किया जा सकता है।

(*ii*) सरकार ने यह सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है कि कार्य के शीघ्र तथा अधिक दक्षतापूर्वक निष्पादन के लिये प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण हो। तदनुसार सरकार के सभी विभाग प्रमंडल आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को यथसंभव शक्ति सौंपेंगे।

(*iii*) अधिकांश सरकारी विभाग के प्रमंडलीय ढांचे पहले से ही है। वे अपने प्रमंडलीय अध्यक्षों को यथसंभव शक्ति सौंपेंगे। किन्तु प्रमंडल के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के कार्यकलापों में लगातार समन्वय की आवश्यकता होगी। प्रमंडल आयुक्त आवश्यक समन्वय की व्यवस्था करेंगे और इस काम के लिये वे प्रमंडल मुख्यालयों में अक्सर समन्वय संबंधी बैठकें किया करेंगे जिसमें प्रमंडलीय विभागाध्यक्ष शामिल होंगे।

(छ) निगरानी और भ्रष्टाचार निरोध संबंधी कार्यों में सहायता—पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकारी सेवकों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। सचिवालय के हरेक सरकारी विभाग में छोटे-छोटे निगरानी कोषांगों की स्थापना करने के अलावा प्रमंडल और जिला मुख्यालयों में भी ऐसे सेल स्थापित किये जायेंगे। प्रमंडलीय स्तर पर प्रमंडल आयुक्त निगरानी और भ्रष्टाचार निरोध संबंधी कार्यों में तालमेल बनाये रखेंगे। निगरानी आयुक्त और भ्रष्टाचार निरोध विभाग की निगरानी शाखा के अपर सचिव समय-समय पर प्रमंडल मुख्यालयों का दौरा किया करेंगे और उन्हें भ्रष्टाचार निरोध और निगरानी से संबंधित कार्यों का सुझाव देने के लिये प्रमंडल आयुक्त और उनके संगठन द्वारा पूर्ण समर्थन और सहयोग दिया जाना चाहिये। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिये एक सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना हुई है और यह बोर्ड समय-समय पर प्रमंडल और जिला मुख्यालयों का दौरा किया करेगा। बोर्ड को अपने कर्त्तव्यों के संपादन के लिये सभी आवश्यक सहायता भी देनी होगी। यह देखना आयुक्त का काम होगा कि हरेक जिले में निगरानी और भ्रष्टाचार निरोध कार्य किस हद तक किया जा रहा है। साथ ही वे हरेक जिले में ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे।

(आ) विकास सम्बन्धी कार्य

(क) क्षेत्र योजना—योजना आयोग और संघ सरकार दोनों ही ने योजनाबद्ध विकास के सिलसिले में क्षेत्रीय योजना पर काफी जोर दिया है। यह क्षेत्र जिला का भाग हो सकता है। इसमें दो या

तीन जिलों के लगे-सटे भाग भी हो सकते हैं। इसलिये योजना बनाने में काफी समन्वय की जरूरत होगी और यह समन्वय प्रमंडल आयुक्त ही कर सकते हैं। जहां क्षेत्रीय योजना दो प्रमंडलों में फैली हो, वहां समन्वय के लिये विकास आयुक्त आगे आयेंगे।

(ख) प्रमंडलीय विकास आयुक्त के रूप में भूमिका—प्रमंडलीय आयुक्त ही वह मुख्य माध्यम है जिनके जरिये प्रमंडल में सभी विकास परियोजनाओं स्कीमों और कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे। इस नाते :—

(i) वे अपने प्रभाराधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रमंडलीय विकास आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) वे विकास से सम्बन्धित प्रमंडलीय विभागाध्यक्षों के कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखेंगे।

(iii) वे प्रमंडलीय विभागाध्यक्षों के बारे में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखेंगे ;

(iv) यह उनकी जिम्मेवारी होगी कि वे जिला योजनाओं की जांच करें और कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में जिला योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करें ;

(v) वे विकास कार्यों के लिये बनायी गयी जिला समन्वय समिति की हरेक बैठक में यथासाध्य शामिल होंगे ताकि उनके लिये न केवल सामान्य मार्गदर्शन देना संभव हो सके, बल्कि वे जिला से उच्चतर स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यों को समन्वित करने के लिये स्थान पर ही अनुदेश दे सकें ;

(vi) वे ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में उन विभिन्न सरकारी विभागों को आवधिक रिपोर्ट भेजेंगे जिनसे उक्त परियोजनायें संबंधित हो ;

(vii) वे कृषि उत्पादन के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय विकास संबंधी कार्यकलापों से मुख्यतः संबद्ध होंगे :

(viii) वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेवार होंगे कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूर विशेष परियोजनायें सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जाती हैं। वे इन विशेष परियोजनाओं की प्रक्रिया को समय-समय पर समीक्षा करेंगे ;

(ix) वे समय-समय पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर विधियक नियोजन स्कीमों की भी विशेष समीक्षा करेंगे।

(ग) विकास के लिये साधन-स्रोत जुटाना पंचवर्षीय योजना को समुचित ढंग से चलाने में राज्य सरकार को समर्थ बनाने के लिये साधन-स्रोत जुटाने का पर्याप्त महत्व है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि अधिक साधन-स्रोत जुटाये बिना विकास कार्य की गति को तेज नहीं किया जा सकता है। इसलिये प्रमंडल आयुक्तों को वाणिज्य-कर, उत्पाद खान आदि जैसे अधिक राजस्व वाले विभाग के कार्य पर नजर रखती होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये भी हर प्रयास करना है कि वृहत्त और मध्यम सिंचाई स्कीमों से की गयी जलापूर्त्ति मद् सरकारी बकायों की अधिक से-अधिक तसीला की जाती है। प्रमंडल आयुक्त को अपने संपूर्ण प्रमंडल में प्रति अप्रील से जून तक सहकारिता बकायों की वसूली के संगठित आन्दोलन में तथा राष्ट्रीय बचत के संघटन में भी सहायता करनी होगी।

(इ) राजस्व कार्य

(क) भूमि सुधार और राजस्व प्रशासन-सरकार ने राजस्व प्रशासन के संबंध में बहुत से विशेष कार्यक्रम चालू किये हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि यहां गिनाना कठिन है। फिर अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्न के सम्बन्ध में है :—

(i) मध्यवर्त्तियों को प्रतिकर के अन्तिम भुगतान के निमित्त 5 लाख तक को निबटाने के लिये अभियान चलाना;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि-सीमा लागू करना तथा अधिक भूमि का;

(iii) शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लागू करना ;

(iv) विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों की वासभूमि अभिधृति को रखना।

(v) 3 से 5 वर्षों के भीतर होल्डिंगों का समेकन-कार्य (कन्सौलिडेशन) पूरा करना;

(vi) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से सम्बंधित 1 लाख केसों का निपटारा। प्रमंडल आयुक्त, समाहर्त्ताओं, बन्दोबस्त पदाधिकारियों आदि के जरिये इन कार्यक्रमों के कार्यान्यन का सर्वांगीण अधीक्षण और नियंत्रण रखेंगे।

(ङ) भू-राजस्व कार्यक्रम कालबद्ध है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिसका विकास सामाजिक न्याय के साथ-साथ ही सकता है। इसीलिये यह सुनिश्चित करना प्रमंडल आयुक्त की जिम्मेवारी होगी कि बिना किसी चूक के समय-सारणी का पालन किया जाय। इसके लिये वे राजस्व बोर्ड के सदस्य, भूमि सुधार आयुक्त तथा अन्य पदाधिकारियों तथा कार्मिक-विभाग के सचिव से बराबर संपर्क बनाये रखेंगे और यह देखें कि कर्मचारियों के अभाव में कार्यक्रम में बाधा नहीं हो। उन्हें विभिन्न राजस्व कार्यक्रमों का निरीक्षण भी समय-समय पर करना होगा।

(च) हर वर्ष राज्य के अनेक भाग बाढ़ और सूखा जैसे दैवी संकटों से ग्रस्त हो जाते हैं और जनता के कष्ट को दूर करने के लिये बड़े पैमाने पर साहाय्य कार्य किया जाता है। प्रमंडल के प्रमुख राजस्व पदाधिकारी के रूप में प्रमंडल-आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार अकाल-बाढ़ साहाय्य संहिता के अध्याय 1 और 2 में उल्लिखित सभी प्रारम्भिक कारवाईयां और एहतियाती उपाय (जैसे नल की व्यवस्था, सभी पम्पिक सेटों एवं अन्य आपाती सिंचाई-साधनों की मरम्मतें, कृषि एवं वर्षा सम्बन्धी पूर्वानुमानों का संग्रह आदि) सभी स्तर पर यथासमय पूरे हो जायें। वे साहाय्य-कार्यों की भी बराबर देख-रेख करेंगे। और इस उद्देश्य से, अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों के कार्यकलाप को समन्वित और नियन्त्रित करेंगे।

(ई) शहरी विकास

प्रमंडल आयुक्तों को स्थानीय निकायों, खासकर, उन्नयन न्यासों तथा पटना नगर निगम के सम्बन्ध में कुछेक पर्यवेक्षण-सम्बन्धी कार्य भी करने पड़ते हैं। इसके अलावा नगरपालिका अधिनियम के अधीन नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों के सम्बन्ध में कुछ कानूनी (स्टेच्यूटरी) कार्य करने पड़ते हैं।

यह भी उतना ही आवश्यक है कि वे नगर विकास सम्बन्धी मामलों में, खासकर नगरक्षेत्रों को साफ रखने नगर स्थित स्थानीय निकायों का राजस्व बढ़ाने तथा उन्नयन न्यासों का समुचित कार्यचालन सुनिश्चित करने और अन्य समान बातों में दिलचस्पी लें।

(उ) परिवार नियोजन

पिछले कुछ महीनों को छोड़कर, परिवार नियोजन के मामलों में राज्य ने बहुत अधिक प्रगति नहीं की है। जबतक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होता, तबतक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में संतोषजनक वृद्धि नहीं होगी। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने में, खासकर ग्रामीण इलाकों और अनुमंडलों तथा प्रखंडों में, भवनों का अभाव सबसे बड़ी बाधा है। इन भवनों के निर्माण के प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध कराने के अलावा, विभिन्न विभागों के कार्यकलापों म समन्वय लाना भी आवश्यक होगा ताकि कम से कम समय में अधिक-से-अधिक भवन बनाये जा सकें जबतक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिये क्वार्टर नहीं बनाये जाते, तबतक परिवार नियोजन में लगे कर्मचारियों से गांवों में जाकर रहने के लिये कहना बड़ा ही कठिन होगा। इन कार्यों में बहुत अधिक समन्वय की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में सक्रिय दिलचस्पी लेकर प्रमंडल आयुक्त ही पूरा कर सकते हैं।

(ऊ) संपर्क और दौरे

(क) जब मंत्री दौरे पर हों तब उनसे संपर्क-राज्य सरकार के मंत्री राज्य के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं। आयुक्तों को चाहिये कि जब मंत्री प्रमंडल आयुक्त-मुख्यालय में दौरे पर आयें तब उनसे मुलाकात करें अथवा वे स्वयं दौरे के दरम्यान उनसे मुलाकात करें, उन्हें अपने प्रमंडल के जिलों की स्थिति से अवगत करायें। खासकर वे उन विभागों के बारे में मंत्री विशेष रूप से जानकारी करायें जिनसे उनका सम्बन्ध हो।

(ख) विधायकों से संपर्क विधानमंडल के सदस्यों को राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है अपने विधायी कार्यों के अलावे वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों और अन्य इलाकों में भी जाते रहते हैं। अतः यदि उन्हें प्रशासन की आंख और कान कहा जाय, तो अनुचित न होगा जिनसे कार्यपालक पदाधिकारियों को जो जानकारी मिलेगी वह अत्यन्त ही उपयोगी हो सकती है और उस पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए।

(ग) आयुक्त से यह भी आशा की जाती है कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र का नियमित रूप से दौरा और विस्तृत निरीक्षण करें। उनके लिये राजस्व और विकास संबंधी क्षेत्रों में दौरों और निरीक्षणों के विस्तृत मानक विहित

कर दिये गये है। हरेक प्रमंडल आयुक्त को कम से कम कितने दिन दौरे पर रहना चाहिये और कितनी रातें मुख्यालय से बाहर बितानी चाहिये, इसका ब्योरा नीचे दिया गया है:—

अवधि		दौरे के दिन	मुख्यालय से बाहर बिताई जानेवाली रात्रि।
(1) 1 अप्रील से 31 मार्च तक 12 महीनों की अवधि	..	120	90
(2) किसी तिमाही में कम से कम ..	..	25	18

आयुक्त से आशा की जाती है कि वे अपने प्रमंडल के प्रत्येक जिले में कम से कम एक महीना बिताये। उनका निरीक्षण विस्तृत और सर्वांगपूर्ण होना चाहिये।

3. प्रमंडल आयुक्त के कर्त्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में इनसे पहले जो सरकारी आदेश-अनुदेश जारी किये गये हैं, उन्हें ऊपर उल्लिखित हद तक संशोधित और बर्धित समझा जाय।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की जानकारी के लिये बिहार गजट में प्रकाशित करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पी० के० जे० मेनन,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र सं०-मं० मं० 2।वि०-2-1084।85--2647

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी विभागाध्यक्ष।
सभी जिला पदाधिकारी।सभी उप-विकास आयुक्त।

पटना 15, दिनांक 28 दिसम्बर, 1985

विषय--विकास कार्यों के संबंध में समुचित समन्वय, निगरानी तथा नियंत्रण एवं उनके द्रुतगामी कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारियों के कार्यों एवं कृत्यों का निर्धारण।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार द्वारा निर्गत किये गये पत्र सं०-1।सी० 102।55-ए० (पार्ट)-6828, दिनांक 1 सितम्बर, 1955 द्वारा जिलाधिकारियों के कृत्यों के संबंध में विस्तृत आदेश निर्गत किये गये थे। ऐसा देखा गया कि उस पत्र में वर्णित निदेशों का पालन कई समाहर्त्ता नहीं कर रहे थे। अतः सरकार ने पुनः पत्र सं० 20852 का०, दिनांक 19 नवम्बर, 1975 द्वारा यह निदेश निर्गत किया कि 1955 के निदेशों का अक्षरशः पालन अवश्य किया जाय। यह इसलिये भी आवश्यक हो गया था कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा संबंधी नये 20-सूत्री कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के लिये जिला स्तर पर समाहर्त्ता और मंडलीय स्तर पर अनुमंडलाधिकारी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गयी थी।

(1955 एवं 1975 में निर्गत किये गये दोनों पत्रों की प्रतियां इस पत्रों के साथ संलग्न किये जाते हैं।)

2. इस बीच पंचायती राज योजना लागू होने पर 1975 में पत्र सं०-4340।पी० पी०, दिनांक 8 मई, 1973 द्वारा तथा 1974 में पत्र सं०-4587 पी० सी०, दिनांक 5 सितम्बर, 1974 द्वारा उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य परियोजना पदाधिकारी के कृत्यों एवं शक्ति के संबंध में निदेश निर्गत किये गये थे। उन निदेशों के कारण जिला पदाधिकारी की भूमिका में कुछ कमी आयी। पंचायती राज योजना तथा विकास के कार्यों में अधिक समन्वय लाने तथा विकास के कार्यों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा निर्गत किये गये पत्र सं०-461 मु० स०, दिनांक 3 मार्च, 1981 द्वारा 1973 एवं 1974 के पत्रों को विखंडित करते हुए उप-विकास आयुक्त के कृत्यों एवं शक्ति के संबंध में विस्तृत आदेश निर्गत किये गये तथा जिला पदाधिकारियों को आपातकालीन स्थिति में या महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिये विकास कार्यों से संबंधित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करने तथा उन विभागों के साधनों को प्राप्त करने की शक्ति दी गयी।

3. कालान्तर में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये बढ़ती जवाबदेही, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गयी। 20-सूत्री कार्यक्रम को कारगर बनाने के लिये पुनः सरकारी संकल्प सं०-46, दिनांक 6 जनवरी, 1983 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गयी और ये शक्तियां काफी हद तक कारगर भी सिद्ध हुई। इस संकल्प की प्रति संलग्न है।

4. जिला पदाधिकारियों की बढ़ती हुई जिम्मेवारियों को ध्यान में रखकर तथा उनकी भूमिका को जनहित में कारगर बनाने के लिये सरकारी निर्णयानुसार 1981 में निर्गत किया गया पत्र सं० 461-मु० सं०, दिनांक 3 मार्च 1981 विखंडित किया जाता है। साथ ही 1973 एवं 1974 में निर्गत किये गये पत्र संख्या क्रमशः 4340 पी० पी०, दिनांक 8 मई, 1973 तथा 4587, दिनांक 5 सितम्बर, 1974 के पहले ही से विखंडित हैं।

5. अतः सभी जिला पदाधिकारीगण अब से पत्र सं० 6828, दिनांक 1 सितम्बर, 1955 एवं पत्र सं०-2085 का०, दिनांक 19 नवम्बर, 1975 में दिये गये अनुदेशों तथा सरकारी संकल्प सं० 46, दिनांक 6 जनवरी, 1983 में दिये गये अनुदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे।

6. पत्र संख्या-20852-का०, दिनांक 19 नवम्बर 1975 की कंडिका 4 में दो और विभाग जोड़े जाते हैं जो निम्नवत् हैं :—

(ण) वन एवं पर्यावरण विभाग

(त) लघु सिंचाई विभाग।

7. इनके अलावे जिलाधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं:—

(क) जिला पदाधिकारी आवश्यकतानुसार अपने जिले के अन्दर पदस्थापित किसी भी विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को स्थानान्तरित करने के लिये संबंधित विभागीय पदाधिकारी को समुचित निदेश दे सकेंगे।

(ख) उसी प्रकार जिला पदाधिकारी अपने जिले के अन्दर पदस्थापित किसी भी विभाग के तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये अथवा केवल विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये जिला स्तरीय संबंधित पदाधिकारी को समुचित निदेश देंगे।

(ग) जिला स्तरीय संबंधित पदाधिकारी, अथवा जो भी सक्षम पदाधिकारी जिले के काम को देख रहे हों, वे जिला पदाधिकारी के निदेश का पालन करेंगे। यदि संबंधित विभागीय पदाधिकारी इस निदेश का पालन नहीं करते हैं अथवा यदि जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी के बीच इस विषय में मतभेद हो तो वैसी स्थिति में जिला पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे, जिनका आदेश अन्तिम समझा जायेगा।

8. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

विश्वासभाजन,

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञाप स०-मं० मं० 2/वि०-2-1084/85-2647

पटना-15, दिनांक 28 दिसम्बर, 1985।

प्रतिलिपि—सदस्य, राजस्व पर्षद/योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-3।सी0 एस0-2006।98—3691

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव।

सेवा में
आयुक्त एवं सचिव।सचिव।सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।सभी विभागाध्यक्ष।
सभी जिला पदाधिकारी।सभी उप-विकास आयुक्त।

पटना 15, दिनांक 5 अक्टूबर 1998

विषय—जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को टीम लीडर बनाया जाना।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्र संख्या-मं० मं०वि2-1084।85-2647, दिनांक 28 दिसम्बर 1985 (अनुलग्नक सहित प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया निदेश करें। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कल्याण कार्यों के संबंध में समुचित समन्वय निगरानी तथा नियंत्रण एवं उनके द्रुतगामी कार्यान्वयन हेतु जिला पदाधिकारियों के कार्यों एवं कृत्यों का निर्धारण करते हुए इसका पालन दृढ़तापूर्वक करने का निदेश दिया गया था। किन्तु आये दिनों सरकार के समक्ष यह शिकायत मिलती है कि विभिन्न विभागों के जिला स्तर पर पदस्थापित तकनीकी पदाधिकारी अपने को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण की परिधि से बाहर समझते हैं। जिला पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बगैर जिला से बाहर रहते हैं तथा किसी तरह का प्रतिवेदन आदि जिला पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराते हैं फलस्वरूप जिला स्तर पर समुचित समन्वय निगरानी तथा नियंत्रण के अभाव में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कल्याण कार्यों का द्रुतगामी कार्यान्वयन नहीं हो पाती है।

2. जिला स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा पदाधिकारी की परिधि में नहीं रहने का विषय सरकार के विचाराधीन था। इस विषय पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी ही मुख्य है। इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाईश नहीं है। जिला स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के तकनीकी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं निगरानी में रहेंगे। इस संबंध में सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्र सं0-2647, दिनांक 28 दिसम्बर 1985 को पुन: प्रख्यापित किया जाता है। इसमें दिये गये अनुदेशों का पालन जिला स्तर के तकनीकी पदाधिकारियों के लिये आवश्यक है तथा किसी प्रशासनिक या तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा इन अनुदेशों का अनुसरण नही करने अथवा उनके पालन में विफलता को सरकार गम्भीरता से लेगी।

3. अत: अनुरोध है कि सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष अपने विभाग।कार्यालय से संबंधित जिला स्तर के पदाधिकारियों से परिपत्र संख्या-2647, दिनांक 28 दिसम्बर 1985 में दिये गये अनुदेशों का पालन दृढ़तापूर्वक कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिला पदाधिकारीगण इसमें दिये गये अनुदेशों का अक्षरत: पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,
एस0 एन0 विश्वास,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं0।3।सी0 एस0-2006।98—3691

पटना-15, दिनांक 5 अक्टूबर 1998।

प्रतिलिपि—सदस्य राजस्व पर्षद।विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

एस0 एन0 विश्वास
मुख्य सचिव।

पत्र संख्या सी०एस०-1।ए० 1-102।90—1137

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी प्रधान सचिव

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 22 जून 1990 ई०

विषय—कार्यपालिका नियमावली—नियमों का अनुपालन।

महाशय,

आये दिन मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित किये जानेवाले संलेखों में एकाधिक त्रुटियां दृष्टिगत हो रही हैं। उन त्रुटियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए परिपत्र निर्गत किये गये हैं, पर अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।

2. साधारणतः निम्नांकित त्रुटियां अधिकांश प्रस्तावों में दिखाई पड़ रही हैं :—

(1) संलेखों का मुद्रण स्वच्छ एवं पठनीय नहीं रहता है। इसके चलते कई बार विभागों का संलेख लौटा देना पड़ता है। संलेख 45 हिन्दी एवं 5 अंग्रेजी प्रतियों में भेजा जाय।

(2) बहुधा संलेख के ऊपर विभाग का नाम और उपान्त में "गोपनीय" शब्द स्पष्ट रूप से अंकित नहीं रहता है।

(3) कई दृष्टांत आये हैं जहां कार्यपालिका नियमावली के नियम 18(3) एवं (4) का अनुपालन नहीं हुआ है।

प्रोन्नति सम्बन्धी संलेख के साथ आयोग की अनुशंसा और यदि किसी का अवक्रमण प्रस्तावित हो, तो वह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिये।

(4) निगरानी विभाग का स्वच्छता प्रमाण-पत्र संलेख के साथ संलग्न नहीं रहता है। स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्रस्तावित प्रोन्नति की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुरानी होने पर उसे रि-भेलिडेट करवा कर ही प्रस्ताव भेजा जाना चाहिये।

इस प्रसंग में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के परिपत्र सं० 4609, दिनांक 1 नवम्बर 1985 एवं 4539, दिनांक 23 सितम्बर 1988 की ओर विभाग का ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है।

(5) कई दृष्टांत ऐसे आये हैं जहां मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्य मंत्री का आदेश मुख्य सचिव के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया है।

कार्यपालिका नियमावली के नियम 15 की प्रक्रिया का पालन दृढ़ता से किया जाय।

(6) कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद सं० 33 के प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद् में उपस्थापित होने के पूर्व नियम 32(क) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से विचारणीय होंगे।

(7) जहां वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति किसी प्रस्ताव पर ली गई हो तो उनके द्वारा लगायी गई शर्त (यदि कोई हो) का उल्लेख संलेख में किया जाना चाहिये और संलेख तदनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(8) यदि संलेख में किसी न्यायादेश की चर्चा हो तो न्यायादेश की प्रति संलेख के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न रहनी चाहिये। वैसे सभी प्रस्तावों में विधि विभाग का परामर्श अनिवार्य है।

(9) रोस्टर क्लियरेन्स के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये। जहां किसी पद को डि-रिजर्व कराया गया हो तो उक्त आदेश को स्पष्ट चर्चा संलेख में होनी चाहिये।

(10) संपुष्टि एवं प्रोन्नति के प्रस्ताव में अंतिम रूप से वरीयता निर्धारित हुई है या नहीं, संलेख में उल्लिखित होना चाहिये।

(11) व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में बजट उपबंध, योजना कार्यान्वयन का वर्ष एवं लागत व्यय विवरणी संलेख में संलग्न किया जाना चाहिये।

(12) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के प्रस्ताव में वित्त विभाग अथवा योजना प्राधिकृत समिति की सहमति के बाद ही संलेख स्वीकार किया जा सकता है।

3. संलेखों का लेखन एवं प्रस्तुति सटीक हो इसलिये अब से संलेख पर संयुक्त सचिव या उच्च स्तर के पदाधिकारी का हस्ताक्षर ही मान्य होगा। निम्न कोटि के पदाधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त संलेख लौटा दिये जायेंगे।

4. आपसे अनुरोध है कि इस परिपत्र से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत करा दें एवं कृपया यह सुनिश्चित करें कि इसका अनुपालन दृढ़ता से हो।

विश्वासभाजन,
कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

सं० सी०एस० 1।आर० 1-103।90—1676

मंत्रिमंडल सचिवालय

आदेश

पटना-15, दिनांक 6 सितम्बर 1990

विषय—वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6021, दिनांक 18 दिसम्बर 1989 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप कार्यपालिका नियमावली 1979 में संशोधन।

1. कार्यपालिका नियमावली के निम्नलिखित नियमों में कई वेतनमानों का उल्लेख है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6021, दिनांक 18 दिसम्बर 1989 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण करने के फलस्वरूप कार्यपालिका नियमावली के उपर्युक्त नियमों में आंशिक संशोधन कर पुराने वेतनमान के स्थान पर नये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाता है। तदनुसार कार्यपालिका नियमावली के निम्नलिखित नियमों में जहां-जहां पुराने वेतनमान का उल्लेख है वहां नये वेतनमान निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित एवं पठनीय समझा जायगा :—

क्रमांक	नियम	पुराना वेतन	नया वेतन
1. (i)	22(3)	1510 रु०	2900 रु०
(ii)	22(3)	2300 रु०	4500 रु०
2. (i)	22(4)	2300 रु०	4500 रु०
(ii)	22(4)	2500 रु०	5000 रु०
3.	22(5)	1510 रु०	2900 रु०
4.	32"क" (ix) (ii)	2500 रु०	5000 रु०
5.	32"क" (xvii)	2000 रु०	4150 रु०
6. तृतीय अनुसूची की मद संख्या	22	2000 रु०	4150 रु०
	27	2000 रु०	4150 रु०
	28	1510 रु०	2900 रु०
	30	2000 रु०	4150 रु०

2. स्थानान्तरण एवं पदस्थापन संबंधी मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 3445, दिनांक 7 सितम्बर 1981 में जहां-जहां वेतन का उल्लेख है वहां-वहां निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

(1) 1510 रु० के स्थान पर 2900 रु०
(2) 2300 रु० के स्थान पर 4500 रु०
(3) 2500 रु० के स्थान पर 5000 रु०

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।आर 1-103।90—1676
पटना-15, दिनांक 6 सितम्बर 1990

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सभी मंत्री।सभी राज्यमंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।आर० 1-103।90—1676
पटना-15, दिनांक 6 सितम्बर 1990

प्रतिलिपि—उपाध्यक्ष, योजना पर्षद, बिहार।योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना।सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।विशेष सचिव।सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सी०एस 1।ए०1-1012।93 (खण्ड)—2285
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प
पटना-15, दिनांक 3 जुलाई 1993

विषय—कार्यपालिका नियमावली के नियम 32-क एवं 53.1-ग में संशोधन।

Amendment to Rules 32 (a) and 53 (1) (c) of the Rules of Executive Business. 1979, (as amended upto 1.8.1992).

वर्त्तमान में प्रशासी विभाग एवं विधि विभाग में अभियोजन के प्रश्न पर मतान्तर होने पर जो कार्यपालिका नियमावली में प्रावधान है, वे बहुधा स्पष्ट मार्ग-दर्शन नहीं देते। फलस्वरूप बहुधा नियमों के व्यख्यान में मतान्तर हो जाता है और नियम व्यावहारिक अथवा प्रभावकारी नहीं हो पाता।

2. उक्त अनुभव के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे विषयों पर प्रशासन के उच्चतम स्तर पर विचार होना चाहिए। इसके आलोक में कार्यपालिका नियमावली के निम्नांकित नियमों में नीचे अंकित संशोधन किया जाता है:—

(1) नियम 32-क में एक नया उप-नियम XIX इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया, यथा, "नियम-53.1 "ग" के अंतर्गत सभी प्रकार की अनुशंसाएं"

(2) वर्त्तमान नियम 53.1 "ग" की "टिप्पणी" को पूर्णत: विलोपित कर निम्नांकित नई टिप्पणी प्रतिस्थापित किया गया:—

"अभियोजन संबंधी सभी प्रकार के आदेश विधि (न्याय) विभाग द्वारा नियम 32-क XIX के अंतर्गत आदेश प्राप्त कर निर्गत किये जायेंगे।"

(i) A new Sub-Rule has been inserted in Rule 32 (a) as sub-rule (xix) which reads:

"All recommendations of the Law (Judicial) Deptt. under Rule 53 (1) (c)."

(ii) The extant NOTE to Rule 53 (1) (c) has been deleted and substituted by the following NOTE:-

"All kinds of orders regarding prosecution shall be issued by the Law (Judicial) Deptt. after orders have been obtained in accordance with Rule 22 (a) (xix)."

मंत्रिपरिषद् द्वारा इस संकल्प को गृहित होने के फलस्वरूप कार्यपालिका नियमावली, 1979, (यथा दिनांक 1 अगस्त 1992 तक संशोधित) उक्त अंश तक संशोधित समझा जायगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में अविलम्ब प्रकाशित कराया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए1-1012।93 (खंड)—2285
पटना-15, दिनांक 3 जुलाई 1993

प्रतिलिपि—योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त।आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव। मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।विधि सचिव।।सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सभी सचिव।सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक सी० एस० 1।आर-1-103।94—3901

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री एस० एस० वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सचिव।

पटना-15, दिनांक 17 अगस्त, 1994 ई०।

विषय—कार्यपालिका नियमावली के नियम 32(क) के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि कार्यपालिका नियमावली के नियम 32(क) के अन्तर्गत उल्लिखित मामलों को प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद किन्तु आदेश निकालने के पूर्व संबंधित विभाग के प्रधान सचिव।सचिव को मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री के समक्ष उपस्थापित करना है, परन्तु कई मामलों में ऐसा पाया गया है कि विभागों के सचिव।आयुक्त एवं सचिव संचिकाएं विभागीय मंत्री को भेजते समय इस आशय का उल्लेख करते हैं कि इस पर मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर लिया जाय तथा मुख्य मंत्री को आदेश होने के बाद संचिका मुख्य सचिव के पास अवलोकनार्थ भेजते हैं।

2. कार्यपालिका नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि संबंधित मामलों को प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त हो जाने के बाद परन्तु आदेश निकालने के पूर्व मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री के समक्ष उपस्थापित किया जाय। इस प्रकार कई विभागों द्वारा कार्यपालिका नियमावली के इस प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है।

3. अतः अनुरोध है कि भविष्य में कार्यपालिका नियमावली के नियम (क) के प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई की जाय। इसके उल्लंघन के लिये संबंधित विभाग के आयुक्त एवं सचिव।सचिव को उत्तरदायी माना जायगा।

विश्वासभाजन,
एस० एस० वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या सी०एस० 1।ए० 1-111।97—2186

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव।

पटना-15, दिनांक 14 अगस्त 1997ई०

विषय—कार्यपालिका नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि कार्यपालिका नियमावली के तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद् का आदेश अपेक्षित होता है। ज्ञातव्य है कि केवल "अत्यावश्यक परिस्थिति" में ही मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य मंत्री का आदेश कार्यपालिका नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत प्राप्त किया जाता है।

2. सरकार को ऐसे दृष्टांत मिले हैं कि साधारण मामलों में भी विभागीय स्तर पर अकारण विलम्ब की स्थिति में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य मंत्री के आदेश प्राप्ति के प्रस्ताव दिये जाते हैं। यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

अतः केवल "अत्यावश्यक परिस्थिति" (खासकर न्यायालय के न्याय निदेश।अवमाननावाद) में ही मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनायी जाय।

विश्वासभाजन,
नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

पत्र सं० सी०एस० 1 आर० 01-1-103/99—491

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सरकार के सभी विशेष सचिव

सरकार के सभी अपर सचिव

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 13 फरवरी 1999

विषय—बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1999।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन, दिनांक 12 फरवरी 1999 से लागू हो गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार के कार्यों के सम्पादन हेतु बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1999 का गठन किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है। यह नियमावली उस समय तक लागू रहेगी जबतक राष्ट्रपति की उदघोषणा सं० जी०एस०आर० 107/ई०, दिनांक 12 फरवरी 1999 प्रभावी रहती है। उसके बाद बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 पूर्ववत लागू हो जायेगी।

2. अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
नरेन्द्र भगत
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या सी०एस० 1।आर० 103।79—703

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सरकार के सभी विशेष सचिव

सरकार के सभी अपर सचिव

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 10 मार्च 1999 ई०

विषय—कार्यपालिका नियमावली, 1979 लागू होने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 12 फरवरी 1999 से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरान्त कार्यपालिका नियमावली, 1979 के प्रावधान स्थगित हो गये थे, जिनका संबंध मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण यथा तत्संबंधी कार्यों के संबंध में है। राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार कार्य नियमावली 1999 लागू की गयी थी जिसकी सूचना आपको पत्रांक 491, दिनांक 13 फरवरी 1999 द्वारा दी गयी थी।

2. बिहार में राष्ट्रपति शासन अब समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1970 पुनः प्रभाव में आ गयी है।

3. तदनुसार अनुरोध है कि बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

No. CS/Estt.-10204/68—1766

GOVERNMENT OF BIHAR

Cabinet Secretariat

FROM,

SHRI GIRIJA PRASAD,
Under-Secretary to Government.

TO

The Accountant-General. Bihar,
P. O. Hinoo, Ranchi,
Through *Finance Department,
*(Consulted non-officially).

Patna, The 6th Vaishakh, 1890(*S*)/26*th April*, 1968

SUBJECT.—Personal Staff of Ministers, State Ministers and Deputy Ministers.

SIR,

I am directed to say that as per existing practice, the following personal staff has been given for each Minister, State Misister and Deputy Minister from the date he assumes office till he remains in office.

1. *One Private Secretary (Gazetted) (*Not for Deputy Minister)	...	Pay Rs. 450 P.M. or, if recruited from the services, on grade pay plus special pay of 20 per cent subject to a maximum of Rs. 75.
2. Two P.As.	...	From the cadre of class-I Stenographers in the scale of 230—419 in case the Stenographer is in the Selection Grade of Class-I the pay scale of Rs. 355—580 would apply.
3. Routine Clerk	...	1 (105—3—123—E. B. —3 — 129—2—145—E.B.—2—155).
4. Jamadar Orderly	...	1 (Rs. 75—½—85).
5. Orderlies	...	3 (Rs. 70—½—80).

All the above posts carry C.L.A. at rates prescribed by Government from time to time.

Experience has shown that though appointments of staff are made immediately when the Minister assumes office, it takes quite a long time to issue necessary sanctioning orders regarding creation of these posts, due to consultation with the Finance Department in very individual proposal and in the draft sanctioning order as well.

Subsequently orders regarding incumbents appointed against these posts are also delayed. This results in great hardship to these staff who have to go without pay till the issue of office orders etc., Government have therefore, been pleased to decide that no separate Government order need issue about the creation of the above mentioned posts on the personal staff of the Ministers etc., and this should be treated as standing Government order for this purpose, untill further order if any. The persons appointed against these posts will hold office purely on a temporary basis during the tenure of office of the Ministers/State Ministers/Deputy Ministers etc.. concerned and will cease to continue as such when the Minister demits his office.

ज्ञाप सं० सी०एस० 2।पी०एस० 108।।71—4804,

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में
मंत्रियों के सभी आप्त सचिव।

पटना 15, दिनांक 30 अक्टूबर 1971

विषय—मंत्रियों के आप्त सचिवों के कर्त्तव्य एवं कृत्य।

ऐसा देखने में आया है कि मंत्रियों के आप्त सचिव विभागों से संचिका या कागजात आदि अपने हस्ताक्षर ही से मांगते हैं, यह कहते हुए कि इन्हें मांगने का उन्हें मंत्री महोदय से आदेश प्राप्त है। कार्यपालिका नियमावली के नियम 24(2) के अनुसार किसी विभाग से कागज-पत्र की मांग करने का अधिकार मंत्री को ही है। अतएव जब भी कभी किसी विभाग से कोई संचिका या कागज-पत्र की मांग करनी हो तो आप्त सचिव इनके लिये मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित आदेश ही भेजें स्वयं अपने हस्ताक्षर से संचिका आदि की मांग न करें।

2. आप्त सचिवों के अन्य कर्त्तव्य एवं कृत्यों के संबंध में श्री एल०पी० सिंह, तत्कालीन मुख्य सचिव के ज्ञापांक 750 ए, दिनांक 27 अगस्त 1953 में उल्लिखित निम्नांकित अनुदेश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे :—

(1) मंत्री के आप्त सचिव सरकार के विभिन्न विभागों से मंत्री महोदय के लिये भेजे गये कागजात या संचिकाएं प्राप्त करेंगे और उन्हें मंत्री महोदय के आदेश इत्यादि के लिये उनके समक्ष उपस्थापित करेंगे और जब मंत्री महोदय के स्तर से इनका निष्पादन हो चुका है तो समुचित विभाग अथवा पदाधिकारी को उन्हें भेज दिया करेंगे।

(2) उनका कर्त्तव्य होगा कि अपने मंत्री महोदय के निजी कार्मों में उनकी सहायता करें जैसे निर्धारित यात्राओं के लिये उचित प्रबंध करना, उनकी यात्रा के कार्यक्रम को अधिसूचित करना, रेलगाड़ियों, हवाई जहाजों, परिसदनों आदि में उनके लिये स्थान सुरक्षित कराना, स्थानीय कार्यक्रमों को निर्धारित कराना इत्यादि।

(3) उनका यह भी कर्त्तव्य होगा कि मंत्री महोदय से मिलने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के भेंट मुलाकात का विनियमन करें उदाहरणार्थ वे इसकी जानकारी कर ले सकते हैं कि मंत्री महोदय से मुलाकात चाहनेवाले व्यक्तियों का क्या काम अथवा प्रयोजन है और तब मंत्री महोदय से परामर्श कर मिलने का समय एवं तिथि निर्धारित कर सकते हैं और संबंधित व्यक्तियों को उनकी सूचना दे सकते हैं।

(4) उनका यह भी कर्त्तव्य होगा कि मंत्री महोदय को संबंधित आवेदन आदि के विषय वस्तु का सारांश तैयार कर मंत्री महोदय के समक्ष उनके आदेश के लिए उपस्थापित करें और अमुक आवेदन किस प्रकार निष्पादित किया जाए इसपर वे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। यदि उनके सुझाव को मंत्री महोदय मान्यता देवें तो उचित कारंवाई हेतु संबंधित विभाग के सचिव को उन्हें वे सूचित कर सकते हैं, किन्तु मंत्री के आप्त सचिव कोई पत्र अथवा आवेदन सचिवालय के किसी विभाग को अथवा विभागाध्यक्ष को मात्र अपनी अनुशंसा या सुझाव के साथ नहीं भेज सकते हैं। सरकार के कोई भी विभाग अथवा विभागाध्यक्ष, मंत्री महोदय का आदेश प्राप्त किए बिना ऐसी अनुशंसाओं अथवा सुझावों (यदि कोई हो) पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे।

(5) मंत्री के आप्त सचिव को यह अधिकार नहीं होगा कि किसी दूसरे राज्य के सरकार से स्वयं पत्राचार करें अथवा सचिवालय या संबंध कार्यालयों से मंत्री महोदय को भेजे गये संचिकाओं पर कोई टिप्पणी करें।

राम सेवक मंडल,
सरकार के मुख्य सचिव।

सं० सी०एस० 2।पी०एस० 1034।80—2696

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना 15, दिनांक 30 जुलाई 1980 ई०

विषय——मंत्रियों।राज्य मंत्रियों।उप-मंत्रियों के आप्त सचिवों को आदेशपाल की सुविधा ।

यदा कदा विभागों द्वारा यह पूछा जाता है कि मंत्रियों।राज्य मंत्रियों।उप-मंत्रियों के आप्त सचिवों को आदेशपाल की सुविधा अनुमान्य है अथवा नहीं। इस संबंध में निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सरकार द्वारा यह निर्णय बहुत पहले ही लिया जा चुका है कि आप्त सचिवों को एक आदेशपाल की सुविधा प्रदान की जाय।

पा० प्र० सेन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सं० सी०एस० 2।पी०एस०-1061।80—3531

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक
श्री पी० पी० सेन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित : द्वारा वित्त विभाग।

पटना, दिनांक 29 सितम्बर 1980

विषय—मंत्रियों।राज्य मंत्रियों।उप-मंत्रियों के आप्त सचिवों को 250 रु० (दो सौ पचास रुपये) मात्र प्रतिमाह नियत विशेष वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार मुझे कहना है कि सम्प्रति मंत्रियों।राज्य मंत्रियों।उप-मंत्रियों के आप्त सचिवों को अपने कोटि वेतन पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 150 रु०) अतिरिक्त विशेष वेतन प्राप्त होता है। लेकिन यह सुविधा बाह्य व्यक्तियों को आप्त सचिव के पद पर नियुक्ति होने पर प्राप्त नहीं होता है।

2. आप्त सचिवों के दायित्व, कर्त्तव्यों एवं दैनिक कार्यकाल देखते हुए सभी स्तर के मंत्रियों के आप्त सचिवों को अब नियत (फिक्स्ड) 250 रु० (दो सौ पचास रुपये) मात्र प्रतिमाह विशेष वेतन की स्वीकृति राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है।

3. इस व्यय का भुगतान उसी बजट शीर्ष से होगा जिस मद से वे अपना वेतन-भत्ता आदि प्राप्त करते हैं।

4. इस प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

पी० पी० सेन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 2।पी०एस० 1061।80—3531
पटना, दिनांक 29 सितम्बर 1980

प्रतिलिपि—वित्त विभाग (प्रशाखा 3)।वित्त (लेखा) विभाग।वित्त (बजट) विभाग।कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, पटना।सरकार के सभी विभाग।मंत्रियों।राज्यमंत्रियों।उप-मंत्रियों के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पी० पी० सेन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र सं० मं०मं० 2।वि०-9026।90—1273
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद
सदस्य, राजस्व पर्षद
योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त
अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो
सरकार के सभी सचिव
सरकार के सभी विशेष सचिव
सरकार के सभी अपर-सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता।

पटना-15, दिनांक 12 जुलाई 1990 ई०

विषय—सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति एवं पत्रोत्तर देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर सरकार द्वारा एकाधिक निदेश दिये गये हैं कि सांसदों एवं विधायकों के पत्रों की प्राप्ति की सूचना एवं पत्रोत्तर समय पर अवश्य दिया जाय। सांसदों एवं विधायकों के पत्रों से प्रतीत होता है कि उक्त अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी शिकायतों से सरकार की छवि धूमिल होती है और जनमानस पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है।

2. विषय की महत्ता को देखते हुए निम्नांकित अनुदेश दिये जाते हैं :—

(1) सांसदों एवं विधायकों के पत्र प्राप्ति की सूचना अविलम्ब दी जाय।
(2) उनसे प्राप्त पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं उनमें उठाये गये विन्दुओं का त्वरित निष्पादन के लिये सक्रियता बरती जाय।
(3) उपलब्ध सूचना यदि गोपनीय नहीं हो तो सांसदों एवं विधायकों को याचित सूचना एवं आंकड़ा अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
(4) जहां उनके द्वारा उठाये गये विन्दुओं पर उच्चाधिकारी के आदेश की आवश्यकता हो अथवा पत्र के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब की संभावना हो, तो वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए उन्हें सौजन्यतापूर्वक एक अंतरिम उत्तर भेज दिया जाय।
(5) माह के अन्त में पत्रों के निष्पादन की समीक्षा जिला दंडाधिकारी स्वयं करें तथा पूर्व में निर्धारित परिपत्र में संसदीय कार्य विभाग को निश्चित रूप से संसूचित करें।

3. इन अनुदेशों को कृपया अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों के बीच परिचारित करा दें ताकि भविष्य में इस आशय की शिकायत पुनः प्राप्त न हो।

विश्वासभाजन,
कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० मं०मं० 2।वि०-9026।90—1273
पटना-15, दिनांक 12 जुलाई 1990 ई०

प्रतिलिपि—मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।राज्यपाल के सचिव।सभी मंत्री।राज्यमंत्री के आप्त सचिव।आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्रांक मं० मं० 2।जी1-101।90-1871

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।

पटना 15, दिनांक 5 जून 1993

विषय---मंत्रियों।राज्य मंत्रियों।उप-मंत्रियों के आप्त सचिवों को आदेशपाल की सुविधा।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र सं० 289, दिनांक 30 जुलाई, 1980 में निर्णय है कि मंत्री।राज्य मंत्री।उप मंत्री के प्रत्येक आप्त सचिव को एक-एक आदेशपाल की सुविधा प्रदान की जाय, परन्तु प्रायः विभागों से पृच्छाएं की जाती है कि आप्त सचिवों के आदेशपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी।

2. आप्त सचिवों की तरह उनके आदेशपाल का पद भी पूर्णतः अस्थायी है एवं उनका पदावधि अधिक-से-अधिक आप्त सचिवों के कार्यकाल तक के लिए ही होती है। अर्थात आप्त सचिवों के इच्छानुसार उनकी सेवायें बीच में भी समाप्त की जा सकती है।

3. साधारणतः वैसे आदेशपाल की नियुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा नहीं की जानी है। यदि प्रशासी विभाग अपने विभागीय पूल के उपलब्ध बल से किसी आदेशपाल को आप्त सचिव के साथ प्रतिनियुक्त करना चाहती है तब उक्त स्थिति में आप्त सचिव द्वारा अपने स्तर से नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

4. परन्तु यदि प्रशासी विभाग आदेशपाल की प्रतिनियुक्ति में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो, ऐसी स्थिति में आप्त सचिव स्वयं स्वेच्छा से एक आदेशपाल को पूर्णतः अस्थायी रूप से एवं अधिक-से-अधिक अपनी सेवा अवधि तक के लिए नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्त करने वाले आप्त सचिव की सेवा समाप्त होते ही उनके द्वारा नियुक्त आदेशपाल की सेवा स्वतः समाप्त हो जायगा।

विश्वासभाजन,

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक मं० मं० 2।जी1-101।90-1871

पटना 15, दिनांक 5 जून, 1993

प्रतिलिपि---सभी मंत्रियों।राज्य मंत्रियों।उप-मंत्रियों के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या सी० एस० 2-सी० एस०-1061/80-4546

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय।

प्रेषक

श्री एस० एस० वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक 21 सितम्बर, 1994।

विषय—मंत्री, राज्य मंत्री।उप-मंत्री के आप्त सचिव (बाह्य व्यक्ति) से नियुक्त को प्रतिपूरक भत्तों की अनुमान्यता के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त आपके कार्यालय के पत्र संख्या जी० ई० 1-आ० स०-प्रति० भ०-1755, दिनांक 24 अगस्त 1994 के प्रसंग में मुझे सूचित करना है कि मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के आप्त सचिव जो बाह्य व्यक्ति से नियुक्त होते हैं को मकान भाड़ा भत्ता नगर, क्षतिपूर्त्ति भत्ता, चिकित्सा भत्ता अनुमान्य नहीं है।

2. आपके द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या सी० एस० ई० एस० टी०-1020/68-1766, दिनांक 26 अप्रील 1968 की एक प्रति की मांग की गई है। इस परिपत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन,
एस० एस० वर्मा,
सरकार के अपर-सचिव।

पत्र संख्या मं० मं० 2-आ० स०-1015।95-763

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक 29 अप्रील, 1995 ई०।

औपचारिक रूप से परामर्शित।
विषय—मंत्रियों के आप्त सचिवों की नियुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि वर्त्तमान में मंत्रियों को दो आप्त सचिव अनुमान्य है, जिनकी नियुक्ति मंत्री स्वेच्छा से सरकारी कर्मचारी अथवा वाह्य व्यक्ति से कर सकते हैं।

2. मंत्रियों के आप्त सचिवों के रूप में वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधी विषय सरकार के विचाराधीन था। सरकार ने इस विषय पर सम्यक विचारपरान्त यह निर्णय लिया है कि मंत्रियों के अनुमान्य दो आप्त सचिवों में से एक आप्त सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन कार्यरत किसी राज्य सेवा के राजपत्रित पदाधिकारी से की जाय। ये राजपत्रित पदाधिकारी राज्य सेवाओं के वरीय प्रवर कोटि तक के पदाधिकारी हो सकते हैं। संबंधित प्रशासी विभाग मंत्री द्वारा चयन किये जाने पर पदाधिकारी की सेवाएं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। मंत्री अपने दूसरे आप्त सचिव के पद पर वर्त्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी भी सरकारी अथवा वाह्य व्यक्ति को नियुक्ति कर सकते हैं।

3. राज्य सेवा के जो पदाधिकारी मंत्री के आप्त सचिव के रूप में नियुक्ति किये जायेंगे, उन्हें वही वेतन भत्ता प्राप्त होगा, जो उन्हें अपनी कोटि में अनुमान्य है। अन्य के लिये पूर्व की व्यवस्था के अनुसार वेतन भत्ता आदि मिलता रहेगा।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-मं० मं० 2-आ० स०-1015।95-763

पटना-15, दिनांक 28 अप्रील, 1995 ई०।

प्रतिलिपि—सभी मंत्रियों के आप्त सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष-सचिव।

ज्ञापांक-मं० मं० 2-भा० स० 1015/95 763

पटना-15, दिनांक 28 अप्रील, 1995 ई०।

प्रतिलिपि—सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष-सचिव।

ज्ञापांक-मं० मं०2-भा० स० 1015/95 763

पटना 15, दिनांक 28 अप्रील, 1995 ई०

प्रतिलिपि—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना।विकास आयुक्त, बिहार, पटना, आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग। मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना।वित्त विभाग (लेखा-शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष-सचिव।

सं०-सी०एस०-1/आर 1-102/97/3806

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

आदेश

पटना-15, दिनांक 10 अक्टूबर, 1998।

विषय—राज्य मंत्रियों/उप-मंत्रियों द्वारा प्रभारी मंत्री के पास संचिका उपस्थापित करने की प्रक्रिया।

उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के आदेश संख्या-2267, दिनांक 19 अगस्त, 1997 के क्रम में कार्यपालिका नियमावली के नियम 7(II) के अधीन मुख्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:—

(1) कोई भी संचिका किसी राज्य मंत्री के पास तीन दिनों से अधिक लंबित नहीं रहेगी।

(2) राज्य मंत्री अपने स्तर से आदेश देकर संचिका नीचे नहीं भेजेंगे। अगर राज्य मंत्री को कोई सूचना प्राप्त करनी है तो राज्य मंत्री विभाग से चर्या टिप्पणी या पदाधिकारी को बुलाकर सूचना प्राप्त करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० एन० विश्वास,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं०-सी० एस० 1/आर-1-102/97-3806

पटना-15, दिनांक 10 अक्टूबर, 1998।

प्रतिलिपि—मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

पत्र सं०-3।सी० एस०।एम०-3005।99—3528

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री ए० के० उपाध्याय,
सरकार के सचिव।

सेवा में

माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव।माननीय राज्यमंत्रीगण के आप्त सचिव।

पटना-15, दिनांक 24, सितम्बर 1999 ई०।

विषय—माननीय मंत्रीगण।माननीय राज्य मंत्रीगण के राज्य में भ्रमण के संदर्भ में आप्त सचिवों द्वारा पर्याप्त समय रहते भ्रमण कार्यक्रम की ससमय लिखित सूचना जिला प्रशासन को दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि माननीय मंत्री।राज्यमंत्री जी के भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन।पुलिस प्रशासन का दायित्व है।ऐसे कुछेक दृष्टांत सामने आये हैं कि माननीय मंत्रीगण जिले का भ्रमण करते हैं तब भ्रमण से संबंधित उनके आप्त सचिव के स्तर से कोई लिखित अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम की सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी जाती है कभी-कभी माननीय मंत्री पटना से सड़क मार्ग से जिला क्षेत्र के लिये जब प्रस्थान करते हैं तब दूरभाष पर मौखिक रूप से इसकी सूचना उनके आप्त सचिव द्वारा दी जाती है। उसके फलस्वरूप गलतफहमी या व्यवस्था में त्रुटी की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री।राज्यमंत्री महोदय को असुविधा हो सकती है।अतएव यदि माननीय मंत्रीगण अपने आप्त सचिव के माध्यम से स्थानीय भ्रमण कार्यक्रम की विधिवत् लिखित सूचना पर्याप्त समय रहते भेजें तो जिला प्रशासन को सुरक्षा।सौजन्य की व्यवस्था करने में आसानी होगी।

अनुरोध है कि कृपया दर्शायी गयी कठिनाइयों को माननीय मंत्री।राज्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए भ्रमण कार्यक्रम की विधिवत् लिखित सुचना पर्याप्त समय रहते जिला प्रशासन को भेजने का कष्ट करें ताकि सुरक्षा। सौजन्य की व्यवस्था करने में आसानी हो।

विश्वासभाजन,
ए० के० उपाध्याय,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3।सी० एस०।एम०-3003।993—528

पटना-15, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 ई०।

प्रतिलिपि—गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

ए० के० उपाध्याय,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3।सी० एस०।एम०-3003।99—3528

पटना-15; दिनांक 24 सितम्बर, 1999 ई०

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ए० के० उपाध्याय
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या-3।सी० एस०।एम०-501।2000-1513

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।

प्रेषक,

श्री गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।

सरकार के सभी सचिव।

पटना-15 दिनांक 23 मई, 2000 ई०।

विषय—माननीय मंत्री।राज्य मंत्रियों।उप-मंत्रियों के आप्त सचिव एवं निजी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंधित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 763, दिनांक 28 अप्रैल, 1995 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि मा० मंत्रीगण।राज्य मंत्रीगण एवं उप-मंत्रीगण द्वारा दो आप्त सचिवों की नियुक्ति की जा सकती है। दो आप्त सचिवों में से एक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत किसी राज्य सेवा के राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं और अन्य एक वाह्य व्यक्ति।

2. यह महसूस किया गया है कि यदि मंत्री।राज्य मंत्री।उप-मंत्री के सगे संबंधी उनके आप्त सचिव अथवा अन्य निजी कर्मी के रूप में नियुक्त हो जायं तो उससे सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि मंत्री।राज्य मंत्री।उप-मंत्री के सगे संबंधी उनके आप्त सचिव।निजी कर्मी के रूप में नियुक्त नहीं किये जायें। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किसी मामले में सगे संबंधी की नियुक्ति हो गया हो तो उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाय।

3. अतः अनुरोध है कि यदि किसी मंत्री।राज्य मंत्री।उप-मंत्री के सगे संबंधी की उनकी आप्त सचिव।निजी कर्मी के रूप में नियुक्ति हो गई हो तो उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाय एवं आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,
गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं 3।सी०एस०।एम०-501।2000—1513

पटना 15, दिनांक 23 मई, 2000

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सभी मंत्री। राज्य मंत्री के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ एवं मंत्री महोदय को ध्यान इस ओर आकृष्ट करने हेतु प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

पत्र सं०-3।सी० एस०।एम०-3015।2000-2002

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।

प्रेषक

श्री अनिरुद्ध प्रसाद श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव।सचिव।सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 30 अगस्त, 2000 ।

विषयः--मंत्री।राज्यमंत्रीगण के कार्यालय।आवासीय कार्यालय हेतु पदाधिकारियों।कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे सूचित करना है कि प्रायः विभागों से किसी दूसरे विभाग अथवा उसी विभाग के मंत्रीगण।राज्यमंत्रीगण के कार्यालय।आवासीय कार्यालय हेतु सरकारी कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति विषयक मामलों पर परामर्श।सहमति हेतु प्रस्ताव इस विभाग को प्राप्त होते रहते हैं, जबकि यह प्रशासी विभाग का आन्तरिक मामला होता है, तथा इस विभाग के स्तर से कोई भी कारंवाई अपेक्षित नहीं होती है ।

2. कार्यपालिका नियमावली के अनुसार मंत्रीपरिषद के सदस्यों के आप्त सचिवों की नियुक्ति संबंधी कार्य इस विभाग को सुपुर्द है । किसी मंत्रीगण के कार्यालय।आवासीय कार्यालय हेतु उसी विभाग से अथवा परिस्थितिवश दूसरे विभाग के कार्मिकों की एक विभाग से दूसरे विभाग, विभागीय मंत्री के साथ प्रतिनियुक्ति विषयक मामले पर कारंवाई प्रशासी विभाग के स्तर से ही की जानी है ।

अनुरोध है कि एतद् संबंधी मामलों में मंत्रीगण को अनुमान्य सुविधा के आलोक विधि सम्मत एवं विवेक के आधार पर प्रशासी विभाग द्वारा स्वयं कारंवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

अनिरुद्ध प्रसाद श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं०-3।सी० एस०।एम०-3015।2000-2602

पटना-15, दिनांक 30 अगस्त, 2000 ।

प्रतिलिपि—सभी मंत्री।राज्यमंत्रीगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनिरुद्ध प्रसाद श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र सं० सी०एस० 1।ए-101।88—460

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव, बिहार, पटना।सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 1 मार्च, 1988 ई०

विषय :—मंत्रिमंडल परिषद् की बैठक दिनांक 1 मार्च 1988 में लिये गये निर्णय मद संख्या 13 "अन्यान्य"।

महोदय,

निदेशानुसार दिनांक 1 मार्च 1988 की बैठक के मद संख्या 13-"अन्यान्य" में लिये गये निर्णय का पूर्ण उद्धरण आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ नीचे दिया जाता है:—

सभी विभाग

यह निर्णय लिया गया कि सामान्यत: किसी भी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के बाद सेवावधि में विस्तार नहीं किया जाय।

अपवादस्वरुप जनहित में यदि किसी की सेवावृद्धि दी जाय तो उसकी अवधि तीन महीने से अधिक न हो और सेवानिवृत्ति के एक महीने पहले सरकारी निर्णय प्राप्त कर लिया जाय।

सेवावृद्धि के ऐसे मामलों पर भी विचार किया जा सकता है जिन्हें मात्र तीन महीने तक की हैं सेवावृद्धि स पूर्ण पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ प्राप्त हो जाय।

ऐसे मामलों में सम्बद्ध विभाग द्वारा कम से कम छ: महीने पहले कार्रवाई अवश्य प्रारम्भ कर दिया जाय। इस क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि संभावित प्रोन्नतियों के लिये तथा रिक्तियों को भरने के लिये कम से कम छ: महीने पहले संबद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई अवश्य प्रारम्भ कर दी जाय।

सभी विभाग, विभागीय मंत्री के समक्ष प्रत्येक त्रिमाही प्रोन्नतियों एवं रिक्तियों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

आरक्षण संबंधित को भी सरकारी निर्देश है उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मुख्य सचिव यह भी शीघ्र देख लेंगे कि भारत सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है।

विश्वासभाजन,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस० 1।ए 1-101।88—460, पटना-15, दिनांक 1 मार्च 1988

प्रतिलिपि मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सभी मंत्रिगण के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या 5सी०एम० 1-107/88—993
बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय।

प्रेषक
श्री ए० यू० शर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में
सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 14 जून 1989 ई०

विषय—मुख्य मंत्री के वृत्तादेश तथा मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा पृष्ठांकित आवेदन पत्रों का समय पर निष्पादन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र संख्या 1392, दिनांक 31 मई 1988, 2252, दिनांक 9 सितम्बर 1988 तथा 3226, दिनांक 13 दिसम्बर 1988 के क्रम में मुझे कहना है कि प्रतिदिन केन्द्रीय मंत्रियों/सांसदों/विधायकों/विशिष्ट व्यक्तियों एवं आम जनता से प्राप्त पत्र मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा शीघ्र निष्पादन हेतु विभिन्न विभागों को भेजे जाते हैं। इन पत्रों के निष्पादन की सूचना समय पर मुख्य मंत्री सचिवालय को प्राप्त नहीं हो पाती है। फलस्वरुप स्मार निर्गत करने की आवश्यकता पड़ती है। स्मारों के बावजूद वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है।

2. मुख्य मंत्री द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है कि विभिन्न विभागों में संबंधित सचिव द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा भेजे गये पत्रों के निष्पादन हेतु स्मार निर्गत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। प्रत्येक पत्र पर की गई कार्रवाई से संबंधित विभाग मुख्यमंत्री सचिवालय को एक पक्ष के अन्दर निश्चित रुप से वस्तुस्थिति से अवगत करावें। साथ ही उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष अपने विभाग में विशेष व्यवस्था चालू करें।

3. कृपया अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को ये निर्देश दे दें कि इस निर्देश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय। अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब होने पर सरकार कड़ा रुख अपनायेगी।

4. इसे कृपया अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
ए० यू० शर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० 5/सी०एम० 1-107/88—993, पटना-15, दिनांक 14 जून 1989 ई०

प्रतिलिपि योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद् एवं अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ए० यू० शर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० 5/सी०एम० 1-107/88—993, पटना-15, दिनांक 14 जून 1989 ई०

प्रतिलिपि मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को उनके पत्र सं० 5512102 दिनांक 27 मई 1989 के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित।

ए० यू० शर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र सं० सी०एस० 1-ए०1-102 90—221

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक,

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 15 फरवरी 1990 ई०

विषय--मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14 फरवरी 1990 के मद संख्या 29 "अन्यान्य" में लिये गये निर्णय

महाशय,

निदेशानुसार मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14 फरवरी 1990 के मद संख्या 29 "अन्यान्य" के निर्णय का पूर्ण उद्धरण आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ नीचे दिया जाता है :--

"सभी विभाग

छोटानागपुर प्रमण्डल में 15,000 (पन्द्रह हजार) तक ऋण माफी नीति के अन्तर्गत ऋनगोला का ऋण एवं सारे राज्य में बुनकरों को उक्त राशि तक ऋण माफ किया गया।"

विश्वासभाजन,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या सी०एम० 1-ए० 1-102/90—222

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक,

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव,

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 15 फरवरी 1990 ई०।

विषय—मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14 फरवरी 1990 के मद संख्या 30 "अन्यान्य" में लिये गये निर्णय।

महाशय,

निदेशानुसार मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14 फरवरी 1990 के मद संख्या 30 "अन्यान्य" के निर्णय का पूर्ण उद्धरण आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ नीचे दिया जाता है:—

"सभी विभाग

शिक्षित बेरोजगार को कार्य देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि पांच लाख रुपये तक प्राक्कलन का कार्य में उनके निबंधन की आवश्यकता नहीं होगी।"

विश्वासभाजन,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र सं० सी०एस० 1।ए० 1-102।91—256

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक,

श्री कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 5 फरवरी 1991 ई०।

विषय—मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए संलेख।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में आपका ध्यान मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक 1137, दिनांक 22 जून 1990 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि मंत्रिपरिषद् के लिये संलेख भेजने हेतु निम्नांकित नई प्रक्रिया तात्कालिक प्रभाव से अपनाई जाय :—

(1) अब से संलेख कुल 70 (सत्तर) प्रतियों में भेजी जाय।

(2) संलेख की हिन्दी प्रति 65 (पैंसठ) होगी।

(3) 5 (पांच) अंग्रेजी प्रतियां होंगी।

(4) इधर कई विभाग से संलेख की अंग्रेजी प्रतियां प्राप्त नहीं हो रही है और संलेख संयुक्त सचिव के निम्न कोटि के पदाधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा गया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय को यह स्पष्ट निदेश दिया गया है कि परिपत्र सं० 1137, दिनांक 22 जून 1990 एवं उपर्युक्त नई व्यवस्था के अनुरुप संलेख नहीं प्राप्त होने से संलेख एवं संचिका संबंधित विभागों को लौटा दें।

विश्वासभाजन,
कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव।

संकल्प सं०-सी०एस०1/ए01-204/86(खण्ड)-301

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना-15, दिनांक 4 फरवरी 1993 ई०

विषय—मंत्रिपरिषद् की आर्थिक नीति और आर्थिक समन्वय विषयक समिति का पुनर्गठन।

मंत्रिमंडल सचिवालय का संकल्प ज्ञापांक 3770, दिनांक 9 अक्तूबर 1980 द्वारा आर्थिक नीति एवं आर्थिक समन्वय समिति गठित किया गया था।

2. लोक हित में और प्रशासन को और अधिक स्ट्रिम-लाईन करने के लिए उपर्युक्त समिति का पुनर्गठन आवश्यक प्रतीत होता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि पुनर्गठित समिति में 5 (पांच) मंत्री सदस्य के रूप में रहेंगे तथा एक मंत्री संयोजक-सदस्य होंगे। उनका मनोनयन मुख्य मंत्री द्वारा किया जायगा।

(ii) मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के अतिरिक्त प्रस्तावित पुनर्गठित समिति में

1. योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, (2) संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव स्थायी आमंत्रित (permanent invitee) रहेंगे।

(iii) समिति को सचिवीय सहायता वित्त विभाग द्वारा दी जायगी तथा वित्त आयुक्त इस समिति के सचिव होंगे।

3. आर्थिक नीति और आर्थिक समन्वय विषयक गठित समिति के कृत्य निम्न प्रकार होंगे:—

(i) राज्य के लिये विशेष आर्थिक नीति का निर्माण, उसकी समीक्षा उस पर अग्रचिंतन तथा उसके लिये योजना बनाने में विचार देना।

(ii) आर्थिक क्षेत्र के कार्यकलापों के संबंध में निदेश देना और उनका समन्वय करना।

(iii) साधन जुटाने के उपायों एवं साधन के उपयोग पर विचार करना।

(iv) साधन जुटाने के उपायों पर विचार करना, जिनके अन्तर्गत कर रोपण भी है।

(v) राज्य लोक क्षेत्र (स्टेट पब्लिक सेक्टर) के उद्यमों (अंडरटेकिंग) के कार्यचालन की समीक्षा करना।

(vi) पूंजी निवेश संबंध सभी मामले, जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक का व्यय निहित है।

(vii) औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण पर्षद् से संबंधित सभी मामले।

(viii) अर्थ साहाय्य (subsidy) नीति संबंधी मामले।

(ix) राजस्व नीति अर्थात् कर एवं गैर-कर प्राप्तियां और अतिरिक्त साधन स्रोत के मामले, और

(x) राज्य की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी अन्य मामले पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति से विचार किया जा सकेगा।

4. उपर्युक्त पुनर्गठित समिति को प्रदत्त शक्तियां प्रत्यायोजित होते हुए भी जहां भी किसी प्रस्ताव या परियोजना में कार्यपालिका नियमावली के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् की सहमति अपेक्षित है वह लिया जाना अनिवार्य माना जायगा।

5. विभागीय मंत्री के आदेश से समिति के समक्ष लाये जाने वाले प्रस्ताव को प्रशासी विभाग प्रस्तुत करेंगे तथा संयोजक-सदस्य की पूर्वानुमति से समिति के सचिव बैठक की तिथि, समय एवं एजेंडा नोट्स संबंधित सदस्यों को संसूचित करेंगे और बैठक के बाद कार्यवाही अनुमोदनार्थ उपस्थापित करेंगे।

(ii) परन्तु मुख्य मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही समिति की कार्यवाही निर्गत की जायगी।

6. उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरुप सचिवीय स्तर की समिति जो मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प ज्ञापांक 3074, दिनांक 17 नवम्बर 1988 द्वारा गठित है विघटित समझी जायगी।

7. यदि किसी प्रस्ताव में संयोजक एवं विभागीय मंत्री के विचारों में भिन्नता रहे तो संबंधित प्रस्ताव योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त के माध्यम से मुख्य मंत्री के आदेशार्थ भेजा जायेगा एवं मुख्य मंत्री का आदेश अन्तिम निर्णय माना जायेगा।

8. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में कराया जाय और सभी संबंधितों को इसकी प्रतियां भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूण पाठक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-सी एस० 1/ए० 1/201/86 (खंड) 301

पटना-15, दिनांक 4 फरवरी 1993 ई०

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव

योजना मंत्री के आप्त सचिव

सभी मंत्री के आप्त सचिव

योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार, पटना

अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना

वित्त आयुक्त, बिहार, पटना

क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची

अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना

अध्यक्ष, सोन कमांड-सह-विशेष सचिव, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, सोन भवन, पटना

सरकार के सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

निदेशक, स्टेट आरकाइव्स, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

सं० सी०एस० 1।ए 1-201।86(खंड)--2733ए

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना-15, दिनांक 21 जुलाई 1993 ई०

विषय—मंत्रिपरिषद् की आर्थिक नीति और आर्थिक समन्वय विषयक समिति का पुनर्गठन।

मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 301, दिनांक 4 फरवरी, 1993 में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आर्थिक नीति और आर्थिक समन्वय विषयक समिति में वित्त सचिव उपर्युक्त समिति के सचिव के स्थान पर सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत होंगे।

2. उपर्युक्त अंश तक संकल्प संख्या 301, दिनांक 4 फरवरी 1993 की कंडिका 2 (III) संशोधित समझा जायेगा।

3. उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त संकल्प संख्या 301, दिनांक 4 फरवरी 1993 एवं 433, दिनांक 12 फरवरी 1993 के शेष सभी अंश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में कराया जाय और सभी संबंधितों को इसकी प्रतियां भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।ए 1-201।86(खंड)2733ए,

पटना-15, दिनांक 21 जुलाई 1993 ई०

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।योजना मंत्री के आप्त सचिव।सभी मंत्री के आप्त सचिव।योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार, पटना।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना।वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची।अध्यक्ष, सोन कमांड-सह-विशेष सचिव, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, बिहार, पटना।सरकार के सभी सचिव।सभी विभागाध्यक्ष।निदेशक, अभिलेखागार, बिहार, पटना को मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 302, दिनांक 4 फरवरी 1993 एवं आदेश संख्या 432, दिनांक 12 फरवरी 1993 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

संख्या 3/सी०एस०/एम०-3043/93—3453

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

पटना,15, दिनांक 24 सितम्बर 1993

विषय—मुख्य मंत्री को भेजे जानेवाली संचिकाओं में सचिवो की टिप्पणी।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि बहुधा यह पाया जा रहा है कि वैसी संचिकायें जिसमें मुख्य सचिव अथवा मुख्य मंत्री का आदेश मुख्य सचिव के माध्यम से अपेक्षित हो, को पृष्ठांकित करते समय विभागीय सचिव द्वारा आत्मधारित टिप्पणी अंकित नहीं रहती है ।

2. अतएव आपसे अनुरोध है कि वैसी संचिकाओं में विभागीय सचिव कृपया अपने ओर से संक्षिप्त तौर पर आत्मधारित टिप्पणी अंकित करें एवं टिप्पणी के अंतिम कंडिका में जिन बिन्दुओं पर सरकार का आदेश अपेक्षित हो उसकी स्पष्ट चर्चा कर दें।

3. इस पद्धति को कृपया तात्कालिक प्रभाव से अपनाया जाय ताकि संचिकाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब न हो।

विश्वासभाजन,
अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

प्रतीक ओसी०एस०एम०-304191—4153

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

पटना-15, दिनांक 10 नवम्बर 1993 ई०

विषय—मुख्य मंत्री का आदेश प्रत्याशित करना।

महाशय,

कार्यपालिका नियमावली में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि किस परिस्थिति में, किनका आदेश किस स्तर से प्रत्याशित किया जा सकता है।

2. इधर कई दृष्टान्त मेरे समक्ष आये हैं जहां यह दृष्टिगत हुई है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा मुख्य मंत्री के आदेश को विभागीय स्तर पर ही प्रत्याशित कर लिया गया है। विशेषकर वैसी नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं अनुशासनात्मक विषयों पर, जिसमें मुख्य मंत्री का आदेश ही सक्षम आदेश हो सकता है, की प्रत्याशा में आदेश निर्गत किया गया है।

3. भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई सम्पूर्णतः अवैध माना जायगा और किसी भी अवस्था में मुख्य मंत्री का आदेश अथवा अन्य सक्षम पदाधिकारी के आदेश की प्रत्याशा में कोई कार्रवाई या आदेश पारित नहीं किया जाय, जो अधिनियम अथवा नियमसंगत नहीं हो।

4. कृपया इसे दृढ़ता से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन,
ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र संख्या सी०एस० 1।ए० 1-109।96 (पार्ट)—1264

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

पटना-15, दिनांक 18 अप्रैल 1996 ई०

विषय—मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु कार्योपरान्त स्वीकृत संबंधी संलेख प्रेषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्र संख्या सी०एस० 1।ए० 1-109।95–669, दिनांक 10 अप्रील 1995 एवं पत्रांक 1185, दिनांक 22 जून 1995 द्वारा अनुरोध किया गया था कि गत वित्तीय वर्ष के कार्योपरान्त स्वी ति संबंधी संलेख दिनांक 30 जून 1995 तक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय। परन्तु ऐसा पाया जा रहा है कि कतिपय विभागों द्वारा एक से अधिक वर्षों के कार्योपरान्त संबंधी संलेख मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रेषित किये जा रहे हैं, जो बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम 15 का स्पष्ट उल्लंघन है।

2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्यपालिका नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत जहां मंत्रिपरिषद् की स्वी ति प्रत्याशित की जाती है, संबंधित विभाग को तीन सप्ताह के अन्दर मंत्रिपरिषद् की बैठक में विचारार्थ संलेख उपस्थापित करना है।

3. कार्यपालिका नियमावली के नियम 56 में प्रत्येक विभाग के सचिव को कार्यपालिका नियमावली के अनुपालन हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। अतः तीन सप्ताह के अन्दर कार्योपरान्त स्वी ति संबंधी संलेख मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग में प्रेषित नहीं करने के लिये विभागीय सचिव जिम्मेवार होते हैं।

4. आपसे पुनः अनुरोध है कि कार्योपरान्त स्वीकृति संबंधी संलेख कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों के अनुसार तीन सप्ताह के अन्दर मंत्रिमंडल सचिवालय में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।ए 1-109।95 (पार्ट)—1264,
पटना-15, दिनांक 18 अप्रील 1996

प्रतिलिपि—विकास आयुक्त, बिहार, पटना एवं मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र सं० सी०एस० 1।आर० 1103।94—2268

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।

प्रेषक

श्री बी० पी० वर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

पटना-15, दिनांक 19 अगस्त 1997 ई०

विषय—मुख्य मंत्री के प्रभाराधीन विभागों की संचिकाओं का उपस्थापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 1364, दिनांक 25 जुलाई 1995 द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया है कि बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 के नियम 32 (क) के अन्तर्गत आनेवाले मामलों में मुख्य मंत्री के प्रभाराधीन सभी संबंधित विभागों का परामर्श प्राप्त कर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया जाय। परन्तु कई मामलों में ऐसा पाया गया है कि विभागों के आयुक्त एवं सचिव।सचिव संचिकाएं विभागीय मंत्री को भेजते समय इस आशय का उल्लेख करते हैं कि इसपर मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर लिया जाय तथा मुख्य मंत्री का आदेश होने के बाद संचिका मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ भेज दी जाती है। इस प्रकार कार्यपालिका नियमावली के इस प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा।

2. अतएव पुनः अनुरोध है कि भविष्य में कार्यपालिका नियमावली के नियम 32(क) का दृढ़ता से पालन किया जाय। अन्यथा इसके उल्लंघन के लिये संबंधित विभाग के आयुक्त एवं सचिव।सचिव को उत्तरदायी माना जायेगा।

विश्वासभाजन,
बी० पी० वर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।आर० 103।94—2268,

पटना-15, दिनांक 19 अगस्त 1997 ई०

प्रतिलिपि—सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना।विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।आर० 1103। 2268,

पटना-15, दिनांक 19 अगस्त 1997 ई०

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस परिपत्र के प्रावधानों के विपरीत यदि कोई संचिका प्राप्त हो तो उसे संबंधित विभागीय सचिव को वापस करते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त करने के लिये कहा जाय।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

पत्रांक-सी०एस० 1/ए 1-1012/97—2804

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री एस० एन० विश्वास,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव
सरकार के सभी सचिव

पटना-15, दिनांक 21 जुलाई 1998

विषय—मंत्रिपरिषद् के निर्णयार्थ विभागों द्वारा उपस्थापित संलेख।

महाशय,

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 2538, दिनांक 1 सितम्बर 1997 (प्रतिलिपि संलग्न) में सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित किये जानेवाले संलेखों एवं संचिकाओं को बैठक के आठ (8) दिन पूर्व अवश्य भेजा जाय। इधर प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभागों द्वारा इसे अनुपालन में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखायी जा रही है। परिणामतः संलेखों के ससमय मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने में काफी कठिनाई हो रही है।

2. अतएव पुनः अनुरोध है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 2538, दिनांक 1 सितम्बर 1997 में निहित निदेश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक सी०एस०1-1012/97—2804,
पटना-15, दिनांक 21 जुलाई 1998

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

संख्या सी०एस० 3-एम० 2-2017/71—3356

बिहार सरकार

मन्त्रिमंडल सचिवालय।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग।

श्रावण 1893 (श०)
पटना-15, दिनांक
30 जुलाई 1971

विषय—मंत्रिमंडल के लिये संलेख।

नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या 9277, दिनांक 29 मई 1971 में उपबंधित हुआ है कि सरकारी सेवाओं के सभी वर्ग के पदों में प्रोन्नति के मामले में भी, सीधी नियुक्ति की तरह, अनुसूचित जातियों के लिये 14 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के लिये 10 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेंगे। अतः निदेशानुसार, अधोहस्ताक्षरी को अनुरोध करना है कि प्रोन्नति के मामलों में मन्त्रिमण्डल के लिये जो संलेख भेजे जायें उनमें यह स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी अनुदेश का पालन किया गया है या नहीं, और यदि नहीं, तो उसके कारण का भी विस्तृत उल्लेख किया जाय। संलेख में यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि इन जातियों के किन-किन पदाधिकारियों के सम्बन्ध में किस आधार पर विचार किया गया और यदि किन्हीं प्रोन्नति के योग्य नहीं समझा गया तो क्यों?

रामसेवक मंडल,
मुख्य सचिव।

1 मंत्रिमंडल—

खंड–9

53 R.R. File No. R.R.(II)- 1/54.

Government of Bihar

Political (Records) Department.

To

The Accountant- General, Bihar
(Through the Finance Department)

Dated 18 February' 1954.

Subject:- The re-Organisation of the Civil Secretariat, Record Room.

Sir,

The State Government have re-orgarised the State Civil Sectt. Record Room to bring it is line with the modern Archival Principles. All historical records, at present lying scattarred in the offices of the Commissioners, of Divisions, District Officers and the Board of Revenue will be collected and preserved carefully in the Secretariat Record Room which will new be known as the State Central Records Office, Bihar, and bonafide Research Scholars will be free to consult all pre-1901 records. The Office will continue to store as at present the records of the Secretariart Departments.

2. As a result of the re-organisation the following posts are abolished with effect from the lst March, 1954.

			Pay scale.
1.	Lower Division Assistants	3	70-3-85-E.B.-4-105-2-125.
2.	Record Supplier	1	28-1-(2)-40.
3.	Book-Binder	1	25-1/2-32 1/2.

With effect from the samee date the following posts are created.

1.	Technical Assistant	1	120-8-200.
2.	Record Clerk	4	50-2-45-E.B.2-90.
3.	Mender-*Cum*-Book-binder	1	35-2-45-E.B.1-55.
4.	Peons	2	22½-1 ½-27-1 2.
5.	Farash	1	17½-½-2-25.

3. After the re-organisation the Strength of the State Central Office, Bihar, will stand on follows:-

			Pay Scale.
1.	Record Keeper	1	Rs.250-10-300.
2.	Asstt. Record Keeper	1	Rs.120-8-200.
3.	Technical Assistant	1	Rs.120-8-200.
4.	Typist Clarks II	1	Rs.60-2-00-E.B.-2 -100.
5.	Record Clerks	5	Rs.50-2-70-E.B.2-90
6.	Mender- *Cum*-Book-Binder	1	Rs.35-2-45-E.B.1-55
7.	Record Suppliers	3	Rs.28-1-(2)-40.
8.	Peons	7	Rs.22-½ 2½--27½
9.	Farashes	4	Rs. 17½ -½ 25½

4. The Present Assistant Record Keeper, Shri Narayan Saran. has had special training in Archives. Keeping and will be in charge of the Archivist Section and will draw, in addition his pay', a special pay 20% of his grade pay.

5. At Present there are 4 persons who hold posts of Record Suppliers on a a substantive basis. So lorg as any post Record Supplier does not fall vacant permanently either by retirement or otherwise of any existirg Record Supplier one more post or Record Supplier would be deemed to have been created and there will be a corresponding decrease by one in the number of post of Record Clerks. When the number of posts of Record Supplier is reduced to 3, the number of posts of Records Clerke will incresae from 4 to 5.

6. The State Central Records Office, Bihar, will continue to be under the administrative control of the Political Department.

7. The charge is debitable to the head* 25-General Administration- Civil Secretariat-Political and Appointment Department pay of Establishment- Voted.*

Yours faithfully,
Illegible,
Addl. Deputy Secretary to Government.

Memo No. R.R.(H)1/54-53R.R.

Patna, the 18th February 1954.

Copy forwarded to the Office Accountant Finance Department.

Revenue Department *Finance.
Deptt. (F.II)

*CONSULTED U/O.
for information.

2. The Board of Revenue, Commissioner of Division, District Officers may be requested to provide facilities to staff of the State Central Recoords Office, Bihar, in inspection of their records, incollecting the Historical records and in bringing them for preservation in the State Central Office, Bihar.

Para. 2 to Rev. Deptt. only. By order of the Government. of Bihar.

1 Cebenet.—

Confidential

No.D/Con-2032/56—1383 P.SC.

BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION.

Patna, the 14th May 1956.

From

Shri P.S. Prasad, B.Sc.
Secretary to the Commission.

To

The Chief Secretary to Government of Bihar,
Political Department (State Central Records Office).

Subject:- Appointment of Dr. B.B.Mishra to the post of Director of Archives.

Reference:- Your letter no. 147 R.R., dated the 29th April. 1956.

Sir,

The Commission concur with the proposal of Government to appoint Dr. B.B.-Mishra to the post of Director of Archives in Class I of the Bihar Educational Service.

Yours faithfully,
P.S.Prasad,
14th May 1956
Secretary.

Government of Bihar

Political Department
(State Central Records Office, Bihar).

MEMORANDUM

Patna, the 27th August, 1956.

In their meeting held on the 8th May, 1956, the Conucil of Ministers approved a proposal to organise and expand the State Central Records Office, Bihar, along the lines of the National Archives of India and creation of a post of Director of Archives, Bihar, who should utilise the Archives for research, particularly into the administrative history of Bihar. Dr. B.B. Mishra, took over charge as Director of Archives, Bihar on the 7th Aug. 1956.

2. To assist the Director it is now proposed to grant four Posts of Research Assistants in the scale of pay of Rs. 200-10-250-15-325-DB-15-400-10-450 and two posts of typists. The duties of the Research Assistants will be broadly:-(1) Inspection of old records in the Commissioners, and District Offices, preparation of lists of these records and bringing the records to the State Central Records Offices 2. Scientific classification, cataloging and indexing of the records already in the State Central Records Office and these to be brought from Commissioners, and District Offices, (3) Research in the administrative history of Bihar under the direction and guidance of the Director.

3. The work of Research Assistants is not such as can be done properly by a person with an ordinary degree, or by persones who is constantly looking for employment elsewhere. Therefor to attract good scholars it is necessary to offer them pay in the scale..(sick)

4. The Post of Research Assistants will be non-gazetted but.................. ....nature.

5. Political Dipartment have concurred.

6. The cost on account of this schome for the year 1956-57' and the annual recurring cost in subsequent year are shown in the attached statement. The cost for the year 1965-57 may be met from an advance from the Contingency fund. Provision for the next financial year and subsequent years will be made in the first edition of the budget.

7. Approval of the Couneil of Ministers is sought to the above proposals.

Sd/-L.P.Singh,
Chief Secretary to the Government of Bihar

Memo No.R.R.(H)24/56-119-R.R/
Patna, the 27th August, 1956.

Copy with 30 spare copies forwarded to the Cabinet Department for information and necessary action.

Sd.-R.B. Lal,
Addl. Under Secretry to Government.

Government of Bihar

Political Department
(State Central Records Office Bihar).

ORDER.

Sanction of Government is accorded to the conversion of the temporary posts of Director of Archives in Class I of Bihar Educational Service, one steno-typist and one orderly peon originally created in G.O.No. R.R.(H) 24/56-180 R.R.dated the 23rd May, 1956 and extended for a further period of five years under G.O.No. R.R.32/61-R.R.101, dated the 22nd February, 1961, into permantent posts with effect from the 7th August, 1966.

2. The charge is debitable to the Head "19-General- Administration-Cevil Secretariat-political and Appointment Department- Pay of Officers- voted".

By Order of the Governor of Bihar,
Sd/-Girija Prasad,
Under-Secretary to Government.

Memo No. R.R.76/66-R.R.—408
Patna, the 11th Kartika, 1888(S)—2nd November, 1966.

Copy forwarded to the *Finance Department for information and transmission to Accountant General Bihar, Po.Hinoo, Ranchi.
*Consulted U/O

2. The post is at present held by Dr.K.K Datta in honorary capacity.

Sd/-Girija Prasad,
Under-Secretary to Government.

Memo No.R.R.76/66-R.R.—408

Patna, the 11th Kartika, 1888 (S)/2nd November, 1966

Copy forwarded to Finance Department (Budget Branch)/Finance Department (Accounts Branch) / Cabinet Secretariat for information (and necessary action).

( ) For Finance Department (Accounts Branch) only.

Sd/-Girija Prasad,
Under-Secretary to Government.

Government of Bihar

Political Department
(State Central Records Office, Bihar).

NOTIFICATION.

Patna, the 1st Aswin, 1890(S)

23rd September, 1968.

No. Records. 77/68- R.323. For the performance of business in relation to the Director of Archives, the Governor of Bihar is pleased, under 166 and 309 of, and in exercise of other powers under the constitution of India to issue the following orders:—

2. The Director of Archives, Bihar will function as a head of department in sole charge of the State Central Records Office under the Administrative Control of the political (General) Department.

3. The Director of Archives shall have all the powers under the various codes and rules which Heads of Departments ordinarily exercise.

4. Subject to observances of rules and procedure in force the Director of Archives shall have the power to appoint, dismiss or remove from service or otherwise punish all members of the subordinate service (Class III and IV) in the establishment of the State Central Records Office.

5. These order will come into force immediately.

By order of the Governor of Bihar,
R. T. Sinha,
Secretary to Government.

Memo No. Records. 77/68-R.R.—323.
Patna, the 1st Aswin. 1890(S)

23rd September, 1968.

Copy forwarded to the Superintendent, Government press, Gulzarbagh for publication in the next issue of the Bihar Gazette.

K. L. Swani,
Deputy Secretary to Government.

Memo No. Records. 77/68-R.R.—323.
Patna, the 1st Aswain,1890(S)

23rd September, 1968.

Copy forwarded to the Accountant General, Bihar/Secretary to the Governor of Bihar/All Departments of Government/All Heads of Departments/Secretary/Ministry of Education, Government of India, New Delhi/Director of National Archives of India, Janpath, New Delhi/Director of Archives, Bihar, Patna for information (and necessary action).

(—) To Department of Coordination
(Cabinet Secretariat)
and Finance Department only.

K. L. Swani,
Deputy Secretary to Government.

No. Records-34/68-R.—482

Government of Bihar
Political (General) Department,
(State Central Records Office, Bihar).

From

Shri R. T. Sinha,
Secretary to Government, Bihar,

To

The Accountant General Bihar,
P.O. Hinoo, Ranchi.

*Consulted U/C. (Through the *Finance Department).

Patna-15, dated the 9th Paush, 1890(S,

10th December, 1968.

Subject:-Powers and functions of the Director of archives, Bihar.

Sir,

I am directed to say that the Director of Archives, Bihar, has been declared as Head of Department in sole charge of the Directorate of Archives (State Central Records Office, Bihar) under the administrative control of the Political (General) Department shall have all the powers under the various codes and rules which Heads of Departments ordinarily exercise, vide notification No.dated the 23rd September, 1968 (copy enclosed).

2. The duties and functions of the Director in the Directorate of Archives shall be:-

(i) To advise the Government on measures for controlling and co-ordinating the archival activities of all public offices within its jurisdication.

(ii) Survey of historical records lying scattered in the various sub-divisional, District and Divisional Records Offices as well as other public offices within the jurisdication of the State and their transfer to the Bihar State Archives, Patna.

(iii) Taking steps for proper preservation and upkeep of records in the Bihar State Archives, Patna, Inspecting the District and Divisional Records Offices as well as other public offices within the jurisdation a the State and suggesting measures for proper preservation and upkeep of records stored therein.

(iv) Supervising scientific classification, catasoguing and indexing of records and preparing various other reference in the Bihar State Archives, Patna and their publications.

(v) Guiding research in the Addministrative history of Bihar and similar other problems Releting to administrdtive references.

(vi) Supepvising the accession and arrangement of records of the Various Departments of Government which are more than three years old; their supply to the Departments for reference and taking proper steps for their restoration and weeding as laid down in relevant rules fromed by the State Government from time to time.

(vii) Maintaining an Archival Reeference Library Mic to filming and photo duplication unit and such other technical preservation appliances pertining to modern "Archives",

(viii) Maintaining liasion whith Indian Historical Records Commission; Indian History Congress; International Committee of archivists, National Committee of Archivists and such other organisations.

(ix) Any other functions to be entrusted by the State Government from time to time.

3. The Directer of Archives will be the controlling officer under rule 167 of the Bihar T.A Rules for the purpose of T A. of his staff. his own T.A bill will require the countersignature of Secretary to Government, Political (General) Department. The Statement on the basis of Appendix 10 of the B.T.C. Volume II is enclosed. This supersedes all previous orders of Government.

The charge will be debitable to the head "19 General administration Civils Secretariat Political & Appointment Department pay and Allowances-Voted".

Yours faithfully,

R.T. Sinha,
30.XII' 68.
Secretary to Government, Bihar.

1 मंत्रिमंडल—

संख्या अ० (लेखा) 11174अ० 402
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार)

प्रेषक

श्री हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

सेवा में

कोषागार पदाधिकारी,
पटना सचिवालय कोषागार, पटना।

पटना, दिनांक 16 श्रावण, 1897 (श०)

7 अगस्त 1975

विषय—बिहार राज्य अभिलेखागार के कर्मचारियों के वेतन एवं आकस्मिक विपत्रों की निकासी हेतु घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के हस्ताक्षर का नमूना।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (बिहार राज्य अभिलेखागार) के पत्र संख्या अ० 40, दिनांक 16 मार्च, 1974 एवं संख्या अ० 39, दिनांक 16 मार्च, 1974 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे कहना है कि अधिसूचना संख्या 387, दिनांक 31 जुलाई, 1975 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा श्री तारा शरण सिन्हा, अभिलेख निदेशक के पद पर नियुक्त किये जा चुके हैं तथा उन्होंने दिनांक 1 अगस्त, 1975 (पूर्वाह्न) में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अतः अनुरोध है कि अब से अभिलेख निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित विपत्रों को पारित किया जाय।

अभिलेख निदेशक को अभिप्रमाणित हस्ताक्षर का नमूना इस पत्र के साथ संलग्न है।

हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

ज्ञाप संख्या अ० (लेखा) 11174 अ० 402।

पटना, दिनांक 16 श्रावण, 1897 (श०)

7 अगस्त, 1975।

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार पत्रालय हिनू, रांची को सूचनार्थ अग्रसारित।

हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

ज्ञाप संख्या अ० (लेखा) 11174अ० 402।

पटना, दिनांक 16 श्रावण, 1897 (श०)

7 अगस्त 1975

प्रतिलिपि-अवर-सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

व्यवस्थापक स्टेट बैंक आफ इन्डिया, पटना सचिवालय शाखा को अभिलेख निदेशक के हस्ताक्षर के नमूने के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

संख्या बी॰आर॰-115।74-9978 ।वि॰

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक

श्री आशुतोष चक्रवर्त्ती,
सरकार के उप-सचिव

सेवा में

अवर-सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार), बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 8 अगस्त, 1975

विषय—बिहार बजट हस्तक के नियम-61 (परिशिष्ट-4) के संदर्भ में नए वर्गीकरण के अनुसार एवं प्राक्कलन एवं नियंत्रण पदाधिकारी तथा प्रशासी विभाग की घोषणा।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 175, दिनांक 24 जुलाई 1975 के प्रसंग में राज्यादेश प्रारूप के नमूने की एक प्रति सुविधा हेतु संलग्न करते हुए मुझे यह अनुरोध करना है कि इस प्रपत्र में वित्त विभाग की सहमति मानकर राज्यादेश निर्गत करे तथा इसकी एक प्रति वित्त (बजट सुधार कोषांग) विभाग को भी दें। अनुलग्नक में मुख्य।उप-मुख्य ।लघु एवं उप-शीर्षों का स्पष्ट उल्लेख भी कर दें और आवश्यकतानुसार आय शीर्षों की विवरण भी अंकित कर दें।

विश्वासभाजन,
आशुतोष चक्रवर्त्ती,
सरकार के उप-सचिव।

संख्या अ० (टी एच०) बजट 61175-174
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार)

प्रेषक

श्री हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
पत्रालय-हिनू, रांची।
द्वारा वित्त विभाग।

पटना, दिनांक 4 आश्विन 1897 (श०)

26 सितम्बर, 1975

विषय—बजट हस्तक के नियम 61 (परिशिष्ट-4) के संदर्भ में नए वर्गीकरण के अनुसार प्राक्कलन एवं नियंत्रण पदाधिकारियों तथा प्रशासी विभाग की घोषणा।

महोदय,

बजट एवं लेखा में सुधार के फलस्वरुप आय-व्ययक का नया वर्गीकरण वित्त वर्ष 1974-75 से लागू है। इस संदर्भ में बिहार बजट-हस्तक के नियम 61 (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के अधीन पड़ने वाले नए बजट शीर्ष के लिए नियंत्रण एवं प्राक्कलन पदाधिकारियों की घोषणा की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ एक (1) में लिखाए गये आय और व्यय के बजट शीर्षों के हेतु उनके सामने अंकित पदाधिकारियों को प्राक्कलन तथा नियंत्रण पदाधिकारी एवं प्रशासी विभाग घोषित समझा जाय।

पुराने शीर्षों के संबंध में पूर्व घोषित प्राक्कलन तथा नियंत्रण पदाधिकारियों एवं प्रशासी विभाग के आदेश अब कृपया रद्द समझे जायें।

हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

ज्ञाप संख्या-अ० (टी०एच०) बजट 61175—174

पटना, दिनांक 4 आश्विन, 1897 (श०)

26 सितम्बर 1975

प्रतिलिपि—अनुलग्नक की एक प्रति के साथ उप-सचिव, बजट सुधार कोषांग।सहायक आय-व्ययक पदाधिकारी बजट-7, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

अनुलग्नक

बिहार बजट हस्तक परिशिष्ट—4 तथा नियम 61

प्राक्कलन एवं नियंत्रण पदाधिकारियों की सूची तथा प्राक्कलन के प्रस्तुतीकरण के माध्यम

बजट शीर्ष	प्राक्कलन पदाधिकारी	नियंत्रण पदाधिकारी और तिथि जब प्राक्कलन उनके यहां पहुंचना चाहिए।	सरकार का प्रशासी विभाग	तिथि जब प्राक्कलन महालेखाकार के कार्यालय। प्रशासी विभाग और वित्त विभाग में पहुंचना चाहिए।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
मुख्य शीर्ष-278-कला और संस्कृति लघु शीर्ष-अभिलेखागार और संग्रहालय। उप-शीर्ष- राज्य अभिलेखागार। 087-राज्य अभिलेखागार से प्राप्तियां। 478-कला और संस्कृति पूंजीगत परिव्यय ।	निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय।	निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।	..	चूंकि अब बिहार राज्य अभिलेखागार के निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है। अतः इस निदेशालय के लिए प्राक्कलन। नियंत्रण पदाधिकारी उन्हें ही घोषित की जाती है।

हृदय नारायण सिन्हा
सरकार के अवर-सचिव।

संख्या-न०स० (लेखा)।8176 वि०रा०अ०—स13
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार)

प्रेषक

श्री हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार
बिस्कोमान भवन, गांधी मैदान, पटना।

महालेखाकार, बिहार
पत्रालय हिनू, रांची।

अनौपचारिक द्वारा वित्त विभाग।

20 पौष 1898(श०)
पटना, दिनांक—
10 जनवरी, 1977

विषय—बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 157 के अन्तर्गत नियंत्रण पदाधिकारी की घोषणा।

महाशय,

निदेशानुसार राजनीति (सामान्य) विभाग (राज्य केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, बिहार) के राज्यादेश संख्या आर० 84।68 आर० 482, दिनांक 30 दिसम्बर, 1968 की कंडिका-3 तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग बिहार राज्य अभिलेखागार) के राज्यादेश संख्या अ० 39, दिनांक 16 मार्च, 1974 के अनुलग्नक के मद संख्या 2 (ख) को संशोधन करते हुए यह सूचित करना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के विभागाध्यक्ष अभिलेख निदेशक को उनकी यात्रा भत्ता के लिए बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 157 के अन्तर्गत राज्य सरकार उन्हें स्वयं नियंत्रण पदाधिकारी विवरणी संलग्न घोषित करती है।

विश्वासभाजन,
हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

ज्ञाप संख्या न०स० (लेखा) 8।76 वि०रा०अ०13
पटना, दिनांक 20 पौष, 1898(श०)

10 जनवरी, 1977

प्रतिलिपि—अनुलग्नक के साथ वित्त विभाग प्रशाखा 6।वित्त (बजट सुधार कोषांग) विभाग।कोषागार पदाधिकारी पटना सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई निमित्त अग्रसारित।

हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के अवर-सचिव।

विवरणी

बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 157 के लिए नियंत्रण पदाधिकारी की सूची।

बजट शीर्ष (व्ययक)	पदाधिकारी का पदनाम	नियंत्रण पदाधिकारी
1	2	3
मुख्य शीर्ष 278-कला और संस्कृति लघु शीर्ष—अभिलेखागार और संग्रहालय उप-शीर्ष—राज्य अभिलेखागार	अभिलेख निदेशक (Director of Archives) (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग)। (बिहार राज्य अभिलेखागार)	विभागाध्यक्ष के नाते अपने यात्रा भत्ता के लिए स्वयं नियंत्रण पदाधिकारी (मुख्यालय-सचिवालय, पटना)

ज्ञाप संख्या म0(टी०एच०)4175 वि०रा०अ०--181
बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार)

संकल्प

19 वैशाख 1898(श०)
पटना, दिनांक———————————
9वीं मई, 1977।

विषय—राज दरभंगा अभिलेखागार का सरकारीकरण और "महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह अभिलेखागार" के नाम से दरभंगा में एक क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना।

राज दरभंगा, जिसकी स्थापना मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में हुई थी, के अभिलेख कक्षों में उसी समय से फारसी, अरबी, उर्दू, मैथिली एवं हिन्दी भाषा के मूल अभिलेख एवं पाण्डुलिपियां बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध हैं जो बिहार के इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक स्रोत हैं। जमींदारी उन्मूलन उपरान्त राज दरभंगा के सभी उत्तरदायित्वों के राज्य सरकार द्वारा ग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप वहां के अभिलेख सरकार के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। इस कारण भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त विदेशी विद्वानों ने भी वहां के अभिलेखों एवं पाण्डुलिपियों के सम्यक परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए राज्य सरकार तथा राज ट्रस्ट और राज्य परिवार से अनुरोध किया है ताकि ऐतिहासिक शोध तथा प्रशासनिक कार्य के लिए उनका उपयोग संभव हो सके।

2. इस उद्देश्य से दरभंगा राज परिवार एवं राज ट्रस्ट ने उचित रख-रखाव एवं संरक्षण के लिए राज दरभंगा के सर्किल रेकर्ड ऑफिस इंगलिश रेकर्ड ऑफिस और भर्नाकुलर रेकर्ड ऑफिस में रखे अभिलेखों एवं पाण्डुलिपियों को सभी साज-समान सहित स्वेच्छापूर्वक निम्नलिखित शर्तों पर राज्य सरकार के अभिलेख विभाग को सौंपने की स्वीकृति दे दी है और राज्य सरकार द्वारा उनके आधुनीकीकरण का निर्णय लिया गया है—

(1) दरभंगा राज अभिलेखागार "महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह अभिलेखागार" के नाम से अभिलेख निदेशक, बिहार के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन रहेगा।

(2) यह दरभंगा में बिहार राज्य अभिलेखागार राज्य निदेशालय के एक क्षेत्रीय अभिलेखागार के रूप में कार्य करेगा।

(3) इस क्षेत्रीय अभिलेखागार के कोई भी अभिलेख को प्रदर्शनी के उद्देश्य को छोड़कर, दरभंगा क्षेत्रीय अभिलेखागार के अन्यत्र कहीं नहीं हटाये जायेंगे।

(4) दरभंगा क्षेत्रीय अभिलेखागार को सुचारु रूप से संचालन करने के उद्देश्य से एक परामर्शदात्री समिति रहेगी जिसमें राज्य सरकार के मनोनीत सदस्यों के अतिरिक्त राज-परिवार का एक सदस्य अथवा राज का उत्तराधिकारी और दरभंगा राज ट्रस्ट द्वारा मनोनित एक व्यक्ति सदस्य रहेंगे।

(5) राज अभिलेखागार में कार्यरत 15(पन्द्रह) कार्यकर्त्ताओं (संलग्न चार्ट के अनुसार) की उनकी शैक्षणिक योग्यतायें एवं अनुभव के आधार पर बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय की नियमित शैक्षणिक योग्यतायें कर लिया जायेगा)

3. शिक्षा विभाग की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त क्षेत्रीय अभिलेखागार अगले आदेश तक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के उसी भवन में अवस्थित रहेगा जहां अभी वह रखा है।

4. दरभंगा स्थित नव सृजित क्षेत्रीय अभिलेखागार (के विभिन्न पुरालेखीय कार्यों की उचित व्यवस्था एवं नियंत्रण के लिए पूर्व से नियुक्त पन्द्रह कार्यकर्त्ताओं को अन्तर्लीन करने सहित निम्नलिखित अस्थायी पदों का सृजन राज्य अभिलेखागार के योजना मद में की गई है:—

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1. क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी .. (Region Arcpives Officer)	1(एक)	रु० 510—25—610—30—670—द०रो०—30—910—द०रो०—35—1110

2. सहायक अभिलेखपाल (Asstt. Record Keeper	..	1 (एक)	रु० 340—13—465—द०रो०—15-570
3. अभिलेख लिपिक (Record Clerk)	..	3 (तीन)	रु० 220— 240—द०रो०—5—290—द०रो —315।
4. टंकन-सह-लिपिक (Typist-Cum-Clerk)	..	1 (एक)	रु० 220—4—240—द०रो०—5—290—द०रो० 315।
5. अभिलेखवाह (Record Supplier)	..	6 (छ:)	रु० 180—2—190—3—238—4—242
6. मेन्डर-सह-बुक-बाईन्डर (Mender-cum-Bookbinder)	..	2 (दो)	रु० 180—2—190—3—238—4—242
7. चपरासी एवं फरास (Peon-cum-Farash)	..	8 (आठ)	रु० 155—1—160—2—190
		22 पद	

इसका प्रभाव दरभंगा राज अभिलेखागार के सरकार द्वारा औपबंधिक आधुनीकीकरण की तिथि से होगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सभी की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में किया जाय तथा इसकी प्रतियां सरकार के सभी विभाग।विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार बिहार आदि को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या अ० (टी०एच०) 4/75 वि०रा० अ० 181
19वीं (वैशाख, 1898 (श0)
पटना, दिनांक—
9 वीं मई, 1977

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार पत्रालय हिनू, रांची।महालेखाकार, बिहार बिस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव

ज्ञाप संख्या अ० (टी०एच०) 4।75 वि०रा० अ० 181

19 वी वैशाख, 1898 (श०)
पटना, दिनांक—
9 वीं मई, 1977

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमण्डलायुक्त।सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

हृदय नारायण सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार)

अधिसूचना

31 अगस्त 1978

सं० अभिलेख-(टी० एच०) 121/78-वि०रा०अ०--232--वास्तविक शोधकर्त्ताओं द्वारा बिहार-राज्य अभिलेखागार, पटना तथा उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य कार्यालयों के अभिलेखों के अवलोकन के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किए जाते हैं। इन अनुदेशों द्वारा पूर्व के एतद् विषयक सभी अनुदेश अवक्रमित (खंडित) किए जाते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
यू० एन० राय,
सरकार के विशेष सचिव।

अभिलेखों के अवलोकन के सम्बन्ध में अनुदेश

1. बिहार-राज्य अभिलेखागार, पटना और इसके अन्य क्षेत्रीय अभिलेख कार्यालय हरेक कार्यदिन में 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक सर्वसाधारण के लिए खुले रहते हैं और इस अवधि में कोई भी वास्तविक शोधकर्त्ता कार्यालय के शोध-कक्ष में किसी प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष अभीष्ट अभिलेखों का अवलोकन कर सकता है।

2. बिहार सरकार के जो अभिलेख 30 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं, उनका अवलोकन किसी शोधकर्त्ता को सामान्यतः बिहार-राज्य अभिलेखागार, पटना के निदेशक के विवेकानुसार ही करने दिया जा सकता है। तीस वर्ष से कम पुराने अभिलेखों का अवलोकन करने के लिए सम्बद्ध विभाग/कार्यालय की विशेष अनुमति आवश्यक होगी। नितान्त आपवादित परिस्थितियों में ही, राजस्व बोर्ड, प्रमण्डल आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों के कार्यालयों के ऐसे अभिलेखों को भी, जो तीस वर्ष से कम पुराने हों और अभीतक बिहार-राज्य अभिलेखागार, पटना और उसके क्षेत्रीय अभिलेख कार्यालयों में लाए नहीं गए हों, उन कार्यालयों में लगे नियमों और शर्तों के अधीन देखने की अनुज्ञा दी जा सकती है। चालू अभिलेख विदेशियों को नहीं देखने दिया जाएगा।

3. किसी भी परिस्थिति में बिहार-राज्य अभिलेखागार, पटना का या इसके क्षेत्रीय अभिलेख कार्यालयों का या अन्य सरकारी अभिलेखागार का कोई भी ऐतिहासिक अभिलेख किसी भी शोधकर्त्ता को कार्यालय से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा।

4. बिहार सरकार का कोई भी पुराना ऐतिहासिक अभिलेख (जिसमें राजस्व बोर्ड, प्रमण्डल आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों का अभिलेख भी शामिल है) पढ़ने के लिए निदेशक, बिहार-राज्य अभिलेखागार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पटना-800015 की पूर्व अनुमति वाजापता ले लेनी होगी।

5. अभिलेखों के अवलोकन के लिए सभी आवेदन निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना-800015 के पास किए जाएंगे। इसके लिए विहित फारम (जैसा कि अनुबन्ध "क" में दिया गया है) बिहार-राज्य अभिलेखागार, पटना से मिलेगा। ऐसे सभी आवेदनों में पूरा-पूरा और सही-सही ब्योरा रहना चाहिए; यथार्थ या गलत विवरण देनेवाले व्यक्ति सरकारी अभिलेख के अवलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

6. विदेशी शोधकर्त्ता अपने-अपने देशों में स्थित भारत सरकार के राजनयिक या वाणिज्य दूतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से आवेदन करेंगे और उनसे यह अनुप्रमाणित कराएंगे कि वे वास्तविक शोधकर्त्ता हैं। यदि वे ऐसा न करा सकेंगे तो भारत स्थित अपने राजनयिक प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना परिचय पेश करेंगे और विहित फॉरम (अनुबन्ध 'क') पर तीन प्रतियां में निदेशक, राज्य अभिलेखागार, बिहार के पास आवेदन करेंगे, निदेशक एक प्रति गृह मंत्रालय को भेजकर उनकी सहमति प्राप्त करेंगे। आवेदन काफी पहले किया जाना चाहिए ताकि परराष्ट्र मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सहमति प्राप्त की जा सके।

7. बिहार-राज्य अभिलेखागार के निदेशक को शोध करने के लिये दिया गया कोई आवेदन अस्वीकृत या संशोधित करने का अधिकार होगा।

8. वास्तविक शोधकर्त्ता के अन्तर्गत निम्नलिखित कोटियों में से किसी भी कोटि का कोई व्यक्ति है—

(क) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग (इंडियन हिस्टोरिकल रेकर्ड्स कमीशन) के सदस्य,

(ख) किसी भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति, उप कुलपति (प्रोवाइस-चान्सलर), आचार्य (प्रोफसर), उपाचार्य (रीडर), और प्राध्यापक,

(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्था के ऐसे स्नातकोत्तर शोध कार्यकर्त्ता जो कुलपति या सक्षम विश्वविद्यालय आचार्य, विभाग या संस्था के प्रधान, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या लोक शिक्षा निदेशक का प्रमाण-पत्र अथवा कोई ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करें जिसे अभिलेखागार का निदेशक आवश्यक समझता हो,

(घ) बिहार सरकार के ऐसे पदाधिकारी जो अपने विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किसी विषय पर शोध कर रहे हैं।

(च) ऐसा कोई विशेष कारणों से अभिलेखागार का निदेशक अन्य व्यक्ति जिसे इसके लिये स्वीकृति प्रदान करें।

9. अभिलेखों को देखने और पढ़ने की अनुमति पहली बार में केवल छः महीने के लिए दी जायगी, लेकिन बाद में बिहार-राज्य अभिलेखागार के निदेशक के स्वविवेकानुसार उसे नया आवेदन देकर नवीकृत कराया जा सकेगा। शोध-कक्ष में पास पर प्रवेश दिया जाता है। लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर किसी विशिष्ट कार्य के लिए मान्य अस्थायी पास भी दिये जाएँगे। अनुरोध करने पर पास अवश्य दिखाना होगा। शोध-कक्ष में ही व्यक्ति के लिये अलग स्थान आरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन माइक्रोफिल्म रीडर का उपयोग करनेवाले शोधकर्त्ता के लिए स्थान आरक्षित रहेगा।

10. यदि शोधकर्त्ता अपने आवेदन में विनिर्दिष्ट विषय से भिन्न विषय से सम्बद्ध या उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए अभिलेखों का उपयोग करना चाहें, तो उन्हें इसके लिये सामान्य ढंग से अलग अनुमति लेनी होगी।

11. बिहार-राज्य अभिलेखागार, पटना या इसके किसी क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय के अभिलेखों का ऐतिहासिक शोध के प्रयोजनार्थ उपयोग करनेवाले सभी व्यक्ति अपनी रचना प्रकाशित होने के साठ दिनों के भीतर उसकी दो प्रतियां निःशुल्क जमा करेंगे।

12. अभिलेखों की प्रतिलिपि या टंकित प्रतियां प्राप्त करने के निमित्त आवेदक को रनिंग मैटरवाले फुलस्केप आकार के पृष्ठों के लिये 50 पैसे प्रति पृष्ठ की दर से और टेबुलर (विवरणी) मैटरवाले फूलस्केप आकार के पृष्ठों के लिए 1 (एक) रु० प्रति पृष्ठ की दर से प्रतिलेखन या टंकन-शुल्क पहले ही जमा कर देना होगा। अतिरिक्त टंकित प्रतियों के लिये 10 पैसे प्रति टंकित प्रति की दर से अतिरिक्त रकम देनी होगी।

13. टंकन-कार्य के लिये वसूली गई फीस राज्य अभिलेखागार के प्राप्ति "शीर्ष 078" में जमा की जायगी यदि टंकन कार्य कार्यकाल के पहले और बाद में किया जायगा, तो वसूली गई फीस की 80 प्रतिशत रकम टंकक को दे दी जायगी और शेष 20 प्रतिशत लेखन-सामग्री आदि का खर्च पूरा करने के लिये उपर्युक्त शीर्ष में जमा कर दिया जाय।

14. बिहार-राज्य अभिलेखागार के निदेशक के पास आवेदन करने पर निर्वाचन सूची।बजट।अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां आवेदक को आपूर्त्ति की जाएगी। प्रमाणित प्रतिलिपियां की आपूर्त्ति के लिये आवेदक को खोज शुल्क के रुप में 5 (पांच) रुपये देने होंगे यदि प्रमाणित प्रतिलिपियों की बहुत शीघ्र आवश्यकता हो, तो उसे खोज शुल्क के रुप में 10 (दस) रुपये जमा करने होंगे और 10 टंकित पृष्ठों तक की प्रमाणित प्रतिलिपियां उसे चौबीस घण्टों के भीतर दे दी जायगी। खोज शुल्क के अलावा, आवेदक को टंकन-खर्च भी देना होगा जिसकी दर ऊपर मद संख्या 12 में दी गई है। मुख-पृष्ठ के लिए टंकन-शुल्क नहीं लिया जायगा और न्यूनतम टंकन चार्ज 1 (एक) रुपया होगा।

15. निर्वाचक सूची।बजट।अभिलेख आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियों के लिए वसूली गई फीस और टंकन शुल्क राज्य अभिलेखागार के प्राप्ति शीर्ष में आकलित किया जायगा।

16. अभिलेख की जेरोक्स, माइक्रोफिल्म और फोटो प्रति प्राप्त करने के लिये पहले एक आवेदन-पत्र देना होगा, जिसके लिए निम्नलिखित दर से चार्ज किया जाएगा :—

(1) जेरोक्स प्रति पहली प्रति के लिए 1.50 पैसे और दूसरी प्रति के लिए 0.50 पैसे की दर से प्रति ऑर्डर का न्यूनतम चार्ज 5 रु०।

(2) 35 मि० मी० नेगेटिव माइक्रोफिल्म प्रति प्रदर्शन 45 पैसे की दर से। इसके लिए ब्यादेशक (इण्डेन्टर) द्वारा आपूरित 30 मीटर के प्रति रोल के लिए 75 (पचहत्तर) रुपये की छूट दी जायेगी। प्रति आर्डर न्यून्तम चार्ज 10 रु०।

(3) 35 मि० मी० पोजिटिव माक्रोफिल्म प्रति मीटर 6 (छः) रुपये की दर से। इसके लिए व्यादेशक (इण्डेन्टर) द्वारा आपूरित 30 मीटर के प्रति रील के लिए 45 (पैंतालीस) रुपये की छूट दी जाएगी। प्रति आर्डर न्यूनतम चार्ज 20(बीस) रुपये।

(4) 35 मी० मी० नेगेटिव फिल्म फोटो प्रिन्ट प्रति 600 वर्ग से०मी० या उसके अंश के लिये 4 रु० की दर से प्रति आर्डर न्यूनतम चार्ज 5 रु०।

17. जेरोक्स माइक्रोफिल्म और फोटो प्रतियो की आपूर्त्ति के लिए ली गई फीस और चार्ज राज्य अभिलेखागार के आय-शीर्ष में जमा किया जाएगा।

18. दस्तावेज की मांग करने के लिए शोधकर्त्ता को शोध (रिसर्च हॉल) के प्रभारी पदाधिकारी के पास एक मांग पर्ची, प्रस्तुत करनी होगी, जो यथावत और सुपाठ्य रूप से भरी तथा हस्ताक्षारित होगी। प्रत्येक दस्तावेज के लिये अलग-अलग मांग पर्ची देनी होगी। दस्तावेज के लिए मांग सभी कार्य दिनों में दिन में दो बार 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न में की जाएगी। अभिलेख पहुने या मांगने के प्रयोजन से कक्ष में प्रवेश करना निनिषिद्ध है।

19. शोध-कक्ष के प्रभारी पदाधकारी की विशेष अनुमति के सिवाय, किसी भी शोधकर्त्ता को एक समय में दस दस्तावेज से अधिक दस्तावेज और दो पुस्तक से अधिक पुस्तकें नहीं दी जाएगी। जब कोई शोधकर्त्ता किसी एक दस्तावेज को पढ़ लेगा तब वह उसे प्रभारी पदाधिकारी को लौटा देगा। इसके बाद अभिलेख के लिये दी गई मांग-पर्ची उस शोधकर्त्ता को लौटा दी जाएगी। जो शोधकर्त्ता यह चाहेंगे कि कोई दस्तावेज उनके लिये अलग से रख दी जाए, उन्हें इस बातकी जानकारी प्रभारी पदाधिकारी को देनी होगी। प्रभारी पदाधिकारी उस दस्तावेज को उनके लिये अलग स्थान में रखवा देंगे। शोधकर्त्ता जबतक अभिलेखों को लौटा नहीं देते तबतक के लिये वे उन अभिलेखों को हुई क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि दस्तावेज की मुद्रित या टंकित प्रतियां होंगी, तो विशेष परिस्थितियों में ही मूल दस्तावेज पढ़ने के लिए दी जाएगी, अन्यथा नहीं।

20. शोधकर्त्ताओं को जो अभिलेख, हस्तलिपि और पुस्तकें दी जाएगी उनका व्यवहार करने में वे निम्नलिखित सम्यक सतर्कता बरतेंगे—

(1) जो दस्तावेजें विशिष्ट मूल्य की हैं किन्तु जो फटी-चिटी या खराब हालत में हैं उनकी जांच ऐसी रीति से की जाएगी, जो शोध-कक्ष का प्रभारी पदाधिकारी उस दस्तावेज की समुचित सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विहित करे।

(2) किसी भी दस्तावेज को किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाया जाय। किसी भी दस्तावेज, आदि को नुकसान पहुंचानेवाला व्यक्ति विभागीय और कानूनी कार्रवाई के लिए भागी होगा। अभिलेख और पुस्तकों में जो खरावी या त्रुटियां होंगी उन्हें अभिलेख और पुस्तक लेते सम शोध-कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी को दिख दिया जाय।

(3) यथासंभव दस्तावेजों को बार-बार छुआ नहीं जाएगा या उनका व्यवहार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों या पुस्तकों पर झुकने, केहुनी से दाबने, उन्हें एक दुसरे पर रखने तथा मूल दस्तावेजों या पुस्तकों पर केहुनी रखकर उद्धरण की नकल करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

(4) अभिलेख पर पेंसिल या स्याही से चिहित करना निषिद्ध है। शोधकर्त्ताओं की शोध-कक्ष में केवल फाउन्टेन पेन या पेन्सिल और कागज ले जाने की अनुमति होगी।

(5) कोई भी शोधकर्त्ता निदेशक, अभिलेखागार, बिहार की विशेष अनुमति के बिना और उनके द्वारा अनुमोदित शर्तों से भिन्न शर्तों में दस्तावेजों, निदर्शनों, नक्शों, आदि का खाका नहीं उतारेगा या उनका दोनों नहीं लेगा।

21 शोध-कक्ष में हैण्डबैग, हैट, ओवरकोट, छाता, छड़ी, बरतन, आदि नहीं ले जाएंगे। इन सामानों और अन्य बहुमूल्य सामानों को रखने के लिये शोधकर्त्ता को एक लॉकर दिया जा सकेगा, जिसके लिये उसे जमानत (कौशन मनी) के रुप में 5 रु० जमा करना होगा।

22. शोध-कक्ष में भोजन करना, पान खाना, थूकना, धूम्रपान करना, आदि सख्त मना है।

23 शोध-कक्ष में शान्ति बनायी रखी जाएगी।

24 रिसर्च हॉल में न तो कोई मुलाकातियों का स्वागत करेगा अथवा निजी कामकाज ही सम्पादित करेगा।

25 बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना तथा इसके क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालयों में अभिलेखों को देखे के संबंध में जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उन सुविधाओं का स्वविवेक से निम्नलिखित अनुशासनहीनता संबंधी कार्यों के लिये, अभिलेखागार निदेशक, वापस ले सकेंगे—

रिसर्च हॉल में बाधा उत्पन्न करना, रिसर्च हॉल के प्रभारी पदाधिकारी अथवा उसके किसी अन्य पदाधिकारी।कार्यकर्त्ता की बातों को निरन्तर अवहेलना करना; बिहार राज्य अभिलेखागार या इसके क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालयों के अभिलेखों, पुस्तकों और फर्नीचर को किसी प्रकार की क्षति पहुचाना; कोई ऐसा व्यवहार करना जो अप्रिय हो अथवा जिससे अभिलेखागार के स्टाफ या शोध-कार्यकर्त्ताओं के प्रति तिरस्कार किए जाने की संभावना हो।

परिशिष्ट "क"

बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय के रिसर्च हॉल में प्रवेश हेतु आवेदन फॉरम

सेवा में
अभिलेखागार निदेशक,
बिहार सरकार, पटना।

महोदय,
निवेदन है कि म बिहार राज्य अभिलेखागार।क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय के रिसर्च हौल में, अभिलेखों को देखने के संबंध में, प्रवेश हेतु आवेदन कर रहा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रवृत्त नियमावली एवं शर्तों का पालन करूंगा।

1. नाम ....

2. शैक्षणिक योग्यता ....

....

3. पेशा ....

4. अधिवास ....

5. शोध का विषय ....

....

6. वह अवधि के लिए प्रवेश प्राप्त किया गया हो ....

7. हस्ताक्षर और तारीख ....

8. पता—(i) स्थानीय ....

....

(ii) स्थायी ....

....

9. अनुशंसा करनेवाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर (और पदनाम) ....

देखे जानेवाले अभिलेखों की विष्टियां

विभाग	अवधि	अभ्युक्ति
1		
2		
3		
4		
5		
6		

उदय नारायण राय,
विशेष सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(बिहार-राज्य अभिलेखागार पटना)।

31 अगस्त 1978

अभिलेख (टी० एच०) 121/78-वि०रा०अ०—232, दिनांक 31 अगस्त 1978 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उदय नारायण राय,
सरकार के विशेष-सचिव

The 31st August 1978

No. Records (T.H) 121/78-B.S.A.-232-The following instructions regarding consultation of records of the Bihar State Archives, Patna and other Offices under its administrative control, by bona fide Research Scholars are Published for general information. These instructions supersede all the previous instructions on the Subject.

INSTRUCTIONS REGARDING CONSULTATION OF RECORDS.

1. The Bihar State Archives, Patna and its other regional archives offices are open on all working days from 10 A.M. to 5P.M. during which hours bona fide Research Scholars are permitted to consult records in the Research Hall of the office in the presence of the officer in charge.

2. Ordinarily all records of the Government of Bihar more than 30 Years old are open for consultation by bona fide Research Scholars subject to the discretion of the Director of Archives, Bihar State Archives, Patna. For consulting records which are less than 30 Years old, special permission of the department/office concerned will be necessary. In very exceptional circumstances permission may also be given for consulting records less than 30 Years old in the offices of the Board of Revenue, Divisional Commissioners and District Officers which have not yet been brought to the Bihar State Archives, Patna and its Regional Archives Offices subject to the rules and conditions in force in those offices. Foreigners will not be allowed access to the current records.

3. Under no circumstances any historical record belonging to the Bihar State Archives, Patna or its Regional Archives Offices of other Government Record rooms will be allowed to be taken out side the office by the Research Scholars.

4. For studying any old historical records of the Government of Bihar (including those in the offices of Board of Revenue Divisional commissioners and District Officers) previous permission of the Director of Archives, Bihar State Archives, Cabinet Secretariat and Co-ordination Department, Patna-800015, must be duly obtained.

5. All applications for the consultation of records shall be addressed to the Director of Archives, Bihar State Archives, Patna-800015. The prescribed form (as in Annexure'A') is available from the Bihar State Archives, Patna. All such applications must contain full and correct details: inaccurate or false statements therein are liable to debar the applicant from further access to Government records (archives).

6. Foreign students shall apply through the Government of India's diplomatic and consular representatives in their respective countries testifying to their bona fide as research workers failing which they shall produce introductions through their diplomatic representatives in India and apply for permission to the Director of Archives, Bihar in triplicate on the prescribed form (as in Annexure 'A'). The Director of Archives' Bihar will forward one copy to the Ministry of External Affairs and one copy to the Ministry of Home Affairs to obtain their clearance.

The applications should be submitted sufficiently in advance to the Director of Archives to get clearance from the Ministry of External Affairs and the Ministry of Home Affairs.

7. The Director of Archives, Bihar State Archives, Patna reserves to himself the right to refuse or modify an application for conducting research.

8. *Bona fide* Research Scolars include any one of the following categories:-

(a) Members of the Indian Historical Records Commission.

(b) Vice- Chancellors, Pro Vice' Chancellors, Professors, Readers and Lecturers of an Indian University.

(c) Post-graduate research workers of a recognised University or a recognised research organisation who produce a certificate from the Vice Chancellor or the appropriate University Professor, Head of the Department or organisation, Principal of the College or Director of Public Instruction or any further evidence that the Director of Archives may consider necessary.

(d) Officers of the Government of Bihar, who conduct research in a subject with the approval of the Head of their Departments.

(e) Any other person recommended by the Departments of the Government of Bihar.

(f) Any other person accepted by the Director of Archives on special grounds.

9. Permisson for consultation of the records shall be given for six months in the first instance but renewable on fresh application at the discretion of the Director of Archives, Bihar State Archives, Patna Admission to the Research Hall is regulated by means of passes. Temporary passes valid for a specific work will be issued on written request. The passes must be shown on request. No. seat in the Research Hall may be reserved individually but seat is reserved for scholar wanting to use the microfilm readers

10. To utilise records on a subject or for a purpose other than specified on their applications they must obtain separate permission in the normal way.

11. All Persons utilising records of the Bihar State Archives, Patna or its Regional Archives Offices for purposes of historical research' must deposit free of cost two copies of their works within sixty days of their publication.

12. For the transcription or typed copies of records the applicant will be required to deposit in advance the transcription or typing fee at the rate of 0.50 paise for running matter per fullscape type page and Rs. 1 (Rupee one) for tabular (Statement) matter per fullscape type page. For extra typed copies he will be required to pay additional amount at the rate of 0.10 (ten) paise per typed copy.

13. The fees collected for the typing work will be credited to '078 the receipt head of the State Archives. If typing work is done before and after the office hours 80 per cent amount of fees realised shall be paid to the typsits and the balance of 20 per cent will be deposited in the above head to cover the cost of stationery etc.

14. On application addressed to the Director of Archives, Bihar State Archives, Patna certified copies of Electoral Rolls/ Gazettes/ Records will be supplied to an applicant. For the supply of certified copies the applicant will be required to pay Rs. 5 (Rupees five) only as search fee. If the certified copies are urgently needed

he will have to deposit Rs. 10 (Rupees ten) only as search fee and the certified copies up to 10 typed pages will be supplied within twenty-four hours. In addition to the search fee he will be required to pay the typing charge. The rate of which is given in the above item no. 12. For title page no. typing fee will be charged and the minimum typing charge will be Rs. 1 (Rupee one) only.

15. The fees and typing charge collected for the supplly of certified copies of electoral rolls/Gazettes/ Records will be credited to the receipt head of the State Archives.

16. To obtain the Xerox Microfilm and Photo copies of records an applicant will be required to deposit in advance the charge at the following rates:—

(1) Xerox copying at the rate of Rs. 150 for 1st copy and 0.50 paise for per duplicate copy. Minimum charge per order Rs. 5.

(2) 35 mm Negative Microfilm at the rate of 0.45 paise per exposure with a rebate of Rs. 75 (Rupees seventy-five) per roll of 30 metres, if supplied by the indentor. Minimum charge per order Rs. 10.

(3) 30mm. Positive Microfilm at the rate of Rs. 6 (Rupees six) per metre with a rebate of Rs. 45 (Rupees forty-five) per roll of 30 metres' if supplied by the indentor. Minimum charge per order Rs. 20 (Rupees twenty).

(4) Photo prints from 35 mm. negative film at the rate of Rs. 4 Per 600 sq. cm. or part thereof. Minimum charge for order Rs. 5.

17. The fees or charge collected for the supply of Xerox Microfilm and photo copies will be credited to the receipt head of the State Archives.

18. To requisition a document a scholar shall submit signed requisition forms duly and legibily filled in to the officer in charge Research Hall. A separate form must be used for each document. Requisitions may be made twice a day at 11 A.M. and 3 P.M. on all working days. Entry into the stack rooms for consulting or requisitioning records is prohibited.

19. Not more than ten documenst and two volumes shall be issued to a scholar at a time except by the special permission of the officer incharge, Research Hall. when a scholar finishes with a document, he should hand it over to the officer incharge The requisition slip of record shall then be returned to the scholar. Those wishing to have documents kept out for their use should inform the officer incharge who will provide a speparate space for their storage The scholar shall be held responsible for the loss or damage of the records as long as they are not returned by him. If there are printed or typed copies of documents the originals may not be given for consultation except under special circumstances.

20. Research scholars shall exercise due care in handling records, manuscripts and books issued to them:—

(1) Docunments of exceptional value and those in a decayed or fragile condition shall be examined in such manner as the officer incharge of the Research hall may prescribe safeguarding their proper preservation.

(2) No documents shall be damaged in any manner. Any person damaging any document' etc' will be liable to departmental action and action according to law. Imperfections in or damages to, records and books shall be shown to the officer incharge of the Research Hall at the time of borrowing.

(3) Frequent handling of documents should be avoided as far as possible. Leaning on documents or volumes' causing pressure on them through elbows, piling them on one another and copying the excerpts by placing them on the originals shall not be allowed.

(4) The defacing of records by pencil or ink markings is prohibited. Scholars are allowed to take only fountain pens or pencils and papers in the Research hall.

(5) None shall trace or photograph documents, illustrations, maps, etc. without obtaining the special sanction of the Director of Archives, Bihar and under conditions approved by him.

21. Handbags, hats, overcoats, umbrellas, sticks, pots, etc. shall not be taken into the Research Hall. To keep these articles and other valuables' the scholar can be provided with a locker for which he will be required to deposit a sum of Rs. 5 (Rupees five) only as caution money.

22. Eating food, chewing betel, spitting, smoking, etc. in the Research Hall are strictly prohibited.

23. Silence shall be maintained in the Research Hall.

24. None shall receive visitors or transact private business in the Research Hall.

25. The facilities granted for the consultation of records in the Bihar State Archives, Patna and its regional archives offices may be withdrawn, at the discretion of the Director of Archives, Bihar for committing the following acts of indiscipline:-

Causing disturbance in the Research Hall; constant disregard of the authority of the officer incharge, Research Hall or any other officer/worker therein damage of any sort of records, books and furniture in the Bihar State Archives or its regional archives offices; behaviour in any manner which is offensive or likely to cause offence to the staff or any other research workers of the Archives.

ANNEXURE 'A'

Form of application for admission to the Research Hall in the Bihar State Archives, Patna/its Regional Archives Offices.

To

The Director of Archives of the Government of Bihar, Patna.

Sir,

I beg to apply for a pass for admission to the Research Hall of the Bihar State Archives/its Regional Archives Offices for consultation of records. I promise to comply with the rules and conditions in force there.

1. Name .. ..
2. Academic qualifications .. .. ..
3. Profession . .. ..
4. Domicile .. .. ..
5. Subject of research .. . ..
6. Period for which admission is sought .. ..
7. Signature and date .. ..
8. Address;-
   (i) Local .. ..
   (ii) Permanent .. ..
9. Recommended by (signature and designation of the University Authority).

Particulars of records to be consulted:

Department	Period	Remarks
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

U.N.RAI,
Special Secretary,
Cabinet Secretariat and Co-ordination Department
(Bihad State Archives),
Patna.

संख्या स्था (वि० भ०) 4186 वि० रा० अ०-107

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(बिहार राज्य अभिलेखागार)

प्रेषक

श्री तारा शरण सिंहा,
अभिलेख निदेशक।

सेवा में

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग,
(निर्वाचन शाखा) बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12 फाल्गुन, 1907 (श)

3 मार्च 1986

विषय—निर्वाचक सूचियों को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने का निदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5634, दिनांक 14 अगस्त 1905 के अनुसार भारत आयोग के निदेशानुसार प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र को प्रति जो 12 वर्षों तक सुरक्षित रखी जाती थी अब उनकी एक प्रति जिला में स्थायी अभिलेख के रूप में रखी जानी है।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियों की एक प्रति बिहार राज्य अभिलेखागार, विकास भवन, पटना में सुरक्षित रखी जाती है, जिन्हें अभी तक 12 वर्षों तक ही रखी जाती थी। उपर्युक्त निर्णय के आलोक में इसे स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना है।

बिहार राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध निर्वाचक सूचि को एक समेकित सूची संलग्न है जिसके अवलोकन से पता चलेगा कि सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा नियमित एवं सामयिक रूप से निर्वाचक सूचियां बिहार राज्य अभिलेखागार में नहीं भेजी जाती है जिसके अभाव में विधायक एवं आम जनता को निर्वाचक सूचियों की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त करने में असुविधा होती है।

अतः सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा की जाय कि नियमित एवं सामयिक रूप से निर्वाचक सूचियों की एक जिल्द बन्धी प्रति अभिलेख निदेशक बिहार राज्य अभिलेखागार, विकास भवन, पटना को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए भेजी जाय और इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
तारा शरण सिन्हा,
अभिलेख निदेशक।

सं० टी०एच० (स्था०) 51।86 बि०रा०अ०—114

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(बिहार राज्य अभिलेखागार)

संकल्प

14 फाल्गुन 1907 (श)
पटना, दिनांक—————
5 मार्च, 1986।

विषय—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (बिहार राज्य अभिलेखागार) के सहायक अभिलेख निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी एवं प्रशिक्षण-सह प्रदर्शनी पदाधिकारी के वर्ग-2 के राजपत्रित (वेतनमान रु० 1000—1820 सम्वर्गीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया।

बिहार राज्य अभिलेखागार के अन्तर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अभिलेखागारों के लिए समान अर्हत्ता एवं वेतनमान रु० 1000-50-1700 द० रो०-60-1820 (राज्य सरकार के वर्ग-2) में सहायक अभिलेख निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार पदाधिकारी एवं प्रशिक्षण सह प्रदर्शनी पदाधिकारी के राजपत्रित पद हैं। इन पद धारकों को राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं इसके अन्तर्गत स्थापित क्षेत्रीय अभिलेखागारों में अभिलेख प्रबंध एवं प्रशासन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करना है। कार्यों के समान प्रकृति एवं समान अर्हत्ता के दृष्टिकोण से सम्यक विभागीय विचारोपरात यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सम्वर्ग में 75 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती द्वारा भरा जायगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभागीय सचिव।सभी विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० भटनागर,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या टी० एच० (स्था०) 51।86-बि० रा०अ०—114

पटना, दिनांक 14 फाल्गुन 1907 (श)।5 मार्च 1986

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के आगामी प्रकाशन में मुद्रण हेतु अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 100 मुद्रित प्रतियां अभिलेख निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार मुख्य सचिवालय भवन, पटना-15 को भेज दी जाय।

एस० भटनागर,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या टी० एच० (स्था०) 5118 6-बि० रा० म०—114

पटना, दिनांक 14 फाल्गुन 1907(श)।5 मार्च, 1986।

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पत्रालय हिनु, रांची।महालेखाकार, बिहार, विस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

एस० भटनागर,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या टी० एच० (स्था०) 5118 6-बि० रा० म०—114

पटना, दिनांक 14 फाल्गुन 1907(श)।5 मार्च, 1986।

प्रतिलिपि—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा)।सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ अग्रसारित।

एस० भटनागर,
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या-ई आर1-1001।85 एलेक-1547

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(निर्वाचन शाखा)

प्रेषक,

श्री जी० डी० मुखर्जी,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार,
तथा सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 4 जुलाई 1986

विषय—निर्वाचक सूचियों को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने का निदेश।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या 5634, दिनांक 14 अगस्त 1985 के क्रम में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार राज्य अभिलेखागार के पत्र सं०-स्था (वि० भ०) 4।86-107, दिनांक 3 मार्च 1986 को एक-एक प्रति अनुलग्न करते हुए मुझे कहना है कि वर्ष 1971 से लेकर आज तक जिन-जिन विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूची की प्रतियां बिहार राज्य अभिलेखागार को अब तक भेजी नहीं गयी है उसकी एक प्रति जिल्दबन्ध कराकर अभिलेख निदेशक, बिहार, राज्य अभिलेखागार, विकास भवन, पटना को स्थायी रूप से अभिलेख के रूप मे सुरक्षित रखने हेतु कृपया शीघ्र भेज दे तथा इसकी सूचना इस विभाग को दी जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
वास्ते संयुक्त मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी,
बिहार तथा सरकार के संयुक्त सचिव।

अनु०-उपर्युक्त

ज्ञाप 1547

पटना, दिनांक 4 जुलाई 1986

प्रतिलिपि—अभिलेख निदेशक बिहार राज्य अभिलेखागार, विकास भवन, पटना को उनके पत्रांक 107, दिनांक 3 मार्च 1986 के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
वास्ते संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार तथा सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या 1547

पटना, दिनांक 4 जुलाई 1986

प्रतिलिपि—सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
वास्ते संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकरी,

बिहार तथा सरकार के संयुक्त सचिव।

मं मं 2/स० पु०-अ०/99–14

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

आदेश

पटना-15, दिनांक 5 जनवरी, 2000

निगोशिबुल ईस्ट्रुमेंट ऐक्ट 1801 के तहत रविवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है। इस प्रभावी अधिनियम के तहत बिहार राज्य अभिलेखागार भी रविवार को बंद रहता है। परन्तु ऐसा महसूस किया गया है कि सरकार के पदाधिकारीगण तथा शोधकर्त्ता निर्धारित कार्यकाल (10.30 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न) में सरकारी कार्य से व्यस्त रहने के कारण अभिलेखागार का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार राज्य अभिलेखागार रविवार को खुला रखा जाय तथा सोमवार को बंद रखा जाय ताकि पदाधिकारीगण/शोधकर्त्ता रविवार को अभिलेखागार का लाभ उठा सकें।

(ह०) गिरीश शंकर,
5-1-2000
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-मं० मं०2/स०पु०-310/99-14

पटना-15, दिनांक 5 जनवरी 2000

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिलाधिकारी/बिहार के सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालय/राज्यपाल सचिवालय, पटना एवं रांची/मुख्य मंत्री सचिवालय बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/बिहार राज्य अभिलेखागार, अभिलेख भवन, पटना/राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार)

(ज्ञापांक-सा० प्र० 118/99-बि०रा०अ०-9

पटना-15, दिनांक 12 जनवरी, 2000।

प्रतिलिपि—सभी पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना/सभी अभिलेखागार, दरभंगा/रांची/बेतिया/भागलपुर/जिला अभिलेखागार, गया, छपरा आरा, मुजफ्फरपुर, चाईबासा, मुंगेर, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित।

(ह०) रवीन्द्रनाथ बैठा
12-1-2000।
सहायक अभिलेख निदेशक।

खंड-10

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

*संकल्प

12 मार्च 1981

विषय—बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन

सं0 एन0प0 1-101/80-म0सा0—673—सन् 1962 में विगत चीनी आक्रमण के पश्चात बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार के सुरक्षा प्रयत्नों में जन-सहयोग प्राप्त करना था। उस समय राज्य नागरिक परिषद् का गठन केन्द्रीय नागरिक परिषद् के निदेश पर किया गया था। सन् 1973 में केन्द्रीय नागरिक परिषद् का विघटन हो गया। तत्पश्चात सन् 1979 में बिहार राज्य नागरिक परिषद् का भी विघटन कर दिया गया।

2. बिहार राज्य नागरिक परिषद् द्वारा सुरक्षा कार्यों के साथ-साथ सैनिकों के कल्याण, बाढ़ एवं सुखाड़ के समय पीड़ितों की सहायता एवं साम्प्रदायिक दंगों के विरुद्ध जनमत तैयार करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा था। अभी सब देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिक तनाव उभर आया है, मूल्यवृद्धि के कारण समाज के हर स्तर पर कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो गई है एवं बीस-सूत्री आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम की सफलता के लिये प्रबल जनमत की आवश्यकता है, सरकार ने भलीभांति विचार कर यह निर्णय लिया है कि राज्य एवं जिला स्तर पर नागरिक परिषद् का गठन किया जाय।

3. तदनुसार राज्य नागरिक परिषद् का गठन निम्नलिखित रूप से करने का निर्णय लिया गया है:—

(1) श्री ए0 आर0 किदवई, राज्यपाल—संरक्षक।

(2) डा0 जगन्नाथ मिश्र, मुख्य मंत्री—अध्यक्ष।

(3) महासचिव, प्रशासकीय सचिव एवं अन्य सदस्यगण का मनोनयन सरकार करेगी।

(4) परिषद् समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में संयोजित कर सकेगा।

(5) परिषद् के कर्त्तव्यों के उचित निर्वाह के लिये राज्य सरकार, कार्यपालिका समिति एवं अन्य समितियों का गठन करेगी और उनके सदस्यों को मनोनीत करेगी तथा उनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण करेगी।

(6) अपने कार्यकलापों के संबंध में तथा विभिन्न समितियों के संबंध में परिषद् समुचित प्रक्रिया तथा समय-समय पर आवश्यक अनुदेश निर्गत करेगा।

उद्देश्य—

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सभी क्षेत्रों में नागरिकों के पूर्ण सहयोग प्राप्त करना परिषद् का मुख्य उद्देश्य होगा। संकटकालीन स्थिति में आंतरिक सुरक्षा के लिये परिषद् नागरिकों के सहयोग की व्यवस्था करेगा तथा जनता के मनोबल को सुदृढ़ रखने के लिये हर संभव प्रयास करेगा।

(2) सैनिकों के परिवारों के समुचित देख-रेख तथा उनके लिये सुख-सुविधा की व्यवस्था करना भी परिषद् का महत्वपूर्ण कर्त्तव्य होगा।

(3) नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना तथा साम्प्रदायिक सदभावना बढ़ाने के उद्देश्य के लिये परिषद् प्रयत्नशील रहेगा।

(4) बाढ़ सुखाड़, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपों या अन्य कारणों से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति में परिषद् साहाय्य संबंधी व्यवस्था करेगा और इन बहुमुखी उद्देश्यों के निर्वहन के लिए परिषद् सरकार एवं नागरिकों के प्रयासों का समन्वय करेगा।

(5) बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य स्तर जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर व्यापक रूप से जन सहयोग प्राप्त करेगा।

(6) राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए प्रबल नजर वातावरण एवं राज्य के सभी लोगों से राष्ट्रीय अखण्डता एवं एकता के लिये प्रयत्नशील रहेगा।

(7) धर्मनिरपेक्षता एवं साम्प्रदायिकता एकता, सद्भाव एवं कौमी एकता के लिये समुचित वातावरण का निर्माण करेगा एवं उसके लिये जन-सहयोग प्राप्त करेगा।

(8) समाजवादी व्यवस्था के लिये समुचित जनमत तैयार करेगा।

(9) जन-वितरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये निगरानी की व्यवस्था करेगा।

(10) शिक्षा के समुन्नति के लिये अनुशासन एवं शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करेगा।

(11) सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल-कूद का प्रसार एवं समन्वय करेगा।

वित्तीय व्यवस्था।

राज्य नागरिक परिषद् का प्रशासनिक खर्च राज्य सरकार वहन करेगी जो अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जायगा।

कार्यालय कार्य के लिये विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवा ली जा सकती है जिसका व्यय भार संबंधित विभाग वहन करेगा।

जिला नागरिक परिषद् :—

प्रत्येक जिला में नागरिक परिषद् की व्यवस्था होगी। जिला नागरिक परिषद् के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष, राज्य नागरिक परिषद् करेंगे। आवश्यकतानुसार वे इस संबंध में जिला पदाधिकारी की भी अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

आदेश--आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियां सभी सदस्यों।सरकार के सभी विभागों।सभी विभागाध्यक्षों।सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना के लिये भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव

No. A/Na P-1-102/83MS—1805

GOVERNMENT OF BIHAR

Cabinet Sectt. & Coordination Department.
(General Branch)

Resolution.

Dated 21st July, 1983.

In pursuance of the Cabinet Secretariat and Co-ordination Department (General-Branch) Resolution No. A/NP-1-101/80 MS-673, dated the 12th March, 1981, the State Government have been pleased to frame the following Bye-laws, namely:-

"Bye-Laws"

These Bye-laws shall be called "Bye-laws" for transaction of Financial business of the Bihar State Citizens, & National Integration Council";

2. Except where as expressly provided in these Bye-laws financial business of the Bihar State Citizens, and National Integration Council shall be regulated by the rules framed by Government for financial business in Government Offices.

3. The fund of the Bihar State Citizens, & National Integration Council shall consist of (I) the grants from the State Govt., (II) the grants, if any, from the Central Govt. (III) donations from the public, and (IV) voluntary collections from the public by the efforts of the Council.

4. The fund of the Bihar State Citizens' & National Integration Council shall be utilised for the following purposes:—

(I) for the administrative expenditure of the Council which shall be met out of the grants received from the State Government.

(II) for meeting expenses in connection with the welfare of the serving Defence Services Personnel, Disabled Jawans and War-widows.

(III) for relief work in times of emergency e.g. floods, drought etc., Provided that 75 per cent of the collections except those already earmarked for definite purposes, shall be utilized for carrying out the following main purposes of the Council.

(a) to educate and elicit full cooperation from the Citizens in all spheres of National security and solidarity:

(b) to instil and develop a sense of National Integration and communal harmony amongst the Citizens ;

(c) to elicit public co-operation in implementation of the 20-point Programme and other development programmes ;

(d) to create strong public atmosphere in favour of National Integration and unity; and

(e) to create appropriate atmosphere for secularism and communal harmony, good-will and national integrity and elicit public cooperation therefor.

5. Towards the end of each year the Council should draw up its budget and send it for the approval of the Government. The budget should not include as income assumed grants from Government on which there is no previous commitment.

6. Within a month of the end of a financial year the Council shall furnish details of utilization of the grants obtained from the State Government and the Secretary of the Council should furnish a certificate that the grants have been utilized for the purpose for which they were given.

7. The Secretary of the Council shall have the power to sanction expenditure not exceeding Rs. 2,000/- (excluding pay and allowances) at a time beyond which sanction of the Chairman will be necessary. No expenditure shall be made on any item/ purpose which is not specifically included in the budget of the Council, approved by the Government.

8. Bank accounts of the Bihar State Citizens' & National Integration Council may be kept with the State Bank of India, Patna Secretariat Branch, Patna and shall be operated by Officers of the Council, one of whom should be the Secretary of the Council.

9. Minimum amount should be kept in the current account of the Council and the balance amount should be kept in the Savings Bank and Fixed deposit keeping in view the current needs of the Council.

10. A sum not exceeding Rs. 500/- may be kept in the office of the State Citizens' Council as imprest cash.

11. Purchase, payment and receipt of money in the Bihar State Citizens' & National Integration Council shall be regulated by rules and procedure prescribed by Government, for purchase, payment & receipt of money in Govt. offices.

12. The cash-book of the Council shall be maintained in T.C., Farm-6 and a separate Ledger book shall be maintained relating to expenditure under each of the different heads mentioned in rule-4.

13. The accounts of the State Citizens' & National Integration Council shall be audited by Govt. Auditors and a Statement of account of the receipts and expenditure should be prepared at the end of the each financial year.

ORDER:—Ordered that this may be published in the Bihar Gazette and a copy of the same may be sent to the Secretary, Bihar State Citizens' & National Integration Council and the Secretaries to the District Councils/ All Department of Govt. All Heads of Deptt./ All Commissioners/ All Dist. Magistrates/All Dy. Development Commissioners/ All S.D.Os.

By Order of the Governor of Bihar,
(Sd) Illegible,
Deputy Secretary to Government.

Memo No.1805

Patna, the 21st July 1983.

Copy forwarded to Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh, Patna with the request that the Resolution may be published in Bihar Gazette, and 250 spare copies of the same be supplied to the Cabinet Secretariat & Coordination Deptt. (General Branch).

(Sd) Illegible.
Deputy Secretary to Govt.

Memo No.1805

Patna, the 21st July, 1983.

Copy forwarded to the Secretary, Bihar State Citizens' & National Integration Council/ Secretaries to all District Citizens' & National Integration Council/ All Departments of Govt./ All Heads of Department/ All Commissioners/All District Offices for information and necessary action.

(S) Illegible.
Deputy Secretary to Govt.

संख्या एना प० 101/80-मं०सा०—2225

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

7 सितम्बर 1981

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या एना प० 1-101/80 मं०सा० 673, दिनांक 12 मार्च 1981 की कंडिका 3 के अनुसरण में राज्य सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों के बिहार राज्य नागरिक परिषद् के उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रशासकीय सचिव एवं सदस्यों के रूप में मनोनीत किया है :—

(1) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल, भूतपूर्व मुख्य मंत्री—उपाध्यक्ष
(2) श्री महेन्द्र नारायण झा, स०वि०स० (बाबूबरही)—महासचिव
(3) श्री बी० एन० बसु, भा०प्र०से० (अवकाश प्राप्त)—प्रशासनिक सचिव

पदेन सदस्यगण

(1) मुख्य सचिव, बिहार, पटना
(2) विकास आयुक्त, बिहार, पटना
(3) नागरिक सुरक्षा आयुक्त, पटना
(4) अध्यक्ष, बिहार वाणिज्य मंडल
(5) कमाण्डर, बिहार एण्ड उड़ीसा सब-एरिया दानापुर कैण्ट
(6) कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना
(7) कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
(8) कुलपति, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
(9) कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची
(10) कुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
(11) कुलपति, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा
(12) कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर
(13) कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची

सदस्यगण

(1) श्री रफीक आलम, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटि, पटना
(2) श्री कर्पूरी ठाकुर, स०वि०स०, नेता, विरोधी दल, बिहार विधान-सभा
(3) श्री ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह, स०वि०प०, नेता, विरोधी दल, बिहार विधान परिषद्
(4) श्री राम लखन सिंह यादव, स०वि०स०
(5) श्री सुनील मुखर्जी, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(6) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, अध्यक्ष, जनता पार्टी, बिहार
(7) श्री इन्दर सिंह नामधारी, स०वि०स०, नेता, भारतीय जनता पार्टी
(8) श्री सोय हेम्ब्रम, सांसद, उपाध्यक्ष, संथाल परगना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
(9) डॉ० बसंत नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
(10) श्री रत्नाकर नायक, उपाध्यक्ष, दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
(11) श्री महेन्द्र मोहन मिश्र, सांसद
(12) श्री चन्द्रशेखर सिंह, सांसद
(13) सुश्री श्यामा कुमारी, भूतपूर्व, स०वि०प०

सदस्यगण

(14) श्री तपेश्वर सिंह, सांसद
(15) श्री नागेन्द्र झा, स०वि०स०
(16) श्री कमलदेव नारायण सिंह, भूतपूर्व मंत्री
(17) श्री कामदेव प्रसाद सिंह, भूतपूर्व स०वि०स०
(18) श्री स्वामी हरिनारायणानन्द, अध्यक्ष, भारत सेवक समाज
(19) अध्यक्ष, बिहार उद्योग परिषद्
(20) श्री रुसी मोदी, टिस्को, जमशेदपुर
(21) श्री सरोज गांधी, टेल्को, जमशेदपुर
(22) श्री अशोक कुमार जैन
(23) श्री राम भगत पासवान, सांसद
(24) श्री श्रीकान्त झा, वासुकीनाथ, संथाल परगना
(25) श्री उपेन्द्र विद्यार्थी
(26) श्री अकील हैदर
(27) श्री इर्शाद हुसैन
(28) श्री बिन्देश्वरी दूबे, अध्यक्ष, आई०एन०टी०यू०सी०

2. उपर्युक्त संकल्प के अन्तिम खण्ड के अनुसरण में अध्यक्ष, राज्य नागरिक परिषद् ने निम्नलिखित व्यक्तियों के राज्य के 33 जिलों के लिये अध्यक्ष, जिला नागरिक परिषद् के रूप में मनोनीत किया है :—

(1)	श्री राम नगीना सिंह यादव, स०वि०स०	अध्यक्ष, पश्चिमी चम्पारण
(2)	श्री मोईदुर रहमान	.. अध्यक्ष, पूर्वी चम्पारण
(3)	श्री सिधेश्वर शाही	.. अध्यक्ष, गोपालगंज
(4)	श्री चन्द्रिका पाण्डेय	.. अध्यक्ष सिवान
(5)	श्री रघुनन्दन मांझी	.. अध्यक्ष, सारण
(6)	श्री वि य शुक्ल	.. अध्यक्ष, वैशाली
(7)	श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह	.. अध्यक्ष, म फ्फरपुर
(8)	श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव	.. अध्यक्ष, सीता ढ़ी
(9)	श्री मिथिलेश कुमार पाण्डेय	.. अध्यक्ष, मधुबनी
(10)	श्री मदन मोहन चौधरी	.. अध्यक्ष, दरभंगा
(11)	श्री कपिलदेव प्रसाद सिंह	.. अध्यक्ष, समस्तीपुर
(12)	श्री हरिहर महतो	.. अध्यक्ष, बेगूसराय
(13)	श्री उमा प्रसाद सिंह	.. अध्यक्ष, सहरसा
(14)	श्री सिधेश्वर प्रसाद मेहता	.. अध्यक्ष, मधेपुरा
(15)	श्री रामचन्द्र मिश्र	.. अध्यक्ष खगड़िया
(16)	श्री यमुना राम	.. अध्यक्ष पूर्णियां
(17)	श्री मोहम्मद शकूर	.. अध्यक्ष कटिहार
(18)	श्री अवध बिहारी सिंह	.. अध्यक्ष संथाल परगना
(19)	श्री सुरेश चन्द्र यादव, स०वि०स०	.. अध्यक्ष, भागलपुर
(20)	श्री शिवनन्दन यादव	.. अध्यक्ष मुंगेर
(21)	श्री पंक कुमार सिंहा	.. अध्यक्ष, नालंदा
(22)	श्री राम नगीना सिंह	.. अध्यक्ष पटना
(23)	श्री रामजी प्रसाद सिंह	.. अध्यक्ष, भोजपुर
(24)	श्री दूधनाथ पासवान	.. अध्यक्ष, रोहतास
(25)	श्री राम नरेश सिंह	.. अध्यक्ष, औरंगाबाद
(26)	श्रीमती राजकुमारी देवी	.. अध्यक्ष, गया
(27)	श्री बनवारी राम	.. अध्यक्ष, नवादा
(28)	श्री रघुनन्दन प्रसाद	.. अध्यक्ष हजारीबाग
(29)	श्री शफीरा अहमद	.. अध्यक्ष गिरिडीह
(30)	श्री प्रताप नारायण सिंह	.. अध्यक्ष धनबाद
(31)	श्री सनातन मांझी	.. अध्यक्ष, सिंहभूम
(32)	श्री बैरागी उरांव,	.. अध्यक्ष, रांची
(33)	श्री युगल किशोर पाण्डेय	.. अध्यक्ष, पलामू

3. राज्य नागरिक परिषद् अध्यक्ष के अधीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य सम्पादन करेगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभागों।विभागाध्यक्षों।प्रमंडलों के आयुक्तों।जिला पदाधिकारियों को सूचना के लिये भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० ए।ना०प० 1-101।81 मं०सा०—2225
पटना-15, दिनांक 7 सितम्बर 1981

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।आयुक्त एवं मुख्य मंत्री के सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव। अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी उप मंत्रियों के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा।परिषद मुख्य सचिव के सचिव। सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० ए।ना०प० 1-101।81 मं०सा०—2225,
पटना-15, दिनांक 7 सितम्बर 1981

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, विस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रेम प्रसाद नैय्यर
सरकार के मुख्य सचिव

पत्र सं० एनाग०प०-101।80 मं०सा०—2248

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री ज्योतिर्मय प्रमाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार, बिस्कोमान भवन, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा—वित्त विभाग।

विषय—बिहार राज्य नागरिक परिषद् के उपाध्यक्ष एवं महासचिव को देय सुविधायें।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प सं० एनाग०प० 101।80 सं०सा०—2225, दिनांक सितम्बर 1981 के द्वारा श्री विदेश्वरी प्रसाद मण्डल को उपाध्यक्ष, राज्य नागरिक परिषद् एवं महेन्द्र नारायण झा, स०वि०स० को महासचिव, राज्य नागरिक परिषद्, के रूप में मनोनीत किया गया है। श्री मण्डल एवं श्री झा को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को अनुमान्य निम्नांकित सुविधायें सरकार ने प्रदान की है:—

(1) (क) आप्त सचिव	..	1	वेतन 670 रु० (फिक्स्ड) बाह्य व्यक्तियों के लिये। किन्तु सेवारत पदाधिकारियों के लिये अपने संवर्ग वेतन के अतिरिक्त उन्हें 20 प्रतिशत विशेष वेतन (अधिकतम 150 रु०) मिलेगा।
(ख) निजी सहायक	..	2	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त संवर्ग के वेतनमान 400—13—465 द०रो०—15—630 रु० में निजी सहायक अथवा वेतनमान 580—20—740—द०रो०—25—840 रु० में वरीय निजी सहायक यथास्थिति।
(ग) दिनचर्या लिपिक	..	1	वेतनमान 220—4—240—द०रो०—5—290—द०रो०—5—315।
(घ) जमादार अर्दली	..	1	वेतनमान 165—2—196—3—204
(ङ) आदेशपाल	..	3	वेतनमान 155—1—160—2—190

इन पदों का सृजन पद ग्रहण की तिथि से उस तिथि तक माना जायेगा जबतक उपाध्यक्ष एवं महासचिव उक्त पदों पर बने रहेंगे।

(2) यात्रा भत्ता—राज्य नागरिक परिषद् के उपाध्यक्ष एवं महासचिव नागरिक को नागरिक परिषद् के कार्य के संबंध में की गयी यात्रा हेतु बिहार मंत्री वाहन एवं यात्रा भत्ता नियमावली, 1953 में निहित सभी सुविधायें देय होंगी।

(3) स्टाफ कार की सुविधा—निर्धारित नियमानुसार।

(4) कार्यालय एवं आवास पर दूभाष की सुविधा।

2. इन पदों पर होनेवाला व्यय "265-अन्य प्रशासनिक सेवायें—सिविल सुरक्षा हवाई हमला हिफाजत बिहार राज्य नागरिक परिषद् को अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा। तत्काल व्यय के लिये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया जायगा और उसकी प्रतिपूर्त्ति हेतु 1981-82 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सारवती अनुसूची सम्मिलित की जायगी।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए।ना०प० 101180 मं०सा०—2248

पटना-15, दिनांक 12 सितम्बर 1981

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव।उपाध्यक्ष, राज्य नागरिक परिषद।में) राज्य महासचिव, राज्य नागरिक परिषद्।प्रशासकीय सचिव, राज्य नागरिक परिषद्।वित्त विभाग (दो प्रतियों) नागरिक परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए।ना०प० 101180 मं०सा०—2248

पटना-15, दिनांक 12 सितम्बर 1981

प्रतिलिपि—सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी उप-मंत्रियों के आप्त सचिव। सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकर के उप-सचिव।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

1 अक्टूबर 1981

सं० ए०।ना०प० 1-101।80-मं०सा०--374--मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या 2825, दिनांक 7 सितम्बर, 1981 में बिहार राज्य नागरिक परिषद् के सदस्यों के रूप में मनोनीत व्यक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों को भी राज्य सरकार ने उक्त परिषद् के सदस्यों के रूप में मनोनीत किया है :—

(1) कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा—पदेन सदस्य।

(2) 33 जिलों के जिला नागरिक परिषद् के अध्यक्षगण--सदस्य।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभागों।विभागाध्यक्षों।प्रमंडलों के आयुक्तों।जिला पदाधिकारियों को सूचना के लिये भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

18 नवम्बर 1981

सं० ए।ना०प० 1-106।81-मं०सा०—2581—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या ए।ना०प० 1-101।80-मं०सा०-2225, दिनांक 7 सितम्बर 1981 द्वारा मनोनीत सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को भी बिहार राज्य नागरिक परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :—

(1) श्री शकील उज्जमा, नूरानीबाग, पटना-7

(2) श्री समीर सिंह, मुरादपुर, पटना-4

(3) श्री प्रेमचन्द मिश्रा, बोरिंग रोड, पटना

(4) श्री राय रमेश प्रसाद सिंह, बोरिंग रोड, पटना

(5) श्री सिद्धनाथ राय, स०वि०स०

(6) श्री अर्जुन प्रसाद

(7) श्री मुन्ना शाही।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभागों।विभागाध्यक्षों।प्रमंडलों के आयुक्तों।जिला पदाधिकारियों को सूचना के लिये भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

29 अप्रील 1981

सं० 901—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) का संकल्प संख्या ए।ना०प०-101।80 मं०सा०—2225, दिनांक 7 सितम्बर 1981 के द्वारा श्री विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल को बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। श्री विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल के निधन के कारण उपाध्यक्ष, राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् के रिक्त स्थान पर राज्य सरकार ने डॉ० के० के० मण्डल, भूतपूर्व कुलपति, ग्राम अतलखा, पोस्ट मंगुआर, जिला सहरसा को तीन वर्षों के लिये उपाध्यक्ष, राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् के रूप में मनोनीत किया है।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां परिषद् के सभी सदस्यों।सरकार के सभी विभागों।सभी विभागाध्यक्षों। सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों।सभी जिला पदाधिकारियों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पो० पी० नैय्यर,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या 901

पटना, दिनांक 29 अप्रील 1982

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।संयुक्त एवं मुख्य सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी उप-मंत्रियों के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा।परिषद्।मुख्य सचिव के सचिव।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रेम प्रसाद नैय्यर,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या 991

पटना, दिनांक 29 अप्रील 1981

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, हिन्नू, रांची।बिस्कोमान भवन, गांधी मैदान, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रेम प्रसाद नैय्यर,
मुख्य सचिव।

पत्र सं० 8।पी 3-2039।82 का०—9638

बिहार सरकार
कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक

श्री डी० एस० मुखोपाध्याय,
आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

सभी अनुमंडल पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 28 अगस्त 1982

विषय—बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

बिहार राज्य नागरिक परिषद् द्वारा एलबर्ट एक्का मेमोरियल निर्माण किया जायगा। एलबर्ट एक्का मेमोरियल के लिये बिहार राज्य नागरिक परिषद् के कथनानुसार उनके पास 15 लाख रुपये उपलब्ध हैं, किन्तु उनका अनुमान है कि इस कार्य पर लगभग 28 लाख रुपये खर्च होगा। वे चाहते हैं कि अतिरिक्त राशि के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेल-कूद प्रतियोगिता के माध्यम से चंदा एकत्रित करें। नागरिक परिषद् द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि चन्दा एकत्र करने में उनको जिला पदाधिकारियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से टिकट आदि बेचने की अनुमति दी जाय।

2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 13 तथा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली 1968 के नियम 10 के अनुसार समाहर्त्ताओं आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को अनुमति दी जाती है कि वे इस कार्य में नागरिक परिषद् की सहायता करें। किन्तु यह निदेश भी दिया जाता है —

(क) कोई भी पदाधिकारी रोकड़ यानी नगद पैसा बिहार नागरिक परिषद् को नहीं देंगे वरन क्रास्ड चेक अथवा क्रोस्ड बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही देंगे।

(ख) नागरिक परिषद् अलबर्ट एक्का मेमोरियल का फंड तथा लेखा बिल्कुल अलग रखेंगे और प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर जो प्रशासनिक खर्च आयेगा उसक भी हिसाब अलग रखेंगे और राज्य सरकार को प्रत्येक 6 महीने पर इस कोष में आय (जिसमें सूद की राशि भी शामिल हो) और व्यय का पूरा ब्योरा देते रहेंगे। इस कोष का पृथक अंकेक्षण भी करायेंगे और राज्य सरकार को अंकेक्षित लेखा की प्रति भेजेंगे।

(ग) चन्दा एकत्रित करने के काम को वर्ष 1982 में ही सम्पादन कर लें और इसके पश्चात् चन्दा एकत्र नहीं करें।

विश्वासभाजन,
डी० एस० मुखोपाध्याय,
आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं० 8।पी 3-2039।82-का०—9638,

दिनांक 28 अगस्त 1982

प्रतिलिपि—अध्यक्ष बिहार राज्य नागरिक परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

डी० एस० मुखोपाध्याय,
आयुक्त एवं सरकार के सचिव।

पत्र संख्या ए।ना०प० 1-101।83मं०सा०—324

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी आयुक्त,

सभी जिलाधिकारी,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 23 फरवरी 1983

विषय—बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं० 8।पी 3-2039।82 का० 9638, दिनांक 28 अगस्त 1982 का निर्देश कर मुझे कहना है कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 13 तथा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 10 के अधीन आयुक्तों, समाहर्त्ताओं एवं अनुमंडल पदाधिकारियों बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् की सहायता हेतु चन्दा एकत्रित करने की जो अनुमति दी गई थी, उसकी मान्यता की अवधि का विस्तार दिनांक 30 दिसम्बर 1983 तक करने का निर्णय किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप तद्नुसार कार्रवाई करें।

2. साथ ही यह निर्णय किया गया है कि चन्दा एकत्रित करने की शर्तों में यह भी एक शर्त रहेगी कि जो राशि एकत्रित की जायगी उसका 50 प्रतिशत भाग "परमवीर चक्र अलबर्ट एक्का स्मारक" के निर्माण के कार्य हेतु और शेष 50 प्रतिशत भाग सैनिकों के परिवारों की देख-रेख तथा उनकी सुख सुविधा की व्यवस्था हेतु उपयोग में लाये जायेंगे।

3. निर्देशाधीन पत्र की अन्य शर्त्तें पूर्ववत रहेंगी।

विश्वासभाजन
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए।ना०प० 1-101।83मं०सा०—324
पटना-15, दिनांक 23 फरवरी 1983

प्रतिलिपि—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उनके पत्रांक 8।पी 3-2039।82का० 9638, दिनांक 28 अगस्त 1982 के प्रसंग में सुचनार्थ प्रेषित।

(ह० अस्पष्ट,)
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ए।ना०प० 1-106।81 मं०सा०—440

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

महालेखाकार बिहार
बिस्कोमान भवन, पटना।

पटना-15, दिनांक 11 मार्च 1983

विषय—बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् के उपाध्यक्ष एवं महासचिव को देय सुविधायें।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के पत्रांक 2248, दिनांक 12 अगस्त 1981 के क्रम में मुझे कहना है कि उक्त पत्र में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त डा० के० मंडल उपाध्यक्ष, एवं श्री महेन्द्र नारायण झा, सं०वि०स० महासचिव, बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों के लिये अनुमान्य निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है :—

(क) दौरे के अवसर पर जिलों के परिसदनों।अन्य सरकारी भवनों में आवासन की सुविधा।
(ख) दौरे के अवसर पर जिला स्टाफ कार के उपयोग की सुविधा।
(ग) जिलों के दौरे पर जाने से उनके स्वागत का प्रबंध रहना चाहिये और उनके कार्यक्रम के सिलसिले में यदि उनके द्वारा कोई सहयोग वांछित हो तो जिलाधिकारी द्वारा उन्हें समुचित सहयोग होना चाहिये।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए।ना०प० 1-106।81 मं०सा०—440

पटना-15, दिनांक 11 मार्च 1983

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।उपाध्यक्ष, राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद्।महासचिव, राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद्।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी। सभी उप-विकास आयुक्त।सचिव, राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए।ना०प० 1-106।81 मं०सा०—440

पटना-15, दिनांक 11 मार्च 1983

प्रतिलिपि—सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी उप-मंत्रियों के आप्त सचिव। सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

सं० ए/ना० प० 1--1014/83-मं० सा०--2107

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

पटना-15, दिनांक 13 सितम्बर, 1983।

विषय--बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन।

राज्य सरकार ने अपने संकल्प संख्या-ए।ना० प० 1-101।80 मं० सा०-673, दिनांक 12 मार्च 1981 द्वारा राज्यपाल को संरक्षक तथा मुख्य मंत्री को अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित करते हुए बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् का संस्थापन किया था। तदनन्तर, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या ए।ना० प० 1-101।80 मं० सा० 2225, दिनांक 7 सितम्बर 1981, संख्या ए।ना०प० 1-101।80 मं० सा० 2374, दिनांक 1 अक्टूबर 1981, संख्या-ए।ना०प० 1-106।81 मं० सा० 2581, दिनांक 18 नवम्बर 1981 तथा संख्या 901, दिनांक 29 अप्रील 1982 द्वारा परिषद् का गठन किया गया।

2. परिषद् सुसंहत और प्रभावोत्पादक बने इस उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि परिषद्, जो अब से बिहार राज्य नागरिक परिषद् के नाम से अभिहित होगा, के निम्नांकित लक्ष्य रहेंगे :--

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एवं आन्तरिक सुरक्षा के लिए नागरिकों के सहयोग तथा सक्रिय भाग प्राप्त करना।

(ख) सरकार के 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जन सहयोग प्राप्त करना।

(ग) राज्य के जनगणों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विस्तार करना।

(घ) राज्य जल, स्थल एवं वायु सैनिक पर्षद के समन्वय से सशस्त्र सेवा वाहिनियों के सदस्यों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के हितार्थ कल्याण योजनाओं का प्रारम्भ तथा कार्यान्वयन करना।

3. तदनुसार तात्कालिक प्रभाव से राज्य सरकार ने निम्न रूप से बिहार राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन किया है :--

राज्यपाल बिहार--संरक्षक

1. मुख्य मंत्री, बिहार--अध्यक्ष

2. महासचिव

3. विरोधी दल के नेता, बिहार विधान सभा--सदस्य

4. असैनिक सुरक्षा आयुक्त, पदेन सदस्य--सचिव

इनके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों के जनगणों के प्रतिनिधित्व करने हेतु मुख्य मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाने-वाले और 21 सदस्य रहेंगे।

5. परिषद् को यह विकल्प प्राप्त रहेगा कि इसकी किसी भी बैठक में वह किसी सरकारी पदाधिकारी या गैर-सरकारी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करें।

6. वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान से बिहार राज्य नागरिक परिषद् अपने व्ययों का वहन करेगा।

7. असैनिक सुरक्षा आयुक्त के संघटन द्वारा परिषद् को सचिवालय सहायता प्रदान किया जायगा।

7. जिला नागरिक परिषद् आपातिक स्थिति में राज्य नागरिक परिषद् जिला नागरिक परिषदों का गठन कर सकेगा।

8. कंडिका-1 में उल्लिखित उपर्युक्त संकल्पों तथा जिला नागरिकों एवं राष्ट्रीय एकता परिषदों के गठन संबंधी अनुवर्त्ती या अनुषंगिक संकल्पों को यह संकल्प तात्कालिक प्रभाव से अवक्रमित करता है।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा प्रतियां सभी सदस्यों।सरकार के सभी विभागों।सभी विभागाध्यक्षों।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुभाष कुमार मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।ना०प० 1-1014।83-मं०सा०—2107

पटना, दिनांक 13 सितम्बर, 1983।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। तथा इसकी 250 प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।न० प० 1-1014।83 मं० सा०-2107

पटना, 13 सितम्बर, 1983।

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।न० प० 1-1014।83 मं० सा०-2107

दिनांक 13 सितम्बर, 1983।

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, बिस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।न० प० 1-1014।83 मं० सा०-2107

पटना, दिनांक 13 सितम्बर, 1983।

प्रतिलिपि—सचिव, राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983

सं० 2406।मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या ए।ना०प०1-1004। 83 सा० सं० 2007, दिनांक 13 सितम्बर, 1983 की कंडिका (3) के आंशिक रूप से संशोधन करते हुये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार राज्य नागरिक परिषद् में एक उपाध्यक्ष भी रहेंगे और सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 60 किया जाय।

आदेश--आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्तों।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ए० के० एम० हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।ना०प०-1014।83-मं० सा०—2406

पटना-10, दिनांक 12 नवम्बर, 1983।

प्रतिलिपि--अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को अग्रसारित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 250 प्रतियां इस विभाग को भेजी जाय।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ए।ना०प०-1014।83-मं० सा०—2406

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983।

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभापति बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष। सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ए।ना०प० 1014।83-मं०सा०।2406

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983 ।

सं० ए।ना०प०-1014।83-2407--मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या ए।ना०प०-1014।83 म० सा०-2406, दिनांक 12 नवम्बर, 1983 के अनुसरण में राज्य सरकार ने श्री अब्दुल गफूर, स० वि० स० को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में मनोनित किया है।

आदेश--आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ए।ना० प०-1014।83-2407

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983 ।

प्रतिलिपि--अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, पटना को अग्रसारित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशित किया तथा इसकी 250 प्रतियां इस विभाग को भेजी जाय।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ए।ना० प०-1014।83-2407

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983 ।

प्रतिलिपि--आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त बिहार, पटना।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष। सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ए।ना०प०-1014।83।2407

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983 ।

प्रतिलिपि--महालेखाकार, बिहार, बिस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

दिनांक 12 नवम्बर, 1983।

संकल्प सं०-ए।ना० प०-1014।83-मं० स०-2408।मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या-ए।ना०प०-1014।83-2107, दिनांक 13 सितम्बर, 1983 तथा ए।ना०प०-1014।83 मं०स०-2406, दिनांक 12 नवम्बर 1983 के अनुसरण में राज्य सरकार ने निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के महासचिव एवं सदस्य के रूप में मनोनित किया है:—

श्री विश्वनाथ गुरमैता—महासचिव।

पदेन सदस्य

1. मुख्य सचिव, बिहार—सदस्य।
2. विकास आयुक्त—सदस्य।
3. असैनिक सुरक्षा आयुक्त—सदस्य सचिव।
4. अध्यक्ष, बिहार वाणिज्य मंडल—सदस्य।
5. कमांडर बिहार एण्ड उड़िया सब एरिया, दानापुर—सदस्य।
6. कुलपति पटना विश्वविद्यालय—सदस्य।
7. कुलपति, मगध विश्वविद्यालय—सदस्य।
8. कुलपति, बिहार विश्वविद्यालय—सदस्य।
9. कुलपति, रांची विश्वविद्यालय—सदस्य।
10. कुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय—सदस्य।
11. कुलपति, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय—सदस्य।
12. कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय—सदस्य।
13. कुलपति, बिरसा विश्वविद्यालय—सदस्य।
14. महापौर, पटना—सदस्य।

सदस्यगण

15. श्री रामशरण सिंह, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी।
16. श्री कर्पूरी ठाकुर, स० वि० स०—नेता विरोधी दल।
17. श्री ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—नेता विरोधी दल।
18. श्री रामलखन सिंह यादव—नेता विरोधी दल।
19. श्री राजकुमार पूर्वे—नेता विरोधी दल।
20. श्री सतेन्द्र नारायण सिंह, एम० पी०—जनता पार्टी।
21. श्री इन्दर सिंह नामधारी, स० वि० स०—भा०ज०पा०।
22. श्री फजलुर रहमान—अध्यक्ष, लोकदल।
23. श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, स० वि० स०—सी० पी० एम०।
24. श्री बिन्देश्वरी दूबे, एम० पी०।
25. श्रीमती कृष्णा शाही—एम० पी०।
26. श्री राम स्वरूप राय—एम० पी०।
27. श्री महेन्द्र मोहन मिश्र—एम० पी०।
28. श्री समीनुद्दौल—एम० पी०।
29. श्री कृष्ण प्रताप सिंह—एम० पी०।
30. श्री सेत हेम्बरम—एम० पी०।
31. श्री हरेन्द्र प्रसाद सिंह—स० वि० स०।
32. श्री शिवशरण सिंह—स० वि० स०।
33. श्री रघुनाथ पाण्डे—स० वि० स०।
34. श्री अनवारुल हक—स० वि० स०।

35. श्री हितनारायण झा—स० वि० प० ।
36. श्री मो० मोहिउद्दीन मुंशी—स० वि० स० ।
37. श्रीमती विउला दोजा—स० वि० स० ।
38. श्री सदानन्द सिंह—स० वि० स० ।
39. श्री रामशरण यादव—स० वि० स० ।
40. मो० ईसा—स० वि० स० ।
41. श्री सुरेन्द्र प्रसाद तरुण—स० वि० स० ।
42. श्री अयोध्या प्रसाद—स० वि० स० ।
43. श्री जीतन मांझी—स० वि० स० ।
44. श्री जगदीश शर्मा—स० वि० स० ।
45. श्रीमती तारा गुप्ता—स० वि० स० ।
46. श्रीमती उर्मिला देवी—स० वि० स० ।
47. श्री रत्नाकर नायक—स० वि० स० ।
48. श्री भुखला भगत—स० वि० स० ।
49. श्री एस० के० दांगी—स० वि० स० ।
50. श्री सनाथ राउत—अध्यक्ष, जिला परिषद्, दुमका ।
51. स्वामी हरिनारायणानन्द—
52. अध्यक्ष, बिहार उद्योग परिषद् ।
53. श्री रुसी मोदी—जमशेदपुर ।
54. श्री सरोज गांधी—जमशेदपुर ।
55. श्री अशोक कुमार जैन
56. श्री बलभद्र प्रसाद सिंह—एडभोकेट ।
57. श्री के० पी० वर्मा—एडभोकेट ।
58. श्री रामजनम ओझा—एडभोकेट ।
59. डा० वी० मोखोपाध्याय
60. डा० जे० एन० रोहतगी ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तक सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।प्रमंडलीय आयुक्त।जिला पदाधिकारियों।सभी सदस्यों को सूचना भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,

सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापांक-ए०।ना० प०-1014।83 मं० मं०—2408

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983 ।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई के लिये प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 250 प्रतियां इस विभाग को भेजी जाय ।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप सं० ए०।ना० प०-1041।83 मं०स०—2408

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983।

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभापति बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा।मुख्य सचिव के सचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारियों।सभी सदस्यों को सूचनार्थ अग्रसारित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।ना० प०-1014।83 म० स०—2408

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1983 ई०।

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, रांची।पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

संकल्प स० ए।ना० प० 1-1914।83 मं० सा०—2501

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

पटना-15, 10 दिसम्बर 1983

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या ए।ना०प० 1-1014।83 मं०सा० 2403, दिनांक 12 नवम्बर 1983 के क्रम में राज्य सरकार ने श्री जुबैर अहमद, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस (ई) के प्रदेश शाखा के महामंत्री को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।प्रमंडलीय आयुक्त।जिला पदाधिकारियों को सूचना भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ए।ना०प० 1-1014।83 मं०सा०—2501

पटना, दिनांक 1ली दिसम्बर 1983

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त बिहार पटना सरकार के सभी विभाग सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारियों।सभी सदस्यों को सूचनार्थ। प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ए।ना०प० 1-101 183 मं०सा०—1944

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 9 जुलाई 1984

विषय—बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ए।ना०प० 1-101183 मं०सा०—324, दिनांक 23 फरवरी 1983 का निर्देश करते हुए मुझे कहना है कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 10 के अधीन आयुक्तों, समाहर्त्ताओं एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने की जो अनुमति दी गयी थी उसकी मान्यता की अवधि का विस्तार दिनांक 31 दिसम्बर 1984 तक करने का निर्णय लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप तद्नुसार कार्रवाई करें।

2. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि चन्दा एकत्रित करने के शर्तों में यह भी एक शर्त रहेगी कि जो राशि एकत्रित की जायेगी उसकी शत-प्रतिशत भाग "परमवीर चक्र अलबर्ट एक्का स्मारक" के निर्माण कार्य को सामाप्त करने हेतु उपयोग में लाये जायेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 8।वी 3-2039।82 का०—9638; दिनांक 28 अगस्त, 1982 में निहित अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए।ना०प० 1-101।83 मं०सा०—1944
पटना, दिनांक 9 जुलाई 1984

प्रतिलिपि—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को इस विभाग के पत्र संख्या 324, दिनांक 23 फरवरी 1983 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव

पत्र संख्या ए।ना०प० 1-101।83 मं०सा०—700

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 28 मार्च 1985।

विषय :—बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ए।ना प०-1-101।83 मं सा० 1944, दिनांक 9 जुलाई 1984 का निर्देश करते हुए मुझे कहना है कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 18 के अधीन आयुक्तों, समाहर्त्ताओं एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने की जो अनुमति दी गई थी उसकी मान्यता की अवधि का विस्तार 31 दिसम्बर 1985 तक करने का निर्णय लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप तद्नुसार कार्रवाई करें।

2. साथ ही यह भी निर्णय किया गया है कि चन्दा एकत्रित करने की शर्त्तों में यह भी एक शर्त्त रहेगी कि जो राशि एकत्रित की जायगी उसका शत-प्रतिशत भाग "परमवीर चक्र अलबर्ट एक्का स्मारक" के निर्माण कार्य को समाप्त करने हेतु उपयोग में लाये जायेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 8।बी० 3-2039।82 का०—9638, दिनांक 28 अगस्त 1982 में निहित अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ए।ना०प० 1-101।83 मं०सा०—700
पटना, दिनांक 28 मार्च 1985

प्रतिलिपि—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को इस विभाग के पत्र संख्या 1944, दिनांक 9 जुलाई 1984 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए।ना०प० 1-101।83 मं०सा०—700
पटना, दिनांक 28 मार्च 1985

प्रतिलिपि—राज्य नागरिक पर्षद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

संख्या ए।ना०प० 1-1014।83 म०स०—430

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

पटना-15, 5 फरवरी 1986

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या ए।ना०प० 1-1014-183 म०सा०—240, दिनांक 12 नवम्बर 1983 को संशोधित कर बिहार राज्य नागरिक परिषद का पुनर्गठन करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उपाध्यक्ष, महासचिव एवं सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है :—

उपाध्यक्ष

(1) श्री राधानन्दन झा

महासचिव

(2) श्री समायले नवी

पदेन सदस्यगण

(1) मुख्य सचिव, बिहार
(2) विकास आयुक्त
(3) असैनिक सुरक्षा आयुक्त, सदस्य सचिव
(4) अध्यक्ष, बिहार वाणिज्य मंडल
(5) कमान्डर, बिहार एण्ड उड़ीसा सब एरिया दानापुर
(6) कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना
(7) कुलपति, मगध विश्वविद्यालय
(8) कुलपति, बिहार विश्वविद्यालय
(9) कुलपति, रांची विश्वविद्यालय
(10) कुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय
(11) कुलपति, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
(12) कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
(13) कुलपति, बिरसा विश्वविद्यालय
(14) कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
(15) महापौर, पटना

सदस्यगण

(16) श्री डुमर लाल बैठा, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी
(17) श्री कर्पूरी ठाकुर, स०वि०स०, नेता विरोधी दल
(18) श्री परमानन्द सिंह मदन, स०वि०स०, साम्यवादी दल
(19) श्री राम लखन सिंह यादव, स०वि०स०
(20) श्री रमेन्द्र कुमार, नेता साम्यवादी दल
(21) श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, जनता पार्टी
(22) श्री सत्यनाराय दुधानी, भारतीय जनता पार्टी
(23) श्री राम जीवन सिंह, अध्यक्ष लोकदल
(24) श्री अजीत सरकार, सी०पी०एम०
(25) श्री दामोदर पाण्डेय, एम०पी०
(26) श्रीमती कृष्णा शाही, एम०पी०
(27) श्री राम स्वरूप राम, एम०पी०
(28) श्री रामेश्वर ठाकुर, एम०पी०
(29) श्री रफीक आलम, एम०पी०
(30) श्री कृष्णा प्रताप सिंह, एम०पी०
(31) श्री संत हेम्ब्रम, एम०पी०
(32) श्री सत्येन्द्र नाराय सिंह, एम०पी०
(33) श्री के० के० तिवारी, एम०पी०
(34) डा० सी० पी० ठाकुर, एम०पी०
(35) श्री रामदेव राय, एम०पी०
(36) श्री सुधीर कुमार सिंह, स०वि०स०
(37) श्री ईश्वर चन्द्र पाण्डेय, स०वि०स०
(38) श्री रघुनाथ पाण्डेय, स०वि०स०

(39) श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स०
(40) श्रीमती कलावती त्रिपाठी, स०वि०स०
(41) श्री हलीमुद्दीन अहमद, स०वि०स०
(42) श्रीमती विउला दोजा, स०वि०स०
(43) श्री राम स्वरूप सिंह, स०वि०स०
(44) श्री भीष्म प्रसाद यादव, स०वि०स०
(45) श्री राजेन्द्र नाथ दां, स०वि०स०
(46) श्री सुरेन्द्र प्रसाद 'तरूण', स०वि०स०
(47) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, बेरमो, स०वि०स०
(48) श्री राजो सिंह, स०वि०स०
(49) श्रीमती लता देवी माली, स०वि०स०
(50) श्री सत्यदेव तिवारी, स०वि०प०
(51) श्री एम० ई० होरो, स०वि०स०
(52) श्री मुखला भगत, स०वि०स०
(53) श्री बैरागी उरांव, स०वि०स०
(54) श्री एल० एन० झा, स०वि०स०
(55) श्री शिबू सोरेन, नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा
(56) श्री रघुनाथ झा, नेता जनता पार्टी
(57) श्री दूधनाथ राउत, अध्यक्ष, जिला परिषद्, दुमका
(58) श्री स्वामी हरि नारायणानन्द
(59) अध्यक्ष, बिहार उद्योग परिषद्
(60) श्री रूसी मोदी, जमशेदपुर
(61) श्री सरोज गांधी, जमशेदपुर
(62) श्री अशोक कुमार जैन
(63) श्री राम बालक महतो, एडवोकेट
(64) श्री के० पी० वर्मा, एडवोकेट
(65) श्री राम जन्म ओझा, एडवोकेट
(66) डा० बी० मुखोपाध्याय
(67) डा० जे० एन० रोहतगी
(68) श्री विन्देश्वर पाठक, सुलभ इन्टरनेशनल, पटना

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष। सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भास्कर बैनर्जी,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं० एन०प० 1-1014।83 मं०सा०—430
पटना, दिनांक 5 फरवरी 1986

प्रतिलिपि—राज्यपाल के प्रधान सचिव।मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव। सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव। उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।प्रशैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना। सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारियों।सभी सदस्यों को सूचनार्थ अग्रसारित।

भास्कर बैनर्जी,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं० एन० प० 1-1014।83 मं०सा०—430,
पटना-15, दिनांक 5 फरवरी 1986

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, रांची।पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

भास्कर बैनर्जी,
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या ए०न०प० 1-1014।83 मं०सा०—463

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
बिस्कोमान भवन, पटना
(द्वारा वित्त विभाग)।
(अनौपचारिक रूप से परामर्शित)

पटना, दिनांक 12 फरवरी 1986

विषय—बिहार राज्य नागरिक परिषद् के उपाध्यक्ष एवं महासचिव को देय सुविधाएं।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प सं० 430, दिनांक 5 फरवरी 1986 के द्वारा श्री राधानन्दन झा को उपाध्यक्ष, राज्य नागरिक परिषद् एवं श्री शमायले नबी को महासचिव, राज्य नागरिक परिषद् के रूप में मनोनीत किया गया है। श्री राधानन्दन झा एवं श्री शमायले नबी को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को अनुमान्य निम्नांकित सुविधाएं सरकार ने प्रदान की हैं:—

1. (क) आप्त सचिव		1.	वेतन 1,000 रु० (फिक्स्ड) एवं 250 रु० विशेष वेतन प्रतिमाह बाह्य व्यक्तियों के लिये किन्तु सेवारत पदाधिकारियों के लिये अपने कोटि के वेतन के अतिरिक्त 20 प्रतिशत विशेष वेतन (अधिकतम 250 रु०) मिलेगा।
(ख) निजी सहायक	..	2.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सयुक्त संवर्ग के वेतनमान 785—1210 रु० में निजी सहायक।
(ग) दिनचर्या लिपिक		1.	वेतनमान 535—765 रु०
(घ) जमादार अर्दली	..	1	वेतनमान 375—488 रु०
(ङ) आदेशपाल	..	3	वेतनमान 350—425 रु०

(2) (क) दौरे के अवसर पर जिलों के परिसदनों।अन्य सरकारी भवनों में आवासन की सुविधा।

(ख) दौरे के अवसर पर जिला स्टाफ कार के उपयोग की सुविधा।

(ग) जिलों के दौरे पर जाने से उनके स्वागत का प्रबन्ध रहना चाहिये और उनके कार्यक्रम के सिलसिले में यदि उनके द्वारा कोई सहयोग वांछित हो तो जिलाधिकारी द्वारा उन्हें समुचित सहयोग प्राप्त होना चाहिये।

इन पदों का सृजन पदग्रहण करने की तिथि से उस तिथि तक माना जायेगा जबतक उपाध्यक्ष एवं महासचिव उक्त पदों पर बने रहेंगे।

(3) यात्रा भत्ता—राज्य नागरिक परिषद् के उपाध्यक्ष एवं महासचिव, राज्य नागरिक परिषद्, का कार्य के संबंध में की गई यात्रा हेतु बिहार मंत्री वाहन एवं यात्रा भत्ता नियमावली 1953 में निहित सभी सुविधाए देय होंगी।

(4) स्टाफ कार की सुविधा—निर्धारित नियमानुसार।

(5) कार्यालय एवं आवास पर दूरभाष की सुविधा।

(6) इन पदों पर होनेवाला व्यय "265-अन्य प्रशासनिक सेवाएं—सिविल सुरक्षा—हवाई हमला हिफाजत-बिहार राज्य नागरिक परिषद् के अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा। तत्काल व्यय के लिये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 1986-87 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सारवती अनुसूची सम्मिलित की जायगी।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० 463

पटना, दिनांक 12 फरवरी 1986

प्रतिलिपि—राज्यपाल के प्रधान सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।उपाध्यक्ष, राज्य नागरिक परिषद्।महासचिव, राज्य नागरिक परिषद्।वित्त विभाग (दोहरी प्रतियों में) सचिव राज्य नागरिक परिषद्।राज्य नागरिक परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० 463

पटना, दिनांक 12 फरवरी 1986

प्रतिलिपि—सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी उप-मंत्रियों के आप्त सचिव। सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी।सभी उप-विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं०-ए।ना० प०-1-101183—1798

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग,
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री सदानन्द पोद्दार,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिलाधिकारी,

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 10 सितम्बर, 1986

विषय—बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ए।ना०प०-1-101183 मं०सा० 700, दिनांक 28 मार्च, 1985 का निर्देश करते हुये मुझे कहना है कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 13 तथा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 10 के अधीन आयुक्तों एवं समाहर्त्ताओं एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने की जो अनुमति दी गई थी, उसकी मान्यता की अवधि का विस्तार 31 दिसम्बर, 1986 तक करने का निर्णय लिया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप तद्नुसार कार्रवाई करने की कृपा करें।

2. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि चन्दा एकत्रित करने की शर्तों में यह भी एक शर्त रहेगी कि जो राशि एकत्रित की जायगी उसकी शत-प्रतिशत भाग "परमवीर चक्र अलबर्ट एक्का स्मारक" के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु उपयोग में लाये जायेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं० 8।वी3-2039।82 का० 9638, दिनांक 29 अगस्त, 1982 में निहित अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

विश्वासभाजन,
रामानन्द पोद्दार,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक 1798

पटना, दिनांक 10 सितम्बर 1986

प्रतिलिपि—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को इस विभाग के पत्र सं० 700, दिनांक 28 मार्च, 1985 के क्रम के सूचनार्थ प्रेषित।

रामानन्द पोद्दार,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 1798

पटना, दिनांक 10 सितम्बर, 1986

प्रतिलिपि—उपाध्यक्ष।महासचिव, राज्य नागरिक परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रामानन्द पोद्दार,
सरकार के उप-सचिव।

सं०-ए।ना०प० 1-108186 मं०सा०—1936
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

पटना-15, दिनांक 19 सितम्बर 1986

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या-एन०ए०प०1-101183मं० सा०-2408, दिनांक 12 नवम्बर 1983 एवं 430, दिनांक 5 फरवरी 1986 को संशोधित कर बिहार राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उपाध्यक्ष, महासचिव एवं सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है :—

1. श्री राधा नन्दन झा — उपाध्यक्ष
2. श्री समायले नवी — महासचिव

पदेन सदस्य

1. मुख्य सचिव, बिहार
2. विकास आयुक्त
3. असैनिक सुरक्षा आयुक्त सदस्य सचिव

सदस्यगण

4. अध्यक्ष, बिहार वाणिज्य मंडल
5. कमाण्डर, बिहार एण्ड उड़ीसा सब एरिया, दानापुर
6. कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना
7. कुलपति, मगध विश्वविद्यालय
8. कुलपति, बिहार विश्वविद्यालय
9. कुलपति, रांची विश्वविद्यालय
10. कुलपति, भागलपुर, विश्वविद्यालय
11. कुलपति, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
12. कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
13. कुलपति, बिरसा विश्वविद्यालय
14. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
15. महापौर, पटना
16. श्री डुमर लाल बैठा, अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी
17. श्री कर्पूरी ठाकुर, सदस्य, बिहार विधान-सभा, नेता विरोधी दल
18. श्री परमानन्द सिंह "मदन" सं०वि०प० साम्यवादी दल
19. श्री राम खेलावन सिंह यादव, सं०वि०प०
20. श्री राजेन्द्र कुमार, नेता साम्यवादी दल
21. श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, सं०वि०प०
22. श्री सत्य नारायण सुधांशु, भारतीय जनता पार्टी
23. श्री राम लखन सिंह, अध्यक्ष, लोकदल
24. श्री अजीत सरकार, पी०पी०एम०
25. श्री दामोदर पाण्डेय, एम०पी०
26. श्रीमती चन्द्रभानु देवी एम०पी०
27. श्री राम स्वरूप राम, एम०पी०
28. श्री रामेश्वर ठाकुर, एम०पी०
29. श्री रफिक आलम, एम०पी०

सदस्यगण

30. श्री कृष्ण प्रताप सिंह, एम०पी०
31. श्री सेन हेम्ब्रम, एम०पी०
32. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, एम०पी०
33. श्रीमती मनोरमा पाण्डेय, एम०पी०
34. डा० सी०पी० ठाकुर, एम०पी०
35. श्री रामदेव राय, एम०पी०
36. डॉ० त्रिभुवन सिंह,
37. श्रीमती ..शि रानी मिश्र, स०वि०प०
38. श्री रघुनाथ पाण्डेय, स०वि०उ०
39. श्री विजय शंकर मिश्र
40. श्रीमती कलावती त्रिपाठी, स०वि०प०
41. श्री मुहम्मद हुसैन आजाद, स०वि०प०
42. श्रीमती ब्यूला दोजा, स० वि० प०
43. श्री राम स्वरूप सिंह, स०वि०प०
44. श्री भीष्म प्रसाद यादव, स०वि०प०
45. श्री राजेन्द्र नाथ दाँ, स०वि०प०
46. श्रीमती हेमलता यादव, स०वि०प०
47. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वेरमो, स०वि०प०
48. श्री राजो सिंह, स०वि०प०
49. श्री राधा कृष्ण किशोर, स वि०प०
50. श्री सत्यदेव तिवारी, स०वि०प०
51. श्री एन०ई० होरो, स०वि०प०
52. श्री कमर चन्द्र मराण्डी, स०वि०प०
53. श्री वैरागी उड़ांव, स०वि०प०
54. श्री नागेन्द्र झा, स०वि०प०
55. श्री शिबू सोरेन, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा
56. श्री रघुनाथ झा, नेता जनता पार्टी
57. श्री सनाथ राउत, अध्यक्ष, जिला परिषद्, दुमका
58. श्री हरि नारायण नन्द
59. अध्यक्ष, बिहार उद्योग परिषद्
60. श्री रूसी मोदी, जमशेदपुर
61. श्री सरोज गांधी, जमशेदपुर
62. श्री अशोक कुमार जैन
63. श्री राम बालक महतो, एडवोकेट
64. श्री के०पी० वर्मा, एडवोकेट
65. श्री राम जन्म ओझा, एडवोकेट
66. डा० वी मुखोपाध्याय
67. डा० जे०एन० रेहतगी
68. श्री विन्देश्वर पाठक, सुलभ इन्टर नेशनल, पटना
69. श्री एस०एस० अहलुवालिया, एम०पी०
70. श्री नरसिंह बैठा, एम०एल०ए०
71. श्री मदन मोहन चौधरी, संयुक्त सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमिटी
72. श्री इवरार हुसैन, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राज्य-पत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमण्डलीय आयुक्त-सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर० एन० दाश,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या-ना०प० 1-108।86 मं०स०--1836

पटना, दिनांक 19 सितम्बर, 1986

प्रतिलिपि---राज्यपाल के प्रधान सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव। उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारियों सभी सदस्यों को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।ना०प० 108।86 मं०स०--1836

पटना, दिनांक 19 सितम्बर 1986

प्रतिलिपि--महालेखाकार, बिहार रांची।पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

सं० ए।ना०प० 1-104।87 मं०सा०—705

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

24 अप्रील 1987

विषय—बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन—उद्देश्यों का विस्तार।

उपर्युक्त विषय पर पूर्व के सभी संकल्पों को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने अपने संकल्प संख्या ए।ना०प० 1-1014।83 मं०सा०—2107, दिनांक 13 सितम्बर, 1983 द्वारा बिहार राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन किया। पुनः राज्य सरकार ने संकल्प संख्या ए।ना०प० 1-1014।83 मं०सा०— 430, दिनांक 5 फरवरी 1986 द्वारा संकल्प संख्या ए।ना०प० 1-1014।83 मं०सा०—2408, दिनांक 12 नवम्बर, 1983 को संशोधित करते हुए बिहार राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन किया। तदुपरान्त आंशिक संशोधन के साथ संकल्प संख्या 1836, दिनांक 19 सितम्बर, 1836 के द्वारा बिहार राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन किया गया। राज्य सरकार ने संकल्प संख्या 1837, दिनांक 19 सितम्बर, 1986 के द्वारा बिहार राज्य नागरिक परिषद की कार्यकारिणी समिति का मनोनयन किया। ये दोनों संकल्प यानि संकल्प संख्या 1836, दिनांक 19 सितम्बर, 1986 एवं संकल्प संख्या 1837, दिनांक 19 सितम्बर, 1986 अभी प्रभावी हैं।

2. संकल्प संख्या 2107, दिनांक 13 सितम्बर, 1983 में परिषद् के मात्र चार उद्देश्य निर्धारित किये गये थे। वर्त्तमान परिस्थिति में जबकि देश में विघटनकारी और प्रतिक्रियावादी शक्तियां क्षेत्रीयता, भाषा, धर्म आदि के नाम पर देश की एकता को तोड़ने का और बाहरी शक्तियों का सहारा लेकर देश को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं। यह आवश्यक है कि नागरिक परिषद् के उद्देश्य को और व्यापक बनाया जाय। आतंकवादी और उग्रवादी तत्वों से सख्तीपूर्वक निपटने के लिए प्रबल जनमत तैयार करने की जरूरत है। आज प्रत्येक नागरिक का सबसे प्रमुख कर्त्तव्य देश की एकता को बनाये रखना और राष्ट्र की अखंडता की सुरक्षा करना है। त्याग और बलिदान के आधार पर संघर्ष द्वारा अर्जित देश की स्वतंत्रता की सुरक्षा हर कीमत पर की जानी है। विघटनकारी शक्तियों के इरादों को नाकाम करने के लिये प्रबुद्ध और स्वस्थ लोकमत आज की परिस्थिति में आवश्यक है। इधर गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नया 20-सूत्री कार्यक्रम का निरूपण किया गया है। विकास एव अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को गतिशीलता प्रदान करने और उनके सफल कार्यान्वयन के लिए जनसहयोग अपेक्षित है। राष्ट्रीय विकास और गरीबी उन्मूलन संबंधी राज्य सरकार के प्रयत्नों और राष्ट्र को एक नया युग में ले जाने की प्रधान मंत्री की समग्र कार्यनीति के लिए प्रबल जनमत तैयार करने में परिषद् को एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभानी है। इन तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिषद् के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं:—

(1) परिषद नागरिकों में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को विकसित और जागृत कर उग्रवादी, आतकवादी और विघटनकारी शक्तियों के प्रयासों को विफल करने के उद्देश्य से बहुमुखी और सघन प्रयासों के जरिये प्रबल जनमत तैयार करेगा।

(2) धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक एकता और सद्भाव बढ़ाने के उद्देश्य से परिषद् प्रचार, प्रसार, गोष्ठी प्रदर्शनी एवं सभा आदि के माध्यम से ठोस लोकमत के निर्माण के लिए कारगर कदम उठायेगा।

(3) प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से उत्पन्न संकटकालीनस्थिति में परिषद् सरकार एवं नागरिकों के प्रयासों का समन्वय करेगा।

(4) सरकार के नये 20-सूत्री कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिये नागरिक परिषद् समय-समय पर सेमिनार, सगोष्ठी आदि का आयोजन करेगा और इस कार्यक्रम के प्रसार एवं प्रचार को जनता में पहुंचायेगा।

(5) राज्य सैनिक बोर्ड के समन्वय से सेवारत सैनिकों एवं भूतपूर्व और युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों के हित के लिए परिषद् कल्याण योजनाओं का कार्यान्वियन करेगा।

(6) नागरिक परिषद् सुरक्षा के क्षेत्रों में नागरिकों सुरक्षा संगठन के समन्वय से नागरिकों को सक्रिय सहयोग प्राप्त करेगा।

(7) परिषद् परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से नागरिकों को उत्प्रेरित करने में योगदान देगा।

(8) परिषद् को सजग बनायेगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

(9) परिषद् हर स्तर पर शिक्षा, विशेषकर वयस्क शिक्षा को समुन्नति के लिये नागरिकों और ग्राम जनता का समर्थन प्राप्त करेगा।

(10) परिषद् उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित करेगा और सरकार और उपभोक्ता संगठन के बीच कड़ी का काम करेगा।

(11) परिषद् दहेज प्रथा के खिलाफ और दहेज विरोधी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में जनमत तैयार करेगा।

3. मुख्य मंत्री बिहार राज्य नागरिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे। परिषद् के उपाध्यक्ष, महासचिव एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जायगा। सामान्यतः मनोनयन अवधि तीन वर्षों की होगी। असैनिक सुरक्षा आयुक्त परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे। परिषद् के कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये राज्य सरकार कार्यकारिणी समिति एवं अन्य समितियों का गठन कर सकेगी और उनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण करेगी अपने कार्यकलापों के सम्बन्ध में परिषद् समुचित प्रक्रिया का निर्धारण एवं प्रशासकीय व्यवस्था करेगा तथा समय-समय पर आवश्यक आदेश निर्गत करेगा।

4. अलबर्ट एक्का स्मारक भवन का प्रशासनिक नियंत्रण परिषद् का उत्तरदायित्व होगा। परिषद् अलबर्ट एक्का स्मारक भवन निर्माण आदि के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से निधि एकत्रित करेगा। अलबर्ट एक्का स्मारक भवन के संचालन के लिए नियमावली आदि का सृजन परिषद् द्वारा किया जायेगा।

5. प्रत्येक जिले में नागरिक परिषद् की व्यवस्था होगी। जिला नागरिक परिषद् के अध्यक्ष, सदस्यों एवं पदाधिकारियों का मनोनयन अध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् करेंगे।

6. राज्य नागरिक परिषद् का प्रशासनिक खर्च राज्य सरकार वहन करेगी जो अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। नागरिक परिषद् के कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित निर्वहन के लिए सरकार पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति कर सकेगी। आवश्यकतानुसार अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और कार्यालय कार्य के लिए परिषद् द्वारा सरकार के विभागों के कर्मचारियों की सेवायें ली जा सकती हैं जिसका व्यय भार सम्बन्धित विभाग वहन करेगा।

7. यह संकल्प संख्या ए/ना० प० 1-1014/83 म० सा०-2107, दिनांक 13 सितम्बर 1983 को आवक्रमित करता है।

आदेश--आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियां सभी सदस्यों/सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/ जिला पदाधिकारियों की सूचना के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर०एन० दाश,
सरकार के सचिव।

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प
19 मई, 1987

विषय—बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन-उद्देश्यों का विस्तार।

उपर्यक्त विषय से सम्बन्धित संकल्प संख्या-705 दिनांक 24 अप्रील, 1987 की कंडिका-2 का मद संख्या-8 को निम्नप्रकार से संशोधित किया जाता है:—

परिषद पर्यावरण की विकृति से उत्पन्न विभिषिकाओं के प्रति जनता को सजग बनायेगा और पर्यावरण की रक्षा के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर० एन० दाश,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या-एन।ना०प० 1-104।87 मं०सा० 862

पटना, दिनांक 19 मई, 1987

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, रांची।पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

सं०-ए।ना०प०-1-1011।88 मं०सा०-151

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।
(सामान्य शाखा)

संकल्प

30 जनवरी, 1988.

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प सं०-ए।ना०प०-1-108।86 मं०सा०-1836 दिनांक 19 सितम्बर, 1986 के क्रम में राज्य सरकार ने श्री जुबेर अहमद, अध्यक्ष, ऑल इंडिया कौमी एकता कमिटि युथ विंग, बिहार प्रदेश को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार-राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।प्रमण्डलीय आयुक्त।जिला पदाधिकारियों को सूचना भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमा शंकर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।ना०प०-1-1011।88 मं०सा०-151
पटना, दिनांक-30 जनवरी, 1988

प्रतिलिपि—राज्यपाल के प्रधान सचि।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव। सभापति, बिहार विधान परिषद के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारियों। सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

उमा शंकर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक-ए।ना०प०-1-1011।88 मं०सा०-151
पटना, दिनांक 30 जनवरी, 1988

प्रतिलिपि-श्री जुबैर अहमद, अध्यक्ष, ऑल इंडिया कौमी एकता कमिटि, युथविंग, बिहार प्रदेश, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उमा शंकर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक-ए।ना०प०-1-1011।88 मं०सा०-151
पटना दिनांक 30 जनवरी, 1988

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, रांची।पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उमा शंकर प्रसाद
सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं०-ए।ना०प०-1-101।88 मं०सा०-213

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय बिभाग।
(सामान्य-शाखा)

प्रेषक

सरकार के उप सचिब।

सेवा में

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिलाधिकारी,

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी।

पटना 15, दिनांक 4 फरवरी, 1988

विषयः—बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या-123, दिनांक14 जनवरी,1987 का निर्देश करते हुए मुझे कहना है कि बिहार सरकारी सेवक आधार नियमावली के नियम 13 तथा अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के नियम 10 के अधीन आयुक्त।समाहर्त्ताओं एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिये चन्दा करने की जो अनुमति दी गई थी, उसकी मान्यता की अवधि का विस्तार 31 दिसम्बर, 1988 तक करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप तदनुसार कार्रवाई करने की कृपा करें।

2. साथ ही साथ यह भी निर्णय किया गया है कि चन्दा एकत्रित करने की शर्तों में यह भी एक शर्त्त रहेगी कि जो राशि एकत्रित की जायेगी उनका शतप्रतिशत भाग "परमवीरचक्र अलबर्ट एक्का स्मारक" के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु उपयोग में लाये जायेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-9638, दिनांक-29 अगस्त, 1982 में निहित अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
बास्ते-सरकार के उप-सचिब।

ज्ञापांक-213

पटना-15, दिनांक-4 फरवरी,1988

प्रतिलिपि-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के इस बिभाग के पत्र सं -123 दिनांक 14 जनवरी,1987 के क्रम में सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
बास्ते-सरकार के उप-सचिब।

ज्ञाप संख्या-213

पटना-15,दिनांक-4 फरवरी,1988

प्रतिलिपि-उपाध्यक्ष।महासचिब।असैनिक सुरक्षा आयुक्त-सह-सचिब,बिहार राज्य नागरिक परिषद ो सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
बास्ते-सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं० ए।ना०प०-1-101।88-89 मं०सा०—160

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिलाधिकारी

सभी अनुमंडल पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 17 जनवरी 1989

विषय—बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या 213 दिनांक 4 फरवरी 1988 का निर्देश करते हुए मुझे कहना है कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 13 तथा अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के नियम 10 के अधीन आयुक्तों।समाहर्त्ताओं एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लिये चन्दा एकत्रित करने की जो अनुमति 31 दिसम्बर 1988 को दी गई थी, वह समाप्त हो गई है। राज्य सरकार ने पुनः सम्यक विचारोपरान्त उक्त मान्यता की अवधि का विस्तार 31 दिसम्बर 1989 तक करने का निर्णय लिया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि आप तदनुसार कार्रवाई करने की कृपा करें।

3. उल्लेखनीय है कि यह भी निर्णय लिया गया है कि चन्दा एकत्रित करने की शर्तों में यह भी एक शर्त रहेगी कि जो राशि एकत्रित की जायेगी उसका शत-प्रतिशत भाग "परमवीरचक्र अलबर्ट एक्का स्मारक" के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु उपयोग में लाये जायेंगे।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र सं० 9638 दिनांक 29 अगस्त 1982 में निहित अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक ए।ना०प०-1-101।88-89मं०सा०—160
पटना-15, दिनांक 17 जनवरी 1989

प्रतिलिपि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को इस विभाग के पत्र संख्या 213, दिनांक 4 फरवरी 1988 के क्रम में सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक ए।ना०प०-1-101।88-89 मं०सा०—160
पटना-15, दिनांक 17 जनवरी 1989

प्रतिलिपि उपाध्यक्ष।महासचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार राज्य नागरिक परिषद्, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

सं०ए।ना०प०-1-108।89 मं०सा०—1001
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

6 मार्च, 1990

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या ए।ना०प०-1-108।86 मं० सा०—1836, दिनांक 19 सितम्बर 1986 को संशोधित कर बिहार राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उपाध्यक्ष, महासचिव एवं सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:—

(1) श्री राधानन्दन झा—उपाध्यक्ष
(2) श्री सैयद शाहजहां—महासचिव

पदेन सदस्य

(1) मुख्य सचिव
(2) विकास आयुक्त
(3) असैनिक सुरक्षा आयुक्त (सदस्य-सचिव)
(4) अध्यक्ष, बिहार वाणिज्य मंडल।
(5) अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ।
(6) कमाण्डर, बिहार व उड़ीसा सब एरिया, दानापुर
(7) विश्वविद्यालयों के कुलपति
(8) बिहार स्थित केन्द्रीय लोक उपक्रमों के अध्यक्ष।
(9) महापौर, पटना नगर निगम।

सदस्यगण

(10) अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी।
(11) श्री राम अवतार शर्मा (भा०क०पा०)।
(12) श्री गणेश शंकर विद्यार्थी (मा०क०पा०)।
(13) श्री रघुनाथ झा (ज०दल)।
(14) श्री संजय लाल (ज०द०)।
(15) श्री जगबन्धु अधिकारी (भा०ज०पा०)।
(16) श्री रामदेव शर्मा (डा०क०पा० भा०गे)।
(17) श्री कृष्णदेव यादव (आई०पी०एफ०)।
(18) श्री एम० जे० अकबर, सांसद
(19) श्रीमती सुमति ओरांव, सांसद।
(20) श्री बागुन सुम्ब्रई, सांसद।
(21) श्री राम स्वरूप प्रसाद, सांसद।
(22) श्री सूर्य नारायण यादव, सांसद।
(23) श्री सानथ राउत, दुमका।
(24) श्री स्वामी हरिनारायणानन्द, पटना।
(25) श्री रुसी मोदी, जमशेदपुर
(26) श्री सरोज गांधी, जमशेदपुर
(27) श्री अशोक कुमार जैन, दिल्ली
(28) श्री रामबालक महतो, अधिवक्ता
(29) श्री के० पी० वर्मा, महाधिवक्ता, बिहार।
(30) श्री राम जनम ओझा, अधिवक्ता।
(31) श्री तिलक नाथ मिश्र, अधिवक्ता, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।
(32) डॉ० बी० मुखोपाध्याय, पटना।
(33) डॉ० शिवनारायण सिंह, पटना।
(34) डॉ० बिन्देश्वर पाठक, सुलभ इन्टरनेशनल, पटना।
(35) श्री इबरार हुसैन, अधिवक्ता, पटना ।

(36) श्री जुबैर अहमद, पटना।
(37) श्री रामाश्रय राय, पूर्व विधायक, समस्तीपुर।
(38) श्री के० के० झा, रांटी (मधुबनी)।
(39) श्री धनन्जय सिंह, झाझा।
(40) श्री ओम प्रकाश झा, झाझा।
(41) श्री असगर खां, जमशेदपुर।
(42) श्री भागेन्द्र मिश्र, जमशेदपुर।
(43) डा० ए० के० धान, रांची।
(44) श्री कृपानाथ मिश्र, सहबाजपुरा, फारबिसगंज।
(45) श्री राम विनोद सिंह, ए० एन० कालेज, पटना।
(46) श्री रामानन्द सिंह, बाढ।
(47) श्री गौरी शंकर दास, झंझारपुर।
(48) प्रो० सत्येन्द्र सिंह, वाणिज्य महाविद्यालय, पटना।
(49) श्री देव चन्द्र झा, पूर्व विधायक, मधुबनी।
(50) श्री केशव कुमार मिश्र, नुवार, मधुबनी।
(51) श्री यासीम अन्सारी, कन्होली, मधुबनी।
(52) श्री हसान अंसारी, मधुबनी।

पूर्व की तरह उपाध्यक्ष को मंत्री का स्तर एवं सुविधा तथा महासचिव को राज्यमंत्री का दर्जा एवं सुविधा अनुमान्य होगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप सचिव।

संकल्प संख्या ए।ना० प० 1-108।89 मं०स०—2387

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

4 सितम्बर 1991

श्री शिवानन्द तिवारी, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. उपाध्यक्ष के रूप में शिवानन्द तिवारी को राज्य मंत्री की सुविधा अनुमान्य होगी।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभाग।विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

सं० ए।ना०प०1-108।89—1254

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

संकल्प

पटना-15, दिनांक 23 जून 1994

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या ए।ना० प० 1-108।89—1001 मं०सा०, दिनांक 6 मार्च 1990, 2387, दिनांक 4 सितम्बर 1991, 714, दिनांक 10 फरवरी 1993, 874, दिनांक 19 मार्च 1993 तथा 2211, दिनांक 13 अगस्त 1993 को अवक्रमित कर बिहार राज्य नागरिक परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं सदस्यों के मनोनयन सम्बन्धी अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से बिहार राज्य नागरिक परिषद् का निम्नांकित रूप से अगले आदेश तक, अधिकतम 3 वर्षों (तीन वर्षों) के लिये गठन किया जाता है :—

(1) राज्यपाल—संरक्षक।
(2) मुख्य मंत्री, बिहार—अध्यक्ष
(3) श्री राधा नन्दन झा—उपाध्यक्ष
(4) श्री मो० शमायल नबी (पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री)—उपाध्यक्ष
(5) श्रीमती प्रभावती पासवान—उपाध्यक्ष
(6) श्री मो० शमीम—महासचिव

सदस्यगण

(7) श्रीमती कमला सिन्हा
(8) श्री आस मोहम्मद अंसारी
(9) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
(10) श्री राजेश कुमार
(11) श्री लालबाबू राय
(12) श्रीमती गिरिजा देवी
(13) श्री छेदी पासवान
(14) श्री सहदेव पासवान
(15) श्री कमल पासवान
(16) श्री लाल बिहारी यादव (एम०एल०ए०)
(17) श्री सुशील कुमार मोदी
(18) श्री रामदेव वर्मा
(19) श्री अम्बिका प्रसाद
(20) श्री टेकलाल महतो
(21) मुख्य सचिव
(22) विकास आयुक्त
(23) असैनिक सुरक्षा आयुक्त (सदस्य सचिव)
(24) अध्यक्ष, बिहार वाणिज्य मंडल
(25) अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ
(26) कमान्डर, बिहार एवं उड़ीसा सब-एरिया, दानापुर
(27) बिहार स्थित केन्द्रीय लोक उपक्रमों के अध्यक्ष।प्रबंध निदेशक
(28) डॉ० जे० जे० इरानी, जमशेदपुर
(29) श्री रामबालक महतो, वरीय अधिवक्ता
(30) डॉ० बी० मुखोपाध्याय, पटना
(31) श्री एम० के० सिन्हा, सेवा निवृत्त आरक्षी महानिरीक्षक

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद अम्बष्ठ,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ए।ना० प० 1-108।89—1254

पटना-15, दिनांक 23 जून 1994 ई०

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।उप-सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।प्रशैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी।सभी सदस्यों को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए०।ना० प० 1-108।89—1254

पटना 15, दिनांक 23 जून 1994 ई०

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना।रांची को सूचनार्थ अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

पटना-15, 29 जून 1994

सं० सं०का०-वि०-1023।94—288—श्री राधा नन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को योगदान की तिथि से मंत्री की सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

सं० सं०का० वि०-1023।94—289—श्री शमायले नबी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को योगदान की तिथि से राज्य मंत्री की सुविधायें अनुमान्य होंगी।

सं० सं०का०।वि०-1023।94—290—श्रीमती प्रभावती पासवान, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को योगदान की तिथि से राज्य मंत्री की सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

संख्या स०का०वि०-1023।94—291—श्री मो० शमीम, महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को योगदान की तिथि से राज्यमंत्री की सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक सं०का०।वि० 1023।94—291

पटना-15, दिनांक 29 जून 1994

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा।सचिव, बिहार विधान परिषद्।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो।मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा)।श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद्।श्री शमायले नबी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद्।श्रीमती प्रभावती पासवान, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद्। श्री मो० शमीम महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद्।सभी विभाग-सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडल।युक्त-सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजेन्द्र सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक सं०का० वि०-1023।94—291

पटना-15, दिनांक 29 जून 1994 ई०

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजेन्द्र सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 12 जुलाई 1994

सं० सं० का० वि०-1023।94—309—श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को उनके योगदान की तिथि से मंत्री स्तर का दर्जा एवं सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

2. अधिसूचना संख्या 288, दिनांक 29 जून 1994 को विलोपित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
राजेन्द्र सिंह,
सरकार के उप-सचिव

ज्ञापांक सं०का०वि०-1023/94—309

पटना-15, दिनांक 12 जुलाई 1994

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/श्री राधानन्दन झा उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद्/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजेन्द्र सिंह,
सरकार के उप-सचिव

ज्ञापांक सं०का०वि०-1023/94—309

पटना-15, दिनांक 12 जुलाई 1994 ई०

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजेन्द्र सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं० ए०ना०4।-108।89—3437

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (सामान्य शाखा) विभाग।

प्रेषक

श्री रुद्रेश सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-15, दिनांक 22 जुलाई 1994

विषय—श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को मंत्री स्तर एवं श्री शमायले नबी, श्रीमती प्रभावती पासवान उपाध्यक्ष एवं मो० शमीम महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को राज्य मंत्री स्तर के देय सुविधा के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प सं० 1254, दिनांक 23 जून 1994 एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं० 288, 289, 290 तथा 291, दिनांक 29 जून 1994 के द्वारा श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को मंत्री स्तर एवं श्री शमायले नबी, श्रीमती प्रभावती पासवान, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् तथा मो० शमीम, महासचिव बिहार राज्य नागरिक परिषद् के रूप में मनोनीत करते हुए राज्य मंत्री स्तर की अनुमान्य निम्नांकित सुविधायें सरकार के द्वारा प्रदान की गई है :—

(1) निजी कर्मचारी—

(1) आप्त सचिव—2	..	वेतन 2000 रु० फिक्स्ड एवं 250 रु० विशेष वेतन मिलेगा। दोनो आप्त सचिव बाह्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं।
(2) निजी सहायक—2	..	वेतनमान 1500—2750 रु० ये पद कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त संवर्ग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। इसपर बाह्य व्यक्ति नियुक्त नहीं होंगे।
(3) चर्या लिपिक—1	..	वेतनमान 975—1540 रु० मंत्री।राज्य मंत्री स्वेच्छा से नियुक्ति कर सकते हैं।
(4) आदेशपाल—3	..	वेतनमान 775—1050 रु० मंत्री।राज्यमंत्री स्वेच्छा से नियुक्ति कर सकते हैं।
(5) जमादार अर्दली—1	..	वेतनमान 800—1150 रु० विभाग से दिया जाना है।

(2) सरकार द्वारा गाड़ी दिये जाने पर 250 लीटर पेट्रोल।डीजल प्रतिमाह की दर से अन्यथा मंत्री। राज्य मंत्री अपनी गाड़ी रखेंगे तो 1500 रु० प्रतिमाह सवारी भत्ता के रूप में प्राप्त करेंगे।

(3) रेल से यात्रा करने पर मंत्री।राज्य मंत्री को वातानुकूलित कोच में दो बर्थ या रक्षित प्रथम श्रेणी का कम्पार्टमेंट या जलयान से यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी का कम्पार्टमेंट का हकदार होते हैं। मंत्री।राज्य मंत्री अपने साथ रेल यात्रा में मेडिकल अटेन्डेन्ट या परिवार के एक किसी सदस्य को साथ ले जा सकते हैं। वे अपने साथ सामान भी सरकारी खर्च पर ले जा सकते हैं।

सार्वजनिक वायु परिवहन कम्पनी के वायुयान द्वारा यात्रा करने पर उन्हें वास्तविक भाड़ा दिया जायगा। नौकर तथा सामान के लिये अन्य परिवहन का यात्रा भत्ता दिया जायगा। सड़क से अपनी गाड़ी से यात्रा करने पर 4 रु० प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा।

मुख्यालय से बाहर प्रति रात्रि के लिये 151 रु० की दर से दैनिक भत्ता देय होगा।

(5) मंत्री।राज्य मंत्री को कार्यालय एवं आवास के लिये मानक के आधार पर उपस्कर प्रदान किये जाते हैं।

(6) मंत्री।राज्य मंत्री के कार्यालय रख-रखाव आवास के लिये एक-एक टेलीफोन दिया जाता है।

(7) चिकित्सा भत्ता नि:शुल्क।

2. इन पदों का सृजन पदग्रहण करने की तिथि से उस तिथि तक माना जायगा जबतक उपाध्यक्ष एवं महासचिव उक्त पदों पर बने रहेंगे।

3. उन पदों पर होनेवाला व्यय "2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें—106—सिविल सुरक्षा हवाई हमला-हिफाजत—बिहार राज्य नागरिक एकता परिषद्" के अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा। तत्काल व्यय के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा और इसकी प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 1994-95 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सारवती अनुसूची में सम्मिलित की जायेगी।

विश्वासभाजन,
रुद्रेश सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए।प०-41-108।89—3437,

पटना-15, दिनांक 22 जुलाई 1994

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।उपाध्यक्ष बिहार राज्य नागरिक परिषद, बिहार, पटना।महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद, बिहार, पटना।वित्त विभाग (दस प्रतियाँ) में।असैनिक सुरक्षा आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

रुद्रेश सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ए।प०-41-108।89—3437,

पटना-15, दिनांक 22 जुलाई 1994 ई०

प्रतिलिपि—सभी मंत्री के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्री के आप्त सचिव।सभी उप-मंत्री के आप्त सचिव।सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

रुद्रेश सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

आदेश

पटना-15, दिनांक 28 जून 1995 ई०

आ०सं० 4।सी०एस०।एम०-702।95—1219—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प संख्या 705, दिनांक 24 अप्रील 1987 में निहित प्रावधानों के आलोक में असैनिक सुरक्षा आयुक्त बिहार राज्य नागरिक परिषद् के पदेन सचिव होते हैं। वे परिषद् के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होते हैं। सम्प्रति असैनिक सुरक्षा आयुक्त दिनांक 30 जून 1995 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप पद रिक्त हो जाता है। अतः जबतक असैनिक सुरक्षा आयुक्त के पद पर कोई पदाधिकारी अधिसूचित नहीं होते हैं तबतक विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग को बिहार राज्य नागरिक परिषद् के सदस्य सचिव एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्य सम्पादित करेंगे।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक 4।सी०एस०।एम०-792।95—1219
पटना-15, दिनांक 28 जून 1995 ई०

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।महालेखाकार, बिहार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक 4।सी०एस०।एम०-792।95—1219
पटना-15, दिनांक 28 जून 1995 ई०

प्रतिलिपि अध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के आप्त सचिव।सचिव, गृह विभाग।विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक 4।सी०एस०।एम०-792।95—1219
पटना-15, दिनांक 28 जून 1995 ई०

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 2 मई 1997

सं० 5।सी०एस०।एम०-1-103।96—1306—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के संकल्प सं० ए०।ना प० 1-108।89—1001 मं सा० दिनांक 6 मार्च 1990, 2387, दिनांक 4 सितम्बर, 1991, 714 दिनांक 10 फरवरी 1993, 874 दिनांक 19 मार्च 1993, 2211, दिनांक 13 अगस्त 1993 से तथा 1254 दिनांक 23 जून 1994 को अवक्रमित कर बिहार राज्य नागरिक परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महामंत्री एवं सदस्यों के मनोनयन संबंधी अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से बिहार राज्य नागरिक परिषद का निम्नांकित रूप से अगले आदेश तक अधिकतम 03 (तीन) वर्षों के लिये गठन किया जाता है। यह आदेश दिनांक 23 जून 1997 से प्रभावी समझा जायेगा:—

(1) राज्यपाल—संरक्षक
(2) मुख्य मंत्री, बिहार—अध्यक्ष
(3) श्री राधा नन्दन झा—उपाध्यक्ष
(4) श्री शमायले नबी (पूर्व राज्य मंत्री स्वास्थ्य) (बाह्य)—उपाध्यक्ष
(5) श्रीमती प्रभावती पासवान—उपाध्यक्ष
(6) श्री मो० शमीम—महासचिव

सदस्यगण

(7) श्रीमती कमला सिन्हा
(8) श्री आस मोहम्मद अंसारी
(9) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
(10) श्री राजेश कुमार
(11) श्री लाल बाबू राय
(12) श्रीमती गिरिजा देवी
(13) श्री छेदी पासवान
(14) श्री सहदेव पासवान
(15) श्री कमल पासवान
(16) श्री लाल बिहारी यादव
(17) श्री सुशील कुमार मोदी
(18) श्री रामदेव वर्मा
(19) श्री अम्बिका प्रसाद
(20) श्री टेकलाल महतो
(21) मुख्य सचिव
(22) विकास आयुक्त
(23) असैनिक सुरक्षा आयुक्त—सदस्य सचिव
(24) अध्यक्ष, बिहार वाणिज्य मंडल
(25) अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ
(26) कमाण्डर, बिहार एवं उड़ीसा सब एरिया, दानापुर
(27) बिहार स्थित केन्द्रीय लोक उपक्रमों के अध्यक्ष।प्रबन्ध निदेशक
(28) डा० जे० जे० ईरानी, जमशेदपुर
(29) श्री राम बालक महतो, वरीय अधिवक्ता
(30) डा० बी० मुखोपाध्याय, पटना
(31) श्री एस० के० सिन्हा, सेवा निवृत्त आरक्षी महानिरीक्षक

आदेश—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों तथा सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
बी० के० करण,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 1306

पटना-15, दिनांक 2 मई 1997

प्रतिलिपि---राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव। अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।उप-सभापति बिहार विधान परिषद के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त बिहार, पटना।सरकार के सभी विभाग।सभी विभाग।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी।सभी सदस्यों, को सूचनार्थ अग्रसारित।

बी० के० करण,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 1326

पटना-15, दिनांक 2 मई 1997

प्रतिलिपि---महालेखाकार, बिहार, पटना।रांची को सूचनार्थ अग्रसारित।

बी० के० करण,
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

पटना-दिनांक 21 मई 1997 ई०

सं० सं०का०।वि०-1023।94—195—संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना सं० 09, दिनांक 12 जुलाई 1994 के क्रम में श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को मंत्री स्तर का दर्जा एव सुविधायें पूर्ववत अनुमान्य रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एन० भगत,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं० सं०का०।वि०-1023।94—105,

पटना-15, दिनांक 21 मई 1997 ई०

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सचिव, बिहार विधान सभा।सचिव, बिहार विधान परिषद्।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो।मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव।सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद्।सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष। सभी प्रमंडलायुक्त।सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एन० भगत,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं० सं०का०।वि०-1023।94—195,

पटना-15, दिनांक 21 मई 1997

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एन० भगत,
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 23 जून 1997

सं० सं०का०।वि०-1023।94—246—संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना संख्या 288, दिनांक 29 जून 1994 के क्रम में श्री शमायले नबी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को राज्यमंत्री की सुविधायें पूर्ववत् अनुमान्य रहेंगी।

सं० सं०का०।वि०-1023।94—247—संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना संख्या 290, दिनांक 29 जून 1994 के क्रम में श्रीमती प्रभावती पासवान, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को राज्य मंत्री की सुविधायें पूर्ववत् अनुमान्य रहेंगी।

सं० सं०का०।वि०-1023।94—248—संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना सं० 291, दिनांक 29 जून 1994 के क्रम में श्री मो० शमीम, महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को राज्य मंत्री की सुविधायें पूर्ववत् अनुमान्य रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र शर्मा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० सं०का०।वि०-1023।94—248;

पटना-15, दिनांक 2 जून 1997

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सचिव, बिहार विधान सभा।सचिव, बिहार विधान परिषद्।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो।मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव।सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एव समन्वय विभाग।श्री शमायले नबी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद।श्रीमती प्रभावती पासवान, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद्।श्री मो॰ शमीम, महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद्।सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलायुक्त।सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र शर्मा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० सं०का०।वि०-1023।94—248;

पटना-15, दिनांक 23 जून 1997

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र शर्मा,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं० 5।सी०एस०।एम०-8-804।97—118

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-15, दिनांक 12 जनवरी 1998

विषय—श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को मंत्री स्तर एवं श्री हमायले नबी, श्रीमती प्रभावती पासवान, उपाध्यक्ष एवं मो० शमीम, महासचिव बिहार राज्य नागरिक परिषद् को राज्य मंत्री स्तर के देय सुविधा के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं० 1306, दिनांक 2 मई 1997 तथा 1323, दिनांक 5 मई 1997 एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं० 195, दिनांक 21 मई 1997, 246, 247, 248, दिनांक 23 जून 1997 के द्वारा श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को मंत्री स्तर एवं श्री हमायले नबी, श्रीमती प्रभावती पासवान, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद् तथा मो० शमीम, महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के रूप में मनोनीत करते हुए राज्य मंत्री स्तर की अनुमान्य निम्नांकित संशोधित सुविधायें सरकार के द्वारा प्रदान की गई हैं :—

1. निजी कर्मचारी—

(1) आप्त सचिव—2 वेतन 2000 रु० फिक्स्ड एवं 150 रु० विशेष वेतन मिलेगा।	दोनों आप्त सचिव बाह्य व्यक्ति से भी नियुक्त कर सकते कर सकते हैं।) ,, ,, ,,
(2) निजी सहायक—2 वेतनमान 1500—2750 रु०	.. ये पद कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त संवर्ग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। इसपर बाह्य व्यक्ति नियुक्त नहीं होंगे।
(3) दिनचर्या लिपिक—1 वेतनमान 975—1540 रु०	.. मंत्री।राज्य मंत्री स्वेच्छा से नियुक्त कर सकते हैं।
(4) आदेशपाल—3 वेतनमान 775—1050 रु०	.. ,, ,, ,,

2. सरकार द्वारा गाड़ी दिये जाने पर 250 लीटर पेट्रोल-डीजल प्रतिमाह की दर से अन्यथा मंत्री-राज्य मंत्री अपनी गाड़ी रखेंगे तो 1500 (एक हजार पांच सौ) रु० प्रतिमाह सवारी भत्ता के रूप में प्राप्त करेंगे।

3. रेल से यात्रा करने पर मंत्री-राज्य मंत्री को वातानुकूलित कोच में दो बर्थ या रक्षित प्रथम श्रेणी का कम्पार्टमेंट या जलयान से यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी का कम्पार्टमेंट का हकदार होते हैं। मंत्री-राज्य मंत्री अपने साथ रेल यात्रा में मेडिकल अटेन्डेन्ट या परिवार के एक किसी सदस्य को साथ ले जा सकते हैं। वे अपने साथ सामान भी सरकारी खर्च पर ले जा सकते हैं।

सार्वजनिक वायु परिवहन कम्पनी के वायुयान द्वारा यात्रा करने पर उन्हें वास्तविक भाड़ा दिया जायगा। नौकर तथा सामान के लिये अन्य परिवहन का यात्रा भत्ता दिया जायगा। सड़क से अपनी गाड़ी से यात्रा करने पर 4 रु० (चार) रु० प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा।

4. मुख्यालय से बाहर प्रति रात्रि के लिये 151 (एक सौ इकावन) रु० की दर से दैनिक भत्ता देय होगा।

5. मंत्री।राज्य मंत्री के कार्यालय एवं आवास के लिये मानक के आधार पर उपस्कर प्रदान किये जाते हैं।

6. मंत्री।राज्य मंत्री के कार्यालय एवं आवास के लिये एक-एक टेलीफोन दिया जाता है।

7. चिकित्सा भत्ता निःशुल्क।

8. इन पदों का सृजन पद ग्रहण करने की तिथि से उस तिथि तक माना जायेगा जबतक उपाध्यक्ष एवं महासचिव उक्त पद पर बने रहेंगे।

9. इन पदों पर होनेवाले व्यय "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल सुरक्षा हवाई हमला--हिफाजत-बिहार राज्य नागरिक एवं एकता परिषद्" के अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

10. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

विश्वासभाजन,
अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० 5।सी०एस०एम०-8-804।97—118

पटना-15, दिनांक 12 जनवरी 1998

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।उपाध्यक्ष।महासचिव बिहार राज्य नागरिक परिषद्, बिहार, पटना।वित्त विभाग (दो हरी प्रतियों में)।असैनिक सुरक्षा आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, बिहार नागरिक परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० 5।सी०एस०एम०-8-804।97—118

पटना-15, दिनांक 12 जनवरी 1998

प्रतिलिपि—सभी मंत्री के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्री के आप्त सचिव।सभी विभागाध्यक्ष को सुचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

संख्या 5|सी०एस०एम०-1-103|96—1871

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 20 जून 2000

सं० 5|सी०एस०|एम०-1-103|96—1871—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य ख) के संकल्प संख्या 1001, दिनांक 6 मार्च 1990, 238, दिनांक 4 सितम्बर 1991, 714, दिनांक 10 फरवरी, 1993, 814, दिनांक 19 मार्च 1993, 2211, दिनांक 13 अगस्त 1993, 1254, दिनांक 23 जून 1994 एवं 1306, दिनांक 2 मई 1997 को अवक्रमित करते हुए बिहार राज्य नागरिक परिषद् के अध्यक्ष|उपाध्यक्ष, महासचिव एवं सदस्यों का मनोनयन लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से बिहार राज्य नागरिक परिषद् को निम्नांकित रूप से अगले आदेश तक अधिकतम 3 (तीन) वर्षों के लिये गठन किया जाता है। यह आदेश दिनांक 23 जून 2000 से प्रभावी समझा जायेगा :—

(1) राज्यपाल—संरक्षक
(2) मुख्य मंत्री, बिहार—अध्यक्ष
(3) श्री राधानन्द झा—उपाध्यक्ष
(4) श्री मो० शमीम—महासचिव

सदस्यगण

(5) श्री मो० शहाबुद्दीन, सदस्य, लोक सभा
(6) श्री सुखदेव पासवान, सदस्य, लोक सभा
(7) श्रीमती कान्ति सिंह, सदस्य, लोक सभा
(8) श्रीमती किरण देवी, स०वि०स०
(9) श्री प्रेमा चौधरी, स०वि०स०
(10) श्रीमती भगवती देवी, स०वि०स०
(11) श्री टेक लाल महतो, स०वि०स०
(12) श्री योगेन्द्र सिंह, स०वि०स०
(13) श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०
(14) श्री सुशील कुमार मोदी, स०वि०स०
(15) मुख्य सचिव—सदस्य
(16) विकास आयुक्त
(17) असैनिक सुरक्षा आयुक्त—सदस्य-सचिव
(18) अध्यक्ष, बिहार वाणिज्य मंडल
(19) अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ
(20) कमाण्डर, बिहार एवं उड़ीसा सब एरिया, दानापुर
(21) बिहार स्थित केन्द्रीय लोक उपक्रमों के अध्यक्ष|प्रबन्ध निदेशक
(22) डा० जे० जे० इरानी, जमशेदपुर
(23) श्री राम बालक महतो, वरीय अधिवक्ता, पटना
(24) श्री शशि अनुग्रह नारायण, पटना
(25) श्री चितरंजन प्रसाद सिंह, पटना
(26) डा० बी० मुखोपाध्याय, पटना

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी सदस्यों|सरकार के सभी विभाग|सभी विभागाध्यक्ष|सभी प्रमण्डलीय आयुक्त|सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 5।सी०एस०।एम-1-103।96—1871

पटना-15, दिनांक 20 जून 2000

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव। अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।उप सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी।सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 5।सी०एस०।एम-1-103।96—1871

पटना-15, दिनांक 20 जून, 2000

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

1 मंत्रिमंडल

बिहार सरकार

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

26 जून 2000

सं० सं०का०1।विधायी-2-207/2000—475—संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना संख्या 195 दिनांक 21 मई 1997 के क्रम में श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार-राज्य नागरिक परिषद् को मंत्री स्तर का दर्जा एवं सुविधाएं पूर्वत् अनुमान्य रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार अम्बष्ट,
सरकार के उप-सचिव

ज्ञाप सं० सं०का० 1।विधायी 2-207।2000—475,
पटना, 15 दिनांक 26 जून 2000

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।मुख्य सचिव, बिहार।सचिव, बिहार विधान-सभा।सचिव, बिहार विधान परिषद्।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो।मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव, सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद्।सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलायुक्त।सभी जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विनय कुमार अम्बष्ठ,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक सं०का० 1।विधायी-2-207।2000—475,
पटना-15, दिनांक 26 जून 2000

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विनय कुमार अम्बष्ठ,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार,

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 26 जून 2000

संख्या सं०का० 1।विधायी 2-207।2000—476—संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना संख्या 248, दिनांक 23 जून 1997 के क्रम में श्री मो० शमीम, महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को राज्य मंत्री की सुविधाएं पूर्वत् अनुमान्य रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार अम्बष्ठ,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं0 सं०का0 1।विधा।यी 2-207।2000—476,

पटना-15, दिनांक 26 जून 2000

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।मुख्य सचिव, बिहार।सचिव, बिहार विधान-सभा।सचिव, बिहार विधान परिषद्।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो।मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव-सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग श्री मो0 शमीम, महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद्।सभी विभाग सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलायुक्त।सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विनय कुमार अम्बष्ठ,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक सं0का0 1।विधा।यी-2-207।2000—476

पटना, दिनांक 26 जून 2000

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विनय कुमार अम्बष्ठ,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या 1 5।सी०एस०।एम०-1-03।96—2029

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना ।

पटना-15, दिनांक 6 जुलाई, 2000।

विषयः—श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष एवं श्री मो० शमीम महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद् को क्रमशः मंत्री एवं राज्यमंत्री स्तर के देय सुविधाओं के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या-1871, दिनांक 20 जून, 2000 के द्वारा बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन किया गया है । संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना संख्या-475, दिनांक 26 जून, 2000 के द्वारा श्री राधानन्दन झा, उपाध्यक्ष को मंत्री का दर्जा एवं सुविधा तथा श्री मो० शमीम महासचिव को संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना 0-47 दिनांक 26 जून, 2000 के द्वारा राज्य मंत्री की सुविधा प्रदान की गयी है।

ये सुविधाएं निम्नांकित रूप में सरकार द्वारा प्रदान की गयी है :—

1. निजी कर्मचारीः—

(1) आप्त सचिवः—(6500 रू० वेतनमान स्थिर 250 रू० विशेष वेतन मिलेगा । दोनों आप्त सचिव वाह्य व्यक्ति से भी नियुक्ति कर सकते हैं ।)

(2) निजी सहायकः—(2 ये पद कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त संवर्ग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। इस पर वाह्य व्यक्ति नियुक्ति नहीं होंगे ।)

(3) दिनचर्या लिपिक—1 (मंत्री–राज्य मंत्री स्वेच्छा से नियुक्ति कर सकते हैं ।)

(4) आदेशपाल—(3) (मंत्री।राज्य मंत्री स्वेच्छा से नियुक्त कर सकते हैं। मंत्री।राज्य मंत्री के उपयुक्त निजी कर्मचारियों को वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में देय भुगतेय होगा ।)

2. सरकार द्वारा गाड़ी दिये जाने पर 250 लीटर पैट्रोल।डीजल प्रतिमाह की दर से अन्यथा मंत्री।राज्य मंत्री अपनी गाड़ी रखेंगे तो 1500 (एक हजार पांच सौ) रूपये प्रतिमाह सरकारी भत्ता के रूप में प्राप्त करेंगे ।

3. रेल से यात्रा करने पर मंत्री।राज्यमंत्री को वातानुकुलीत कोच में दो वर्थ या रक्षित प्रथम श्रेणी का कम्पार्टमेंट या जलयान से यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी का कम्पार्टमेंट का हकदार होते हैं। मंत्री।राज्यमंत्री अपने साथ रेल यात्रा मेडिकल अटेन्डेंट या परिवार के एक किसी सदस्या को साथ ले जा सकते हैं। वे अपने साथ सामान भी सरकारी खर्च पर ले जा सकते हैं ।

सार्वजनिक वायु परिवहन कम्पनी के वायुयान द्वारा यात्रा करने पर उन्हें वास्तविक भाड़ा दिया जायेगा। नौकर तथा सामान के लिए अन्य परिवहन का यात्रा भत्ता दिया जायेगा। सड़क से अपनी गाड़ी से यात्रा करने पर 4 (चार) रू० प्रति किलो०मि० की दर से देय होगा।

4. मुख्यालय से बाहर प्रति रात्रि के लिए 151 (एक सौ एकावन रू०) की दर से दैनिक भत्ता देय होगा।

5. मंत्री।राज्यमंत्री का कार्यालय एवं आवास के लिए मानक के आधार पर उपस्कर प्रदान किये जाते हैं।

6. मंत्री।राज्य मंत्री के कार्यालय एवं आवास के लिये एक-एक टेलिफोन देय होगा।

7. चिकित्सा भत्ता निःशुल्क।

8. वेतन एवं अन्य भत्ते—

(क) श्री राधानन्दन झा उपाध्यक्ष को :—वेतन 2000 (दो हजार रू०) प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता-3000 (तीन हजार रू०) प्रतिमाह आतिथ्य भत्ता-2000 (दो हजार रू०) प्रतिमाह।

(ख) श्री मो० शमीम महासचिव को :—वेतन 2000 (दो हजार रू०) प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता 3000 (तीन हजार रू०) प्रतिमाह आतिथ्य भत्ता 1500 (एक हजार पांच सौ रू०) प्रतिमाह।

9. इन पदों का सृजन पद ग्रहण करने की तिथि से उस तिथि तक माना जायेगा, जबतक उपाध्यक्ष एवं महासचिव उक्त पद पर बने रहेंगे।

10. इन पदों पर होने वाले "व्यय 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल सुरक्षा हवाई हमला-हिफाजत-बिहार राज्य नागरिक एवं एकता परिषद् के अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

11. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

विश्वासभाजन,
अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक—5।सी०एस०एम०-1-103।96—202

पटना-15, दिनांक 6 जुलाई, 2000।

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव—मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।उपाध्यक्ष।महासचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद् पटना।वित्त विभाग (दोहरी प्रतियों में)।असैनिक सुरक्षा आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, बिहार राज्य नागरिक परिषद् बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।
6 जुलाई, 2000।

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

विषय—विदेशी प्रोजेक्ट्स एवं विश्व बैंक सम्पोषित परियोजनाओं की समीक्षा और स्वीकृति के लिए समिति का गठन।

(Empowcred Committee for Foreign, or world BanK Aided Schemes.)

1. पर-राष्ट्रीय सहायता, विशेष कर विश्व बैंक (Foreign Aided or world Bank Oided projects द्वारा सम्पोषित सभी योजनाओं के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन पर यथोचित निर्णय या अनुशंसा एवं गहन मोनिटरिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव के सीधे नियंत्रण में एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई यथा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन गठित की गई है।

2. अतः पर-राष्ट्रीय सहायता या विश्व बैंक प्राप्ताय एवं प्राप्त (पूर्ण एवं आंशिक रूप में व्याप्त (परियोजनाओं की समीक्षा एवं स्वीकृति को द्रुतगति से कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष अधिकृत के गठन का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की संकल्प संख्या-1560।पटना दिनांक 7।5।1987 द्वारा गठित योजना प्राधिकृत समिति को जो शक्तियां प्रदत्त है, वे इस समिति को विदेशी सहायता से संबंधित योजनाओं के लिए प्रदत्त मानी जाएगी।

3. इस समिति का नाम—विदेशी।विश्व बैंक सम्भावित अधिकृत साहित समिति (Empowered Committe for Foreign and World Ban A died Schemes)होगा।

4. इस समिति का गठन निम्नरूप होगा—

अध्यक्ष

1. मुख्य सचिव

सदस्यगण

2. योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त

3. आयुक्त, वित्त विभाग

4. परियोजना से संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव

सदस्य सचिव

5. विशेष कार्य पदाधिकारी विश्व बैंक परियोजना-सह-विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय

6. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची (केवल उप-योजना क्षेत्रीय परियोजना के लिए

5. प्रस्तावित समिति का दायित्व एवं शक्ति निम्नप्रकार होंगे—

(क) विदेशी सहायता एजेन्सी या विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण।

(ख) विदेशी सहायता एजेन्सी या विश्व बैंक के समक्ष सभी योजनाओं।प्रोजेक्ट प्रोफाईल।प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति देना।

(ग) विदेशी सहायता एजेन्सी या विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्यत होनेवाली प्रोजेक्ट प्रोफाइल।प्रोजेक्ट रिपोर्ट की स्वीकृति हेतु अनुशंसा देना।

(घ) विदेशी सहायता एजेन्सी या विश्व बैंक की सहायता से चल रही एवं भविष्य में चलाई जाने वाली योजनाओं का मोनीटरिंग तथा मूल्यांकण करना।

(ड़) अधिकृत समिति के समक्ष प्रशासी विभाग उपर्युक्त खण्ड "क" "ख" एवं "ग" के अनुसार प्रस्ताव एवं संलेख विभागीय सचिव के माध्यम से उपस्थापित करने की कार्रवाई करेगा।

अधिकृत समिति तीन तरह की यथा अनगोइंग प्रोजेक्ट्स पाइप लाइन में प्रोजेक्ट्स एवं भविष्य में ली जाने वाली प्रोजेक्ट्स पर उसी प्रकार कार्रवाई करेगी जिस तरह से विकास आयुक्त की अध्यक्षता के अन्तर्गत अधिकृत समिति अन्य योजनाओं पर कार्रवाई करती है।

(च) अधिकृत समिति के समक्ष प्रशासी विभाग विश्व बैंक एवं अन्य विदेशी एजेन्सी से सहायता प्राप्त योजनाओं को वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने एवं वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं में राशि के प्रबंध का प्रस्ताव भी जाएगा।

इस समिति द्वारा दी गई स्वीकृति को कार्यपालक नियमावली के अनुसार वित्त विभाग एवं योजना विभाग द्वारा दी गई सहमति मानी जाएगी।

अधिकृत समिति द्वारा अनुशंसा के बाद संबंधित विभाग कार्यपालक नियमावली के अनुसार मंत्रीपरिषद् की सहमति लेकर योजनाओं के लिए स्वीकृति आदेश निर्गत करेंगे एवं विश्व बैंक या अन्य विदेशी एजेन्सी से सहायता प्राप्त करने हेतु समन्वय पदाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे।

6. इस समिति को अनुसचिवीय सहायता प्रोजेक्ट्स ईलीमेन्टेशन विंग एवं परियोजना संगठन द्वारा दी जाएगी।

7. अधिकृत समिति की समीक्षा एवं स्वीकृति के लिए निम्नप्रकार की परियोजनायें प्रस्तुत की जायगी।

(क) यदि कार्यपालक नियमावली के अनुसार योजना एवं वित्त विभाग की सहमति आवश्यक हो, अथवा

(ख) यदि किसी नए पद का सृजन या किसी पद के उत्क्रमण का प्रस्ताव हो, अथवा

(ग) यदि वाहन, उपकरण अथवा उपस्कर क्रय का प्रस्ताव हो अथवा,

(घ) यदि जिसके लिए राज्य योजना अथवा बजट में अपेक्षित राशि का उपबंध नहीं हो।

8. निधि आवंटन

विश्व बैंक या अन्य विदेशी एजेन्सी से सहायता प्राप्त योजनाओं में प्रायः प्रावधान रहता है कि पहले राज्य सरकार द्वारा राशि का व्यय किया जायगा एवं उसके पश्चात् विश्व बैंक या अन्य विदेशी एजेन्सी इस राशि का (Reimbursement) करेगा। ऐसी परिस्थिति में विश्व बैंक या अन्य विदेश एजेन्सी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए राज्य सरकार से निधि आवंटन संबंधी निर्णय भी लेना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त तथ्य के आलोक में यह आवश्यक होगा कि प्राधिकृत समिति विश्व बैंक अथवा अन्य विदेश एजेन्सी सहायता प्राप्त योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ निधि के आवंटन की भी स्वीकृति प्रदान करे।

9. अधिकृत समिति के क्षेत्राधिकार के अधीन परियोजनाओं में उसकी स्वीकृति में योजना एवं वित्त विभाग की ओर से भी सहमति मानी जाएगी।

10. अधिकृत सीमांत की स्वीकृति के आधार पर आवश्यकतानुसार बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने अथवा प्रत्यापर्ण तथा पुर्नविनयोग संबंधी प्रक्रिया पूरी करते हुए स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा।

11. अधिकृत समिति अपनी समीक्षा और स्वीकृति संबंधी अभिलेख संधारित करेगी जिसमें कम-से-कम निम्नांकित सूचनाएं रहेंगी।

(क) विभाग का नाम
(ख) संचिका संख्या
(ग) योजना का नाम
(घ) परियोजना का वितरण
(ङ) परियोजना की स्वीकृति राशि
(च) परियोजना संबंधी कार्यवाही का अंश

उक्त समिति अपनी बैठक की कार्यवाहियों की एक-एक प्रति मुख्य मंत्री (जो वित्त विभाग के भी प्रभारी मंत्री हैं) एवं संबंधित प्रशासी विभाग एवं विकास तथा वित्त आयुक्त को भेजेगी।

12. उच्चस्तरीय समन्वय समिति--विदेशी सहायता प्राप्त एवं विश्व बैंक से सम्पोषित योजनाओं के सुचारु कार्यान्वियन के लिए उच्चस्तरीय समन्वय समिति भी आवश्यक है।

13. अतएव राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, भारत सरकार वित्त मंत्रालय एवं विश्व बैंक के साथ अनवरत सम्पर्क एवं समन्वय एवं योजना एवं वित्तीय प्रश्नों पर नीतिगत निर्गत एवं मार्गदर्शन के लिए चल रहे एवं भावी प्रोजेक्ट्स के मूल्यांकन एवं सूचिकरण के लिए निम्नलिखित "उच्चस्तरीय समिति" का गठन किया जाता है--

1. राज्य सरकार के प्रतिनिधि--मुख्य सचिव
2. भारत सरकार के प्रतिनिधि--विश्व बैंक प्रोजेक्ट्स के प्रभारी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव
3. विश्व बैंक के प्रतिनिधि--भारत में विश्व बैंक के कार्यालय के प्रधान
4. विशेष कार्य पदाधिकारी, विश्व बैंक परियोजना-सह विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय--समिति के सदस्य सचिव।

समन्वय समिति का दायित्व एवं शक्ति--

(क) समन्वय समिति, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं विश्व बैंक या अन्य विदेशी सम्पोषण करने वाली एजेन्सी के साथ समन्वय बनाए रखेगी, जिससे बैंक या अन्य एजेन्सी से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई योजनाओं का भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो सके एवं विश्व बैंक या अन्य विदेशी सम्पोषण करने वाली एजेंन्सियों द्वारा सहायता के लिए स्वीकृत हो सके।

(ख) सभी ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स, पाइप लाइन में लिए गए प्रोजेक्ट्स एवं विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत होने वाली नई प्रोजेक्ट्स की प्रगति का मूल्यांकन एवं समस्याओं पर विचार करना एवं समाधान निकालना।

(ग) राज्य सरकार की अधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित सभी विश्व बैंक एवं अन्य विदेशी एजेन्सी सम्पोषित योजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य करना।

(घ) विश्व बैंक या अन्य विदेशी एजेन्सी द्वारा सम्पोषित परियोजना के जिन बिन्दुओं पर राज्य सरकार भारत सरकार एवं विश्व बैंक को निर्णय लेना है, उस पर शीघ्र निर्णय प्राप्त करना।

उक्त समितियों के सदस्य सचिव बैठक की कार्यवाही प्रशासी विभाग से प्राप्त कर लेंगी।

14. दोनों समितियां तात्कालिक प्रभाव से कार्यरत होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

निर्मलेन्दु चटर्जी,

सरकार के अपर-सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस०1।ए1-102।92-1422

दिनांक 5 मई, 1992

प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार, पटना।योजना परामर्शी-सह-विकास।आयुक्त, बिहार, पटना।अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना।अध्यक्ष, सोन कमाण्ड् विशेष कार्य पदाधिकारी, विश्व बैंक परियोजना।क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची।विश्व बैंक प्रोजेक्ट्स के प्रभारी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव।भारत में विश्व बैंक के कार्यालय के प्रधान स सूचना एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर-सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस०1।ए1-102।92-1422

दिनांक 5 मई, 1992

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार पटना।राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर-सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस०1।ए1-102।92-1422

दिनांक 5 मई, 1992

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर-सचिव।

सं० सी०एस० 1।ए 1-1-03।90—2594

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

27 जुलाई 1992

विषय—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग में एक विशेष इकाई यथा प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित) का गठन।

परराष्ट्र सहायता, विशेषकर विश्व बैंक द्वारा संपोषित योजनाओं की (1) स्वीकृति (2) कार्यान्वयन एवं (3) मोनिटरिंग के लिये प्रशासन के हित में स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई गठित की जाती है।

2. इस इकाई का नाम प्रोग्राम इंपलीमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित) नाम होगा। यह मुख्य सचिव के सीधे नियंत्रण में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अन्तर्गत होगा।

3 इसकी कृति निम्न प्रकार होगी :—

(i) विदेशी सहायता विशेष कर विश्व बैंक द्वारा संपोषित योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण ;

(ii) वैसे स्रोतों से चल रहे भावी नयी परियोजनाओं (Current and new projects) की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन (Projects profile Investment study and Implementation) की गहन समीक्षा तथा concurrent evaluation.

(iii) ऐसी उपर्युक्त योजनाओं के लिये सभी विभागों से सम्पर्क एवं समन्वय कर वैसे प्रोजेक्ट स्कीमों की स्वीकृति, तकनीकी निदेशन तथा तत्संबंधी रिसर्च का प्रोत्साहन Promotion of Technical Guidance of research.
उपर्युक्त योजनाओं की पहचान एवं प्रचार के लिये डाटा बैंक की स्थापना। (Data Bank for identification, formulation and dissoliation of information.)

4. प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित) द्वारा विदेशी सहायता से संबंधित प्रोजेक्ट की स्वीकृति सूत्रीकरण, समन्वय एवं मोनिटरिंग का कार्य-ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का कार्यभार बंट जायेगा तथा इस कार्य का भार इस नई इकाई पर आ जायेगा।

5. फलस्वरुप सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के निम्नलिखित अनुसचिवीय पद पदधारकों सहित प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन विंग में ट्रांसफर किये जाते हैं :—

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1.	अपर।उप-सचिव	1
2.	एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर	1
3.	एकाउन्टेन्ट	1
4.	सीनियर पी०ए०	1
5.	सीनियर ग्रेड एसिस्टेन्ट	1
6.	टाईपिस्ट	2
7.	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	2

परियोजना संगठन से निम्नलिखित पद पदधारकों सहित प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन विंग में ट्रांसफर किये जाते हैं--

क्रम सं०	पदनाम		पदों की संख्या
1.	विशेषज्ञ	..	4
2.	मुख्य अभियंता	..	2
3.	कार्यपालक अभियंता	..	2
4.	सहायक अभियंता	..	2
5.	निजी सहायक	..	8
6.	टंकक (समूह)	..	8
7.	दिनचर्य लिपिक	..	10
8.	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	..	6

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण पाठक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए 1-103।90---2594
पटना-15, दिनांक 27 जुलाई 1992

प्रतिलिपि---श्री पी०पी०शर्मा क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, सोन कमाण्ड-सह विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित) को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की विसूचना सं० 595, दिनांक 6 फरवरी 1992 एवं 1093, दिनांक 24 फरवरी 1992 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरुण पाठक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक सी०सी० 1।ए 1-103।90---2594
पटना-15, दिनांक 27 जुलाई 1992

प्रतिलिपि---योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो।अपर मुख्य सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सी० स० 1।ए 1-103।90---2594
पटना-15, दिनांक 27 जुलाई 1992

प्रतिलिपि- सरकार के सभी सचिव।सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ जिला दंडाधिकारियों एव उप विकास आयुक्तों को दे दें।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए 1-103।90---2594
पटना-15, दिनांक 27 जुलाई 1992

प्रतिलिपि---क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

संकल्प सं० सी०।एस० 1-ए०-1-103।90—1891

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

20 अक्टूबर 1995

विषय—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधीन कार्यरत परियोजना संगठन को सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में समाहित करने के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या सी०एस० 1-ए 1-103-90—2594, दिनांक 27 जुलाई 1992 द्वारा परियोजना संगठन को सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वय विभाग से अलग कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग में मुख्य सचिव के सीधे नियंत्रण में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित) का गठन किया गया था।

2. सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग तथा परियोजना संगठन के कार्य समान प्रकृति के होने तथा बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि परियोजना संगठन का कार्य सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में समाहित कर दिया जाय तथा संगठन के नियमित कर्मचारियों को सरकार के अधीन समकक्ष पदों पर समंजित किया जाय बशर्ते कि उन्हें विहित योग्यता हासिल हो तथा उनकी नियुक्ति विधिवत् सरकारी प्रक्रिया के अनुसार हुई हो।

3. परियोजना संगठन के लिये अलग कोई कोष नहीं रखा जायेगा। इसके लिये आवश्यक राशि की व्यवस्था विभागीय बजट के अधीन उपबंधित की जायेगी और इसका व्यय सरकार के विहित नियमों का अनुसरण करते हुए किया जायेगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।ए 1-103-90—1891

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर 1995 ई०

प्रतिलिपि—योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त।श्री ए०के० सिन्हा, अध्यक्ष, सोन कमान्ड क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रभारी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित), सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।ए 1-103।90—1891

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर 1995 ई०

प्रतिलिपि—अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो।मुख्य सचिव।मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस० 1ए 1-103-90—1891

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर 1995 ई०

प्रतिलिपि सरकार के सभी सचिव।सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि वे इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ जिला दंडाधिकारियों एवं उप-विकास आयुक्तों को दे दें।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस० 1ए 1-103-90—1891

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर 1995 ई०

प्रतिलिपि—क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

पत्रांक इ०ए०पी०सी०सी०एस०।ओ०-95 (पार्ट-1)।571

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार,
बिहार, पटना-रांची (हिनू)।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।
द्वारा—वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 9 मार्च 1996

विषय—वित्तीय वर्ष 1995-96 में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (प्रोग्राम इम्लीमेंटेशन विंग) के व्यय हेतु कुल 5,13,782 रुपये (पांच लाख तेरह हजार सात सौ बयासी रु०) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अन्तर्गत प्रोग्राम इम्लीमेंटेशन विंग के लिए निम्नलिखित पदों की स्वीकृति दी गई है।—

क्रम सं०	पदनाम		वेतनमान	संख्या
1.	उप सचिव	..	3700—5000	1
2.	सहायक अभियंता	..	3000—4500	1
3.	लेखापाल ..	..	1500—2750	1
4.	स्टेनो ..	..	1500—2750	2
5.	टंकक ..	..	1400—2300	2
6.	चालक ..	..	950—1500	1
7.	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	..	775—1025	4

2. तदनुसार वित्तीय वर्ष 1995-96 में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (प्रोग्राम इम्लीमेंटेशन विंग) के व्यय हेतु निम्नांकित मदों में कुल 5,13,782 रुपये (पांच लाख तेरह हजार सात सौ बयासी रु०) मात्र की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है:—

1.	वेतन ..	..	1,72,500.00
2.	जीवन यापन भत्ता	..	1,50,000.00
3.	मजदूरी ..	..	18,282.00
4.	यात्रा व्यय	..	5,000.00
5.	कार्यालय व्यय	..	30,000.00
6.	दूरभाष ..	..	18,000.00
7.	किराया, महसूल एवं कर	..	50,000.00
8.	विद्युत ..	..	30,000.00
9.	मशीन एवं उपकरण	..	40,000.00
			5,13,782.00

(पांच लाख तेरह हजार सात सौ बयासी रुपये मात्र)

3. मज्दूरी मद में 18,282.00 रुपये तथा महीन एवं उपकरण मद में 20,000.00 रुपये का पुनर्विनियोग क्रमशः कार्यालय व्यय तथा यात्रा व्यय एवं विद्युत मद से किये जाने का निर्णय है।

4. राशि का विकलन शीर्ष "2052-सचिवालय सामान्य सेवा एवं लघु शीर्ष 090-सचिवालय—20-मंत्रिमंडल सचिवालय उप-शीर्ष 20(ii) मंत्रिमंडल सचिवालय—प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन विंग के लिये" के अन्तर्गत होगा।

5. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक अभियंता, प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन विंग, मंत्रिमंडल सचिवाल एवं समन्वय विभाग होंगे।

6. इस व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

विश्वासभाजन,
अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक 571, दिनांक 9 मार्च 1996

प्रतिलिपि—(बजट) विभाग वित्त, बिहार।वित्त (स्कीम) विभाग।कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक 571, दिनांक 9 मार्च 1996

प्रतिलिपि—सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार सरकार।श्री अशोक कुमार सिन्हा विशेष सचिव-सह विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन विंग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

खंड-12

पत्र संख्या बी।समा0 2-1008।97 मं०सा०—906

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक
श्री चन्द्रशेखर चौधरी,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में
सभी प्रमंडलों के आयुक्त,

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,

सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक,

आरक्षी महानिरीक्षक (सभी क्षेत्र),

सभी जिलाधिकारी,

सभी जिला आरक्षी अधीक्षक,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12 अगस्त 2000

विषय—स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2000

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के परिपत्र संख्या 2195, दिनांक 2 अगस्त 1991 (प्रतिलिपि संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए परिपत्र की कंडिका 7 को निम्न प्रकार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाता है:—

7. (क) पटना तथा रांची को छोड़कर अन्य अनुमण्डलों।जिला मुख्यालयों में अगर कोई मंत्री अथवा राज्य मंत्री झण्डोत्तोलन कराना चाहें तो उन्हें इसकी सुविधा दी जाय।

(ख) अगर किसी जिला में एक से अधिक मंत्री हों और एक से अधिक मंत्री झण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर करें तो जिनकी मंत्री के रूप में कार्यावधि सबसे अधिक हो उनको झण्डोत्तोलन करने की सुविधा दी जाय। अगर किसी जिला में एक से अधिक मंत्री हों और एक से अधिक मंत्री ने झण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर करें तो जिनकी मंत्री के रूप में कार्यावधि सबसे अधिक हो उनको झण्डोत्तोलन करने की सुविधा दी जाय। अगर किसी जिला में एक से अधिक मंत्री हों और एक से अधिक मंत्री ने झण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर करें तो और झण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर करनेवाले की कार्यावधि समान हो तो मंत्री की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना में क्रम में पहले आनेवाले मंत्री को झण्डोत्तोलन करने की सुविधा दी जायेगी।

(ग) अगर किसी जिला में कोई मंत्री नहीं हों और केवल राज्यमंत्री हों अथवा मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने झण्डोत्तोलन की इच्छा प्रकट नहीं की हो तो इच्छा प्रकट करने वाले राज्य मंत्री को झण्डोत्तोलन करने की सुविधा दी जायेगी। अगर एक जिला में एक से अधिक राज्य मंत्री ने झण्डोत्तोलन की इच्छा जाहिर की हो तो जिनकी राज्य मंत्री के रूप में कार्यावधि सबसे अधिक होगी, उन्हें झण्डोत्तोलन की सुविधा दी जायगी।

2. उक्त निर्णय स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह पर लागू होगा।

3. उक्त परिपत्र के शेष अनुदेश यथावत रहेगा।

4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन,
चन्द्रशेखर चौधरी,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० 906,

पटना, दिनांक 12 अगस्त 2000 ई०

प्रतिलिपि/ब्रिगेडियर प्रभारी, बिहार ऐण्ड उड़ीसा सब-एरिया, दानापुर कैन्ट।स्टेशन कमाण्डर, रांची और रामगढ़ को सूचनार्थ अग्रसारित।

2. कृपया प्राप्ति सूचना इस विभाग को दें।

चन्द्र शेखर चौधरी,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० 906,

पटना, दिनांक 12 अगस्त 2000

प्रतिलिपि राज्यपाल के सचिव।मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद के आप्त सचिव। अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना।दूरदर्शन, पटना।महानिदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, आकाशवाणी, पटना।दूरदर्शन, पटना।महानिदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क से अनुरोध है कि इस समारोह के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार कृपया करें।

3. मानव संसाधन विकास विभाग से अनुरोध है कि सभी विश्वविद्यालय।कालेजों।स्कूलों को आवश्यक अनुदेश दें कि उनके यहां विशेष समारोह की व्यवस्था की जाय, जिसमें "जनगणमन" का सामूहिक राष्ट्रीय गान भी सम्मिलित रहे।

4. उत्पाद आयुक्त से अनुरोध है कि पत्र का कंडिका 9 के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करें।

चन्द्रशेखर चौधरी,
सरकार के उप-सचिव

पत्र संख्या बी।ममा० 1-1011।मं०सा०—2195

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलों के आयुक्त,

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,

सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक,

आरक्षी उप-महानिरीक्षक (सभी क्षेत्र),

सभी ज़िलाधिकारी,

सभी जिला आरक्षी अधीक्षक,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 2 अगस्त 1991

विषय—स्वतंत्रता दिवस समारोह, 1991

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त 1991 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम रहेंगे :—

(क) राष्ट्रीय झण्डोत्तोलन
(ख) राष्ट्रीय गान सहित अंचल गारद (स्टेटिक गार्ड) द्वारा झण्डोविवादन।

2. झंडोत्तोलन समारोह 9 बजे प्रातः होगा लेकिन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार समयान्तर किया जा सकता है। यदि सैन्य बल निकट में उपलब्ध हों तो आयुक्त।जिलाधिकारी को स्थानीय सैनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि प्रतिरक्षा सेवा के लोग भी इस समारोह में भाग ले सकें, बशर्ते कि यह सैन्य संचालन के बिना ही संभव हो। इस तरह सम्मान गारद (गार्ड ऑफ ऑनर) में सेना और पुलिस दोनों रहेंगे। पूर्व की भांति राष्ट्रीय कैडेड कोर के छात्र सैनिक (बालिका टुकड़ी सहित) और गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) भी भाग ले सकते हैं।

3. गांधी मैदान, पटना में मुख्य मंत्रीजी झंडोत्तोलन करेंगे और सलामी लेंगे। आरक्षी महानिदेशक, बिहार कृपया आयुक्त, पटना प्रमंडल और दानापुर के सैनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर एक सम्मिलित पुलिस और सैनिक पैरेड की व्यवस्था करेंगे। सैनिक मुख्यालय द्वारा दिये गये स्थायी अनुदेश के अनुसार निचली सैनिक टुकड़ियों को दानापुर से पटना लाने में कोई आपत्ति नहीं है।

4. रांची में 15 अगस्त 1991 को राज्यपाल जी झंडोत्तोलन करेंगे तथा सलामी लेंगे। उपायुक्त, रांची इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करेंगे। राजभवन रांची में संध्या पांच बजे समारोह का आयोजन किया जाय।

5. मगध, तिरहुत, दरभंगा, सारण, भागलपुर, सहरसा, दुमका, पूर्णियां तथा छोटानागपुर प्रमंडलों के मुख्यालय में यह समारोह वहां के प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा सम्पान होगा। इन प्रमंडलों के आयुक्तों से यह भी अनुरोध है कि वे स्थानीय सैनिक अधिकारियों की सलाह से यदि संभव हो तो सैनिक परेड की व्यवस्था कृपया करें।

6. अन्य जिला मुख्यालयों में वहां के जिलाधिकारी झण्डोत्तोलन करेंगे।

7. पटना तथा रांची को छोड़कर अन्य प्रमंडलों तथा जिला मुख्यालयों में अगर कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री झण्डोत्तोलन करना चाहें तो उन्हें इसकी सुविधा दी जाय।

8. आयुक्त।जिला पदाधिकारी।अवर प्रमंडल दंडाधिकारी द्वारा इस अवसर पर भाषण दिये जायें जिसमें 15 अगस्त के महत्व को स्पष्ट किया जाय और श्रोताओं को देश की एकता एवं अखण्डता के लिये कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाय। इस दिन वे अन्य समारोहों में खेलकूद, कालेज।स्कूली छात्रों द्वारा पी०टी० प्रदर्शन अथवा अन्य प्रकार के कौशलों का प्रदर्शन, वृक्षारोपण, अंतर्विद्यालय, अंतमहिला विद्यालय वाद-विवाद।सामुदायिक कार्य, चुने हुए लड़के।लड़कियों द्वारा 15 अगस्त के महत्व पर वार्ता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता, लघु बचत परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रमों को यदि संभव हो तो सम्मिलित करना चाहिये।

9. अपकारा विभाग के स्थायी आदेश संख्या 1।1956 के अनुसार 15 अगस्त 1991 को राज्य भर की शराब की सभी दुकानें पूर्णतः बन्द रहेंगी।

10. समारोह के आयोजन पर यथासंभव मितव्ययिता बरती जाय।

11. मानव संसाधन विकास विभाग से अनुरोध है कि वे 15 अगस्त 1991 को राज्य के सभी स्कूलों तथा कालेजों में विशेष उत्सव का आयोजन करें जिसमें "जन गन मन" का सामूहिक राष्ट्रीय गान की भी व्यवस्था की जाय।

12. इस पत्र की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न हैं।

13. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना भेजें।

विश्वासभाजन,
रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 2195

पटना-15, दिनांक 2 अगस्त 1991

प्रतिलिपि—ब्रिगेडियर प्रभारी, बिहार एण्ड उड़ीसा सब-एरिया दानापुर कैन्ट।स्टेशन कमाण्डर, रांची और रामगढ़ को सूचनार्थ अग्रसारित।

कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना इस विभाग को दें।

रमणी मोहन ठाकुर
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 2195

पटना, दिनांक 2 अगस्त 1991

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव। अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।अपर मुख्य सचिव के सचिव।सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना।दूरदर्शन, पटना।महानिदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन।महानिदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क से अनुरोध कि इस समारोह के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार कृपया करें।

3. मानव संसाधन विकास विभाग से अनुरोध है कि सभी विश्वविद्यालयों।कालेजों।स्कूलों को आवश्यक अनुदेश दें कि उनके वहां विशेष समारोह की व्यवस्था की जाय, जिसमें 'जन गण मन' का सामूहिक गान भी सम्मिलित रहे।

4. उत्पाद आयुक्त से अनुरोध है कि पत्र की कंडिका 9 के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करें।

रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

सं० ए।भ० 5-1013।96 मं०सा०—843
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प
31 मार्च 1997

विषय—बिहार भवन।बिहार निवास में कमरों के आरक्षण एवं स्टाफ कार के आवंटन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने के संबंध में।

बिहार निवास।बिहार भवन में कमरों के आरक्षण एवं स्टाफ कार के आवंटन के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांत बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार के बिहार भवन।बिहार निवास के आरक्षन एवं स्टाफ कार के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत निरुपित किया है—

1. बिहार निवास में कमरे के आरक्षण की पात्रता

(क) महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्य मंत्री का सूट बिहार निवास में स्थायी रूप से कर्णांकित रहेंगे तथा इसकी आरक्षण किसी भी अन्य महानुभाव के लिए नहीं होगा।
(ख) राज्य के सांसद जिन्हें नई दिल्ली में आवास आवंटित नहीं हुए हैं आवंटन की अवधि तक एक कमरा का आवंटन किया जाएगा।
(ग) बिहार विधान-सभा की समितियों के अध्यक्ष सहित सदस्यों का आरक्षण किया जायगा। दिल्ली दौरे का अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा होने पर उनकी यात्रा सरकारी होगी अन्यथा गैर-सरकारी मानी जायगी।
(घ) बिहार विधान परिषद् की समितियों के अध्यक्ष सहित सदस्यों का आरक्षण किया जायगा। दौरे का अनुमोदन सभापति द्वारा होने पर उनकी यात्रा सरकारी मानी जायेगी अन्यथा गैर-सरकारी होगी।
(ङ) अध्यक्ष।सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग का आरक्षण।
(च) मंत्री।राज्य मंत्री।उप-मंत्री का आरक्षण।
(छ) मंत्री।राज्य मंत्री।उप-मंत्री का दर्जा प्राप्त महानुभावों का आरक्षण।
(ज) अध्यक्ष।उपाध्यक्ष।बिहार लोक उपक्रम।पर्षद।स्वशासी इकाईयों को बिहार निवास के कमरे में आरक्षण अनुमान्य होगा।
(झ) पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।न्यायाधीश के लिए बिहार निवास के कमरे आरक्षित होंगे।

2. बिहार भवन में कमरे के लिए आरक्षण की पात्रता

बिहार सरकार के पदाधिकारियों।कर्मचारियों।बिहार न्यायाधिक सेवा के पदाधिकारियों।कर्मचारियों के लिए बिहार भवन के कमरे आरक्षित किये जायेंगें।

3. बिहार भवन।बिहार निवास के कमरे का आरक्षण देने का अधिकार।

(क) बिहार भवन।बिहार निवास के कमरों का आरक्षण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सा० शाखा) द्वारा किया जायेगा।
(ख) बिहार निवास के चार कमरे एवं बिहार भवन के पाँच कमरें स्थानिक आयुक्त के स्तर से आरक्षित होंगे।
(ग) जिन व्यक्तियों के नाम से बिहार भवन।बिहार निवास में कमरा आरक्षित किया जायेगा उन्हें ही कमरा अनुमान्य होगी। कमरे का आरक्षण हस्तांतरणीय नहीं होगा।

4. कमरे आरक्षण की अवधि

(क) सामान्य रूप से कमरे का आरक्षण पाँच दिनों के लिए किया जायेगा। जिसकी अवधि प्रत्येक दिन के लिए 12 से बजे दिन से 12 बजे दिन तक के लिए कमरा आरक्षण होगी।
(ख) स्थानान्तरण पर दिल्ली जाने वाले पदाधिकारियों।कर्मचारियों की अधिक-से-अधिक 60 दिनों के लिए कमरों का आरक्षण किया जायेगा।
(ग) प्रशिक्षण पर दिल्ली जानेवाले पदाधिकारियों।कर्मचारियों की प्रशिक्षण की अवधि (अधिकतम 30 दिन) के लिए बिहार भवन में कमरा आरक्षित किया जायेगा।

5. वैसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें आरक्षण अनुमान्य नहीं है।

जब कमरे का आरक्षण अनुमान्य श्रेणी के लिए नहीं हुआ है एवं रिक्ति है तब पूर्व सांसद।पूर्व विधायक। सेवा निवृत पदाधिकारी।कर्मचारी, पत्रकार आदि को गैर-सरकारी दर पर बिहार निवास।बिहार भवन के कमरे का आरक्षण किया जा सकता है।

6. बिहार भवन।बिहार निवास में आरक्षण की दर.

सरकारी कार्य से दिल्ली जानेवाले व्यक्तियों के लिए प्रति कमरा वर्तमान दर 16(सोलह) रुपया प्रति दिन यथावत रहेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति बिहार भवन।बिहार निवास में ठहरने के लिए अधिकृत है वे यदि गैर-सरकारी कार्य पर जाते हैं तो 50 (पचास) रुपया प्रति दिन (ए०सी० चार्ज अतिरिक्त) लिया जायेगा। परन्तु जो व्यक्ति बिहार भवन।बिहार निवास में ठहरने के लिए प्राधिकृत नहीं है, (जैसे कि सेवा निवृत पदाधिकारी।कर्मचारी, पत्रकार, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद इत्यादि) उनसे 250 (दो सौ पच्चास) रुपया प्रतिदिन (ए०सी० चार्ज अतिरिक्त) लिया जायेगा।

7. बिहार भवन।बिहार निवास में स्टाफ कारो का आवंटन

(क) गाड़ियों के आवंटन में प्रथम प्राथमिकता अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा, सभापति, बिहार विधान परिषद।मंत्रीगण, उप-सभापति, उपाध्यक्ष, नेता विरोधीदल, विधान परिषद में सदन के नेता तथा न्यायाधीशों को मिलेगी इसके बाद प्राथमिकता में आयुक्त एवं उनके स्तर के पदाधिकारी आयेंगे जो सरकारी कार्य से दिल्ली जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के बाद यदि स्टाफ कार उपलब्ध होगी तभी किसी अन्य पदाधिकारी को दी जायेगी और वह भी केवल सरकारी बैठक में भाग लेने के लिए तथा गाड़ी उनके लिए प्रतिक्षा नहीं करेगी केवल बैठक के स्थान पर छोड़कर चली जायेगी, इसके अतिरिक्त किसी मामले में केवल मंत्रिमंडल सचिवालय अथवा स्थानिक आयुक्त के विशिष्ट आदेश से ही किसी व्यक्ति को भुगतान के आधार पर गाड़ी आवंटित की जायेगी।

(ग) ऐसे व्यक्ति जो कि मंत्री नहीं है जिन्हें केवल मंत्री का दर्जा प्राप्त है उन्हें किसी भी परिस्थिति में स्टाफ कार का आवंटन नहीं किया जायेगा।

आदेश--आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशि कर दी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस०पी० श्रीवास्तव,

सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक ए।ब 05-1013।96 मं०स०-343

पटना-15, दिनांक 31 मार्च, 1997 ई०।

प्रतिलिपि--महालेखाकार, बिहार पटना।राँची।सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी।सभी आरक्षी अधीक्षक।सभी समादेष्टा सभी कोषागार।उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक ए०।ब05-1013।96-मं० सा०343

पटना-15, दिनांक 31 मार्च, 1997 ई०।

प्रतिलिपि---राज्यपाल के प्रधान सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव। मुख्य सचिव के सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्री के आप्त सचिव।सचिव, बिहार विधान परिषद्।सचिव, बिहार विधान-सभा।महानिबंधक पटना उच्च न्यायालय।सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक ए०।ब05-1013।96 मं०सा०-343

पटना-15, दिनांक 31 मार्च, 1997 ई०।

प्रतिलिपि---स्थानिक आयुक्त, बिहार सरकार नई दिल्ली।मुख्य प्रशासी पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली। लेखा पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

परिशिष्ट डी-23

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(नयाचार प्रभाग)

(प्रारुप)

बिहार राज्य अतिथि नियमावली, 1992
(बिहार स्टेट गेस्ट रुल्स, 1992)

1. नाम और प्रभाव

यह नियमावली बिहार राज्य अतिथि नियमावली (बिहार स्टेट गेस्ट रुल्स), 1992 कहलाएगी। यह तुरत प्रवृत्त होगी। इस तिथि से बिहार राज्य अतिथि नियमावली, 1971 निरस्त समझी जाएगी।

2. राज्य अतिथि

(1) निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्ति राज्य में अपने औपचारिक।राजकीय भ्रमण के दौरा राज्य अतिथि माने जायगे:--

(1) भारत के राष्ट्रपति
(2) भारत के उप-राष्ट्रपति
(3) भारत के प्रधान मंत्री
(4) अन्य राज्यों के राज्यपाल और उप-राज्यपाल।राज्य शासनाध्यक्ष
(5) लोक-सभा के अध्यक्ष
(6) भारत सरकार के मंत्री।राज्यमंत्री।उप-मंत्री
(7) अन्य राज्यों के मुख्य मंत्री
(8) अन्य राज्यों के मंत्री।राज्य मंत्री उप-मंत्री
(9) योजना आयोग के सदस्य
(10) अन्य राज्यों के विधान परिषदों के सभापति और विधान-सभा के अध्यक्ष
(11) राज्य सभा के उप-सभापति
(12) लोक सभा के उपाध्यक्ष
(13) अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश
(14) अन्य राज्यों के विधान परिषदों के उप-सभापति और विधान-सभाओं के उपाध्यक्ष
(15) भारत सरकार के संसदीय सचिव
(16) अन्य राज्य सरकारों के संसदीय सचिव
(17) भारत सरकार के सचिव एवं उनके उपर के स्तर के पदाधिकारी
(18) योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्य
(19) केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य
(20) अन्य राज्यों के मुख्य सचिव
(21) पूर्व राष्ट्रपति।उप-राष्ट्रपति।प्रधान मंत्री
(22) पूर्व राज्यपाल

(2) भारत सरकार के अपर सचिव अथवा उसके समकक्षीय पदधारकों को नयाचार कार्यों के प्रभारी सचिव के अनुमोदन से राज्य अतिथि घोषित किया जा सकेगा।

(3) भारत सरकार के अपर सचिव से नीचे के स्तर के किसी पदाधिकारी को प्रशासनिक औचित्य के आधार पर मुख्य सचिव के अनुमोदन से राज्य अतिथि घोषित किया जा सकेगा।

(4) उप-नियम (1), (2) एवं (3) में उल्लिखित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति को मुख्य मंत्री के अनुमोदन से राज्य अतिथि घोषित किया जा सकेगा।

नोट—उप-नियम (1) में उल्लिखित अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को बिहार राज्य में निजी भ्रमण के दौरान भी निर्धारित अवधि-सीमा तक, राज्य अतिथि की सुविधा इस अपेक्षा पर दी जायेगी कि इस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी संबंधित राज्य में भ्रमण के दौरान समान सुविधा उपलब्ध करायी जाती हो।

3. (1) नियम 2 के अनुसार राज्य अतिथि के रूप में घोषित महानुभावों के लिये राज्य सरकार के खर्च पर स्वागत, परिवहन, आवासन, भोजन, सुरक्षा, विदाई जैसे कुल अथवा इनमें से कुछ विन्दुओं पर आवश्यक व्यवस्था जिला पदाधिकारी अथवा अन्य पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी जिन्हें एतत्संबंधी आदेश संसूचित किया जायेगा।

3. (2) राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय के नयाचार प्रभाग द्वारा नियम 2 में विर्देशित विशिष्ट व्यक्ति को "राज्य अतिथि" घोषित करने एवं उनके कार्यक्रम के अनुसार स्वागत, आवासन, भोजन परिवहन, सुरक्षा, विदाई की व्यवस्था हेतु संबंधित पदाधिकारियों को सरकार का आदेश से सूचित किया जायगा।

आगन्तुक राज्य अतिथि राज्य सरकार के जिस प्रशासी विभाग को आवंटित कार्य से संबंधित हों, वैसे विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वे राज्य अतिथि, के स्वागत, विदाई, आदि के लिये किसी उपयुक्त पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करें एवं यथासंभव अपने साधन श्रोत से ही, राज्य अतिथि को परिवहन जैसी सुविधाएं प्रदान किये जाने में अपना योगदान दें।

4. (1) राज्य अतिथियों के पारिवारिक सदस्य :—

(क) जबतक कि राज्य सरकार द्वारा अन्य कोई आदेश न दिया जाय, राज्य अतिथि के साथ आनेवाले उनके निकटतम पारिवारिक सदस्य यथा पति।पत्नी, आश्रित पुत्र।पुत्री भी सामान्य परिस्थिति में चार दिन से अनधिक अवधि के लिये ही राज्य अतिथि माने जायेंगे। यदि ऐसी अपेक्षा की जाये तो राज्य अतिथि के साथ आनेवाले अन्य सदस्यों या कर्मचारियों को भी, भुगतान के आधार पर भोजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।

(ख) राज्य अतिथि के आगमन के पहले या उनके प्रस्थान के बाद की समुचित अवधि में उसके परिवार के किसी सदस्य के लिये अपेक्षित भोजन और आवास का प्रबंध भुगतान के आधार पर किया जा सकेगा।

अतिथि के निजी स्टाफ—

राज्य अतिथि के साथ आनेवाले ऐसे स्टाफ के लिये जो यात्रा-भत्ता और विराम भत्ता पाने के हकदार हैं, भुगतान के आधार पर भोजन और आवास का प्रबन्ध किया जा सकेगा।

(3) राज्य अतिथि द्वारा आमंत्रित व्यक्ति :—

राज्य अतिथि के अनुरोध पर उनके द्वारा आमंत्रित व्यक्तियों के लिये भोजन की व्यवस्था की जा सकेगी जिसका निर्धारित चार्ज प्रति व्यक्ति की दर से लिया जायेगा।

5. (1) राज्य अतिथियों का स्वागत :—

किसी विशिष्ट व्यक्ति के भ्रमण की सूचना मिलने पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग का नयाचार प्रभाग ऐसे अनुदेश जारी करेगा जो आवश्यक हो। विशेष परिस्थितियों में किसी विनिर्दिष्ट अनुदेश के अभाव में स्थानीय पदाधिकारी जो राज्य अतिथि के स्वागत आदि के लिये जिम्मेवार हों, इन अनुदेशों से मार्गदर्शित होंगे तथा राज्य सरकार का घटनोत्तर अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(2) विशिष्ट अतिथियों का स्वागत :–

निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत और विदाई के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जायेगा तथा उनके साथ उचित शिष्टाचार बरता जायेगा :—

(क) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और विदेशी शासनाध्यक्ष।
(ख) अन्य देशों के राज्याध्यक्ष।
(ग) लोक सभा के अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्री।
(घ) विदेशी मिशनों के अध्यक्ष और अन्य आगन्तुक विदेशी विशिष्ट व्यक्ति।

(3) अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत :—

अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत।विदाई के अवसरों पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :—

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं उप-मंत्रियों, योजना आयोग के सदस्यों, विधान परिषद् के सभापतियों तथा विधान सभाओं के अध्यक्षों के साथ भी राज्य सरकार द्वारा जारी किये ये अनुदेशों के अनुसार शिष्टाचार बरता जायेगा, जिस प्रकार पूर्ववर्ती उप-नियम (1) एवं (2) में ऐसे प्रावधान का उल्लेख किया गया है।

(ख) राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के उप-सभापतियों तथा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के उपाध्यक्षों तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के संसदीय सचिवों के साथ वही शिष्टाचार बरता जायेगा, जो केन्द्रीय उप-मंत्रियों और राज्य सरकारों के राज्य मंत्रियों के साथ बरता जाता है।

(ग) अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत और विदाई जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त कोई उपर्युक्त पंक्ति का पदाधिकारी करेगा।

6. आवासन :—

(1) राज्य मुख्यालयों में :—

(क) पटना में राज्य अतिथि को सामान्यतः 4, देशरत्न मार्ग स्थित राज्य अतिथिशाला (टेलीफोन नं० 222673) में ठहराया जायेगा। उनसे अतिथिशाला में रहने और बिजली, आदि के उपभोग के लिये खर्च वसूल नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि राज्य अतिथि-गृह या परिसदन (सर्किट हाउस) में स्थान उपलब्ध न हो, तो आवास और भोजन का प्रबन्ध अधिमानतः आई०टी०डी०सी० के होटल में, एवं अपरिहार्य परिस्थिति में अन्य किसी प्रथम श्रेणी के होटल में अथवा अन्य उपर्युक्त स्थान में किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल (नयाचार) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित होटल के रुम रेन्ट, भोजन, आदि के व्यय-सीमा के अन्तर्गत इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

(2) पटना से बाहर के स्थानों में :—

(क) राज्य अतिथि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकार या लोक उपक्रम के परिसदन (सर्किट हाउस) या निरीक्षण बंगले में ठहराया जायेगा। यदि किसी स्थान में से एक से अधिक निरीक्षण बंगला हो तो राज्य अतिथि को सर्वोत्तम उपलब्ध आवासीय स्थान दिया जायेगा। ऐसे भवनों में ठहरने और बिजली, पानी आदि के उपभोग के लिये राज्य अतिथि से कोई खर्च वसूल नहीं किया जायेगा। ऐसे सारे खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

(ख) जहां ऐसे भवन हों, लेकिन उनमें कोई स्थान उपलब्ध न हो अथवा जहां ऐसा कोई भवन न हो वहां जिला पदाधिकारी सरकारी खर्च से, अन्य उपर्युक्त स्थान में राज्य अतिथियों के लिये आवासन और भोजन का प्रबंध करेंगे।

7. भोजन :—

(1) आमिष और निरामिष दोनों तरह के खान-पान का प्रबन्ध यथासम्भव राज्य अतिथि की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) राज्य अतिथियों से आशा की जायगी कि वे जिस भोजन पर उपस्थित नहीं रहनेवाले हों तो प्रबंधक को तद्नुसार सूचित कर देंगे अथवा उसकी सूचना निर्धारित पंजी में, जो किसी सुगोचर स्थान में रखी रहेगी, अंकित कर दें। ऐसी प्रविष्टि अनुपस्थिति से जितनी देर पहले संभव हो उतनी देर पहले कर दी जाय, ताकि भोजन बार-बार न हो।

(3) यदि सरकारी अतिथि गृहों, जैसे राज्य अतिथि गृह, पटना, परिसदन (सर्किट हाउस), निरीक्षण बंगलों, विश्राम गृहों, आदि में स्थान न हो तो पूर्व पत्राचार द्वारा विशेष परिस्थिति में भोजन और आवास का प्रबन्ध नियत टैरिफ पर किसी स्टैण्डर्ड होटल में किया जायगा। होटल में ठहरने वाले राज्य अतिथि के खान-पान पर हुआ वास्तविक खर्च का वहन उस सीमा तक किया जा सकेगा जो इसके निमित्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(4) प्रबंधकर्त्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि केवल की गयी सेवाओं के लिये भुगतान किया जाय और परिहार्य आरक्षणों या उपयोग न की गयी सेवाओं के लिये कोई भुगतान नहीं किया जाय। यदि व्यय प्रति व्यक्ति के लिये विहित सीमा से अधिक हो जाय, तो मंत्रिमंडल (नयाचार) विभाग किये गये व्यय की मंजूरी का विशिष्ट आदेश निकालेगा।

(5) राज्य अतिथि के भोजनादि पर व्यय की अधिसीमा आवश्यकतानुसार समय-समय पर आदेश निर्गत कर मंत्रिमंडल सचिवालय (नयाचार) विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। प्रत्येक स्तर पर व्यय वहन की प्रक्रिया में यथासम्भव मितव्ययिता बरतने का प्रयास किया जायेगा।

8. परिवहन—

(क) पटना में—

राज्य मुख्यालय में किसी राज्य अतिथि के परिवहन के सम्बन्ध में अनुदेश जारी करते समय, मंत्रिमंडल (नयाचार) विभाग राज्य अतिथि के लिये उपर्युक्त परिवहन का उपबन्ध करने के लिये संबंधित प्रशासी विभाग से एवं उक्त विभाग में वाहन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में राज्य/जिला स्तर पर नयाचार के निमित्त आवंटित गाड़ियों का उपभोग आदेशित करेगा। वह भी सम्भव नहीं रहने पर वित्त विभाग से वाहन की व्यवस्था की अपेक्षा करेगा।

इसके बाद यथास्थिति, संबंधित विभाग, पदाधिकारी या वित्त विभाग आदेश में उल्लिखित स्थान पर गाड़ी ले जाने की हिदायत चालक को देकर गाड़ियां भेज देगा। यदि विशेष स्थिति में विभाग भी असमर्थता प्रकट करे तो मंत्रिमंडल (नयाचार) विभाग की पूर्वानुमति से राज्य अतिथि के लिये गाड़ियों की व्यवस्था अन्य श्रोतों से की जा सकेगी। ऐसी परिस्थिति में, मंत्रिमंडल (नयाचार) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत परिवहन का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

(ख) पटना के बाहर—

पटना से भिन्न जिला मुख्यालयों या अन्य स्थानों में भ्रमण की दशा में सम्बद्ध जिला पदाधिकारी राज्य अतिथियों के परिवहन के लिये स्टाफ कार का उपबन्ध करेंगे। मंत्रिमंडल (नयाचार) विभाग की पूर्वानुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में राज्य अतिथियों के परिवहन के लिये अच्छी टैक्सियों की व्यवस्था की जा सकेगी। ऐसी परिस्थिति में भी उपरोक्त उप-नियम (क) की भांति, मंत्रिमंडल (नयाचार) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित्त व्यय-सीमा के अन्तर्गत, परिवहन की व्यवस्था पर होनेवाले व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी।

टिप्पणी—जो राज्य अतिथि अपने पहूंचने के समय परिवहन की सुविधायें चाहते हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे राज्य सरकार।सम्बद्ध जिला पदाधिकारी को अपने आगमन का समय रेलगाड़ी या वायुयान और स्थान आदि से संबंधित पूरा विवरण पहले ही सूचित कर देंगे।

सरकारी वायुयान

कतिपय राज्य अतिथियों, यथा केंद्रीय मंत्री, आदि से राज्य के अन्दर विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार के वायुयान द्वारा भ्रमण हेतु प्राप्त अनुरोध-पत्र को आवश्यक निर्णय के लिए मुख्य मंत्री सचिवालय, जिसके द्वारा सरकारी विमान का आवंटन किया जाता है, को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

मुख्य मंत्री सचिवालय से सरकारी विमान की उपलब्धता की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित राज्य अतिथि के भ्रमण के संबंध में अनुदेश जारी करते समय मंत्रिमंडल (नयाचार) विभाग का मंत्री सचिवालय से अपेक्षा करेगा कि वह राज्य अतिथि के लिये सरकारी वायुयान उपबन्ध करें और इसके बाद मुख्य मंत्री सचिवालय वायुयान उपलब्ध होने और मौसम अच्छा रहने पर तथा सम्बद्ध स्थानीय पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए राज्य अतिथि की यात्रा के लिए एक सरकारी वायुयान आवंटित करेगा।

11. विविध :

(1) जिस अवधि तक राज्य अतिथि को सरकारी खर्च पर ठहराया जायगा वह साधारणत: 4 दिनों से अधिक की नहीं होगी किन्तु असाधारण स्थितियों में राज्य सरकार का मंत्रिमंडल (नयाचार) विभाग मुख्य सचिव की सहमति से अवधि को बढ़ाने में विनिश्चय कर सकेगा।

(2) आशा की जायेगी कि राज्य अतिथिशाला, परिसदन (सर्किट हाउस), निरीक्षण बंगला तथा राज्य अतिथि के किसी अन्य वास स्थान में अतिथि के सेवकों से फर्नीचर या अन्य वस्तुओं की जो क्षति होगी उसका दायित्व सम्बद्ध अतिथि वहन करेंगे। यथास्थिति, राज्य अतिथिशाला, परिसदन, निरीक्षण बंगला या किसी अन्य भवनों का भार साधक पदाधिकारी, इस सम्बन्ध में वसूल की जाने वाली रकम विनिश्चित करेगा।

(3) सम्बद्ध भार—संबंधित वास स्थान के भार साधक पदाधिकारी की जानकारी के बिना; राज्य अतिथिशाला परिसदन, निरीक्षण बंगला, या किसी अन्य भवन के टेलीफोन से, यदि वहां टेलीफोन हो, कोई भी ट्रंक कॉल नहीं किया जायेगा। वह अतिथि द्वारा किये गये किसी ऐसे कॉल के बारे में आवश्यक प्रविष्टियां इसके प्रयोजनार्थ

रखे रजिस्टर में इस उल्लेख के साथ कर देगा कि कौल सरकारी था अथवा प्राइवेट। सरकारी बिल अतिथि के कार्यालय में और निजी कॉल के बिल अतिथि के निजी सचिव को शीघ्र भुगतान के अनुरोध के साथ भेज दिये जायेंगे।

(4) राज्य अतिथियों को सरकारी खर्च पर कोई मादक पेय सिगरेट आदि नहीं दिया जायगा।

12. आय-व्ययक शीर्ष :

राज्य अतिथियों पर किये गये व्यय राज्य सरकार के आय-व्ययक के निम्नलिखित वृहत् और लघु शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होंगे —

(1) सचिवालय स्तर का व्यय का बजट शीर्ष—

"2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं—090-सचिवालय—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा अतिथ्य व्यय)"

(2) वित्त प्रशासन द्वारा व्यय—

"2053—जिला प्रशासन—094-अन्य व्यय—800 जिला प्रशासन में मनोरंजन"

(3) गणतंत्र।स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर व्यय—

"2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं—अन्य व्यय उप-शीर्ष—(113) गणतंत्र।स्वतंत्रता दिवस समारोह"

(4) राज्य स्तर पर भोजादि पर व्यय—

"2013—मंत्रिपरिषद्—आतिथ्य—अतिथ्य और मनोरंजन—राज्य अतिथि"

(5) बिहार भवन, नई दिल्ली से संबंधित व्यय—

"20 0—अन्य प्रशासनिक सेवाएं—115-अतिथ्य गृहों—सरकारी परेषणों—भवन स्थापना"

13. इस नियमावली की एक प्रति राज्य अतिथिशाला, पटना तथा प्रत्येक परिसदन (सर्किट हाउस), निरीक्षण बंगला, आदि में लटका दी जायगी, जिसका उपयोग राज्य अतिथि अपनी जानकारी के लिये कर सकेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।

प्रतिलिपि—सभी विभागीय सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आर० यू० सिंह,
आयुक्त एव सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।

पत्र संख्या-एपरि० 9-1040।00 मं० सा०-1549

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी उप-आरक्षी महानिरीक्षक,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी जिला आरक्षी अधीक्षक,

सभी जिला उप-विकास आयुक्त,

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,

सभी अनुमण्डलीय उप-आरक्षी अधीक्षक ।

पटना 15, दिनांक 7 नवम्बर, 1991 ।

विषय—मंत्रियों विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने संबंधी अनुदेश ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि पूर्व में राज्य सरकार के कई माननीय मंत्रियों से ऐसी शिकायतें मिलती रही है कि राज्य में उनके परिदर्शन के अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा सौजन्य नहीं प्रदर्शित किया जाता है । ऐसी ही शिकायतें सभापति, बिहार विधान परिषद से मिली हैं कि कतिपय जिलों में उनके परिदर्शन के अवसर पर जिला मुख्यालय में जिला पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते है और किसी विचारणीय विन्दु पर विचार-विमर्श करने हेतु बुलाये जाने पर भी जिला पदाधिकारी उपस्थित होने का कष्ट नहीं करते हैं ।

2. इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि संसदीय प्रणाली में राज्य विधान मंडल के पीठासीन पदाधिकारियों का अति महत्वपूर्ण स्थान है । राज्य नयाचार सूची है । इनका स्थान निम्नवत निरूपित है :—

बिहार राज्य अनुपूर्वी, 1988

4. राज्यपाल
7. राज्य-मंत्री
10. उप-मुख्य मंत्री
14. विधान परिषद् के सभापति।विधान सभा के अध्यक्ष ।
    उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति लोकायुक्त ।
15. (क) राज्य के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री
    (ख) विधान-सभा के विरोधी दल के नेता ।
17. उच्च न्यायालय के प्यूने बज
18. (क) विधान परिषद् के उप-सभापति।विधान-सभा के उपाध्यक्ष।राज्य के राज्य-मंत्री ।
    (ख) ऐसे महानुभाव जिन्हें मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा एवं सुविधा प्राप्त है ।
19. (क) राज्य के उप-मंत्री
    (ख) ऐसे महानुभाव जिन्हें उप-मंत्री स्तर का दर्जा या सुविधा प्राप्त है ।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि मंत्री, राज्य विधान परिषद् के सभापति, राज्य विधान-सभा के अध्यक्ष तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के परिदर्शन काल में सौजन्य प्रदर्शित करने के संबंध में समय-समय अनुदेश परिचारित किये जा रहे हैं। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1090, दिनांक 8 नवम्बर 1983 के साथ अनुलग्न अनुदेश की एक प्रति सरल निदेशक के लिये पुनः संलग्न की जा रही है। इस विभाग के परिपत्र संख्या-353, दिनांक 24 जनवरी 1991 द्वारा भी इस विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए इस तथ्य को ठहराया गया है कि उपर्युक्त विशिष्ट महानुभावोंके प्रति, परिदर्शन काल में अवश्य सौजन्य प्रदर्शित किये जाय पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अनुदेश को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है जिसके फलस्वरूप शिकायतें प्राप्त हो रही है।

4. अतः अनुरोध है कि विधान मंडल के पीठासीन पदाधिकारी, मंत्रीगण तथा अन्य विशिष्ट महानुभावों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने संबंधी उपर्युक्त परिपत्र का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन,

आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या-1549

पटना 15, दिनांक 7 नवम्बर, 1991 ई०।

प्रतिलिपि—सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सचिव, बिहार विधान परिषद्।सचिव, बिहार विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

रमणी मोहन ठाकुर
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या-ए।परि० 9-1048।80 मं० सा०--1090
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक
श्री ए० के० एम० हसन,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी उप-आरक्षी महानिरीक्षक,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी जिला आरक्षी अधीक्षक

सभी जिला उप-विकास आयुक्त,

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,

सभी अनुमण्डलीय उप-आरक्षी अधीक्षक।

दिनांक 8 नवम्बर, 1993।

विषय—मंत्रियों।विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने सम्बन्धी अनुदेश।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि इस विभाग के पत्र संख्या-ए।पी० एस-10-2012।69पी० जी०-828, दिनांक 13 जून 1969, संख्या-ए।पी०ए-10-2012।69 पी० जी० 1282, दिनांक 24 सितम्बर, 1970 तथा संख्या-ए। प०-10-2018।69 रा० सा०-856, दिनांक 26 मई, 1972 में विशिष्ट व्यक्तियों के परिदर्शन के अवसर पर उनके प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने सम्बन्धी अनुदेश परिचारित किये गये हैं एवं इस विभाग के पत्रांक ए।परि० 9-1040।80 मं० सा०-1282, दिनांक 4 सितम्बर, 1981 पर आश्रित पत्राचार द्वारा उन्हें समय-समय पर दोहराया गया है।

2. पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए उपर्युक्त विषय पर पुनरीक्षित अनुदेश अनुलग्न किये जाते हैं।

3. जिलाधिकारियों, अनुमण्डल पदाधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों का यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिये कि जब भी विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम की सूचना उन्हें प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उनके आगमन के पूर्व ही सुनिश्चित कर लिए जाये।

4. अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का मुस्तैदी से अनुपालन किया जाय।

5. इन अनुदेशों की प्रतियां सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को कृपया उपलब्ध करायी जाय। अनुदेश की पांच प्रतियां संलग्न की जाती हैं।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या-ए।परि० 9-1048।80 मं० सा०-1090
दिनांक 8 नवम्बर, 1983।

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव।सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव।उपाध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव। आयुक्त एव सचिव, नयाचार के वरीय निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के उप-सचिव।

विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में

अनुदेश, 1983

1. लोक सभा के अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, राज्यों के विधान परिषदों के सभापति, राज्यों के विधान सभाओं के अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, लोक सभा के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के राज्य मंत्री, केन्द्रीय सरकार के उप-मंत्री, राज्यों के विधान परिषदों के उप-सभापति, राज्यों के विधान सभाओं के उपाध्यक्ष।

(क) सरकारी परिदर्शन—

विशेष शिष्टाचार के अवसरों से भिन्न अन्य अवसरों पर किसी मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति के स्वागत आदि के लिए न्यूनतम व्यवस्थाए की जायं। मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति के स्वागत एवं विदाई के लिए हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन या अन्य स्थानों पर सभी प्रधान पदाधिकारियों को एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं है।

2. जब कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति किसी जिसके या मुफस्सिल अनुमंडल के मुख्यालय के परिदर्शन पर जाते हैं, उनके स्वागत एवं विदाई यथास्थिति जिला पदाधिकारियों या अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे यदि उन्हें अन्य महत्वपूर्ण कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए तकाजा नहीं हो।

3. इन अनुदेशों का यह अभिप्राय है कि यदि परिदर्शन सरकारी हो एवं परिदर्शन का स्थान उनका मुख्यालय हो, तो सामान्यतः जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत एवं विदाई करेंगे। मात्र असमान्य परिस्थितियों में ही जब कि वे अपने मुख्यालय अधिष्ठान से बाहर हों, या अन्य सरकारी कार्य के कड़ा तकाजा से उसमें पूर्व से लीन रहें, जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी किसी वरीय पदाधिकारी को उनके एवज में उनके प्रतिनिधिस्वरूप स्वागत एवं विदाई के लिए भेज सकते है।

4. सरकार यह चाहती है कि ऐसी असामान्य परिस्थितियों में भी जबकि जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी को मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति के पहुंचने या विदा होने, को विन्दु पर उपस्थित होने में रुकावट हो तो जिला मुख्यालय में अपर जिला दण्डाधिकारी।उप-विकास आयुक्त, या अपर समाहर्त्ता जो भी वरीयतम पदाधिकारी उपलब्ध हों, एवं अनुमंडल मुख्यालय में उप-समाहर्त्ता, प्रभारी भूमि सुधार या द्वितीय पदाधिकारी को ही उनके स्वागत एवं विदाई के लिए प्रतिनियोजित किया जाय। जब इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं रहें, मात्र उप-विशेष स्थिति में ही जिला मुख्यालय, या अनुमंडल मुख्यालय में उपलब्ध अन्य वरीयतम पदाधिकारी को जिलाधिकारी, या अनुमण्डल पदाधिकारी के प्रतिनिधिस्वरूप प्रतिनियोजित किं जाय, परन्तु किसी भी स्थिति में छोटे तबके के पदाधिकारी को स्वागत या विदाई के लिए नहीं भेजा जाय।

5. सरकारी कार्य हेतु यदि कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति किसी निर्दिष्ट पदाधिकारी की उपस्थिति की अपेक्षा करें, तो अपने दौरे कार्यक्रम में, या स्वतंत्र रूप से वे उसे कृपया दरशायेंगे। सम्बधित विभागीय पदाधिकारी अवश्य ही उपस्थित रहेंगे।

6. 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह बीच यदि पहुंचने या विदा होने का समय हो तो उस स्थिति में सामान्यतः किसी पदाधिकारी को स्वागत या विदाई हेतु उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा।

7. जब परिदर्शन का स्थान किसी जिसे या अनुमण्डल का मुख्यालय नहीं हो, तब मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति से ऐसे पदाधिकारी मिलेंगे, जिन्हें वे विशिष्ट रूप से उपस्थित रहने की इच्छा जाहिर करें।

8. किसी मंत्री।विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने के लिए जिलाधिकारी या अनुमडल पदाधिकारी कार्यक्रम की मदद करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसी दशा में दौरे से वापस आने पर, यदि वह उपस्थित रहें, जिलाधिकारी, या अनुमण्डल पदाधिकारी, उनसे भेंट मुलाकात करेंगे।

9. यदि कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति प्रमण्डल के मुख्यालय में परिदर्शन के लिये जाये, एवं आयुक्त वहां उपस्थित रहें, वे उनसे भेंट मुलाकात करेंगे।

(ख) गैर-सरकारी परिदर्शन—

(*i*) सामान्य रूप से किसी स्थान के परिदर्शन पर तब कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति जाते हैं, वे सरकारी कार्य तथा वैयक्तिक या राजनैतिक कार्य दोनों प्रकार का कार्य सम्पादित करते हैं, किन्तु मात्र विशेष सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए या पूर्णतः व्यक्ति कार्यवश या राजनैतिक कार्यवश जब कोई मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति किसी निर्दिष्ट स्थान के परिदर्शन पर जाते हैं, उपस्थिति में परिदर्शन जिला मुख्यालय में होने पर जिलाधिकारी, अनुमण्डल मुख्यालय में होने पर अनुमण्डल पदाधिकारी, उनसे भेंट मुलाकात करेंगे और उनके लिए व्यवस्था आदि के बारे में उनसे ज्ञात हो लेंगे।

(*ii*) ऐसे अवसरों पर जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी को मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं होगा।

2. राज्य सरकार के उप-मंत्री :—

(*i*) जिला मुख्यालय या अनुमण्डल मुख्यालय में, जब कोई उप-मंत्री सरकारी परिदर्शन पर या अन्यथा जायें, किसी-किसी जिलाधिकारी या अनुमण्डलाधिकारी को उनके स्वतंत्रता विदाई हेतु उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। परन्तु विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

(*ii*) यदि परिदर्शन जिला मुख्यालय या अनुमण्डल मुख्यालय में हो तो जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी, उनके पहुंचने के पश्चात् जितनी शीघ्र हो सके, उनसे भेंट-मुलकात करेंगे। यदि उप-मंत्री के पहुंचने के समया जिलाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी, मुख्यालय के बाहर दौरे पर रहें, कि किन्तु उस स्थान से उप-मंत्री के विदा हो के पूर्व अपने मुख्यालय में वापस आ जाते हैं, यथा स्थिति जिलाधिकारी, या अनुमण्डल पदाधिकारी उप-मंत्री से भेंट मुलकात करेंगे।

(*iii*) यदि निर्दिष्ट पदाधिकारी की उपस्थिति की अपेक्षा करें वे सब अपने दौरे कार्यक्रम में, या स्वतंत्र रूप से उसे दरसायेंगे।

3. किसी मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति, या उप-मंत्री, के दौरे पर किसी पदाधिकारी को उनके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि न उनके साथ जाने की अपेक्षा विशेष रूप से की जाय।

4. जिस सामाजिक, या अन्य उत्सव में कोई मंत्री सम्मिलित होते हैं, उसमें पदाधिकारियों उपस्थित रहने के लिए अपने सामान्य कार्य को रोकने की आवश्यकता नहीं है, यदि न उन्हें उपस्थित रहने के लिए विशेष रूप से इच्छा जाहिर करें।

5. किसी मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति जब कोई पार्टी बैठक में हिस्सा लेते है तो सुरक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त किसी पदाधिकारियों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

6. अन्य राज्य सरकारों के मंत्री।विशिष्ट व्यक्ति।उप-मंत्री अन्य राज्यों के मंत्रियों।विशिष्ट व्यक्तियों।उप मंत्रियों के परिदर्शन के अवसर पर उपर्युक्त अनुदेश आवश्यक परिवर्त्तन सहित लागू होंगे।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

1 मार्च 1990

सं० 171—विभागीय आदेश संख्या 89-1042/83/मं०सा०/759, दिनांक 5 अगस्त 1983 द्वारा बिहार राज्य अतिथि नियमावली, 1971 के नियम 2 में उप-नियम (III) जोड़ कर यह प्रावधान किया गया था कि निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों को भी राज्य में अपने भ्रमण के दौरान राज्य अतिथि माने जायेंगे :—

(क) भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति

(ख) भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति

(ग) भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री

इसी क्रम में राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भूतपूर्व राज्यपाल एवं भूतपूर्व मुख्य मंत्री को भी राज्य में अपने भ्रमण के दौरान राज्य अतिथि माना जाय।

तदनुसार नियमावली के नियम 2 के उप-नियम (III) का स्वरूप निम्न प्रकार हो जायगा :—

निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्ति को राज्य में अपने भ्रमण के दौरान राज्य अतिथि माने जायेंगे :—

(क) भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति
(ख) भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति
(ग) भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री
(घ) भूतपूर्व राज्यपाल
(ङ) भूतपूर्व मुख्य मंत्री

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 171-मं०सा०—759

दिनांक 1 मार्च 1990

प्रतिलिपि—भारत सरकार के सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 171-मं०सा०—759

दिनांक 1 मार्च 1990

प्रतिलिपि—सभी राज्य सरकार के मुख्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० 171

दिनांक 1 मार्च 1990

प्रतिलिपि--सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी।सभी अनुमण्डलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 171

दिनांक 1 मार्च 1990

प्रतिलिपि--राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।मुख्य सचिव के सचिव।अपर मुख्य सचिव के सचिव। सचिव, गृह (विशेष) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 171

दिनांक 1 मार्च 1990

प्रतिलिपि--महानिदेशक सह आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार।महानिदेशक, विशेष शाखा।आरक्षी अधीक्षक (सुरक्षा) विशेष शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप-सचिव।

खंड-13

संकल्प सं० सी०एस० 1।ए० 104।97—1690
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

दिनांक पटना-15, 8 जून 2000 ई०

विषय—गैर राजकीय सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं गैर राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांगों की जांच हेतु मंत्रिमंडल समिति का पुनर्गठन।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 564, दिनांक 1 मार्च, 1997, संकल्प संख्या 3088, दिनांक 23 दिसम्बर 1997 तथा 1427, दिनांक 22 मई 1999 द्वारा गैर राजकीय सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं गैर राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांगों की जांच हेतु मंत्रिमंडलीय समिति का गठन पूर्व में किया गया था। अब नये मंत्रिमंडल के गठनोपरान्त माननीया मुख्य मंत्री, बिहार ने उक्त समिति में निम्नलिखित मंत्रीगण को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:—

(1) श्री जगदानन्द सिंह मंत्री, जल संसाधन (लघु सिंचाई रहित) विभाग—अध्यक्ष
(2) श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंत्री, वित्त (वाणिज्य-कर और राष्ट्रीय बचत) विभाग—सदस्य
(3) श्रीमती वीणा शाही, मंत्री, सहकारिता विभाग—सदस्या
(4) डा० शकील अहमद, मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण—सदस्य (चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण एवं देशी चिकित्सा)।
(5) श्री शकील अहमद खां, मंत्री, विधि विभाग—सदस्य
(6) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग—सचिव

2. इस समिति को सचिवीय सहायता उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जायेगी।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को प्रेषित की जाय।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए० 1-104।97—1690
पटना-15, दिनांक 8 जून 2000 ई०

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए० 1-104।97—1690
पटना-15, दिनांक 8 जून 2000 ई०

प्रतिलिपि—सभी संबंधित मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए० 1-104।97—1690
पटना-15, दिनांक 8 जून 2000 ई०

प्रतिलिपि—निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी०एस०1।ए०-201।86 (खंड)---1603

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 25 मई, 1996

विषय---योजना प्राधिकृत समिति का गठन आंशिक संशोधन।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 1611, दिनांक 6 मई, 1994 एवं संकल्प संख्या 2229, दिनांक 28 नवम्बर, 1995 के अन्तर्गत गठित प्राधिकृत समितियां की बैठक की कार्यवाही के संबंध में यह निर्णय है कि बैठक की कार्यवाही मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत की जायेगी।

2. प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही निर्गत करने का विषय सरकार के विचाराधीन था। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 1611, दिनांक 6 मई 1994 की कंडिका 10 एवं संकल्प संख्या 2229, दिनांक 28 नवम्बर 1995 की कंडिका-3 (ग) में संशोधन करते हुए निम्नांकित निर्णय लिये गये है:---

(क) चालू योजनाओं, जिनके स्वरूप, स्थान या क्षेत्र में कोई परिवर्त्तन नहीं होता हो, से संबंधित कार्यवाही मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के अनुमोदन से निर्गत की जायेगी।

(ख) किसी योजना के चालू अथवा नई होने के बिन्दु पर मतान्तर की स्थिति में योजना से संबंधित कार्यवाही मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत की जायेगी।

(ग) अगर विकास आयुक्त इस विचार के हों कि किसी खास चालू योजना की कार्यवाही में मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तो वैसी स्थिति में मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राम्प्त कर ही कार्यवाही निर्गत की जायेगी।

(घ) नई योजनाओं तथा ऐसी चालू योजनाओं जिनके स्वरूप, स्थान या क्षेत्र में परिवर्त्तन होता हो, से संबंधित कार्यवाही मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत की जायेगी।

3. संकल्प संख्या 1611, दिनांक 6 मई 1994 एवं संकल्प संख्या 2229, दिनांक 28 नवम्बर 1995 के के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

4. यह व्यवस्था मात्र वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये ही लागू रहेगी।

आदेश---आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों तथा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप सं०-सी०एस०1।ए०1-201।86 (खंड)---1603

पटना-15, दिनांक 25 मई, 1996

प्रतिलिपि---योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार, पटना।क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची।वित्त आयुक्त।अपर वित्त आयुक्त।सचिव, योजना एवं विकास विभाग।सभी विभागीय सचिव।सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

संकल्प संख्या-सी०एस० 1।ए-1-201।86 (खण्ड)—1399

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 27 अप्रैल 1996

विषय—योजना प्राधिकृत समितियों में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के मनोनीत पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेने के संबंध में।

राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं वाह्य पोषित (विश्व बैंक सहित) परियोजनाओं के अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन से संबंधित अनेक परियोजनाएं प्राधिकृत समिति के विचारार्थ रखी जाती है।

2. हाल में केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्राधिकार को प्राधिकृत समिति—1 बैठक में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन से संबंधित स्कीमों की समीक्षा एवं स्वीकृति के समय मिशन के मनोनीत पदाधिकारी को राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जाय।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य प्राधिकृत समितियों में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन से संबंधित संलेखों पर विचार करते समय राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के मनोनीत पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाये।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों तथा प्राधिकृत समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस०एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप सं०-सी०एस० 1।ए० 1-201।96 (खंड)—1399

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील 1996

प्रतिलिपि—योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार, पटना।क्षेत्रीय विकास आयुक्त रांची।वित्त आयुक्त, बिहार पटना।अपर-वित्त आयुक्त, बिहार पटना।सचिव, योजना एवं विकास विभाग।सभी विभागीय सचिव। सभी विभागाध्यक्षों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस०एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

संख्या सी०एस०1।ए०1-201।86 खण्ड (II)—1980
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 28 जुलाई, 1997

विषय—योजना प्राधिकृत समिति के गठन का आंशिक संशोधन।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 1611, दिनांक 6 मई 1994 एवं संकल्प संख्या 2229, दिनांक 28 नवम्बर 1995 के अन्तर्गत गठित प्राधिकृत समितियों की बैठक की कार्यवाही के संबंध में यह निर्णय है कि बैठक की कार्यवाही मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत की जायेगी।

2. प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही निर्गत करने का विषय सरकार के विचाराधीन था। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 1611, दिनांक 6 मई 1994 की कंडिका 10 एवं संकल्प संख्या 2229, दिनांक 28 नवम्बर 1995 की कंडिका-3 (ग) में संशोधन करते हुए निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:—

(क) चालू योजनाओं, जिनके स्वरूप, स्थान या क्षेत्र में कोई परिवर्त्तन नहीं होता हो, से संबंधित कार्यवाही मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के अनुमोदन से निर्गत की जायेगी।
(ख) किसी योजना के चालू अथवा नयी होने के बिन्दु पर मतान्तर की स्थिति में योजना से संबंधित कार्यवाही मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत की जायेगी।
(ग) अगर विकास आयुक्त इस विचार के हों कि किसी खास चालू योजना की कार्यवाही में मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तो वैसी स्थिति में मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर ही कार्यवाही निर्गत की जायेगी।
(घ) नई योजनाओं तथा ऐसी चालू योजनाओं जिनके स्वरूप, स्थान या क्षेत्र में परिवर्त्तन होता हो, से संबंधित कार्यवाही मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत की जायेगी।

3. संकल्प संख्या 1611, दिनांक 6 मई 1994 एवं संकल्प संख्या 2229, दिनांक 2 नवम्बर 1995 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

4. यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1997-98 से अगले आदेश तक लागू किया जाता है। संकल्प संख्या 1103, दिनांक 25 मई 1997 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों तथा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं०-सी०एस०1।ए०1-201।86 (खंड) (III) 1980

पटना-15, दिनांक 28 जुलाई, 1997

प्रतिलिपि—विकास आयुक्त, बिहार, पटना।क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची।वित्त आयुक्त।अपर वित्त आयुक्त। सचिव, योजना एवं विकास विभाग।सभी विभागीय सचिव।सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

संकल्प सं०-सी०एस० 1।ए-101।96—728
बिहार सरकार।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 23 मार्च, 1996 ई०

विषय—राजकीय वायुयान एवं हेलीकोप्टर के आरक्षण का कार्य सिविल विमानन विभाग के अधीन करने के सम्बन्ध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 7514, दिनांक 27 दिसम्बर 1986 में आंशिक संशोधन करते हुये सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय वायुयान एवं हेलीकोप्टर के आरक्षण का कार्य आगामी लोकसभा चुनाव।प्रक्रिया की समाप्ति तक सिविल विमानन विभाग द्वारा मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायगा।

यदि प्रोटोकोल के सम्बन्ध में कोई सूचना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से परामर्श लिया जा सकता है।

2. यह संकल्प तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति राज्यपाल के सचिव।मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव।सरकार के सभी विभाग।विभागाध्यक्षों। सभी प्रमंडलीय आयुक्तों।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-सी०एस० 1।ए1-101।96—728
पटना-15, दिनांक 23 मार्च, 1996 ई०

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।निदेशक-सह-विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग को सूचना एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस०एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-सी एस० 1।ए1-101।96—728
पटना-15, दिनांक 23 मार्च, 1996 ई०।

प्रतिलिपि—सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सभी सचिव।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस० एस वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

संख्या-सी एस० 1।ए०-101।96—1507
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 22 मई, 1996 ई०

विषय— राजकीय वायुयान हेलिकॉप्टर के आरक्षण का कार्य सिविल विमानन विभाग के अधीन करने के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या-7514, दिनांक 27 दिसम्बर 1986 संकल्प सं० 102, दिनांक 20 जनवरी 1995 तथा संकल्प संख्या 698, दिनांक 19 अप्रील 1995 द्वारा राजकीय वायुयान एवं हेलिकॉप्टर के आरक्षण संबंधी कार्यक्रमश: मुख्य मंत्री सचिवालय एवं मुख्य सचिव के आदेश से आयुक्त एवं सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा किये जाते रहे हैं।

पुन: मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं० 728, दिनांक 23 मार्च, 1996 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय वायुयान एवं हेलिकॉप्टर के आरक्षण का कार्य आगामी लोकसभा चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक सिविल विमानन विभाग द्वारा मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

2. कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 36 (सचिवालय विभागों के बीच कार्यों के वर्गीकरण और वितरण की सूची) द्वारा सरकारी वायुयान से संबंधित कार्य सिविल विमानन विभाग को आवंटित है।

3. अत: कार्यपालिका नियमावली के उपर्युक्त प्रावधान के अन्तर्गत सरकारी वायुयान।हेलिकॉप्टर के आरक्षण से संबंधित पूर्व संकल्पों को संशोधन करते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी वायुयान। हेलिकॉप्टर का आरक्षण सिविल विमानन विभाग द्वारा किया जायेगा।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सरकार के सभी विभाग।विभागाध्यक्षों।सभी प्रमंडलीय आयुक्तों।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी०एस0 1।ए०1-101।96—1507

पटना-15, दिनांक 22 मई, 1996

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।निदेशक,-सह-विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस-एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या—सी०एस० 1।ए०-1-101।96—1507

पटना-15, दिनांक 22 मई, 1996

प्रतिलिपि—सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।सभी सचिव।सभी प्रमंडलीय आयुक्त। सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस० एस० वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक 6।7 जनवरी 1983

सं० जी०एस०आर० 1—भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 3, दिनांक 16 जनवरी 1979 के साथ प्रकाशित बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 में निम्नांकित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उक्त नियमावली में–
नियम 21 के बाद निम्नलिखित नियम 21(क) एवं 21(ख) जोड़े जायेंगे—

"21.(क) (*i*) प्रभारी मंत्री विभाग के प्रधान सचिव।सचिव के परामर्श से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विभाग में जिस विषय या मामले का निपटाव किया जाय उसे विभाग के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के पहले अवर-सचिव के स्तर एवं उसके ऊपर के अधिकारियों के बीच दो से अधिक स्तरों से नहीं गुजरना पड़े।

(*ii*) यदि किसी विभाग या विभाग समूह में प्रधान सचिव।सचिव के अतिरिक्त कोई विशेष सचिव हों तो प्रभारी मंत्री विभागीय कार्य संचालन की व्यवस्था इस रूप में करेंगे कि विशेष सचिव को ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें प्रधान सचिव।सचिव का परामर्श लेना आवश्यक समझा जाय, सीधे मंत्री के पास मामले भेजने के लिये शक्ति प्रदत्त रहें।

(*iii*) उप-नियम (*i*) और (*ii*) में किसी बात के रहने पर भी प्रधान सचिव।सचिव को यह आदेश देने का प्राधिकार होगा कि कोई विशेष मामला या खास-खास ढंग के मामले उनके माध्यम से ही भेजा जाय या निष्पादित किया जाय।

21(ख) प्रभारी मंत्री प्रयास करेंगे कि जहां तक संभव हो विभागीय कार्यों के निपटाव के लिये सभी स्तरों।विभागीय प्रशासनिक खंडों के लिये ठोस लक्ष्य निर्धारित किये जायें। लक्ष्यों की वास्तविक पूर्ति की समीक्षा विभाग के प्रधान सचिव।सचिव द्वारा अधिक से अधिक तीन महीने के अन्तराल पर की जायेगी जो पूरे वर्ष या उसके किसी हिस्से से संबंधित रहेगा और लक्ष्य पूर्ति में यदि कोई विचलन पाया जायगा तो उसे विभाग के प्रधान सचिव।सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री के ध्यान में लाया जायगा और साथ ही विभिन्न स्तरों पर हुए ऐसे विचलन के लिये जिम्मेवार सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रस्ताव भी दिये जायेंगे। प्रभारी मंत्री ऐसे सभी प्रमुख विचलनों को मंत्रिपरिषद् की दृष्टि में लाने की व्यवस्था करायेंगी।

(सी०एस० 1।आर 1-101।83)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुभाष कुमार मुखर्जी,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस० 1।आर० 1-101।83—48
पटना, दिनांक 6 जगवरी 1983

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग।विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।

सुभाष कुमार मुखर्जी,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस० 1।आर० 1-101।83—48
पटना, दिनांक 6 जनवरी 1983

प्रतिलिपि—राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सभी मंत्रिगण।सभी राज्य मंत्रीगण।सभी उप-मंत्रीगण को सूचनार्थ प्रेषित।

सुभाष कुमार मुखर्जी,
सरकार के मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

27 दिसम्बर 1986

विषय—वर्क लोड के आधार पर सभी अभियंत्रण विभागों में नियुक्ति का प्रयास

सं० सी०एस० 1।ए० 1-103।85(IV)—7455—सभी अभियंत्रण विभागों की रिक्तियों के विपरीत अविलम्ब नियुक्ति करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के बाद मंत्रिपरिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्क लोड के आधार पर सभी अभियंत्रण विभागों में तुरंत समीक्षा एवं इभैलुएशन कर उसके अनुसार जितनी आ आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुसार पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रयास कार्यहित में किया जाय। इसके लिये निम्नांकित मंत्रियों की एक उप-समिति गठित की गयी :—

(1) मंत्री, सिंचाई विभाग—अध्यक्ष।

(2), मंत्री, पथ निर्माण विभाग।

(3) मंत्री, भवन निर्माण विभाग।

(4) मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।

इस समिति की सचिवीय सहायता सिंचाई विभाग द्वारा दिया जायेगा।

आदेश—सर्वसाधारण की सूचना हेतु इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 4 सितम्बर 1998

सं० सी०एस० 1।ए० 1-104।94—2899—बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 (बिहार अधिनियम 15, 1995) की धारा 1 उप-खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल कृपा पूर्वक बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की सभी धाराओं एवं प्रावधानों को दिनांक 01 सितम्बर 1996 से लागू करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश
अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए० 1-104।94—2899

पटना-15, दिनांक 4 सितम्बर 1996 ई०

प्रतिलिपि—सदस्य, राजस्व पर्षद।सचिव, कृषि विभाग।सचिव, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग।मुख्य वन संरक्षक रांची।निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज, गया।प्राचार्य बिहार इन्स्टीच्युट ऑफ टेक्नोलोजी, सिन्दरी।प्राचार्य, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर।निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए०-1-104।94—2899

पटना-15, दिनांक 4 सितम्बर 1996 ई०

प्रतिलिपि—योजना परामर्श-सह-विकास आयुक्त।राज्यपाल के प्रधान सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष लोक उद्यम ब्यूरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए० 1-104।94—2899

पटना-15, दिनांक 4 सितम्बर 1996 ई०

प्रतिलिपि—सभी प्रधान सचिव।आयुक्त एवं सचिव।सचिव।विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

सं० सी०एस० 1।आर० 1-105।89—1103

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना-15, दिनांक 5 जुलाई 1989

विषय—"बिहार डेवलपमेंट पैकेज" हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन।
FORMATION OF STATE LEVEL STEERING COMMITTFE FOR Implementation of Bihar Development Package.

पटना में दिनांक 15 जून 1989 को प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के औद्योगिकीकरण एवं विकास के लिए "बिहार डेवलपमेंट पैकेज" की घोषणा की गयी थी।

2. इस पैकेज प्रोग्राम को समय पर प्रारम्भ करने, सुचारु रूप से संचालन करने और इसके सतत पर्यवेक्षण की आवश्यकता को राज्य सरकार सर्वोच्च उत्तरदायित्व मानती है। इन परियोजनाओं द्वारा विशेष विकास का पथ प्रशस्त होता है एवं इन आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक परियोजनाओं का सामूहिक विकास योजनाओं से जो सम्पर्क है उसका समुचित मूल्यांकन एवं उपयोग श्रेयस्कर होगा।

3. अतः 'बिहार विकास पैकेज' कार्यक्रम के समन्वित एवं समेकित विकास के लिये एक राज्य स्तरीय संचालन समिति (State Level Steering Committee) का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :—

(1) मुख्य मंत्री, बिहार—अध्यक्ष

सदस्यगण

(2) मंत्री, भवन निर्माण एवं आवास तथा ऊर्जा
(3) मंत्री, जल संसाधन तथा राजभाषा
(4) मंत्री, पथ निर्माण, संसदीय कार्य तथा परिवहन
(5) मुख्य सचिव
(6) विकास आयुक्त
(7) वित्त आयुक्त
(8) उद्योग सचिव—सदस्य-सचिव

4. समिति के कृत्य—

(1) प्रधानमंत्री द्वारा घोषित प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वियन की रूपरेखा जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के अधीनस्थ एजेंसियों की, जो कार्यक्रम से संबंधित हैं, के क्षेत्र एवं जिम्मेवारियों का स्पष्ट सीमांकण प्रस्तुत करना तथा प्रत्येक कार्य के लिये काल सारणी निरूपित करना।
(2) राज्य सरकार के अधीन होनेवाले कार्यों की उक्त निरुपित काल शारणी के अधीन प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्यान्वियन सुनिश्चित कराना।
(3) कार्यक्रम के वैसे क्षेत्र जो केन्द्र सरकार के अधीन पड़ते हैं, के संबंध में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सक्रिय संपर्क रखना।
(4) ऐसे अतः सम्बद्ध विकास कार्यक्रमों के क्रमिक विकास एवं उनके कालबद्ध कार्यान्वियन को सुनिश्चित कराना जिसमें एक में प्राप्त सफलता दूसरे के लिये परिपूरक होती हो।
(5) नीतिगत प्रश्नों पर आवश्यकतानुसार संशोधन कराना एवं जहां भी कोई परियोजना के कार्यान्वियन में विलम्ब दीख पड़े, उसपर उच्च स्तरीय बैठक एवं परामर्श का उपचार करना।

5. यह समिति बीज समूह कोर ग्रूप (Core Group) के रूप में प्रधान मंत्री सचिवालय में जो बिहार विकास प्रश्नों के लिये विशेष प्रकोष्ठ बनाया जा रहा है से सम्पर्क रखेगी।

6. समिति की बैठक महीने में कम कम एक बार होगी परन्तु जब भी आवश्यक हो, बैठक की जा सकती है।

7. इस समिति को सचिवीय सहायता 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग के प्रशाखा "प्रोजेक्ट प्लानिंग (परियोजना संगठन सहित)" द्वारा दिया जायगा, जो बैठक से संबंधित व्यय, यथा प्रोजेक्ट प्रतिवेदनों को तैयार करना आदि वहन करेगा। तकनीकी विकास निदेशालय (डायरेक्टरेट ऑफ टेकनिकल डेवलपमेंट) समिति को आवश्यक सहायता देंगे।

8. संचालन समिति को कारगर सहायता देने के लिये प्रोजेक्ट प्लानिंग (परियोजना संगठन सहित) उद्योग विभाग के सचिव के प्रभार में रहेगा। जो इस समिति की ध्येय की पूर्ति के लिये प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रशाखा के सचिव होंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में कराया जाय तथा सभी संबंधितों को इसकी प्रतियां भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या सी०एस० 1/आर० 1-105/89—1103

पटना-15, दिनांक 5 जुलाई 1989 ई०

प्रतिलिपि—स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नयी दिल्ली को सूचना एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस०1/आर01-105/89—1103

पटना-15, दिनांक 5 जुलाई 1989 ई०

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त/वित आयुक्त/उद्योग सचिव/मंत्री, भवन निर्माण विभाग एवं ऊर्जा के आप्त सचिव/मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अन्य सभी मंत्रियों के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1/आर० 1-105/89—1103

पटना-15 दिनांक 5 जुलाई 1989 ई०

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार क संयुक्त सचिव।

संकल्प संख्या-सी० एस1।आर-104।89।1675
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना-15, दिनांक 6 सितम्बर 1990 ई०

विषय:—20-सूत्री कार्यक्रम विभाग के नाम में परिवर्तन-कार्यपालिका नियमावली में संशोधन ।

वर्तमान में कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची के मद संख्या-35 के अनुसार निम्नांकित विभाग सृजित है:—

"20-सूत्री कार्यक्रम एवं प्रोग्राम कार्यान्वयन, मोनीटरिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, (परियोजना संगठन सहित) एवं सांस्थिक वित्त विभाग "

2. प्रशासन के हित में इस विभाग को और अधिक क्रियाशील बनाने के लिये विभाग के नाम के साथ-साथ कार्यक्रमों के प्रबन्धन में भी परिवर्त्तन आवश्यक दिखता है ।

3. उक्त परिपेक्ष में सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है:—

(1) विभाग का नाम अब "सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग" होगा ।

(2) चूंकि योजना सूत्रीकरण कार्यक्रमों के मोनिटरिंग एवं गैर बजट संसाधन जुटाने का कार्य योजना विभाग के अधीन है, इसलिये "सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग" अब योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त के अधीन योजना विभाग की तरह रहेगा एवं वे इसके वरीय प्रभार में रहेंगे ।

(3) साथ ही राज्य स्तर एवं जिलों तक एवं उसके नीचे संबद्ध समितियों का नाम भी "20-सूत्री कार्यान्वयन समिति के बदले कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रखा जायेगा ।

इस संबंध में सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग आवश्यक आदेश निर्गत करेगा ।

(4) विभाग के नाम परिवर्तन के फलस्वरूप वर्तमान में विभाग को आवंटित कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं इसके सचिव का पद बना रहेगा ।

4. उपर्युक्त अंश तक कार्यपालिका नियमावली के प्रथम अनुसूची के मद संख्या-35 संशोधित समझा जायेगा ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में कराया जाय और सभी संबंधितों को इसकी प्रतियां भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कमला प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सी० एस०1।आर1-104।89।1675
पटना-15, दिनांक 6 सितम्बर, 1990 ई०

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त-सह- धान सचिव। सभी मंत्री एवं राज्य मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के सयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं० सी० एस० 1।आर1-104।89।1675
पटना-15, दिनांक 6 सितम्बर, 1990 ई०

प्रतिलिपि—सरकार के सभी प्रधान सचिव।सभी सचिव।सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के संयुक्त-सचिव।

ज्ञापांक-सी० एस०-87
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में

सरकार के सभी विभागों के आयुक्त-सह-सचिव।सभी विभागाध्यक्ष ।

15 जनवरी, 1983
पटना-15, दिनांक———————
पौष, 1904 (श०)

विषय—20-सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व ।

उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्गत संकल्प सं० 45, दिनांक 4 जनवरी, 1983 का निर्देश करें । इस संकल्प में राज्य सरकार का यह निर्णय सन्निहित है जो पदाधिकारी 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च 1983 तक के लिये निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे सरकार उन्हें समुचित ढंग से पुरस्कृत करेगी और उनकी चरित्र पुस्ती में प्रशंसा भी अंकित करेगी ।

2. उल्लेखनीय है कि बिहार सेवा संहिता के नियम-86 के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जा सकती है। इसी प्रकार मानदेय भी आकस्मिक प्रकृति और विशेष योग्यता के कार्य, जिसके लिये विशेष पारितोषिक देने का औचित्य हो, बिहार सेवा संहिता के नियम 140 के अनुसार दिये जा सकते हैं । अर्थात् कार्यों के लिये सराहना भी चरित्र पुस्ति में अंकित करने के संबंध में अनुदेश कार्मिक विभाग के पत्र सं०-7444।का, दिनांक 30 अप्रील 1979 में निहित है ।

3. अनुरोध है कि जहां 20 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में निन्दन, दक्षता अवरोध पार करने पर रोक एवं वेतन वृद्धि पर रोक का दंड देने की कार्रवाई की जाय, अच्छे और समय पर पूरा किये गए सफल कार्यों की पहचान कर संबंधित पदाधिकारियों को वर्त्तमान नियमों के अन्तर्गत पुरस्कृत करने की भी कार्रवाई की जाय । प्रोत्साहन देने संबंधी प्रावधानों और अनुदेश की प्रतिलिपि भी निदेश के लिये संलग्न की जा रही है ।

4. साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि विभिन्न सेवा सम्वर्गों और राज्य सरकार के अन्य पदाधिकारियों।कर्मचारियों से संबंधित नियमों की समीक्षा कर ली जाय और इस उद्देश्य से कि त्वरित, सफल और समय पर पूरा किये गये कार्यों के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन दिये जा सकें सुसंगत नियमों में संशोधन हेतु ठोस प्रस्ताव 25 जनवरी, 1983 तक कार्मिक विभाग।वित्त विभाग।विधि विभाग और मंत्रिमंडल सचिवयल को भेजने की कृपा करें ।

एस० के० मुखर्जी,
सरकार के मुख्य सचिव ।

संख्या सी० एस० 1-ए०1-101।92—1356

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना-15, दिनांक 30 अप्रील, 1992 ई० ।

मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या-635, दिनांक 7 मार्च 1992 को आमूल में संशोधन करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम 110 के अन्तर्गत बनाई गई "सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986" के नियम 5 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से आवास आवंटन समिति निम्नांकित रूप से पुर्नगठित किया जाता है:—

1. सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग—अध्यक्ष ।

सदस्यगण

2. अभियन्ता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग ।

3. सचिव, राजस्व पर्षद ।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी ।

2. समिति का कृत

सरकारी आवास आवंटन नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत आवास आवंटन एवं नियमावली के आवंटन प्रावधानों का अनुपालन ।

3. आवास आवंटन समिति प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार और आवश्यकता पड़ने पर उसके पहले बैठक करेंगी ।

समिति का अनुसचिवीय सहायता भवन निर्माण विभाग द्वारा दी जायेगी।

4. यह समिति भवन आवंटन के संबंध में राय देगी और भवन निर्माण के प्रभारी मंत्री द्वारा अंतिम निर्णय के बाद आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सी० एस० 1-ए०1-101।92—1356

पटना-15, दिनांक 30 अप्रील, 1992 ।

प्रतिलिपि—मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-सी० एस०1-ए०1-101।92—1356

पटना-15, दिनांक 30 अप्रील, 1992 ।

प्रतिलिपि—सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।सचिव राजस्व पर्षद।अभियन्ता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुरोध है कि वे राजकीय आवास आवंटन समिति के लिये एक पदाधिकारी का चयन कर सचिव-सह-अध्यक्ष, भवन निर्माण विभाग को संसूचित करने की कृपा करें ।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-सी० एस० 1-ए०1-101/92—1356

पटना, दिनांक 30 अप्रील, 1992 ।

प्रतिलिपि—सचिव भवन निर्माण विभाग-सह-अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. पत्र के साथ भवन निर्माण विभाग की संचिका संख्या-जी/बी०डी०01-20-109/88, जिसमें समिति के गठन संबंधी मूल आदेश आदि हैं, लौटायी जाती है ।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सी० एस० 1-ए०1-101/92-1356

पटना-15, दिनांक 30 अप्रील, 1992 ।

प्रतिलिपि—सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव ।

संख्या-सी० एस० 1।ए० 1-108।92--2002
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

दिनांक 19 जून 1992

विषय--सभी विभागों के क्रय समिति एवं नियुक्ति समिति (जहां भी हो) का पुनर्गठन ।

वर्तमान में विभिन्न विभागों में सरकारी सामग्रियों के क्रय के लिये क्रय समिति गठित है । उसी प्रकार कुछ विभागों में नियुक्ति समितियां भी गठित हैं ।

2. सरकार का यह अनुभव रहा है कि ऐसी समितियों के निर्णय में बहुधा कुछ प्रक्रियात्मक अथवा अन्य प्रकार की खामियां रह जाती है । फलस्वरूप ऐसे निर्णय बाद में प्रश्न सूचक हो जाते हैं ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित नीतिगत निर्णय लिये गये :--

1. सभी क्रय समिति एवं नियुक्ति समिति में वित्त विभाग का एक एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग का एक प्रतिनिधि अवश्य रहेंगे ।

2. प्रत्येक विभाग जहां वैसी समितियां है या भविष्य में गठन किये जायें उसमें वित्त विभाग एवं निगरानी विभाग के एक-एक प्रतिनिधि मनोनीत अवश्य किया जाय ।

3. किसी भी कारण यदि वित्त अथवा निगरानी विभाग मनोनीत प्रतिनिधि का पद रिक्त हो जाय तो यह विभागीय सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि वे वित्त एवं निगरानी विभाग से समिति की बैठक के पूर्व पुनः मनोनयन प्राप्त कर लें ।

4. बैठक में वित्त अथवा निगरानी विभाग के प्रतिनिधि को यदि कोई प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं लगे, तो वे अपना नोट ऑफ डिसेन्ट रेकार्ड कर दें ।

5. मतान्तर होने पर वित्त आयुक्त एवं निगरानी आयुक्त की राय प्राप्त कर की जायेगी । यदि उस स्तर पर भी मतान्तर हो, तो उक्त अवस्था में निर्णय के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यपालिका नियमावली के अनुसार मंत्रिपरिषद् का आदेश अपेक्षित होगा ।

4. विशेष ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त समितियों में वित्त विभाग के प्रतिनिधि से कार्यपालिका नियमावली अथवा अन्य नियम जिसके अन्तर्गत वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करना अनिवार्य है, प्रभावित नहीं होगा । अर्थात् वित्त विभाग का परामर्श जहां आवश्यक है, पूर्ववत प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-सी० एस० 1।ए1-108।92--2002

पटना-15, दिनांक 19 जून 1992

प्रतिलिपि--[illegible] परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार, पटना।निगरानी आयुक्त, बिहार, पटना।आरक्षी महानिरीक्षक सह-महानिदेशक, निगरानी।मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, पटना।वित्त सचिव, बिहार, पटना।अध्यक्ष लोक उद्यम ब्यूरो आयुक्त एवं सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।अपर मुख्य सचिव।सरकार के सभी सचिव।सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या-सी॰एस॰1।ए॰-1-108।92—3385
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में

निगरानी आयुक्त, बिहार, पटना

आरक्षी महानिरीक्षक-सह-महानिदेशक

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 ई॰ ।

विषय—सभी विभागों में क्रय समिति एवं नियुक्ति समिति के पुनर्गठन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2002, दिनांक 19 जून 1992 के प्रसंग में अनेक विभागों।कार्यालयों से इस आशय की पृच्छाएं प्राप्त हो रही है कि क्षेत्रीय कार्यालयों (Field Offices) एवं जिला।अनुमंडल स्तर (District & Subdivision level) पर क्रय समिति एवं नियुक्ति समिति का पुनर्गठन उपर्युक्त संकल्प के आलोक में किस प्रकार का होगा, पर भलीभांति विचार करने के पश्चात सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :—

1. मंत्रिमंडल सचिवालय का उपर्युक्त संकल्प संख्या-2002, दिनांक 19 जून 1992 सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में समान रूप से प्रभावी होगा ।

2. प्रमंडल एवं जिला स्तर के क्रय समिति।नियुक्ति समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रमंडल एवं जिले में पदस्थापित वित्त विभाग।निगरानी विभाग के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को को-ऑप्ट (Co opt) कर सकते हैं ।

3. यह व्यवस्था अनुमंडल स्तर तक लागू रहेगी। परन्तु वैसे छोटे छोटे अनुमंडलों में जहां समिति गठन में कठिनाई हो वहां जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उपर्युक्त समितियां अनुमंडल स्तर की अनुशंसा पर विचार कर निर्णय लेंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को जिला।अनुमंडल में को-ऑप्ट (Co opt) स्वयं कर दें अथवा प्रमंडल।जिला प्रशासन द्वारा को-ऑप्ट किये जाने पर भाग लेने के लिये स्पष्ट आदेश अविलम्ब निर्गत करने की कृपा करें ।उनके मार्गदर्शनार्थ मंत्रिमंडल सचिवालय का संकल्प संख्या-2002, दिनांक 19 जून 1992 की प्रतिलिपि भेज दी जाय ।

विश्वासभाजन,

निर्मलेन्दु चटर्जी,

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सी० एस० 1।ए1-108।92—3385

पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 ई० ।

प्रतिलिपि—योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त।आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, पटना।अपर मुख्य सचिव।क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची।सरकार के सभी सचिव।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।सभी विभागाध्यक्ष।निदेशक, स्टेट आरकाइव्स (State Archieves) मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 2002, दिनांक 19 जून 1992 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ पदाधिकारी।कार्यालय।संस्थानों को राज्यादेश से संसूचित कर दें ।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सी० एस० 1।ए1-108।92—3385

पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर 1992 ई० ।

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी क्षेत्रीय उप आरक्षी महानिरीक्षक।सभी जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता।सभी आरक्षी अधीक्षक।सभी उप-विकास आयुक्त को मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प ज्ञापांक-2002, दिनांक 19 जून 1992 की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव ।

संकल्प संख्या-सी एस० 1।ए 1-108।92—1398

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना-15, दिनांक 26 अप्रील, 1994 ई०।

विषय—सभी विभागों की क्रय समिति एवं नियुक्ति समिति (जहां भी हो) में वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के प्रतिनिधित्व के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या सी० एस० 1।ए 1-108।92-2002, दिनांक 19 जून, 1992 एवं परिपत्र संख्या सी०एस० 1।ए 1-108।92-3385, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी विभागों की क्रय समितिया एवं नियुक्ति समितियों में वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के एक-एक प्रतिनिधि अवश्य रहेंगे।

2. इस विषय की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी है तथा समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि केवल सभी स्तर की क्रय समितियों में ही वित्त एवं मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) विभाग के प्रतिनिधि रहेंगे। विभागों की नियुक्ति समितियों में वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।

3. कृपया तदनुसार कारंवाई सुनिश्चित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

एस० एस० वर्मा,

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं० सी०एस० 1।ए 1-108।92-1398

पटना-15, दिनांक 26 अप्रील 1994 ई०।

प्रतिलिपि—योजना परामर्शी-सह विकास आयुक्त, बिहार पटना निगरानी आयुक्त, बिहार, पटना। आरक्षी महा-निरीक्षक-सह महानिदेशक, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग। वित्त सचिव, बिहार, पटना। सरकार के संयुक्त सचिव एवं सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग। सरकार के सभी सचिव। सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

एस० एस० वर्मा,

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-सी०एस० 1।आर० 1-104।91-2870
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना-15, दिनांक 4 दिसम्बर, 1991 ई०।

विषय—मानव संसाधन विकास विभाग का पुनर्गठन एवं कार्यपालिका नियमावली में आनुसंगिक संशोधन।

1. प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक स्ट्रिम-लाईन तथा शिक्षा से संबंधित प्रशासनिक कार्य क्षेत्रों को अधिक स्पष्ट एवं प्रभावकारी बनाने के लिये मानव संसाधन विकास विभाग को तीन स्वतन्त्र विभागों में पुनर्गठित कर निम्नांकित विषयों का प्रभार दिया जाता है—

1. उच्च शिक्षा विभाग

कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची में इस विभाग की कंडिका संख्या-12 होगा।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार में निम्नांकित विषय रहेंगे—

(1) विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा
(2) विश्वविद्यालय तथा इससे संबंधित पुस्तकालय तथा विज्ञान संस्थायें।
(3) विश्वविद्यालय से संबंधित शैक्षणिक परियोजनाओं के लिये न्यास एवं पूर्ति अग्रसव;
(4) विश्वविद्यालय वाणिज्य पोत के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण का उपबंध तथा राज्य एवं अन्य एजेंसियों द्वारा उपबंधित ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विनियमन ;
(5) विश्वविद्यालय से संबंधित विशेष अध्ययन एवं शोध की अभिवृद्धि;
(6) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, शोध संस्थाओं तथा विज्ञान संस्थाओं में स्तरों का समन्वय और अवधारण ;
(7) अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड (इंटरयूनिवर्सिटी बोर्ड);
(8) विश्वविद्यालय सेवा आयोग (यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन);
(9) महाविद्यालय सेवा आयोग (कालेज सर्विस कमीशन);
(10) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदाधिकारी।कर्मचारी के संबंध में नीति निर्धारण एवं अन्य सभी प्रशासनिक मामले आदि;
(11) बजट एवं योजना;
(12) उच्च शिक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ अन्य संस्थाओं में सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण;
(13) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग के दखल एवं अधिकार में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार;
(14) विभाग से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार;
(15) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित और संसद द्वारा विधितः राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित शैक्षिक या वैज्ञानिक संस्था।

2. सेकेण्डरी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग

कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची में इस विभाग की कंडिका संख्या 37 होगा।

सेकेण्डरी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग के प्रभार में निम्नांकित विषय रहेंगे—

(1) विद्यालय स्तर की शिक्षा (इंटरमीडियट काउन्सिल द्वारा संचालित कक्षा-11 एवं 12 तथा सी०बी० एस०ई० एवं आई०सी०एस०ई० Central Board of Secondary Education and Indian Council of Secondary Education सहित;
(2) इंटरमिडियट काउन्सिल;
(3) प्रशिक्षण महाविद्यालय (ट्रेनिंग कालेज);
(4) वयस्क एवं अनौपचारिक (ननफरलम) शिक्षा;
(5) विभागीय बजट एवं योजना;
(6) पुस्तकालय विज्ञान एवं संस्थाएं (सरकारी।कार्यालय-पुस्तकालयरहित);

(7) विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदाधिकारियों।कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें इत्यादि का निर्धारण;

(8) राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम का नियंत्रण;

(9) विद्यालय में मध्याह्न भोजन;

(10) सेकेण्डरी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा और उसके अधीनस्थ अन्य संस्थाओं में सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण;

(11) आदिवासी जातियों, पिछड़े मुसलमानों एवं अनुसूचित जातियों के छात्रावास भवनों को छोड़कर सेकेण्डरी प्राथमिक वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार;

(12) विभाग से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार।

3. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची में इस विभाग की कंडिका संख्या 40 होगा।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रभार में निम्नांकित विषय रहेंगे--

(1) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित एवं संसद द्वारा विधितः राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित शैक्षिक वैज्ञानिक संस्था जो उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार में न हो;

(2) खेलकूद (कालेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन);

(3) युवा कल्याण;

(4) कला एवं संस्कृति;

(5) प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष जिन्हें संसद में विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो तथा अन्य पुरातात्विक स्थल और अवशेष;

(6) संग्रहालय एवं ऐसी अन्य संस्थाएं;

(7) सभी एकादमी एवं ऐसी अन्य संस्थाएं;

(8) राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर;

(9) विभागीय बजट एवं योजना;

(10) कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत पदाधिकारियों।कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त आदि का निर्धारण एवं प्रशासनिक नियंत्रण;

(11) विभाग से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार;

(12) विभाग से संबंधित अधिनियमों का प्रशासनिक प्रभार।

2. मानव संसाधन विकास विभाग को आवंटित वैसे सभी विषय जो कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची की कंडिका 12 में अंकित है को इस संकल्प की कंडिका 1 में उल्लिखित नवगठित तीन विभागों में आवंटित कर देने के पश्चात दो विषय अवशेष बच जाते हैं यथा—

"क" सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएं और इसी तरह की अन्य संस्थाएं तथा उनमें रखे गये व्यक्ति, इन संस्थाओं के उपयोग के लिये अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था;

"ख" वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध सभी राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा बंधित ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमण

2.1. चूंकि समाज, कल्याण कार्य के अन्तर्गत "समाज कल्याण बोर्ड" "बालक अधिनियम" एवं "बालक परामर्श बोर्ड" (यूथ एंड वेलफेयर बोर्ड) का नियंत्रण कल्याण विभाग का है, इसलिये, निम्नांकित विषय को कल्याण विभाग के प्रभार में दिया गया—

"सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएं और इसी तरह की अन्य संस्थाएं तथा उनमें रखे गये व्यक्ति, इन संस्थाओं के उपयोग के लिये अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था।"

नये विषय को कल्याण विभाग में स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची कंडिका 10 में कल्याण विभाग को आवंटित विषयों की संख्या 14 होगा। उपर्युक्त अंश तक कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची कंडिका 10 संशोधित मानी जायेगी।

3. चूंकि राज्य के सभी शिल्प विज्ञान एवं अभियंत्रण संस्थान विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नियंत्रणाधीन हैं अतएव कार्यपालिका प्रथम अनुसूची की कंडिका 13 को संशोधित करते हुए निम्नांकित विषय विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को हस्तांतरित किया गया—

"वैमानिक शिक्षा का उपबंध सभी राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा बंधित ऐसी शिक्षा का विनियमन।"

3.1. बिहार फ्लाईंग इन्स्टिट्यूट का नियंत्रण एवं वैमानिक प्रशिक्षण सिविल एभियेशन विभाग द्वारा दिया जाता है, अतएवं निम्नांकित विषय को उक्त विभाग को स्थानान्तरित किया गया—

"वैमानिक प्रशिक्षण का उपबंध सभी राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा बंधित ऐसी प्रशिक्षण का विनियमन"

फलस्वरूप कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची की कंडिका 36 उपर्युक्त अंश तक संशोधित समझा जायेगा।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

5. भूतपूर्व मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा इस संकल्प की पूर्वगामी कंडिका संख्या 2.1 में उल्लिखित विषय एवं उससे संबंधित सभी कागजातों को कल्याण विभाग को, 3 में उल्लिखित को विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को एवं 3.1 में उल्लिखित को सिविल एभिएशन विभाग को अविलम्ब हस्तान्तरित कर देंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों। सभी विभागाध्यक्षों। सभी प्रमंडलीय आयुक्त। सभी जिलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
निर्मलेन्दु चूटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप सं०-सी०एस० 1।आर० 1-104।91-2870

पटना, 15, दिनांक 4 दिसम्बर, 1991

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं सचिव, अस्टं ह्वाईल मानव संसाधन विकास विभाग। सचिव, कल्याण विभाग। सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग विशेष सचिव-सह-निदेशक, सिविल एभियेशन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, कल्याण। विज्ञान एवं प्रावैधिकी। विशेष सचिव, सिविल एभियेशन विभाग से अनुरोध है कि वे इस संकल्प के आलोक में नये विषयों का प्रभार अपने विभाग में तुरत ले लेने की कृपा करें।

निर्मलेन्दु चूटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी०एस० 1।आर० 1-104।91-2870

पटना-15, दिनांक 4 दिसम्बर, 1991।

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव। राज्यपाल के सचिव। सरकार के सभी सचिव। सभी विभागाध्यक्ष। निदेशक बिहार राज्य अभिलेखागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चूटर्जी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सं० सी०एस० 1।ए० 1-201।86 (खंड)——302

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना, 15, 4 फरवरी 1993

विषय—योजना और परराष्ट्रीय सहायता (विश्व बैंक सहित सम्पोषित) परियोजना की समीक्षा और स्वीकृति के लिये समितियों का पुनर्गठन।

योजना एवं परराष्ट्रीय सहायता (विश्व बैंक सम्पोषित) परियोजनाओं की समीक्षा और स्वीकृति की ओर गतिशील बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित समितियां गठित हैं :—

(क) योजना प्राधिकृत समिति,
(ख) उप-योजना स्वीकृति समिति, और
(ग) विदेशी, विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना अधिकृत समिति।

2.1 योजना प्राधिकृत समिति निम्नांकित रूप से गठित है:—

(1) योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त—अध्यक्ष
(2) वित्त आयुक्त (उनकी अनुपस्थिति में अपर वित्त आयुक्त)—सदस्य
(3) आयुक्त-सह-सचिव।सचिव, योजना विभाग—संयोजक सदस्य
(4) परियोजना से संबंधित प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव—सदस्य
(5) परियोजना से संबंधित प्रशासी विभाग के आयुक्त-सह-सचिव।सचिव—सदस्य
(6) परियोजना से संबंधित विभागाध्यक्ष—सदस्य

2.2 उप-योजना क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिये आयुक्त-सह-सचिव।सचिव, योजना विभाग के बदले क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची, योजना प्राधिकृत समिति के संयोजक सदस्य हैं।

3. उप-योजना स्वीकृति समिति निम्नांकित रूप से गठित है :—

(1) क्षेत्रीय, विकास आयुक्त, रांची—अध्यक्ष एवं संयोजक
(2) वित्त सचिव द्वारा विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी—सदस्य
(3) परियोजना से संबंधित प्रशासी विभाग के आयुक्त-सह-सचिव।सचिव अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से कम के न हों—सदस्य।

4. विदेशी, विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना प्राधिकृत समिति निम्न रूप से गठित है :—

(1) मुख्य सचिव—अध्यक्ष
(2) योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त—सदस्य
(3) आयुक्त, वित्त विभाग—सदस्य
(4) परियोजना से संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव—सदस्य
(5) विशेष कार्य पदाधिकारी, विश्व बैंक परियोजना-सह-विशेष सचिव, मंत्रिमंडलसचिवालय—सदस्य-सचिव
(6) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची (उप-योजना क्षेत्रीय परियोजना के लिये)—सदस्य।

5. योजना प्राधिकृत समिति की समीक्षा एवं स्वीकृति के लिये निम्न प्रकार की परियोजनायें प्रस्तुत की जाती है :—

(1) गैर-उप-योजना क्षेत्र से संबंधित सभी नई परियोजनायें।
(2) गैर-उप-योजना क्षेत्र से संबंधित ऐसी सभी चालू (सभी कन्टीन्यूईंग) परियोजनायें जिसमें
  (*i*) कार्यपालिका नियमावली के अनुसार योजना एवं वित्त विभागों की सहमति आवश्यक हो, अथवा
  (*ii*) किसी नये पद के सृजन या किसी पद के उत्क्रमण का भी प्रस्ताव हो, अथवा
  (*iii*) वाहन, उपकरण अथवा उपस्कर क्रय का भी प्रस्ताव हो, अथवा
  (*iv*) जिसके लिये राज्य योजना अथवा बजट में अपेक्षित राशि का उपबंध न हो।

1 मंत्रिमंडल—

(3) उप-योजना क्षेत्र से संबंधित ऐसी सभी नई परियोजना जिसमें कार्यपालिका नियमावली के अनुसार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन आवश्यक हो।
(4) उप-योजना क्षेत्र से संबंधित ऐसी सभी नयी और चालू (कन्टिन्यूईंग) परियोजनायें जिसके लिये राज्य उप-योजना और राज्य बजट में अपेक्षित राशि का उपबंध न हो।
(5) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम अथवा प्रत्यार्पण एवं पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

6. उप-योजना स्वीकृति समिति की समीक्षा और स्वीकृति के लिये निम्न प्रकार की परियोजनायें प्रस्तुत की जाती हैं :—

(i) उप-योजना क्षेत्र से संबंधित ऐसी सभी नयी परियोजनायें जिनके लिये उप-योजना और राज्य बजट में अपेक्षित राशि का उपबंध हो और जिसमें कार्यपालिका नियमावली के अनुसार मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति आवश्यक न हो।
(ii) उप-योजना क्षेत्र से संबंधित ऐसी सभी चालू (कन्टीन्यूईंग) परियोजनायें जिसमें कार्यपालिका नियमावली के अनुसार योजना-वित्त विभाग की सहमति आवश्यक हो और जिसके लिये उप-योजना एवं राज्य बजट में अपेक्षित उपबंध हो।
(iii) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम अथवा प्रत्यार्पण एवं पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

7. विदेशी, विश्व बैंक परियोजना की स्वीकृति एवं समीक्षा के लिये निम्न प्रकार की परियोजनाएं प्रस्तुत की जाती है —

(क) यदि कार्यपालिका नियमावली के अनुसार योजना एवं वित्त विभाग की सहमति आवश्यक हो, अथवा
(ख) यदि किसी नए पद का सृजन या किसी पद के उत्क्रमण का प्रस्ताव हो, अथवा
(ग) यदि वाहन, उपकरण अथवा उपस्कर क्रय का प्रस्ताव हो, अथवा
(घ) यदि जिसके लिये राज्य योजना अथवा बजट में अपेक्षित राशि का उपबंध नहीं हो।

8. लोकहित में वर्त्तमान योजना, प्राधिकृत समिति, उप-योजना स्वीकृति समिति, विदेशी, विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना प्राधिकृत समिति के स्थान पर एक समेकित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति गठित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

9. अतएव एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का निम्न रूप से गठन किया जाता है :—

(क) मंत्री, योजना—संयोजक सदस्य
(ख) मंत्री, वित्त या उनके द्वारा नामांकित मंत्री—सदस्य
(ग) मुख्य मंत्री द्वारा नामांकित मंत्री—सदस्य
(घ) परियोजना से संबंधित प्रशासी विभाग के प्रभारी मंत्री (मात्र अपनी विभागीय परियोजना संबंधी बैठक के लिये)—सदस्य

9.2 योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उप-योजना क्षेत्र परियोजना के प्रसंग में क्षेत्रीय विकास आयुक्त, अन्य क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के लिये योजना सचिव और पर-राष्ट्रीय सहायता (विश्व बैंक सम्पोषित सहित) विशेष कार्य पदाधिकारी, विश्व बैंक परियोजना-सह-विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त को सहायता करेंगे और अपने-अपने परियोजना से संबंधित बैठकों में उपस्थित रहेंगे।

9.3 वित्तीय आयुक्त और उनकी अनुपस्थिति में अपर वित्त आयुक्त समिति के स्थायी आमंत्रित (परमानेन्ट इनवायटी) होंगे।

9.4 परियोजना से संबंधित प्रशासी विभाग के आयुक्त-सह-सचिव/सचिव अपने विभाग से संबंधित परियोजना की बैठक के लिये आमंत्रित किये जायेंगे।

10. कंडिका 5, 6 और 7 में उल्लिखित योजना प्राधिकृत समिति, उप-योजना स्वीकृति समिति और विदेशी, विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना प्राधिकृत समिति के समीक्षा और स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की जानेवाली सभी प्रस्तावों एवं परियोजनाऐं अब उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायगी।

10.2 मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर ही समिति की कार्यवाही निर्गत की जायेगी।

11. यदि किसी प्रस्ताव में समिति के सदस्यों में मत भिन्नता हो तो उसे योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त समिति के संयोजक सदस्य के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष आदेश के लिये अलग से प्रस्तुत करेंगे और मुख्य मंत्री का आदेश अन्तिम माना जायेगा।

12. उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के क्षेत्राधिकार के अधीन परियोजनाओं में उनकी स्वीकृति योजना एवं वित्त विभाग की ओर से परियोजना में सहमति मानी जायेगी।

13. उपरोक्त समिति को प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजित होते हुए भी जहां भी प्रस्ताव और परियोजना में कार्यपालिका नियमावली के तहत मंत्रिपरिषद् की सहमति अपेक्षित है वह सहमति लिया जाना अनिवार्य माना जायेगा।

14. उपर्युक्त प्रस्तावित पुनर्गठन के फलस्वरूप पूर्व में गठित योजना प्राधिकृत समिति, उप-योजना प्राधिकृत समिति, विदेशी, विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना प्राधिकृत समिति विघटित की जाती है।

15. परन्तु मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 1560, दिनांक 7 मई 1987 में योजना प्राधिकृत समिति, उप-योजना प्राधिकृत समिति और मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 1422, दिनांक 5 मई 1992 में विदेशी, विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना प्राधिकृत समिति के संबंध में प्रक्रियाओं आदि का उल्लेख है वे पूर्वोक्त कंडिकाओं में निरूपित व्यवस्था को छोड़कर यथावत प्रभावी रहेंगी।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में कराया जाय और सभी संबंधितों को इसकी प्रतियां भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण पाठक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सं० सी०एस० 1/ए०1-201/86(खंड)—302

पटना-15, दिनांक 4 फरवरी 1993

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/योजना मंत्री के आप्त सचिव/सभी मंत्री के आप्त सचिव/योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची/अपर मुख्य सचिव बिहार, पटना/अध्यक्ष, स.न कमान्ड एवं विशेष सचिव, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, सोन भवन, पटना/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक स्टेट आरकाइव्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

सं-ओ०एम।आर 2-04178-260

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक 9 अगस्त 1979

विषय—सचिवालय विभागों के साथ एकीकृत विभागाध्यक्षों के कार्यालय का पृथकीकरण।

सचिवालय में सचिवालय विभागों के साथ विभागाध्यक्षों को एकीकृत कार्यालयों का व्यवस्था, स्थायीकरण से 1958 से लागू थी। इस व्यवस्था को कतिपय त्रुटियां राज्य सरकार के समक्ष आयी और कुछ अरसे से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था कि सचिवालय विभागों के साथ विभागाध्यक्षों के एकीकृत कार्यालयों की व्यवस्था को रहने दिया जाय या समाप्त कर दिया जाय।

2. इस संबंध में भली-भांति विचारोपरान्त यह पाया गया कि—

(क) विभागाध्यक्ष प्रधानतः क्षेत्रीय पदाधिकारी है। उनका प्रमुख कार्य यह है कि ये क्षेत्र में अपने विभाग से संबंधित सरकारी नीति का कार्यान्वयन करावें। एकीकृत व्यवस्था में विभागाध्यक्षों को भी सचिवालय स्तर प्राप्त है। फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्यों में उनका प्रवेक्षण ढीला पड़ जाता है और उनका अधिकांश समय सचिवालय की संचिकाओं के निष्पादन में ही व्यतीत होने लगता है तथा प्रभाव रूप में अपना पृथक अस्तित्व खो देते हैं। मुख्यालय की जिम्मेदारियां इतना अधिक हो जाती है कि उनका मुख्य कर्त्तव्य जो अपने क्षेत्र में निरीक्षण एवं नियंत्रण का होना चाहिए वह गौण हो जाता है, फलस्वरूप सरकारी नीतियों का समुचित कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। पर्याप्त प्रवेक्षण एवं नियंत्रण के अभाव में क्षेत्र में उनके अधीन पदस्थापित पदाधिकारियों के कार्यों पर तथा उनकी क्षमता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) विभागाध्यक्षों के सचिवालय कार्य में व्यस्त रहने के कारण उनके अधीन क्षेत्रमें विभाग द्वारा सम्पादित हो रहे कार्य से उनका सम्पर्क कम हो जाता है। जिसके चलते कार्य सम्पादन में उत्पन्न कठिनाईयों का वे सही निरुपता से वंचित रह जाते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव सरकारी नीति निर्धारण पर पड़ता है। अनुभव की कमी के कारण नीति निर्धारण के समय विभागाध्यक्ष क्षेत्र में कार्य सम्पादन के समय महसूस किये गये प्रशासनिक कठिनाईयों का उल्लेख नहीं कर पाते हैं, किन्तु पीछे चलकर उनके उन कठिनाईयों का सामना उन्हें क्षेत्र में करना पड़ता है तो वे उसका उल्लेख करने में हिचकिचाते हैं, फलस्वरूप नीति निर्धारण में पूर्व में त्रुटियां रह जाती है, वे बनी रहती है।

(ग) विभागाध्यक्षों के प्रधानतः सचिवालय पदाधिकारी नहीं रहने के कारण किसी नीति के निर्धारण में सचिवालय के अन्य विभागों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर वे समुचित ध्यान नहीं देते हैं। सचिवालय स्तर प्राप्त विभागाध्यक्ष जब एक वरीय सचिवालय स्तर के पदाधिकारी का कार्य करने लगते हैं ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग के सचिव द्वारा भी अपना पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं निभाया जाता है। यही कारण है कि कई विभागों में कितने ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिनके कारण सरकार को सचिवालय के अन्य विभागों में उलझण का मुकाबला करना पड़ता है। विभाग के सचिव का प्रधान कर्त्तव्य है कि निर्णय लेते समय वे देखें कि सचिवालय स्तर पर एक समरूप नीति का पालन हो रहा है या नहीं। सचिवालय अनुदेश एवं कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन काउत्तरदायित्व भी सचिव पर ही है। सचिव द्वारा उनके कर्त्तव्यों का निर्वाहन ठीक से नहीं हो पाता है।

(ख) विधान-सभा या अन्य स्थानों (Form) में जहां कितने नीति की व्याख्या करने का क्या औचित्य बताने का कर्त्तव्य सचिवालय स्तर के पदाधिकारी को होना चाहिए वह नहीं हो पाता है बल्कि उसमें अधिकांश समय विभागाध्यक्ष का ही व्यतीत होता है। विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर देने में या विधान-सभा की अन्य समितियों में विभाग का प्रतिनिधित्व सचिवालय पदाधिकारियों द्वारा होना चाहिए और विभागाध्यक्षों का उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों का कर्त्तव्य करने में विभागीय कार्यों के निष्पादन में बिताना चाहिए। वह नहीं हो पाता है। परिणाम होता है कि क्षेत्रीय कार्य पर नियंत्रण की कमी हो जाती है और क्षेत्रीय कार्य की उपेक्षा हो जाती है।

2. उपर्युक्त कठिनाईयों को दूर करने एवं विभागाध्यक्षों द्वारा क्षेत्रीय कार्यों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विभागाध्यक्षों के कार्यालयों को सचिवालय से अलग कर दिया जाय। इस योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित दो चरणों में किया जाय:—

(क) प्रथम चरण में सभी विभागाध्यक्षों तथा उनके नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों को जो सचिवालय स्तर पर दिया गया है वापस लिया जाय तथा उन्हें केवल क्षेत्र में ही कार्य करने के लिये कहा जाय। विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ही कुछ पदाधिकारियों को सचिवालय का कार्य करने के लिए अंकित (इयर मार्क) कर दिया जाय।

(ख) दूसरे चरण में जो संयुक्त संवर्ग है उनके अनुसचिवीय कर्मचारियों से विकल्प (ऑप्सन) मांगा जाय। जो विभागाध्यक्ष के कार्यालय में रहना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ दिया जाय और जो सचिवालय संवर्ग में रहना चाहते हैं उन्हें सचिवालय संवर्ग में रहने दिया जाय। यदि विभागाध्यक्ष एवं सचिवालय के कार्यालयों को पृथक करने पर कुछ अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता महसूस हो तो प्रत्येक विभाग में योजना तैयार कर वित्त विभाग की सहमति से पद सृजन कर सकते हैं।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बिहार राजपत्र में जन-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।महालेखाकार, पटना, रांची।निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना।विधान-सभा।परिषद् सचिवालय।बिहार लोक सेवा आयोग।सचिव, चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति।सभी जिला पदाधिकारी।सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
इश्वरी प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्र संख्या मं०स० 2।विविध-2-801।96-1899
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक
श्री ए०के० बसाक,
मुख्य सचिव, बिहार सरकार।
सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।
सचिव।सचिवालय के सभी संलग्न विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 21 जून, 1996 ई०।

विषय—सचिवालय विभागों के साथ एकीकृत विभागाध्यक्षों के कार्यालय का पृथक्कीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) के संकल्प संख्या 260, दिनांक 9 अगस्त 1979 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा राज्य सरकार के सचिवालय स्थित विभागों के साथ संलग्न विभागाध्यक्ष के कार्यालय का पृथक्कीकरण का आदेश दिया गया था।

2. इस उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धित शाखा) द्वारा क्रमशः (1) पत्रांक 186, दिनांक 23 जून 1984 (2) पत्रांक 302, दिनांक 17 अक्तूबर 1984 (3) पत्रांक 100, दिनांक 25 फरवरी 1985 (4) पत्रांक 232, दिनांक 12 जुलाई 1985 तथा (5) पत्रांक 59, दिनांक 27 जुलाई 1992 द्वारा आपको स्मारित भी किया गया था, परन्तु किसी विभाग द्वारा राज्य सरकार के उपर्युक्त संकल्प या अनुवर्त्ती आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

3. सचिवालय के विभाग के साथ अधीनस्थ विभागाध्यक्ष का कार्यालय संलग्न एवं एकीकृत रूप से रहने से सम्बन्धित विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विभागाध्यक्ष द्वारा सचिवालय स्तर के विभिन्न कार्यों में संलग्न रहने से उनके द्वारा सम्यक रूप में एवं समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण नहीं हो रहा है।

4. इस पृष्ठभूमि में आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय से निर्गत उपर्युक्त संकल्प दिनांक 9 अगस्त 1979 का अनुपालन अविलम्ब किया जाय एवं एकीकृत विभागाध्यक्ष के कार्यालय का पृथक्कीकरण के बारे में सरकार का आदेश पूर्णतः लागू किया जाय।

5. इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा की गयी कार्रवाई के सम्बध में एक प्रतिवेदन दिनांक 27 जून 1996 तक अवश्य भेजें।

विश्वासभाजन,
ए०के० बसाक,
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार।

ज्ञाप संख्या-1899

पटना-15, दिनांक 21 जून, 1996 ई०

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,
ए० के० बसाक,
मुख्य सचिव।

पत्र सं० मं०मं० 2/स्था०-409/96—2195
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक
श्री अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में
महालेखाकार, बिहार,
पटना/रांची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा—वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय—अप्रवासी भारतीय कोषांग के लिये नये पदों का सृजन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 2466, दिनांक 29 दिसम्बर 1995 द्वारा अप्रवासी भारतीय कोषांग का गठन किया गया है। अप्रवासी भारतीय कोषांग के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु दिनांक 1 अप्रील 1996 से अगले आदेश तक निम्नलिखित पदों के सृजन में राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है।

पद का पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1. आयुक्त, अप्रवासी भारतीय कोषांग ..	1 (एक)	5900—6700
2. प्रशाखा पदाधिकारी ..	1 (एक)	2000—3500
3. सहायक	3 (तीन)	1500—2750
4. निजी सहायक	2 (दो)	1500—2750
5. टंकक	1 (एक)	1320—2040
6. चालक	1 (एक)	950—1500
7. आदेशपाल	3 (तीन)	775—1025

2. उक्त पदों पर होनेवाले व्यय बजट शीर्ष "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें—092—अन्य कार्यालय—अप्रवासी भारतीय कोषांग" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

निधि का उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्त्ति अनुसूची के द्वारा प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी से वित्तीय वर्ष, 1996-97 के बजट में किया जायेगा।

3. इन पदों पर होने वाले व्यय की विवरणी संलग्न है।

विश्वासभाजन,
अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० मं०मं० 2/स्था०—409/96—2195
पटना-15, दिनांक 19 जुलाई 1996

प्रतिलिपि—वित्त विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/आयुक्त, अप्रवासी भारतीय कोषांग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (बजट शाखा) रक्षित संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

Estimated cost of expenditure on the Establishment of N.R.I.

Sl. No.	Name of the post	No. of post	pay Scale	Basic Pay	D.A.	H.R.	M.A.	C.C.A.	Sect. Allwn	Spl. pay	I.R.	Total	Monthly ExP.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Commissioner N.R.I	1	5900-6700	6500	6630	...	200	..	..	..	750	14080	14080
2.	Section Officer ..	1	2000-3500	3125	4250	600	50	75	75	...	100	8275	8275
3.	Assistant.	3	1500-2750	2000	2720	450	50	50	50	..	100	5420×3 =16260	16260
4.	Personal Asstt. ..	2	1500-2750	2000	2720	450	50	50	50	..	100	5420×2 =10840	10840
5.	Typist ..	1	1320-2040	1500	2040	450	50	50	50	..	100	4240	4240
6.	Driver ...	1	950-1500	1200	1632	250	50	50	50	..	100	3232	3332
7.	Peons ..	3	775-1025	800	1080	150	50	25	25	.	100	2230×3 =6690	6690
													63717
									Bonus and liveries				33,396

Grand total 63717×12 =7,64,604+33396 =7,98,000 Yearly

पत्र संख्या-सी०एस० 1।ए2-202।82—3829
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री एस०के० मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।विशेष सचिव।विभागाध्यक्ष।

22 कार्तिक, 1904 (श०)
पटना-15, दिनांक————————
13 नवम्बर, 1982 ई०।

विषय—पीतपत्र पर आदेश।

महाशय,

सचिवालय अनुदेश के नियम 6.13 में दिनचर्या टिप्पणी के सम्बन्ध में उल्लेख है। चूंकि यह दिनचर्या टिप्पणी पीले पत्र पर लिखी जाती है इसको पीतपत्र या, बफ शीट (Buff sheet) भी कहा जाता है।

2. पीतपत्र के उपयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं:—

(i) पीतपत्र का दिनचर्या टिप्पणी को छोड़ कर किसी दूसरे मसरफ में इस्तेमाल नहीं किया जायगा। दिनचर्या टिप्पणी किसी संचिका के सम्बन्ध में अन्तर विभागीय स्मार के लिये अथवा किसी विभाग में किसी लम्बित विषय को शीघ्र निष्पादन के सम्बध में स्मार के रूप में लिखा जायगा।

(ii) दिनचर्या टिप्पणी के आधार पर किसी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा। यदि किसी स्तर से कोई आदेश निर्गत भी किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। दिनचर्या टिप्पणी पर यदि कोई आदेश निर्गत किया जाता है तो उसको संचिका में प्रोसेस कर उच्च स्तर से आदेश प्राप्त कर स्पष्ट करा लेना होगा।

(iii) कर्मचारियों या पदाधिकारियों के स्थानान्तरण की सिफारिश या स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में दिनचर्या टिप्पणी का उपयोग कदापि नहीं किया जायगा।

3. दिनचर्या टिप्पणी संचिका में नोट शीट का भाग नहीं बनाया जायगा। अधिक से अधिक पत्राचार पक्ष में इसको रखा जा सकेगा।

विश्वासभाजन,
एस के० मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी०एस० 1।ए2-202।82—3829

22 कार्तिक, 1904(श०),
पटना-15, दिनांक————————
13 नवम्बर, 1982 ई०।

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के सचिव।सभी मंत्रिगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

एस०के० मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी०एस० 1।ए2-202।82—3829

22 कार्तिक, 1904(श०),
पटना-15, दिनांक————————
13 नवम्बर, 1982 ई०।

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी।आरक्षी महानिरीक्षक।आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

एस०के० मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

1 मंत्रिमंडल—

पत्रांक सी०एस०1।ए2207।90-370
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए०यू० शर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी प्रधान सचिव

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव।

पटना-15, दिनांक 19 मार्च, 1990 ई०

विषय--पूर्वगामी सरकार द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन की पद्धति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र सं० 313, दिनांक 8 मार्च 1990 में दिए गए अनुदेशों के क्रम में सूचित करना है कि पूर्वगामी सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन में निम्नांकित अतिरिक्त पद्धति भी अपनाई जाए:—

(1) वैसे सभी नीतिगत निर्णयों जिनका कार्यान्वयन भी हो गया हो।

(2) वैसे सभी निर्णय अथवा आदेश यथा स्थानान्तरण, प्रोन्नति,, पदस्थापन वित्तीय कमिटमेंटस का यदि अनुपालन हो भी गया हो, तो उन्हें भी विभागीय मंत्री को तुरत अवगत करा दिया जाए और उनके आदेशानुसार आगे की यथोचित कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,
ए० यू० शर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक सी०एस०1।ए2207।90—370

पटना-15, दिनांक 19 मार्च, 1990 ई०

प्रतिलिपि—विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ए०यू० शर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक सी०एस०1।ए2207।90—370

पटना-15, दिनांक 19 मार्च, 1990 ई०

प्रतिलिपि—सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ए० यू० शर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्रांक 1664
बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री कमला प्रसाद,
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में

सभी प्रधान सचिव

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी सचिव। सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 4 सितम्बर, 1990

महाशय,

मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सोमवार को सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जायगा। उस दिन सरकारी कार्य का निष्पादन भी साधारण परिवहन सेवा के विभिन्न माध्यमों के द्वारा सम्पन्न होगा। इस आलोक में कृपया सुनिश्चित करें कि सोमवार को सरकारी वाहनों का उपयोग आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अन्यथा नहीं किया जाय। विधि-व्यवस्था एवं एतद्-संबंधी अन्य अवसरों को छोड़कर सरकारी वाहनों का उपयोग पूर्णरूप से निषिद्ध रहेगा।

2. कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिये इस आदेश के आलोक में सम्यक् आदेश निर्गत करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाय।

विश्वासभाजन
कमला प्रसाद,
मुख्य सचिव।

पत्रांक 1665
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री कमला प्रसाद,
मुख्य सचिव,
बिहार, सरकार, पटना ।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 4 सितम्बर, 1990

महाशय,

मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सोमवार के सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जायगा। उस दिन सरकारी कार्य का निष्पादन भी साधारण परिवहन सेवा के विभिन्न माध्ययों के द्वारा सम्पन्न होगा । इस आलोक में कृपया सुनिश्चित करें कि सोमवार को सरकारी वाहनों का उपयोग आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अन्यथा नहीं किया जाय । विधि-व्यवस्था एवं एतद्-संबंधी अन्य अवसरों को छोड़कर सरकारी वाहनों का उपयोग पूर्णरूप से निषिद्ध रहेगा ।

2- कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिये इस आदेश के आलोक में सम्यक् आदेश निर्गत करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाय ।

विश्वासभाजन

कमला प्रसाद,
मुख्य सचिव ।

पत्र संख्या 3।सी०एस०101।92(खंड)—2275
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री अरुण पाठक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में

श्री आर० यू० सिंह,
अध्यक्ष,
वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 6 जुलाई 1992 ई०

विषय—जिलाधिकारियों को विधान-सभा समिति की बैठक में भाग लेने के लिये पटना आने की अनुमति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में अपने पत्रांक 478-वि०, दिनांक 30 जून, 1992 का निदेश करें ।

2. इस पत्र के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय का परिपत्र संख्या 1335 दिनांक 23 जुलाई, 1990 की प्रति संलग्न कर रहा हूं। सरकारी परिपत्रों में यह बार-बार स्पष्ट किया गया है कि:—

(1) किसी न्यायालय या विधानमंडल के किसी समिति के समक्ष उपस्थिति की आवश्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी मुख्य सचिव की अनुमति की प्रत्याशा में भी आ सकते हैं,

आप अवश्य ही अवगत होंगे कि सरकार को इसकी जानकारी रहना चाहिए कि जिला दंडाधिकारी जिला में है या नहीं एवं यदि नहीं, तो कौन प्रभार में है।

(2) केवल प्रतिबंध इतना ही है कि विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से उनकी उपस्थिति अपने जिला में अनिवार्य नहीं हो।

3. लिखना अनावश्यक है कि विधानमंडल एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिये किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध सरकार द्वारा नहीं है, बल्कि जैसा कि आप स्वंय जानते होंगे कि इन स्थानों में समयानुसार उपस्थित होने के लिये राज्य सरकार का एकाधिक आदेश भी है।

4. अतः परिपत्रों के आशय से आप स्वयं तथा अपने स्तर से विधानमंडल एवं उनकी समितियों को अवगत करा दें ताकि किसी प्रकार का कन्फ्युजन नहीं रह जाय ।

विश्वासभाजन,

अरुण पाठक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० 3।सी०एस० 101।92(खंड)—2275

पटना-15, दिनांक 6 जुलाई 1992

प्रतिलिपि—प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता को मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र संख्या 2003, दिनांक 19 जून 1992 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अरुण पाठक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

संख्या सी०एस० 1।ए 1-201।86—1874
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना 15 दिनांक 5 जून; 1993

विषय—उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी संकल्प की कंडिका 10.2 में संशोधन मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प सं०-302, दिनांक 4 फरवरी 1993 द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित है जिसके कंडिका 10.2 में निम्नांकित प्रावधान है:—

"मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर ही समिति की कार्यवाही निगत की जायेगी।"

2. सम्यक विचारोपरान्त उक्त संकल्प के कंडिका-10.2 को विलोपित कर निम्नांकित कंडिका प्रतिस्थापित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:—

"उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की सभी कार्यवाही जिसमें प्रशासनिक अथवा वित्तीय स्वीकृति का प्रश्न निहित हो, में मुख्य मंत्री का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

परन्तु केवल प्रक्रियात्मक कार्रवाई से सम्बधित कार्यवाही पर मुख्य मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

3. उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त संकल्प सं० 302, दिनांक 4 फरवरी, 1993 एवं 432, दिनांक 12 फरवरी, 1993 के शेष सभी अंश पूर्ववत् रहेंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में कराया जाय और सभी सम्बन्धितों को इसकी प्रतियां भेजी जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं०-सी०एस 1।ए 1-201।86—1874

पटना-15, दिनांक 5 जून, 1993।

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। योजना मंत्री के आप्त सचिव। सभी मंत्री के आप्त सचिव। योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त बिहार, पटना। अध्यक्ष, लोक उधम ब्यूरो, बिहार, पटना। वित्त आयुक्त, बिहार, पटना। क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची। अध्यक्ष, सोन कमांड-सह-विशेष सचिव, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, बिहार, पटना। सरकार के सभी सचिव। सभी विभागाध्यक्ष। निदेशक, अभिलेखागार, बिहार, पटना को मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प सं०-302, दिनांक-4 फरवरी, 1993 एवं आदेश सं०-432, दिनांक 12 फरवरी, 1993 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

सं० सी०एस० 1।ए० 1-1017।93—2219

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

पटना-15, दिनांक 25 जून 1993

विषय—सड़कों एवं भवनों के निर्माण संबंधी अभियंत्रण इकाइयों को पुनर्गठित कर "भवन निर्माण विभाग" एवं "पथ निर्माण विभाग" का सृजन—भवन निर्माण विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान।

उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दो संकल्प अर्थात संकल्प सं० 878, दिनांक 16 मार्च 1982 एवं 3360, दिनांक 23 सितम्बर 1982 निर्गत किये जा चुके हैं। इन संकल्पों में जो प्रशासनिक व्यवस्था की गयी है, उसके कार्यान्वयन में अपेक्षित दृढ़ता एवं गतिशीलता अभीतक परिलक्षित नहीं हुई है। सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त संकल्पों को तात्कालिक प्रभाव से पूर्णरूपेण प्रभावी किया जाय।

2. तात्कालिक प्रभाव से विभिन्न विभागों के सचिव अथवा विभागाध्यक्ष अपने विभाग के अधीन कार्यरत अभियंत्रण (निर्माण कोषांग, इंजीनियरिंग) (कन्स्ट्रक्शन सेल) के लिये किसी भी बजट प्रावधान को संचालित (आपरेट) नहीं करेंगे। वे केवल वर्तमान बजट प्रावधान को एकमुश्त बुक ट्रांसफर से भवन निर्माण विभाग को अविलम्ब हस्तान्तरित कर देंगे। आईन्दा से भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत पदाधिकारी ही संबंधित फंड्स आपरेट करेंगे।

3. भविष्य में विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत अभियंत्रण निर्माण कोषांगों (इंजीनियरिंग/कन्स्ट्रक्शन सेल) द्वारा प्रस्तुत विपत्र (बिल्स) कोषागारों द्वारा पारित (औनर) नहीं किये जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण पाठक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० सी० 1एस।०ए० 1-1017।93—2219
दिनांक 25 जून 1993 ई०।

प्रतिलिपि—राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।सभी मंत्रिगण के आप्त सचिव।योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त।वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग।सरकार के सभी सचिव।निदेशक, कोषागार निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, कोषागार निदेशालय से अनुरोध है कि वे कृपया सभी कोषागार पदाधिकारियों को राज्यादेश से अवगत करा दें।

प्रतिलिपि—निदेशक, स्टेट आरकाईव्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या 3।सी०एस०।एम०-304।91—3667
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 5 अक्टूबर 1993 ई०।

विषय—भारत सरकार से प्राप्त पत्रों का निष्पादन।

महाशय,

सरकार इस बात से चिंतित है कि भारत सरकार से महत्वपूर्ण पत्रों का यथोचित संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी कई ऐसे दृष्टांत पाये हैं जहां भारत सरकार से प्राप्त अर्द्ध-सरकारी पत्र एवं स्मार का भी निष्पादन मंथर गति से किया जा रहा है।

2. भारत सरकार से एवं राज्य सरकार के महत्वपूर्ण पत्रों (पत्रों की महत्ता विभागीय सचिव निर्धारित करेंगे) के निष्पादन में निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाय :—

(1) भारत सरकार एवं राज्य सरकार के महत्वपूर्ण पत्रों की प्राप्ति एवं निर्गमन रजिस्टर में लाल स्याही में अंकित कि ा जायगा।

(2) वैसे पत्र प्राप्त होते ही विभागीय सचिव कार्यपालिका नियमावली के नियम 30 एवं 31 के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

(3) भारत सरकार से ऐसे कुछ पत्र प्राप्त होते हैं जो गोपनीय प्रकृति के होते हैं। वैसे पत्र साधारणतः गृह एवं आरक्षी विभाग से संबंधित होते हैं। इन पत्रों के निष्पादन के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्रतिवेदन लेना पड़ता है। अभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को ऐसे पत्रों को ज्ञाप लगाकर प्रतिवेदन हेतु भेज दिया जाता है। परन्तु जब भारत सरकार का पत्र गोपनीय हो, तो वैसी अवस्था में क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मात्र सूचना या प्रतिवेदन मांगा जाय। प्रतिवेदन क्यों और किसके द्वारा मांगा गया है, क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

(4) भारत सरकार से जो भी पत्र प्राप्त हो, उसका तत्काल एक प्राप्ति सूचना अर्थात अंतरिम उत्तर दिया जाय, जिसमें यह सं ेत रहे कि इसका अंतिम उत्तर कबतक दिया जायगा। साधारणतः भारत सरकार से प्राप्त पत्रों का अन्तिम उत्तर 30 दिनों के अन्दर जाना चाहिये।

(5) विधान की विषय वस्तु से संबंधित विषय पर यदि भारत सरकार से परामर्श करना आवश्यक हो, अथवा उसपर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति संविधान के अन्तर्गत अपेक्षित हो तो वैसी अवस्था में सचिवालय अनुदेश की कंडिका 9.24 के अनुरूप कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिये।

3. विभागीय आयुक्तों एवं सचिवों से अनुरोध है कि प्रत्येक माह भारत सरकार द्वारा पत्रों।विषयों पर वे समीक्षा करें एवं आगे की कार्रवाई के लिये विभागों के पदाधिकारियों को अनुदेश दें। यदि किसी विषय पर अन्तर्विभा ीय समन्वय की आवश्यकता है तो मुझे अवगत करायें।

4. कृपया पत्र प्राप्ति स्वीकार करें।

विश्वासभाजन,
ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं० 3।सी०एस०।एम०–304।91—3667

पटना-15, दिनांक 5 अक्टूबर 1993।

प्रतिलिपि—आयुक्त एव राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

संख्या-3।सी० एस०।एम०-304।91—3798

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव।

सरकार के सभी सचिव।

पटना-15, दिनांक 16 अक्टूबर, 1993 ई०।

विषय—आन्तरिक निगरानी कोषांग।

महाशय,

जल संसाधन विभाग में विभागीय आन्तरिक निगरानी कोषांग का गठन किया गया है। इसी प्रकार का कोषांग एकाधिक कार्य विभाग में गठित है।

2. विभागीय आन्तरिक निगरानी कोषांग यथा सम्भव सभी विभागों में गठित करना आवश्यक है। यह प्रशासन के हित में होगा। अतएव प्रत्येक विभागीय सचिव अपने विभाग में आन्तरिक निगरानी कोषांग का गठन करें। कोषांग की रूपरेखा एवं कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में निगरानी आयुक्त से विभागीय सचिव विचार-विमर्श करें एवं विभागीय मंत्री के अनुमोदन से तदनुसार संकल्प निर्गत करने की कृपा करें।

3. यहां विशेष द्रष्टव्य है कि आन्तरिक विभागीय निगरानी कोषांग का अधिकार सीमित होगा। किसी भी अवस्था में जहां निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण एवं अन्य कोई प्रतिवेदन अथवा जांच अपेक्षित है, वह पूर्ववत् रहेगा। निगरानी विभाग के कार्यक्षेत्र अथवा अधिकार पर आन्तरिक निगरानी कोषांग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विश्वासभाजन,

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-3।सी०एस०।एम०-304।91—3798

पटना-15, दिनांक 16 अक्टूबर, 1993 ई०।

प्रतिलिपि—निगरानी आयुक्त, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं०-3।सी०एस०।एम०-304।91—3798

पटना-15, दिनांक 16 अक्टूबर, 1993।

प्रतिलिपि—राज्यपाल के सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र संख्या—3।सी०एस०एम०-103।94—1421

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव,

सरकार के सभी सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 2 मई, 1994 ई० ।

विषय—मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के अन्तर्गत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लम्बित अनुसंधान एवं जांच के संबंध में ।

महाशय,

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा यह सूचना दी गयी है कि प्रशासी विभागों द्वारा निगरानी मामलों के निपटारे हेतु किसी पदाधिकारी को नामित नहीं किया गया है जिसके कारण मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को विभागों से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है ।

अतः सभी विभागों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग के किसी वरीय पदाधिकारी को निगरानी मामलों के निपटारे हेतु नामित कर इसकी सूचना मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को दें ।

2. ऐसा पाया जा रहा है कि विभागों द्वारा निगरानी मामलों के निष्पादन में शीघ्रता नहीं बरती जा रही है तथा अभियोजन स्वीकृति के मामलों में काफी देरी होती है । इन मामलों में कृपया शीघ्रता से कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

संकल्प सं० सी०एस०-1।ए1-103।90—1891

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(संकल्प)

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर, 1995

विषय—मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधीन कार्यरत परियोजना संगठन को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन विभाग में समाहित करने के संबंध में ।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं० सी०एस 1।ए 1-103।90—2594, दिनांक 27 जुलाई,1992 द्वारा परियोजना संगठन को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन विभाग से अलग कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग में मुख्य सचिव के सीधे नियंत्रण में प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित) का गठन किया गया था ।

2. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन विभाग तथा परियोजना संगठन के कार्य समान प्रकृति के होने तथा बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि परियोजना संगठन का कार्य सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन विभाग में समाहित कर दिया जाय तथा संगठन के नियमित कर्मचारियों को सरकार के अधीन समकक्ष पदों पर समंजित किया जाय बशर्ते कि उन्हें विहित योग्यता हासिल हो तथा उनकी नियुक्ति विधिवत सरकारी प्रक्रिया के अनुसार हुई हो ।

3. परियोजना संगठन के लिए अलग कोई कोष नहीं रखा जायेगा । इसके लिये आवश्यक राशि की व्यवस्था विभागीय बजट के अधीन उपबंधित की जायेगी और इसका व्यय सरकार के विहित नियमों का अनुसरण करते हुए किया जायेगा ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप सं०—सी० एस० 1।ए1-103।90—1891

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर,1995 ई०

प्रतिलिपि—योजना परामर्श-सह-विकास आयुक्त।श्री ए0के0 सिन्हा, अध्यक्ष, सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकार-सह-प्रभारी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित), सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप सं०—सी०एस० 1ए18-103।90—1891

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर, 1995 ई०

प्रतिलिपि—अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो।मुख्य सचिव।मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अशोक कुमार सिंह
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सी०एस०-1-ए1-103।90—1891

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर, 1995 ई० ।

प्रतिलिपि—सरकार के सभी सचिव, सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि वे इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ जिला दंडाधिकारियों एवं उप-विकास आयुक्तों को दे दें ।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप संख्या-सी०एस०1ए-1ए1-103।90—1891

पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर, 1995 ई० ।

प्रतिलिपि—क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अशोक कुमार सिंह,
सरकार के उप-सचिव ।

पत्रांक-सी०एस०1।ए1-102।91—4304

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए०के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव,
सरकार के सभी सचिव ।

पटना-15, दिनांक 23 नवम्बर, 1993 ई०।

विषय—गोपनीय चरित्र पुस्ति को समय पर अभिलिखित करने के संबंध में ।

महाशय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा लगातार परिपत्र निर्गत किये जाने पर भी यह पाया जा रहा है कि पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की गोपनीय चरित्र पुस्ति को अभ्युक्ति समय पर अंकित नहीं की जा रही है।

2. इस अवहेलना का दूरव्यापी प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों की गोपनीय चरित्र पुस्ति की अभ्युक्तियां समय पर अंकित नहीं होने से भारत सरकार में उनकी चयन में कठिनाई हो रही है । कुछ दृष्टांत ऐसे आए हैं कि समय पर गोपनीय चरित्रियां नहीं भेजे जाने पर, यद्यपि पदाधिकारी इच्छुक एवं योग्य थे, उनकी प्रतिनियुक्ति भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी ।

3. उसी प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारियों की प्रोन्नति चारित्री के अभाव में नाहक लंबित रह जाती है। समय पर गोपनीय चारित्री अंकित नहीं होने के फलस्वरूप यदि प्रोन्नति रुक जाती है तो वह न्यायोचित नहीं है और उसका बहुत कुप्रभाव सरकारी सेवक के मनोबल पर पड़ता है।

4. अतएव आपसे अनुरोध है कि अबसे प्रतिवेदक पदाधिकारी अपनी गोपनीय अभ्युक्ति दिनांक 31 मई-1994 तक अवश्य अंकित कर देंगे । समीक्षा पदाधिकारी अपनी अभ्युक्ति समीक्षा के उपरान्त जून के प्रथम सप्ताह तक अवश्य कर देंगे । इस विषय का अनवरत (Concurrent evaluation) समीक्षा कार्मिक विभाग द्वारा किया जायगा । कार्मिक विभाग समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी को लंबित चारित्रियों के सम्बन्ध में अवगत कराता रहेगा।

5. यही व्यवस्था केवल अन्य केडर पदाधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिये भी आवश्यक अपनाई जाय।

विश्वासभाजन,
ए०के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

पत्रांक-3/सी०एस० एम०-101/94—901

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक

सभी जिला पदाधिकारी

सभी आरक्षी अधीक्षक

सभी अनुमंडल पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 4 मार्च 1994 ई०।

विषय—कार्यालय में उपस्थित रहने तथा आम जनता से मिलने के संबंध में ।

महोदय,

सरकार को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि फिल्ड लेवल में वरीय पदाधिकारी मुख्यलय में रहने के बावजूद कार्यालय नही जाते है तथा पूछ-ताछ करने पर पता चलता है कि संबंधित पदाधिकारी आवासीय कार्यालय में कार्य कर रहे है । इसके अतिरिक्त ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि वरीय पदाधिकारियों से अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए लोग बगैर मुलाकात किए हुए वापस चले जाते है, क्योकि संबंधित पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहते हैं ।

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यालय में उपस्थित रहने की स्थिति में सभी संबंधित पदाधिकारियों का कार्यालय में उपलब्ध रहना नियमानुसार अनिवार्य है। कार्यालय की कार्यावधि में आवासीय कार्यालय में कार्य करना ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यालय आते हैं, उन सभी की समस्याओं को सुनना भी अनिवार्य है।

3. अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मुख्यालय में उपस्थिति रहने की स्थिति में कार्यालय अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहें। साथ ही जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर मिलने आते है उनसे मुलाकात अवश्य करें ।

विश्वासभाजन,
ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

पत्र संख्या—मं० मं० 2/स्था०-4076/94—5898

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री ए० के० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में

सभी विभागीय सचिव

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 ई० ।

विषय—सचिवालय के सभी विभागों में अधिक (एक्सेस) उपस्कर को एकत्रित कर उसके रख-रखाव एवं नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अनुदेश ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्राय: ऐसे देखा गया है कि सचिवालय भवनों के कोरिडोर्स तथा भीतरी भाग के भी कई हिस्सों में बहुत दिनों से बेकार टूटे-फूटे उपस्करों का अम्बार लगा रहता है जिनके चलते गंदगी बढ़ जाती है और सचिवालय भवन में सफाई कार्य बाधित होता है। इसका असर दैनिक काम-काज पर भी पड़ता है। इस बिन्दु पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वैसे उपस्कर जो बिलकूल बेकार है, को विभागीय उपस्कर रद्दीकरण-समिति की बैठक बुलाकर उन्हें रद्ध घोषित कर दें और उनकी इन्वेन्टरी बनाकर सभी विभाग भवन निर्माण एवं आवास विभाग को एक समेकित सूची उपलब्ध करा दें। भवन निर्माण एवं आवास विभाग में उपलब्ध कारपेन्टरी शाखा से इनकी मरम्मत की कार्रवाई की जायेगी और जब जिस विभाग को उपस्कर की आवश्यकता होगी, उनके द्वारा अधियाचना करने पर भवन निर्माण एवं आवास विभाग यथावश्यक उपस्करों की आपूर्ति किया करेगा। विभाग द्वारा रद्द घोषित उपस्करों की नीलामी के बारे में भवन निर्माण एवं आवास विभाग निर्णय ले सकते है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग के वैसे उपस्करों की समेकित सूची अविलम्ब भवन निर्माण एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दें ।

विश्वासभाजन,
ए०के० बसाक,
सरकार के मुख्य-सचिव ।

पत्र संख्या मं०मं०स० 2/वि० 3-7011/95—2721

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक,

श्री अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिलाधिकारी

सभी उप-विकास आयुक्त

पटना-15, दिनांक 16 अगस्त 1996

विषय :—सरकार के कार्यक्षेत्र में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि न्यायिक पदाधिकारियों को छोड़कर शेष सभी पदाधिकारी कार्यपालिका के अंक हैं और सरकार अपेक्षा करती है कि वे सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का कारगर ढंग से पालन करेंगे। किन्तु सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जो शक्ति किसी अधिनियम।नियमावली विनियम अथवा कार्यपालक आदेश द्वारा सरकार को प्रदत्त है उसमें क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है।

2. कार्यपालिका नियमावली के नियम 22 में प्रावधान है कि राजपत्रित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। फिर भी ऐसा पाया गया है कि जिलाधिकारी बिना स्थानान्तरण के ही किसी पदाधिकारी को विरमित कर निदेश देते हैं कि वे अपना योगदान अपने विभाग में दें। कभी-कभी ऐसा भी पाया गया है कि स्थानान्तरित पदाधिकारियों को जिलाधिकारी विरमित नहीं करते हैं या जिस पद एवं स्थान पर स्थानान्तरण सरकार द्वारा किया गया है उसका प्रभार न दिलाकर अपने कार्यक्षेत्र में दूसरे पद एवं स्थान पर कार्य करने का निदेश देते हैं। पदस्थापन का एक शृंखला होता है और उसमें किसी प्रकार के फेर-बदल से पूरी शृंखला ही प्रभावित हो जाती है। इतना ही नहीं, ऐसा होने से पदाधिकारियों के वेतन भुगतान में अनावश्यक कठिनाई एवं विलम्ब होता है और स्थानान्तरित पदाधिकारियों को प्रभार लेने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विशेष परिस्थिति को छोड़कर पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन सामान्यतः मई-जून एवं नवम्बर-दिसम्बर में होता है। किन्तु पाया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा किसी पदाधिकारी को इन दो अवसरों के बीच में ही बिना स्थानान्तरण हुए विरमित कर दिया जाता है जिसके फलस्वरुप उन्हें कई महीनों तक पदस्थापन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पदाधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन की शक्ति राज्य सरकार को है न कि जिलाधिकारी या अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों को। अतः स्पष्ट है कि किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण की अधिसूचना निर्गत होने के बाद उसमें किसी प्रकार का दखल देना सरकार के कार्यक्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप है जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जो शक्तियां प्रदत्त हैं उसके अधीन रहते हुए कार्य करें और सरकार द्वारा निर्गत आदेशों/परिपत्रों का कारगर ढंग से पालन करें। भविष्य में यदि पाया गया कि सरकार के कार्यक्षेत्र में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किसी तरह का अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है या सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का पालन ससमय नहीं किया गया है, तो सरकार उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई भी कर सकती है।

विश्वासभाजन,
अ० कु० बसाक,
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र संख्या बी०एस० 1।ए1-108।97—1983

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एव समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री बी० पी० वर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 28 जुलाई 1997

विषय—अनेक विभागों से संबंधित मामलों के निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में कार्यपालिका नियमावली के भाग 3 के नियम 25 एवं 26 के आलोक में मुझे कहना है कि किसी मामले का विषय जो एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित हो तथा उनके बीच एकमत न हो तो विभाग के प्रभारी मंत्री यदि वह उस मामले पर आगे कार्रवाई करना चाहें तो यह निर्देश दे सकेंगे कि मामला मंत्रिपरिषद् के सामने रखने के निमित्त आदेश के लिये मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री के समक्ष उपस्थापित करने की पद्धति अपनाई जायगी।

2. इसे तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाय।

विश्वासभाजन,
बी. पी. वर्मा,
सरकार के मुख्य सचिव।

1 मंत्रिमंडल—

सं० सी०एस० 1।ए० 1-201।86(खंड)—3098
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

पटना-15, 24 दिसम्बर 1997

विषय—दशम वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रम में केन्द्र सरकार से प्राप्त उन्नयन अनुदान से योजनाओं की स्वीकृति देने के लिये गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार-सह-शक्ति प्राप्त समिति के एक सदस्य के रूप में क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची के मनोनयन के संबंध में।

दशम् वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त उन्नयन अनुदान से कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार-सह-शक्ति प्राप्त समिति में विकास आयुक्त, वित्त आयुक्त एवं योजना सचिव के अतिरिक्त अन्य कार्य विभागों एवं विकास विभागों के सचिव भी सदस्य हैं।

उपर्युक्त समिति द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं पर राज्य स्तरीय योजना प्राधिकृत समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि योजना प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य इस उच्चाधिकारी-सह-शक्ति प्राप्त समिति के भी सदस्य हैं।

2. इसी तरह दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत जन-जाति उप-योजना क्षेत्र की झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् को सौंपे गये विषयों से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार-सह-शक्ति प्राप्त समिति की स्वीकृति के पश्चात जन-जाति उप-योजना एवं झारखंड क्षेत्रों हेतु क्षेत्रीय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि क्षेत्रीय विकास आयुक्त को भी दशम् वित्त आयोग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार-सह-शक्ति प्राप्त समिति का सदस्य बना लिया जाता है। क्षेत्रीय विकास आयुक्त जो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं को इस समिति की बैठकों में उपस्थित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद् से परामर्श एवं भागीदारी समझी जा सकती है।

3. इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत जन-जाति उप-योजना क्षेत्र की झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद् को सौंपे गये विषयों से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची को भी दशम वित्त आयोग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार-सह-शक्ति प्राप्त समिति का सदस्य बना लिया जाय।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

व्ही० एस० दूबे,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सी०एस० 1।ए० 1-201।86(खंड)—3098
पटना-15, दिनांक 24 दिसम्बर 1997

प्रतिलिपि—विकास आयुक्त, बिहार, पटना।क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची।मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद्, रांची।वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।अपर वित्त आयुक्त।सचिव, योजना एवं विकास विभाग। सभी विभागीय सचिव।विभागाध्यक्षों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

व्ही० एस० दूबे,
सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या-मं०मं० 2।वि० 3-706।98-2881
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव।सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिलाधिकारी।उपायुक्त।

पटना-15, दिनांक 3 अगस्त, 1998 ई० ।

विषय——सरकारी नियमों एवं अनुदेशों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि मुख्य मंत्री का नाम लेकर उनके तथाकथित संबंधी के रूप में लोग पदाधिकारियों के पास विभिन्न कार्यों के लिये अनुरोध कर रहे हैं।

2. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में निदेशानुसार सूचित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री के तथाकथित संबंधी के रूप में मुख्य मंत्री का नाम लेकर किसी कार्य से आपके पास मिलने जाता है तो आप तुरंत उस व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी लेकर उसकी सूचना मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव को देंगे, और बिना, किसी खौफ या तरफदारी के सरकारी नियमों एवं निर्देशों के आलोक में ही समीक्षा कराकर विहित माध्यम से संबंधित संचिका में आवश्यकतानुसार आदेश प्राप्त कर तदनुसार कार्रवाई करेंगे । अन्यथा कार्रवाई किये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अनियमित कार्य के लिये जिम्मेवार माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

3. कृपया अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी इससे अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करने। कराने का निदेश दिया जाय ।

4. कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
एस० एन विश्वास,
मुख्य सचिव ।

पत्र सं०-सी० एस० 1।एम01 1010।98–3215
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव,

सभी सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 4 सितम्बर 1998

विषय—सभी विभागों में किसी विषय में कोई भी ऐच्छिक स्वीकृति के प्रावधान को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि आवास विभाग की संचिका संख्या-111।आवंटन-90112।97 में माननीय मुख्य मंत्री ने निम्नांकित आदेश देने की कृपा की है:—

"सभी विभागों को अनुदेश दिया जाय कि जिस किसी विषय में कोई भी ऐच्छिक स्वीकृति का प्रावधान हो उसे तुरत के प्रभाव से समाप्त किया जाय। इसके लिये जहां आवश्यक हो संबंधित अधिनियम, नियम, अनुदेश आदि में तुरन्त संशोधन किया जाय।"

2. अतः अनुरोध है कि आपके विभाग में किसी विषय में कोई भी ऐच्छिक स्वीकृति का यदि कोई प्रावधान हो तो उसका कार्यान्वयन तात्कालिक प्रभाव से रोकते हुए उससे संबंधित अधिनियम, नियम, अनुदेश आदि में संशोधन की आवश्यकता हो तो तुरत संशोधन की कार्रवाई की जाय।

3. इस प्रसंग में की गई कार्रवाई से एक माह के अन्दर मुख्य मंत्री जी को अवगत कराना है। अतः यह भी अनुरोध है कि उक्त कार्रवाई 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित कर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से मुझे अवगत कराने की कृपा करें।

4. कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,
एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी० एस० 1।एम० 1-1010।98—3215

पटना-15, दिनांक 4 सितम्बर 1998

प्रतिलिपि—अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार पटना।विकास आयुक्त, बिहार, पटना।सदस्य, राजस्व पर्षद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं०-सी० एस० 1।एम01-1010।98—3215

पटना-15, दिनांक 4 सितम्बर 1998

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव।

पत्र संख्या-3।सी०एस०-2010।98—4547
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव ।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 18 दिसम्बर, 1998

विषय—प्रमंडल स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग। उद्योग विभाग एवं सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से संबंधित विषयों की समीक्षा के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि प्रमंडलीय स्तर पर जिला पदाधिकारी, उप-विकास आयुक्त एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ लगभग दो माह में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाती है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रमंडलीय स्तर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में ग्रामीण विकास विभाग। उद्योग विभाग सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से संबंधित विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया जाय।

2. अतः अनुरोध है कि यदि आपके प्रमंडल में 07 जनवरी, 1999 तक बैठक निश्चित नहीं है, तो दिनांक 07 जनवरी, 1999 के अन्दर बैठक, निर्धारित करें तथा उसमें उपरोक्त विभागों के विषय को भी कार्यावली में सम्मिलित करने की कृपा करें।

3. बैठक की निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय की सूचना सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग तथा संबंधित अन्य विभाग के सचिवों को देने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,
नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं०-3।सी०एस०-2010।98—4547

पटना-15, दिनांक 18 दिसम्बर 1998

प्रतिलिपि—आयुक्त एवं सचिव।सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।उद्योग विभाग।सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि आदि भी बैठक में भाग लें।

नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

पत्र सं० सी० एस०1।एम1-1010।98—913
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव,

सरकार के सभी सचिव,

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 30 मार्च 1999

विषय—वैवेविक अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्र सं० 3212, दिनांक 4 सितम्बर 1998 द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया गया था कि सभी विभागों में किसी विषय में कोई भी ऐच्छिक स्वीकृति के प्रावधान को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

2. उक्त अनुदेश के आलोक में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता रहा है कि वैवेविक अनुदान ऐच्छिक स्वीकृति के प्रावधानों के अन्तर्गत है अथवा पृथक ।

3. समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वैवेविक अनुदान ऐच्छिक स्वीकृति के प्रावधानों से पृथक है ।

4. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जा सकती है ।

विश्वासभाजन,
नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-सी० एस० 1।एम01।107।2000-2085

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव,

सरकार के सभी सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारी।सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 12 जुलाई, 2000

विषय—समाचार-पत्रों में प्रकाशित मिथ्यापूर्ण एवं गलत समाचारों के सन्दर्भ में सरकारी पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई।

प्रसंग—पत्रांक-2600सं० मं०स०, दिनांक 18 अगस्त 1999।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सरकार इस बात से चिन्तित है कि राज्य की किसी सामान्य घटना को भी अतिरंजित कर मिथ्यापूर्ण एवं गलत ढंग से उन विभिन्न समाचार-पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि से प्रकाशित, प्रसारित किया जाता रहा है। यह भी पाया गया है कि इन अतिरंजित और कपटपूर्ण, मिथ्या प्रसारित अफवाहों को समाचार का रूप देने के पश्चात् भी राज्य के प्रशासी पदाधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार का खंडन अथवा विखंडन स्पष्टतः नहीं किया जाता है।

2. सरकार की यह इच्छा है कि ऐसे प्रकाशित।प्रसारित मिथ्यापूर्ण अथवा गलत समाचार की ओर से संबंधित विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष का ध्यान निश्चित रूप से आकृष्ट हो एवं उनके संबंध में शीघ्रतापूर्वक यथा वांछित कार्रवाई की जाय।

3. अतः निदेशानुसार पुनः अनुरोध है कि पत्रांक-2600, दिनांक 18 अगस्त 1999 (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भित निदेशों।अनुदेशों का अनुपालन कृपया दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित कराया जाय एवं अपने अधीनस्थ कर्मियों को भी इसकी जानकारी दी जाय

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वसभाजन,
गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सी० एस०।एम01।107।2000—2085

पटना-15, दिनांक 12 जुलाई, 2000

प्रतिलिपि—मुख्य सचिव।विकास आयुक्त तथा मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या-2600

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री एस० एन० विश्वास,
मुख्य सचिव ।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव,

सभी विभागीय सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 18 अगस्त, 1999

विषय—समाचार-पत्रों में प्रकाशित मिथ्यापूर्ण एवं गलत समाचारों के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई

महोदय,

निदेशानुसार यह कहना है कि सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि किसी घटना या स्थिति के संबंध में विभिन्न समाचार-पत्रों।आकाशवाणी।दूरदर्शन इत्यादि में जो कभी-कभी मिथ्यापूर्ण एवं गलत समाचार प्रकाशित या प्रसारित होते हैं, उनके संबंध में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा शीघ्रतापूर्वक न तो कार्रवाई की जाती है, न हीं यथावश्यक खंडन प्रेषित किया जाता है, और उनके संबंध में वस्तुस्थिति की सूचना सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। फलतः इससे सरकार की छवि धूमिल होती है।

सरकार की यह इच्छा है कि ऐसे प्रकाशित।प्रसारित मिथ्यापूर्ण अथवा गलत समाचारों की ओर संबंधित विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष का ध्यान निश्चित रूप से आकृष्ट हो एवं उनके संबंध में शीघ्रतापूर्वक यथा वांछित कार्रवाई की जाय। साथ ही उनके द्वारा तथ्यात्मक आधार पर यथावश्यक खंडन प्रेषित किया जाय। एतदर्थ तत्संबंधी विभागीय मंतव्य (तथ्यात्मक आधार पर तैयार खंडन) की प्रतिलिपि सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।महानिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

यह भी अपेक्षा है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर पदस्थापित पदाधिकारीगण इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना, व्यक्तिगत ध्यान देंगे। साथ ही, विभागीय सचिव अपने-अपने विभाग में एक संपर्क पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे जिनका नाम दूरभाष संख्या एवं आवासीय पता सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क।महानिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी देंगे, ताकि आवश्यकतानुसार, यथा समय, संबंधित पदाधिकारी से सूचना प्राप्त की जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इन अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अपने अधीनस्थ कर्मियों को भी इसकी जानकारी दे दें।

विश्वासभाजन;
एस० एन० विश्वास;
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 2600

पटना-15, दिनांक 18 अगस्त, 1999 ई०

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला पदाधिकारी।सभी जिला आरक्षी अधीक्षक।सभी अनुमंडलाधिकारी। सभी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

एस० एन० विश्वास;
मुख्य सचिव।

पत्र संख्या-सी०एस०।एम०-1-109।2000—1532
बिहार सरकार
मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक
श्री गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव,

सरकार के सभी सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 24 मई, 2000।

विषय:—राजस्व संग्रह में बरती जानेवाली ढील के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत आवश्यक सूचना संख्या-683, दिनांक 15 मई, 2000 का सन्दर्भ किया जाए। जिसका प्रकाशन विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) उक्त आवश्यक सूचना के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का कार्यन्वियन राजस्व पर निर्भर करता है और राजस्व की होने वाली क्षति से सरकार तथा इसके कल्याण कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2- ऐसा देखा जा रहा है कि राजस्व की वसूली में संबंधित पदाधिकारियों।कर्मचारियों द्वारा आवश्यक तत्परता नहीं बरती जा रही है, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक स्तर पर राजस्व की वसूली पूरी तत्परता से की जाय और यदि राजस्व की वसूली में ढील बरती जाती है तो इसके लिए जवाबदेह पदाधिकारियों।कर्मचारियों के सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

3- साथ ही राजस्व संग्रह के क्रम में पूरे राज्य के सरकारी वकीलों एवं राजस्व संग्रह से संबंधित विभागों के पैनेल वकीलों, माननीय उच्च न्यायालय के सरकारी अधिवक्ताओं एवं राज्य विभागों के पदाधिकारियों का एक सम्मेलन आहूत किया जा रहा है, जिससे कि उक्त सम्मेलन में विचार-विमर्श कर सरकारी राजस्व बढ़ने के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सके।

4- कृपया परिपत्र में निहित अनुदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों।कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट करा दिया जाय तथा उसका अनुपालन भी दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या-1532

पटना-15 दिनांक 24 मई, 2000

प्रतिलिपि मुख्य सचिव के सचिव, सदस्य राजस्व पर्षद के सचिव। विकास आयुक्त के सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

पत्र सं० सी एस०1।एम1.19।9—1578
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक
श्री विजय शंकर दुबे,
मुख्य सचिव बिहार।

सेवा में
सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव,

सरकार के सभी सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15 दिनांक 29 मई, 2000

विषय:—विभागीय सचिवों।विभागाध्यक्षों।निदेशकों एवं विभिन्न स्तरों पर पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालियों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करने के संबध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि सरकारी काम-काज के निष्पादन में विलम्ब रोकने तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए,अन्य प्रभावी उपायों के अतिरिक्त कार्यालियों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण उपाय है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व से ही कार्यालय भ्रमण।निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है।

2- इधर ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न स्तरों पर पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन भली भांति नहीं किया जा रहा है और न हीं उनके द्वारा अपने विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रगति की मॉनिटरिंग ही की जा रही है। कहना न होगा कि समय-समय पर कार्यालियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण वांछित स्तर से नहीं किये जाने के कारण विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा नहीं हो पाती है एवं विकास की गति धीमी हो जाती है।

3- अतः निदेशानुसार अनुरोध करना है कि समयबद्ध तरीके से विभिन्न स्तरों पर पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालियों का निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा अपने विभागीय कार्यों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रगति की मॉनिटरिंग विहित कार्यक्रम की जानी चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों।योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा विकास की गति को तीव्र करने की दिशा में क्या-क्या कार्रवाई की गयी है एवं लक्ष्य प्राप्ति में यदि कोई विचलन हुआ है तो विचलन के कारणों को समेकित रूप से सरकार के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये। साथ ही विभाग के स्तर पर प्रभावकारी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे कि पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण वांछित स्तर का हो सके।

4- कृपया इस पत्र में उल्लिखित अनुदेशों से अपने विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारियों को विनिर्दिष्ट करा देने की कृपा करें और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करायें।

विश्वासभाजन,
विजय शंकर दुबे,
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-सी०एस०1-11।9।99—1578

पटना-15, दिनांक-29 मई, 2000

प्रतिलिपि-मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को मुख्य मंत्री सचिवालय के पत्र संख्या-5540124, दिनांक 15 मई, 2000 के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-सी०एस०1।एम०-1-11।9।99—1578

पटना-15, 29 मई, 2000

प्रतिलिपि-सभी उप-विकास आयुक्तों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरीश शंकर,
सरकार के सचिव।

संख्या सी०एस० 2।एम०-2-1057।85—1806
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

सेवा में

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 5 अक्तूबर, 1985।

विषय—(1) राज्य सरकार के पदाधिकारियों के दिल्ली यात्रा के संबंध में।

(2) स्थानिक आयुक्त दिल्ली के कार्यालय को अधिक प्रभावकारी बनाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयों पर निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं:—

(1) भविष्य में राज्य सरकार के जो भी पदाधिकारी सरकारी काम से दिल्ली जायें, वे दिल्ली से लौटने के पूर्व स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को दिल्ली में उनके द्वारा सम्पादित किये गये कामों के संबंध में लिखित प्रतिवेदन देंगे। इस प्रतिवेदन में उन बिन्दुओं की चर्चा विशेष रूप से होनी चाहिये, जिनका निष्पादन हेतु स्थानिक आयुक्त की सहायता की आवश्यकता है। इस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारी पटना लौटने पर अपने विभागीय सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री को भी देंगे। विभागीय सचिव उस पर अपना मन्तव्य अंकित कर विभागीय मंत्री को उपस्थापित करेंगे। प्रतिवेदन तथा विभागीय सचिव के मन्तव्य की एक प्रति सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय को भी भेजी जायगी।

जहांतक विभागीय सचिवों का दिल्ली भ्रमण का प्रश्न है, वे स्वयं भी उसी प्रकार स्थानिक आयुक्त को एक प्रतिवेदन देंगे और लौटने पर अपने विभागीय मंत्री तथा मुख्य सचिव को उसकी एक-एक प्रति उपस्थापित करेंगे।

(2) विभिन्न विभागों द्वारा जो भी परिपत्र निर्गत किये जायें, उनकी प्रतिलिपि स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को अवश्य भेजी जाय।

(3) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को जो भी प्रस्ताव भेजे जायं, उनकी सूचना भी स्थानिक आयुक्त को निश्चित रूप से भेजी जायगी। इससे स्थानिक आयुक्त को फौलो-अप करने में सहुलियत होगी।

(4) स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली प्रत्येक माह में राज्य के लंबित मामलों पर विभिन्न विभागों द्वारा दिल्ली में की गयी कार्रवाई की समीक्षा कर उसका प्रतिवेदन मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेज देंगे। वे यह भी सूचित करेंगे कि संबंधित माह में उनके स्तर से भारत सरकार में कितने मामलों का निष्पादन हुआ है और कौन-कौन मामले लंबित हैं।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

विश्वासभाजन,
कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

पत्र सं०-मं०मं०2।स०पु०-301।98—1684
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक

श्री नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सभी आयुक्त एवं सचिव,

सभी सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 27 मई 1998

विषय—सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति एवं स्थानान्तरण के पूर्व सचिवालय ग्रंथागार से पुस्तकों का बकाया रहित प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) प्राप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि प्राय: कुछेक पदाधिकारियों।कर्मचारियों सचिवालय ग्रंथागार से पुस्तक लेने के उपरान्त या तो समय पर नहीं लौटाते या फिर कभी लौटाते ही नहीं उनके स्थानान्तरण अथवा सेवा निवृत्ति के पश्चात उनके द्वारा लिये गये पुस्तकों की वापसी नहीं हो पाती जिससे सचिवालय ग्रंथागार को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है ।

इस विषय पर सचिवालय अनुदेश के अध्याय 11 पृष्ठ 234 में निहित निदेश की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो निम्नवत है:—

"पुस्तकों का एक महीने से अधिक न रखने दिया जायेगा किन्तु खास-खास मामलों में यदि प्रधान पुस्तकाध्यक्ष को समाधान हो जाय कि पुस्तक रखने के लिये अधिक समय न्यायोचित तो पुस्तक लेनेवाले के अनुरोध पर दुबारा दी जा सकती है"

"बदली सेवा निवृत्त पदत्याग या अन्यत्र किसी नयी नियुक्ति के कारण किसी पदाधिकारी।कर्मचारी आदि के विभाग से भारमुक्त होने के पहले यह देखना निबंधक, निजी सहायक आदि का कर्तव्य होगा कि यदि उसने सचिवालय पुस्तकालय से कोई पुस्तक ली हो तो वह लौटा दी जाय" कंडिका 11(201)

अत अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारी।कर्मचारियों को इस संबंध में समुचित निदेश अपने स्तर से सचिवालय ग्रंथागार से ली गई पुस्तकों को नियमानुसार समय पर लौटाने हेतु दिया जाय साथ ही पदाधिकारी।कर्मचारियों की बदली सेवा निवृत्ति पदत्याग या अन्यत्र नियुक्ति के कारण विभाग से भारमुक्त होने के पूर्व निबंधक निजी सहायक इस विषय पर सुनिश्चित हो लेकिन सचिवालय ग्रंथागार से ली गई पुस्तकें वापस कर दी गई हैं ।

विश्वासभाजन,
नरेन्द्र भगत,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं० मं०मं०2।सं०पु० 301।98—1684

पटना-15; दिनांक 27 मई 1

प्रतिलिपि—प्रभारी प्रधान पुस्तकाध्यक्ष बिहार सचिवालय ग्रंथागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई अग्रसारित ।

नरेन्द्र भग
सरकार के

संख्या सी०एस० 1।एल 1-109।72—2054

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,

10 ज्येष्ठ 1894 (स)
पटना-15, दिनांक ——————
30 मई 1972

विषय—विधान मण्डलीय मामलों का समुचित एवं शीघ्र निष्पादन।

महोदय,

विधान मंडलीय मामलों (जैसे प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचना, निवेदन, आश्वासन आदि) का निष्पादन समुचित रूप से यथासमय नहीं हो पा रहा है। इस ओर स्वयं विधान-सभा के सदस्य एवं मुख्य मंत्री महोदय ने अपना गम्भीर असंतोष व्यक्त किया है :—

2. प्रश्नोत्तर आदि के लिये समय पर सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार की ओर से कई बार समय मांगा जाता है जो वांछनीय नहीं है। इस तरह के विलम्ब से प्रशासनिक ढीलेपन का बोध होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि विधान मंडलीय मामलों के निष्पादन हेतु विशेष ध्यान दें ताकि अपेक्षित सामग्री विस्तृत और पूर्ण रूप से संबंधित विभाग को समय पर प्राप्त हो सके। एक वरीय पदाधिकारी को विधान मंडलीय मामलों के प्रभार में रखें। प्रभारी पदाधिकारी इसके लिये तत्पर रहें कि हर मामले में समयोचित कार्रवाई हो और किसी स्तर पर विलम्ब न होने पाये।

3. जहां अधीनस्थ पदाधिकारियों से सामग्री मंगवानी हो वहां आप संचार के द्रुततम साधन का उपयोग करें तथा आवश्यकतानुसार विशेष दूत भेजकर स्थानीय स्तर से उत्तर की सामग्री समय रहते प्राप्त करें।

4. सभी स्तरों पर समुचित ध्यान देने से पूर्ण उत्तर के लिये अपेक्षित सामग्री समय पर प्राप्त हो जानी चाहिये। फिर भी यदि विशेष कारणवश किसी मामले में विलम्ब हो ही जाय तो निर्धारित तिथि के पूर्व सरकार के सूचनार्थ विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जाय। इसमें सामग्री प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयास, कारण जिसके चलते समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी तथा अगली तिथि जब सामग्री उपलब्ध हो सकेगी, अवश्य अंकित रहे।

5. यदि किसी स्थानीय पदाधिकारी से उत्तर प्राप्त होने में बराबर विलम्ब होता हो तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव।

IMMEDIATE

No. CS/L2-20158-/2979

Government of Bihar

Cabinet Secretariat.

Form

M.S.Rao. Esqur. I.C.S.
Chief Secretary Government.

To

All District Officers.

Patna, the 5 Caitra, 1880 / 26 March, 1958

Subject—Materials for answering Assembly and Council question.

Sir,

I am directed to invite, once again, your attention to the instructions contained in Appointment's letter No. 9769, dated the 7th November, 1953 (copy enclosed for read reference) on the above subject, and to say that it has been noticed that materials for answering a very large number of Assembly and Council questions asked during the last two sessions of the State Legislature held in the year 1957 have not been received from the District Officers by different Departments of Government with the result that several short notice and starred questions could not be answered on due dates. Since their replies have already been unduly delayed. I am to request you kindly to take personal interest in the matter and to see that materials for preparing answers to the pending questions of the last sessions are sent to the respective Departments without any farther delay.

The necesaary and urgency of furnishing materials promptly for answering Assembly and Council questions have already been emphasied in Appointment Department's letter referred to above. and I am to request you kindly to take steps to ensure that the instruocetions contained therein are strictly followed under your personal guidance and also to see that materials for answering Assembly and Council questiens are sent to the Departments of Government promptly. The Departments of Governments are being requsested that all letters regarding materials for answering Assembly and Council questions. Partiocularly the started and short-notice ones, should be addressed to the District Officers by name. As soon as you receive such a letter, you should kindly take steps to pursue the matter till the materials desired are sent to Government. in your absence from headquarters on tour, etc. the next senior Officer should take Necessary steps as indicated above.

Yours faithfully,

Sd -M.S.Rao.

Chief Secretary to Government.

Memo no. C.S/L2-201(58/979

5 Caitra, 1880
Patna the———————
26 March, 1958

Copy, with copy of the letter under reference forwarded to the Commissioner for information

Patna Division
——————
Bhagalpur Division
——————
Tirhut Division
——————
ChotanagpurDivision.

Sd/-M.S.Rao.
Chief Secretary to Government.

5 Caitra, 1880
Patna the———————
26 March, 1958

Memo no. CS/L2-201/58-2979

Copy with copy of the letter under reference, forwarded to All Departments of Government. for information in continuation of Chief Secretary's Demi-official No. 2040, Dated the 24th February, 1958.

The Departments should address the District Officers by name for materials for Assembly and Council questions.

Sd/-R. L. Sen.
Under Secretary to Government.

अर्द्ध सरकारी पत्र सं० सी०एस०।एल 2-106।61—1290

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

---

22 फाल्गुन 1882 (स०)
पटना; दिनांक————————
13 मार्च 1961।

विषय—विधान-सभा एवं विधान परिषद् के प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब।

प्रिय,

निदेशानुसार आपका ध्यान श्री एम० एस० राव, मुख्य सचिव के पत्र संख्या 2979, दिनांक 26 मार्च 1958 एवं अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या 10062, दिनांक 19 नवम्बर 1958 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहना है कि इनमें निहित अनुदेशों के बावजूद भी विधान-सभा एवं विधान परिषद् के प्रश्नों के उत्तर के लिए सचिवालय के विभागों द्वारा जिलाधिकारियों से मांगी गयी सामग्रियों समय पर नहीं प्राप्त हो रही हैं। फलस्वरूप सदन में सरकार को अनावश्यक आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। अतः यह अत्यावश्यक है कि जब भी सचिवालय के किसी विभाग से विधान मंडल के प्रश्नों के उत्तर के लिये आपसे सामग्री मांगी जाय तो आप स्वयं इसकी देखभाल कर जल्द-से-जल्द सरकार को उत्तर देने की कृपा करें। साथ ही साथ आप अपने यहां के किसी वरीय पदाधिकारी को इसकी विशेष जिम्मेवारी सौंप दें ताकि वे इस पर खास निगरानी रखें।

2. अगर कार्यालय में किसी स्तर पर या अन्य अधीनस्थ पदाधिकारियों के यहां अनावश्यक विलम्ब हो तो जिम्मेवारी निर्धारित कर दोषी व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करें और उसकी सूचना संबंधित विभाग को भी दें।

3. कृपया इसे अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को जना दें।

भवदीय,
एस० जे० मजुमदार,
मुख्य सचिव।

सेवा में
श्री.....................
....

ज्ञाप सं० सी०एस०।एल० 2-106।61–1290

22 फाल्गुन 1882 (स)
पटना, दिनांक————————
13 मार्च 1961

प्रतिलिपि—सभी सचिव।अपर सचिव।उप-सचिव।नियुक्ति आरक्षी एवं सामान्य विभाग।प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ अग्रसारित।

रवि लाल,
अपर सचिव।

पत्र संख्या सी०एस।सी० 1-7-68।3199

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक

श्री गिरिजा प्रसाद,
अवर-सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलों के आयुक्त,

सभी जिला दंडाधिकारी,

सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी ।

10 आषाढ़ 1890(स)
पटना-15, दिनांक——————
1 जुलाई 1968।

विषय—संसद सदस्यों की गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार भारत सरकार गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या 12-2-67-पी-4, दिनांक 21 फरवरी 1968 तथा उसके अनुलग्नक की एक प्रति उचित कारवाई के लिये अग्रसारित की जाती है।

2. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

विश्वासभाजन,
गिरिजा प्रसाद,
अवर-सचिव।

ज्ञाप संख्या-सी० एस०।सी० 1-1028।68—3199

10 आषाढ़ 1890 (स)
पटना-15, दिनांक——————
1 जुलाई 1968।

प्रतिलिपि—भारत सरकार के पत्र संख्या 12-2-67-पी-4, दिनांक 21 फरवरी 1968 तथा उसके अनुलग्नक की प्रतिलिपि के साथ सभी विभागों।सभी विभागाध्यक्षों।निबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना तथा आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

गिरिजा प्रसाद,
अवर-सचिव।

संख्या-3।एम-1-5039।67नि०—14299

बिहार सरकार
नियुक्ति विभाग

प्रेषक

श्री श्रीधर वासुदेव सोहोनी,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी अनुमण्डलाधिकारी।

3 आश्विन 1889(स)
पटना-15, दिनांक
25 सितम्बर 1967।

विषय—विधान-मण्डल के सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचनाओं की आपूर्ति।

महोदय,

निदेशानुसार श्री मजुमदार के पत्र संख्या 3।एम-1-5047।62नि०—5177, दिनांक 20 अप्रील 1963 (प्रति संलग्न) के प्रसंग में मुझे यह कहना है कि सरकार को यह सूचना मिली है कि उपर्युक्त पत्र के अनुसार जिलाधिकारियों से विधान-मण्डल के सदस्यों को सूचनाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, जिसके चलते सदस्यों में असतोष है। सरकार पुनः इस बात पर जोर देती है कि उपर्युक्त आदेश का अक्षरशः पालन किया जाय ताकि सदस्यों को इस सम्बन्ध में शिकायत का अवसर नहीं मिले।

विश्वासभाजन,
मुख्य सचिव।

बि०स०मु० (मंत्रिमंडल) 1—मो०जी०—500—14-2-2002—ो०आर० दास एवं अन्य

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2002